राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पांचवा दिवस [संख्या: 05

शुक्रवार,
09 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम सा। प्रद्‌युम्न सिंह जी, बस हो गया, समझ में आ गया, राम राम सा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रतिपक्ष पर आपका आशीर्वाद है, यह इससे जाहिर होता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, इशारों में क्या बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इशारे की उम्र मेरी गई, बहन जी। प्रश्नकाल, श्री ललित कुमार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

बारां नगर परिषद् क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

78. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बारां नगर परिषद क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व वर्तमान में कौन-कौन सी कॉलोनियों का नियमन किया जा चुका है व कौन-कौनसी का नियमन शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्‌वारा उक्त नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व में पट्‌टा वितरण शिविर कब लगाया गया था? उक्त शिविर में कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने पट्‌टे जारी किये गये व कितने शेष रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(3) क्या सरकार पुन: शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, कल आपने आश्वासन दिया था कि सहकारिता वाले दिन जवाब दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आज नहीं लग सकता।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आज सहकारिता का है। आपसे निवेदन है कि आप जवाब दिलवाएं। कल आपने स्वयं फर्माया था कि सहकारिता वाले दिन जवाब दिलाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार किसान का जवाब देना ही नहीं चाहे, वह अलग बात है। आपने फर्माया था सहकारिता वाले दिन पहले नंबर पर ले लेंगे, आज सहकारिता का दिवस है।

श्री अध्यक्ष: ले लेंगे, आज के लिये थोड़े ही कहा था।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष: आज के लिये नहीं कहा, बैठो, ले लेंगे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आप डेट बता दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, बजट में थोथी घोषणाएं करने के बाद में किसान की कोई बात की जाएगी।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, आप कोई दिनांक तय कर दें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, इन्होंने मानी नहीं और ये चले गये। ...(व्यवधान)... कैसे फिक्स किया जा सकता है। आपने अध्यक्षीय व्यवस्था मानी क्या? आप तो विरोध करके गये थे ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सहकारिता का दिन आएगा उस दिन मैं बुला दुंगा, लेकिन उसके बावजूद आप चले गये थे। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... सहकारिता वाले दिन जवाब दिया जाएगा, चर्चा होगी। आज यह निकम्मी सरकार किसान पर चर्चा ही नहीं करना चाहती।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब, आप बैठिए, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, वह जवाब दे रहे हैं, मैं देख लूंगा, मुझे कह दिया इन्होंने, ले आएंगे उसमें दिक्कत क्या है। मेरी बात वह भी मान गये। माननीय मंत्री महोदय।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) जी हां। वर्तमान में नियमन की गई कॉलोनियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर एवं नियमन से शेष रही कॉलोनियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम की अवधि 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है जिसमें अधिकतम कालोनियों का नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर योजना प्रदेश की नगरीय निकायों में 10 मई, 2017 से 14 सितम्बर 2017 तक लगाये गये थे। 15 सितम्बर, 2017 से उक्त शिविर में शेष रहे प्रकरणों का निस्तारण समस्त शिथिलताओं के साथ नगर परिषद, बारां कार्यालय में किया जा रहा है। उक्त शिविर के दौरान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 116 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 10 पट्टे जारी किए गए और 106 शेष है। भू-पट्टियों के 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 02 भू-पट्टी जारी की गई और 14 शेष है। कृषि से अकृषि भूमि के तहत 1085 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 885 पट्टे जारी किए गए एवं 200 प्रकरण शेष हैं। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत प्राप्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर, भू-पट्टियों के तहत जारी पट्टों का विवरण परिशिष्ट 'द' पर एवं कृषि से अकृषि भूमि के तहत प्राप्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर 2017 के तहत लम्बित रहे प्रकरणों के निस्तारण हेतु अवधि 31.03.2018 तक बढ़ाई जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मई से सितम्बर तक मुख्य मंत्री जन कल्याण शिविर लगाये गये। इसमें कई निस्तारण हुए और कई लोगों को पट्टे भी मिले परन्तु बारां की नगर परिषद में जो हमारे लंबित मामले हैं, जिसमें आपने निवेदन किया कि 106 पट्टे हमारे स्टेट ग्रांट के, भू पट्टियों के 14 और कृषि से अकृषि भूमि के 200, यह अभी तक हमारे वर्तमान में बाकी हैं। पिछले चार महीने से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इसकी तारीख भी बढ़ा दी 31.3.2018, यह कब तक हम पूरा कर देंगे? इनके आवेदकों ने पैसे भी जमा कराये हुए हैं, हम इनको कब तक पूरा करने का प्रयास करेंगे, यह बताने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने जो हमारी एम्पावर कमेटियां बनी हुई हैं, उनको अधिकार दिये हुए हैं, 31 मार्च तक तारीख है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी तारीख और बढ़ा देंगे। इनके कोई पटवारियों की समस्या इन्होंने बताई है, पटवारियों के नहीं होने की वजह से डिमार्केशन नहीं हो रहा है, उसकी शीघ्र व्यवस्था करके इसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि बारां नगर परिषद में ही हमारी 26 कालोनियां ऐसी हैं जो अभी तक कच्ची बस्तियों के रूप में हैं, उनमें अभी पट्टे नहीं बने हैं। जिसमें 5 में से 2 तो डूब क्षेत्र में, एक माइनिंग में, दो रेलवे के अंतर्गत बैन है, इसमें कोई पट्टे जारी नहीं किये गये हैं और वर्षों से हमारी यह कालोनियां बसी हुई हैं, इन कच्ची बस्तियों के मामलों में भी क्या सरकार कोई निर्णय लेना चाहेगी?

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जन

(श्री ललित कुमार)

कल्याण शिविर जिसमें प्रार्थियों को बहुत लाभ मिला है, क्या दुबारा हम यह शिविर रखने का विचार रखते हैं क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा रेलवे कालोनी के पास में, कुछ डूब क्षेत्र की जमीन में है, अगर रेलवे से अगर एनओसी की जरूरत पड़ी तो एनओसी लेकर विशेष रूप से बारां नगर परिषद के लिये इन्होंने कहा तो वहां पर विशेष अलग से कैम्प लगा कर इनके पट्टे दिये जाएंगे। जब यह कहेंगे मैं कैम्प लगाने की व्यवस्था कर दूंगा ताकि इन पट्टों का निस्तारण शीघ्र हो सके।

श्री अध्यक्ष: यह बारां से संबंधित है, अगर आपका रेलेवेंट कोई पूरक प्रश्न हो तो बताइए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, आपका आशीर्वाद चाहेंगे, मेरे यहां भी नगर पालिका...

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नॉट अलाउड, केवल बारां से संबंधित।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): यह सदन में आ गया, यह सबका विषय है, साहब।

श्री अध्यक्ष: यह बारां से संबंधित है, बारां से संबंधित आप कर सकते हैं, बाकी नहीं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष: आपने दो सवाल पूछ लिये, विराजिए। अगला सवाल श्री गोतम कुमार।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है बोलने का।

श्री अध्यक्ष: बारां के लिये ही बोलोगे?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हां।

श्री अध्यक्ष: पूछिए आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो मुख्य मंत्री जन कल्याण शिविर लग रहे हैं उसमें जिनको एक भी पट्टा नहीं दिया, उस योजना का लाभ नहीं मिला, क्या मंत्री महोदय वापस शिविर लगा कर उन जगहों पर गरीबों को पट्टे देंगे या नहीं, देंगे तो कब तक? हमारे कमिश्नर भी नहीं लगा हुआ तो लाभ दोगे कैसे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, बारां के बारे में हो तो जवाब दीजिए, बाकी नहीं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह बारां का ही है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने बारां के बारे में जवाब दे दिया है। अगला सवाल श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी में गोदाम रहित सहकारी समितियां

79. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितनी सहकारी समितियां संचालित की जा रही है एवं इन समितियां के लिए कितने गोदाम बने हुए हैं? सहकारी समिति एवं गोदामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेक समितियों के पास गोदाम नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी समितियों के? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गोदाम रहित करेड़ीया (भदेसर) जौलर (प्रतापगढ़), किषनकरेरी (डूंगला), करसाना (डूंगला) में गोदाम स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कुल 48 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित की जा रही हैं। जिनमें से 40 पैक्स/लैम्पस में गोदाम निर्मित हैं। सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में खोरिया, धमोत्तर, मधुरातालाब, नकोर, मेरियाखेड़ी एवं विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी

(सहकारिता मंत्री)

जिला चित्तौड़गढ़ में अमीरामा एवं आकोलाकलां एवं पालोद लैम्पस व पैक्स में गोदाम नहीं है।

(3) जी हां। करेडिया पंचायत असावरा पैक्स के कार्यक्षेत्र में आती है असावरा पैक्स में गोदाम उपलब्ध हैं।

झौलर पंचायत देवगढ़ लैम्पस के कार्यक्षेत्र में आती है देवगढ़ लैम्पस में गोदाम उपलब्ध है। किशनकरेरी पंचायत बड़वई पैक्स के कार्यक्षेत्र में आती है, बड़वई पैक्स में गोदाम उपलब्ध है।

करसाना पंचायत डूंगला पैक्स के कार्यक्षेत्र में आती है, डूंगला पैक्स में गोदाम उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक। गौतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्रीजी जब हमारे सरकार आपके द्वार में पधारे थे और सरकार आपके द्वार में मैं भी इनके साथ था, उस समय आपने प्रतापगढ़ में हर पंचायत पर सहकारी समिति की घोषणा की थी। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उनमें से आधे सहकारी समिति के जो गोदाम और भवन है, वह तो बन गए हैं, लेकिन वहां अभी पांच ऐसी समितियां है जिनकी घोषणा आपके द्वारा की गई थी, उनके पट्टे भी हमने अपनी पंचायत द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर प्रतापगढ़ की उन पांचों पर, जिनकी आपकी घोषणा है, उन पर और तीन और जो दो बड़ी सादड़ी में है और एक भदेसर में है और एक डूंगला पंचायत समिति में हैं, चार गोदाम और भी हैं, उन पर भी सहकारी समिति के भवन बन जाएं। क्योंकि सहकारी समिति तो हो गई लेकिन अगर भवन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली कागजों में ही हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन आठ स्वीकृत सहकारी समितियों में भी भवन हों और चूंकि पट्टे भी आपको उपलब्ध है तो इन आठों समितियों के गोदाम की, भवन की आज ही घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल आपके विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 14 गोदाम बने हैं। देश की आजादी के बाद में कभी भी इतने गोदाम उस बड़ी सादड़ी में बने? मैं आपको बताना चाहूंगा केवलपुरा में, भाटोली ब्राह्मणान में, मूंजवा, बरड़िया में गोदाम पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और अभी जो आपने दो ग्राम सेवा सहकारी समिति का नाम दिया अमीरामा और आकोलाकला में भी आपके गोदाम स्वीकृत 1 जनवरी, 2018 को कर दिया गया, जल्दी से वह आपके चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमने 7 आईसीडीपी में आपके गोदाम बनाए, 6 बजटीय प्रावधान में बनाए और 1 हमने आरकेवीवाई योजना के तहत बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, देश की आजादी के बाद में सबसे ज्यादा गोदाम ग्राम सहकारी सेवा समितियों में बने हैं, 1263 गोदाम अभी तक हम स्वीकृत कर चुके हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की यह स्पष्ट मंशा है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना चाहिए। जो गठन होना है, उसके लिए अलग से मापदंड निर्धारित है। उसके लिए कुछ सदस्य बनाने पड़ते हैं, 500 सदस्य। कुछ राशि भी जमा करानी पड़ती है और हमारी प्राथमिकता है कि अगर इस तरह का मापदंड पूरा करते हैं ग्राम पंचायत में तो तुरंत वहां पर नई ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली जाएगी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अगर भूमि उपलब्ध होगी तो आपके एक या दो तो आईसीडीपी में तुरंत ही मैं कल ही यह निर्देश जारी कर दूंगा कि आईसीडीपी जो हमारी समग्र सहकारी विकास परियोजना के तहत आपके गोदाम को प्राथमिकता से बनाया जाए। इसके बाद में यदि भूमि उपलब्ध होगी और उसकी उपयोगिता को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से पूरा प्रयास रहेगा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम व भवन बनें।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। आ गया जवाब पर्याप्त।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि यह जो आठ समितियां हैं जो कल आप दो करने के लिए कह रहे हैं, बजट भी आएगा इस बार। इस बजट में जो यह आठों समितियां है जिनकी आपने घोषणा कर दी है, उनके भवन तो बन ही जाए और एक-दो

(श्री गोतम कुमार)

समितियां ऐसी है जैसे एक देवगढ़ में झोलर, एक डूंगला में करसाना। झोलर देवगढ़ से 10-12 किलोमीटर दूर है, लैम्प्स उसका देवगढ़ है, लेकिन वहां भी गोदाम अगर बन जाएगा तो वहां के किसानों को काफी राहत मिलेगी। 10-10 किलोमीटर दूर खाद लेने के लिए वह आता है, किसान को काफी परेशानी होती है। उसकी लागत भी बढ़ जाती है। अगर ऐसे 8-10 गोदाम मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ किया है। वास्तव में कुल 40 बने, उसमें से 14 तो केवल आपके कार्यकाल के हैं। मैं धन्यवाद देने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा लेकिन मेरा आपसे निवेदन है चूंकि घोषणा हो चुकी है तो वहां जब जाते हैं तो पूछते हैं कि घोषणा हो गई है तो जल्दी से भवन बनवाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बनवाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी। आपके विधान सभा क्षेत्र में 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें गोदाम नहीं है, उनमें भी 2 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर और नया जो बजट आ रहा है उसमें वित्तीय संसाधनों को देखते हुए पूरी प्राथमिकता आपको दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री चन्द्र भान सिंह 'आक्या'।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चार साल में सरकार ने खूब सहकारी समितियां खोली है।

श्री अध्यक्ष: बड़ी सादड़ी से संबंधित है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): हां बड़ी सादड़ी से ही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। बड़ी सादड़ी से तनिक भी बाहर नहीं जाऊंगा। बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो भी नयी सहकारी समिति बनी है, वहां आप आईसीडीपी से पैसा नहीं देकर 10-10 लाख रुपए जो देते हैं, वह बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़ पूरे जिले में जहां जहां भी नई सहकारी समिति बनी हैं, वहां आप इसी सत्र में उनको 10-10 लाख रुपए जारी करवाएं। उस 10 लाख रुपए से काफी हैल्प हो जाएगी और नये गोदाम बन जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विरोजो आप। आपने बड़ी सादड़ी के बहाने पूछ लिया। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि चित्तौड़ जिले में कुल 202 समितियां है और 202 समितियों में से 190 में सभी में गोदाम बने हुए हैं। केवल पूरे जिले में आपकी 12 समितियां ऐसी है, जहां पर यह नहीं है। मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी कि जिले के अंदर कोई भी ऐसी नहीं बचे। चाहे आरकेवीवाई योजना, आईसीडीपी में जो भी वित्तीय संसाधनों को देखते हुए पूरी प्राथमिकता से कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान। आपने बटन दबाया है पूरक प्रश्न के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष जी मैं भी पूछना चाहूंगा जो सोसाइटी की इन्होंने फीस बढ़ाई है, उस फीस के जरिये सोसाइटी बन नहीं रही है गांवों में। मंत्री महोदय वह फीस कम कर दें।

श्री अध्यक्ष: चलिए बैठिए आप। यह सुझाव है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): कोई फीस बढ़ाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण। तीसरा पूरक प्रश्न। बड़ी सादड़ी से संबंधित है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): हां बड़ी सादड़ी का है। बड़ी सादड़ी का पूछूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बड़ी सादड़ी में पिछले 10-15 वर्षों से जो मृत समितियां पड़ी है, उनकी पहले भी विधान सभा में एक बार आवाज हमने सुनी थी। आज तक उनको चालू नहीं किया। चालू न करने का कारण क्या है? उनकी जांच भी नहीं करवाई गई है और जांच करवाने के बाद अगर कोई दोषी आता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसी समितियों को चालू करवाया जाए ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके। दूसरा मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में फसल खराबा घोषित किया था। फसल खराबा के तहत मुआवजा देना तय किया था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। बड़ी सादड़ी से संबंधित कर चुके आप।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): लेकिन वो जो फसल खराबे का मुआवजा था वह बड़ी सादड़ी में न दिया जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसानों को बुलाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय बड़ी सादड़ी से संबंधित जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए आप। इधर-उधर नहीं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी बताया है कि जो मृत समितियां है, ऐसी कोई जानकारी नहीं करायी गयी है। जो माननीय विधायकगण है उन्होंने भी इस तरह की जानकारी नहीं कराई। अगर कोई भी लिक्विडेशन में आ चुकी है तो हमारा पूरा प्रयास है कि उसको लिक्विडेशन से उबारा जाए और उसको संचालित की जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. फूलचन्द भिण्डा। हां आप करेंगे। आपने दे दिया। हां ठीक-ठीक।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): प्रश्न संख्या 80

श्री अध्यक्ष: अधिकृत कर गए थे फूलचन्द जी भिण्डा मेरे सामने इनको।

विराटनगर व पावटा में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

80. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास) (डा. फूल चन्द भिण्डा (विराट नगर) के स्थान पर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विराटनगर व पावटा में कितने राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं? क्या सरकार उक्त स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) विराटनगर एवं पावटा में एक भी सरकारी महाविद्यालय संचालित नहीं है। हालांकि वर्तमान में उपखण्ड विराटनगर में 05 तथा पावटा में 05 निजी महाविद्यालय संचालित हैं। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विराटनगर एवं पावटा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर 1

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि विराटनगर और पावटा। पावटा के अंदर 29 ग्राम पंचायतें हैं और विराटनगर में भी 29 ग्राम पंचायतें हैं, नगरपालिका है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और एसबीसी की 80 प्रतिशत आबादी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि पावटा और विराटनगर दोनों तहसील है, उपखण्ड कार्यालय है, नगरपालिका है और लाख से अधिक ऐसी आबादी है, बालिकाएं है जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए मजबूर है। चूंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो प्राइवेट स्कूल अपनी फीस लेता है। उनकी अपनी व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। बहुत सारे गरीब परिवारों की ऐसी बच्चियां है जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं इनके साथ-साथ इसी तरह से दो नगरपालिका किशनगढ़ बास और खैरथल है, वहां भी एक लाख से अधिक की आबादी है और 35 ग्राम पंचायतें हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी सहृदय है, बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान रहता है और माननीय मंत्री महोदय भी स्वयं महिला हैं इसलिए मैं इनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि बास कृपालनगर किशनगढ़ बास, पावटा और विराटनगर तीनों जगह आज ही महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य की एवज में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पूछा है। उनकी अनुपस्थिति होने की वजह से आपने इनको इजाजत दी, लेकिन इन्होंने किशनगढ़ बास के बारे में भी जानकारी चाही है। यह इनका स्वयं का विधान सभा क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जोड़ दिया, इसको।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, जोड़ दिया। इतना फायदा तो इनको लेना चाहिये। पहले तो मैं यह जानकारी सदन को आपके माध्यम से देना चाहती हूं कि हम जो महाविद्यालय खोलते हैं, उसमें 30 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई सरकारी कालेज नहीं है, तो उस पर पूर्णत: विचार किया जाता है। ..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को पूरा करूं तक।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ..(व्यवधान) यदि नहीं हो तो?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जो भी आपको बात पूछनी है, आप अध्यक्ष जी से इजाजत लेकर पूछ लें। माननीय अध्यक्ष जी, विराटनगर से शाहपुरा 25 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर सरकारी कन्या महाविद्यालय चलता है। विराटनगर से ही करीब 30 किलोमीटर दूरी पर चिमनपुरा है, जहां सहशिक्षा का एक महाविद्यालय चलता है। पावटा से 19 किलोमीटर की दूरी पर कोटपूतली है, जहां सहशिक्षा का एक महाविद्यालय है और पावटा से ही 27 किलोमीटर की दूरी पर यह शाहपुरा आता है, जहां पर कन्या महाविद्यालय है। तो यह जो मानदंड है, जहां 30 किलोमीटर की परिधि में कोई महाविद्यालय न हो तो उसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी स्थिति में विराटनगर और पावटा, दोनों में ही 30 किलोमीटर की परिधि में कन्या महाविद्यालय भी है और सहशिक्षा का महाविद्यालय भी है। दोनों ही जगह पाँच-पाँच प्राइवेट कॉलेजेज भी हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि विराटनगर और पावटा में और भी कालेज की आवश्यकता है, इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। साथ ही, किशनगढ़ बास के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो बात कही है। आपके माध्यम से मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगी कि किशनगढ़ बास और खैरथल दोनों ही बड़े कस्बे हैं, वहां पर बी.बी. रानी कालेज चलता है। जो कि 20-25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। बहुत ही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अच्छा एवं बड़ा कालेज है। फिर भी इन्होंने जो बात कही है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने जिस 30 किलोमीटर दूरी की परिसीमा की बात की है। यह सामान्य परिस्थितियों के लिये हो सकता है, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, जहां विशेष रूप से बालिका शिक्षा बहुत कम है। तो क्या राज्य सरकार, जैसे बैराठ की चर्चा करें, जैसे मैंने पूर्व में आग्रह किया कि बैराठ में जो बालिकाओं की आबादी हैं, उनमें 80 परसेंट एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी., और एस.बी.सी. से संबंधित है। ऐसे क्षेत्र हैं जो ट्राइबल हैं, जो माइनोरिटी के हैं। ऐसे ब्लाक हैं, राज्य सरकार की मंशा भी है कि हर ब्लॉक स्तर पर राजकीय महाविद्यालय हो तो क्या राज्य सरकार सर्वे कराएगी कि ऐसे ब्लॉक हैं, ऐसे उपखंड कार्यालय हैं, जहां पर पिछड़े, अति पिछड़े, एस.सी. के बालक-बालिकाओं का शिक्षा का स्तर कम है। संख्या कम है, उनको प्रोत्साहन देने के लिये ऐसे ब्लॉकों को क्या रियायत देकर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार निश्चित रूप से इस ओर बहुत संवेदनशील है कि जहां भी पर पिछड़े, अति पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की हमारी बच्चियां हैं, कन्याएं हैं, उनको महाविद्यालय की सुविधा मिले, इस पर विचार रखती है। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है, उसके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री भँवर सिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जैसा अभी मंत्री महोदया ने बताया कि प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने के लिये जो मापदंड आपके द्वारा जवाब में दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या भाजपा के सुराज संकल्प पत्र में प्रदेश के प्रत्येक उप खण्ड मुख्यालय पर

(श्री भंवरसिंह)

बालक और बालिकाओं के लिये अलग-अलग राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा सुराज संकल्प पत्र में की गयी थी और यदि की गयी थी तो चार बजट इस सरकार ने पेश कर दिये गये और पांचवां बजट अब पेश होने जा रहा है। क्या मंत्री महोदया और सरकार यह मंशा रखती है कि अपने घोषणा-पत्र के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदेश के जो कॉलेज विहीन उप खण्ड मुख्यालय हैं, वहां पर बालक और बालिकाओं के अलग-अलग महाविद्यालय खोलने का विचार रखती हैं, और उसके साथ-साथ जो निर्धारित मापदंड पेश किये गये, उसके अनुसार 20-30 किलोमीटर की दूरी की बात कही गयी है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कोलायत ऐसा उप खण्ड मुख्यालय है, जहां पर दो सौ किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है तो क्या मंत्रिमंडलीय समीक्षा समिति में जो महाविद्यालय रखे गये थे और उसमें कोलायत का भी नाम है तो क्या मंत्री महोदया कोलायत में भी इस बजट में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मैं आपको टाइम दूंगा, आपका है। आप बैठिए। फिर एक और फिर आपका है। तीसरा नंबर आपका है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न तो विराट नगर और पावटा के ही संदर्भ में ही था। इन्होंने कोलायत की बात पूछी है और प्रदेश के संदर्भ में जो बात आपने पूछी है कि सुराज संकल्प यात्रा का जो पत्र था, उस के अंदर यह था कि एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर्स पर कालेजेज हों, इसके बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर्स में आउट ऑफ 289 में से मात्र 21 ऐसे उप खण्ड हैं जहां पर न तो राजकीय महाविद्यालय है, न किसी तरीके का निजी महाविद्यालय है। चरणबद्ध अगर पहली प्राथमिकता लें तो पहली प्राथमिकता यह होगी कि जहां पर एक भी सरकार महाविद्यालय या निजी महाविद्यालय नहीं है, वह पहली प्राथमिकता है। ऐसे 11 उप खण्ड हैं। जिन 21 उप खण्ड की सूची मेरे पास है। माननीय सदस्य लेना चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष: उसमें एक मेरा भी है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उसमें एक आपका भी है, बिलकुल। माननीय अध्यक्ष जी, जिस सूची में आपका कॉलेज है, उसे तो पहले प्राथमिकता देनी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक इधर का भी है साहब।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उसको तो पहले प्राथमिकता देनी है। इसलिये यह जो 21 की सूची है। ..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत हो तो जैसा ये कह रहे हैं कि पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं कोई जरूरत नहीं। बहुत सीमित सवाल था। आपने जवाब दे दिया। अच्छा है, जानकारी दे दी। अगला सवाल श्रीमती शंकुतला रावत। केसाराम जी इसके बाद मैं आपका ले रहा हूं। ये नहीं। श्रीमती शंकुतला रावत, आपने दबाया है न। आप सवाल कीजिये, मैं आपको पुकार रहा हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपने अपना कालेज करवा लिया। आप सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। लिस्ट में नाम आ गया। हमारे बानसूर का भी नाम डलवा दें तो आपको हम धन्यवाद देंगे। हम सदन के माध्यम से यह अनुरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कालेज खोलने की बात 30 किलोमीटर पर कही गयी है, मगर सवा सौ किलोमीटर लंबे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। क्या सरकार ऐसी जगह पर, जहां पर विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है, वहां पर महाविद्यालय खोलेंगे या नहीं? मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक स्तर पर नहीं है। आपने जो 21 की सूची बतायी है, वह 21 की सूची पढ़कर बता दें तो हमें पता लग जायेगा कि आप कहां-कहां पर..।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। यह सवाल से संबंधित नहीं है। अगला सवाल श्री संदीप शर्मा।

भामाशाह कार्ड से निजी अस्पतालों में रोगियों का नि:शुल्क उपचार

81. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड के द्वारा रोगियों को निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हां, तो गत 02 वर्षों में कोटा शहर के निजी अस्पतालों में भामाशाह कार्ड के द्वारा कितने रोगियों का नि:शुल्क उपचार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई निजी अस्पताल भामाशाह कार्ड योजना के तहत पात्र मरीज का नि:शुल्क उपचार नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भामाशाह कार्ड के द्वारा उपचार करने के उपरान्त निजी संचालकों को क्लेम की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी/राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्तमान में प्रदेश में कितने निजी अस्पतालों के कितनी राशि के क्लेम लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों को भामाशाह कार्ड/भामाशाह रसीद के आधार पर निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग की बात आते ही माइक ने काम करना बंद कर दिया। अब चालू हुआ है। हमारा नंबर आ जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका माइक ही आपको धोखा दे रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे मौका दे देना। सीकर के हैं, इसलिये पूछ लूं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): विगत 02 पॉलिसी वर्षों, 13 दिसम्बर 2015 से 12 दिसम्बर 2017 तक, कोटा शहर के 41 सम्बद्ध निजी अस्पतालों में कुल 17,586 रोगियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत 02 वर्षों में निजी अस्पतालों द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क उपचार नहीं करने के संबंध में कुल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उक्त शिकायतों एवं इन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। माह दिसम्बर 2017 तक निजी अस्पतालों के रुपये 577.19 करोड़ राशि के छह लाख सत्यासी हजार आठ सौ बत्तीस क्लेम्स स्वीकृत किये गये हैं। उक्त में से रुपये 536.22 करोड़ की राशि के 6 लाख 43 हजार 513 क्लेम्स का भुगतान किया जा चुका है। शेष रही 44 हजार 315 क्लेम्स की राशि 40.97 करोड़ के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर 1

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 13 दिसंबर, 2015 को इस योजना का आगाज किया था। देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस परिकल्पना को लेकर कि निजी चिकित्सालयों में गरीब व्यक्ति का इलाज हो सके, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, इस योजना का आगाज किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आज राजस्थान में बेहतर चिकित्सा के लिए अतुलनीय कदम उठाए हैं, बेहतरीन प्रयास किए हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, वहीं कर रहा हूं, साहब। अध्यक्ष

(श्री संदीप शर्मा)

महोदय, इस योजना के लागू होने से पहले जहां गरीब के मन में सपना होता था कि क्या उसका इलाज निजी चिकित्सालय में हो पाएगा, आज कई हजार परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, वे इस भामाशाह स्वास्थ्य योजना जो कि एक महत्त्वपूर्ण योजना है, को लेकर गंभीर नहीं हैं। आज भी यदि मरीज अस्पताल में जाता है तो उसे 24 घंटे का वास्ता देकर मरीज को कई सारी प्रक्रियाओं में उलझाकर उसके दस्तावेज अपूर्ण होने की बात कहकर, क्योंकि इसमें उसका भामाशाह कार्ड, उसका पहचान पत्र, इन दोनों दस्तावेजात के साथ उसका कैमरे में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में जब मरीज आकस्मिक दुर्घटना से ग्रसित या आकस्मिक बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में आता है तो एक घंटे के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं वह पूर्ण नहीं कर पाता। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन होती है और उसका रजिस्ट्रेशन अपात्र मान लिया जाता है, लेकिन उसे बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और जब वह अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके बिल का पैसा भी उसी मरीज को देना पड़ता है। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय को आप देखें। जब से नए प्रावधान भामाशाह स्वास्थ्य योजना के लागू हुए हैं, तब से ये जटिलताएं.....

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए, सवाल क्या पूछना है। भाषण नहीं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, साहब यही प्रश्न है। यह नए प्रावधान के उपरांत चालू हुआ है। पूर्व में जो था, उसमें यह प्रोब्लम मरीजों को नहीं आती थी, लेकिन जब से आपने यह नए प्रावधान लागू किए हैं, उसमें यह एक घंटे और 24 घंटे की बाध्यता जो है, इनको आप सरलीकरण करके जैसा पूर्व की भांति चल रहा था, क्या आप वैसा करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह हुआ सवाल। विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक और है साहब। इस योजना के तहत....

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाए, फिर अगला सवाल कीजिए। इसका जवाब आ जाए, उसके बाद आप अगला सवाल कर लेना।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा आकस्मिक दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति के संबंध में जो बिंदु उठाया गया है, उसके संबंध में मैं सपष्ट करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे मरीज को भी कैमरे के सामने जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े। आकस्मिक दुर्घटना से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान या किसी अन्य औपचारिकता के पहले इलाज दिया जाएगा और ऐसे प्रकरणों में 72 घंटे में इलाज हेतु टीआइडी जनरेट की जा सकती है। अत: माननीय सदस्य को मैं इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नए प्रावधान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लागू किए गए हैं, उसमें राज्य सरकार बीमा योजना को पहले से काफी अधिक राशि का भुगतान कर रही है। यदि हां, तो कितनी राशि बढ़ाई गई है? यदि बीमा कंपनी की राशि बढ़ाई गई है तो फिर भामाशाह के लाभान्वितों की संख्या क्यों घट रही है, जिससे बीमा कंपनी को गैर जरूरी लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो निजी चिकित्सालय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मरीजों का ऑपरेशन करते हैं या उनका इलाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के क्लेम पास होने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता है, जिससे निजी अस्पताल भामाशाह के मरीजों के उपचार में रुचि नहीं ले रहे हैं। क्या राज्य सरकार निजी अस्पतालों के लंबित क्लेमों का निस्तारण एक माह में करने और निजी अस्पतालों का इस योजना के प्रति रुझान बढ़ाने का कार्य करेगी? साथ ही, क्या हार्ट सर्जरी, कैंसर और ऐसे जो 3 लाख से ऊपर वाले क्लेम हैं, जिनमें खर्चा होता है, क्या उनके लिए भी राज्य सरकार कोई योजना बना रही है, जिसमें 3 लाख से अधिक खर्चा आने पर भी उनको वहन किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमा कंपनी की राशि को बढ़ाने का जो प्रश्न आपने उठाया है, मैं

(श्री कालीचरण सराफ)

बताना चाहूंगा कि बीमा कंपनी की राशि को बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे द्वारा वित्तीय प्रावधानों के तहत योजना के दूसरे चरण के लिए दोबारा टैंडर किया गया तथा पुन: टैंडर कर निजी क्षेत्र को भी मौका दिया गया, परंतु निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी काफी अधिक दर दी गई। अंत में मुख्य सचिव महोदय के हस्तक्षेप से अंतिम निर्णय करते हुए दर को फाइनल किया गया है। यहां मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है। साथ ही एक प्रोफिट रिफंड क्लॉज भी शामिल है, जिससे कंपनी क्लेम कम होने की स्थिति में गैर जरूरी लाभ नहीं कमा सकती। अत: माननीय सदस्य को मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस चरण में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए पूर्ण वित्तीय नियमों के अंतर्गत ही यह चरण प्रारंभ किया गया है।

दूसरा आपने पूछा कि टाइम बहुत लगता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रथम चरण के प्रारंभ में यह समस्या आ रही थी और कुछ अस्पतालों को भुगतान होने में समय लग रहा था। सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को धीरे-धीरे दूर किया गया है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत की गई, जिसके फलस्वरूप क्लेम पास होने तथा भुगतान में लगने वाला समय काफी कम हो गया है तथा इसी का परिणाम था कि निजी अस्पतालों की योजना में पूरी रुचि रही और दो वर्षों में 890 करोड़ से ज्यादा के क्लेम पास हुए हैं। इसमें से 576 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों के हैं। मैं अभी सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निजी अस्पतालों को योजना के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और यदि किसी लाभान्वित को कोई समस्या होगी तो उसको दूर किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती कामिनी जिंदल।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि भामाशाह योजना में सभी बीमारियों के इलाज बहुत अच्छे हो रहे हैं, परंतु एक महिला होने के नाते महिलाओं की पीड़ा जरूर बताना चाहूंगी कि भामाशाह पैकेज के अंदर महिला प्रसूती रोग व सिजेरियन डिलीवरी हेतु निजी अस्पतालों के लिए कोई खर्च अनुसार पैकेज निर्धारित

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

नहीं किया गया है तो क्या मंत्री महोदय महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कोई खर्च अनुसार पैकेज निर्धारित करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया सवाल किया है उन्होंने।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको भी इसमें शामिल करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, भामाशाह कार्ड में मंत्री महोदय ने एक बात बताई थी कि विशेष परिस्थितियों में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना-दुर्घटना होने पर परिजनों ने या समाज सेवियों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, भर्ती कराने के बाद आप कह रहे हैं कि 72 घंटे तक उस कार्ड को मानते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नहीं है। जनरली जिस हॉस्पिटल में उसे लेकर जाते हैं, वहां कहते हैं कि यह कार्ड ले लो तो वे बोलते हैं कि आपने जब एडमिट कराया तो उस समय नहीं बताया, इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। उसको डिसअलाउ करते हैं। फिर अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले तीन दिन का पैसा तो हम लोगों से ले लेते हैं और उसके बाद सरकार से भी वे पैसा ले रहे होते हैं। तो दो तरीके से पैसा ऐंठने का काम प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं। दूसरा, इसमें स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें, कि मेरे जवाहर नगर का आदमी अगर उदयपुर चला गया, गलती से भामाशाह कार्ड घर भूल गया और उसका ऑपरेशन हो गया तो उसको पांच दिन का समय मिलना चाहिए कि आप डिसचार्ज नहीं हों तब तक पाँच दिन के अंदर अगर हम भामाशाह कार्ड आपको सब्मिट कर देंगे तो सारा का सारा रिफंड होना चाहिए, उसका इलाज फ्री होना चाहिए। तभी भामाशाह कार्ड की सार्थकता होगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिए, मैंने कहा कि 72 घंटे का समय देते हैं, इसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक शिकायत

(श्री कालीचरण सराफ)

हो तो आप बताएं। उसको निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। कार्ड के बिना भी और बिना नंबर के भी इसको हम अलाउ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप बताइए, उसको दूर करेंगे।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पूरे उदयपुर के सारे निजी अस्पताल, सब ऐसा ही करते हैं। पूरे राजस्थान की ऐसी ही स्थिति है। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आज हमारे माइक काम नहीं कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माइक खराब हैं आज। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री बनवारी लाल। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी भामाशाह योजना ....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बटन दबा ही नहीं, खराब है।

श्री अध्यक्ष: खराब होगा तो ठीक करा देंगे न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कई बार ऐसा देखने में आता है भामाशाह...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन बटन दबा ही नहीं, काम ही नहीं किया। इनसे तो स्पेसिफिक शिकायत है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपकी तो विशेष शिकायत व्यक्तिगत है, इसको व्यक्तिगत निपटा लेना। सारे सदन की क्यों ठोको। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बनवारीलाल जी, आप सवाल कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप व्यक्तिगत निपटाना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। सिर्फ यह स्वास्थ्य मंत्रीजी से है। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कोई न कोई आपका काम नहीं किया होगा इसलिए आप रोजाना करते हो।

श्री अध्यक्ष: बनवारी लाल जी, सवाल कीजिए। आप सवाल कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह भी ठीक नहीं है रोजाना हर चीज में इंटरवीन करो, या मंत्री के पीछे लगो।

श्री अध्यक्ष: मैं अगला प्रश्न ले लूंगा, अगर सवाल करना हो तो कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राय: देखने में आता है राज्य की महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना के तहत मरीज जब अस्पताल में जाता है, निजी चिकित्सालय के इलाज का पैकेज है उसमें और राज्य सरकार के पैकेज में अंतर के कारण से अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई गरीब व्यक्ति अगर यह कहता है कि मेरे पास अंतर का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है तो निजी चिकित्सालय का प्रबंधन उसको वापस लौटाता है। ऐसी स्थिति में या तो राज्य की भामाशाह योजना का पैकेज है उसके तहत इलाज कराने के पाबंद किया जाए कि इसी पैकेज के अंदर इलाज हो।

दूसरी व्यवस्था यह भी होती है कि विभाग के द्वारा भामाशाह कार्ड धारक को ऑन लाइन नहीं किया गया। जब वह भामाशाह कार्ड लेकर पहुंचता है तो संबंधित निजी चिकित्सालय के द्वारा कहा जाता है कि आप ऑनलाइन नहीं है। उसकी ठगा रह जाने जैसी स्थिति कई बार बनती है। वह हमको तुरंत अस्पताल में से ही फोन करता है कि माननीय विधायक जी मेरा कार्ड ऑनलाइन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस व्यवस्था को भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था, जैसे ही जिसका भामाशाह कार्ड बन गया, उस व्यवस्था से लिंक करके, तुरंत प्रभाव से भामाशाह कार्ड आटोमैटिक ऑनलाइन हो जाए, उसको कराने के लिए नहीं जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था करने का भी आप विचार करते हैं क्या?

निजी चिकित्सालय और राज्य सरकार की योजना के पैकेज में जो अंतर है, क्या उसको भी समान रूप से आप गुणावगुण के आधार पर ठीक कराने का प्रयास करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा इसमें व्यावहारिक कठिनाईयां आती है। निजी और सरकारी पैकेज में कोई अंतर नहीं है। कार्ड ऑनलाइन है फिर भी यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई आती है तो हम धीरे-धीरे उसको दूर करते हैं। पिछले साल में हमें जो व्यावहारिक कठिनाईयां आई उनको हमने दूर किया है। अब दूसरे साल में भी अगर कोई व्यावहारिक कठिनाई आएगी तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री गोरधन।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में देय सुविधाएं

82. श्री गोरधन (धोद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाती है? यदि हां, तो प्रदेश में वर्तमान में कितने छात्रावास संचालित हैं व उक्त छात्रावासों में गत चार वर्षों में स्कूल व कॉलेज छात्रों की संख्या जिलेवार क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीकर जिले के मेडिकल कॉलेज व पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खाने व आवास की क्या व्यवस्था है? क्या उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा करवाई जाती है? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के स्थान पर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से,

(1) जी हां। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (स्वच्छकार सहित) अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग आदि के छात्र-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छात्राओ के लिये छात्रावास की सुविधा/व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में विभाग द्वारा वर्तमान में 756 विद्यालय स्तरीय एवं 44 महाविद्यालय स्तरीय कुल 800 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे है। उक्त छात्रावासों में गत चार वर्षा में आवासरत विद्यार्थियों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा वर्तमान में सीकर जिले में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उक्त संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में, विभाग द्वारा प्रवृत्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में, परीक्षण उपरान्त आवश्यकता का आकलन कर नियम संगत कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति (स्वच्छकार सहित) अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग आदि के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके लिये प्रति माह प्रति विद्यार्थी 2000 रुपये की राशि नियत है, जिसका मदवार वर्गीकरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों को देय सुविधाओं का प्रावधान सम्पूर्ण राज्य के लिये एक समान है। अत: उसी अनुरूप ज़िलावार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका जिलेवार पृथक से वर्गीकरण नही होता है।

जयपुर (शहर) एवं कोटा (शहर) के विभागीय राजकीय छात्रावासों में आवासरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को मेडिकल/इंजीनियरिग प्रवेश परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रभारी मंत्री महोदय ने बताया कि पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर एक

(श्री गोरधन)

विश्वविद्यालय है और पिछले तीन सालों से चल रही है। मैं सोचता हूं कि अभी तक एसटी, एससी, ओबीसी के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं करना अच्छी बात नहीं है। गांवों से छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। वहां पर छात्र-छात्राओं के लिए कॉलेज स्तरीय एक छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। आने वाले समय में वहां पर मेडिकल कॉलेज भी प्रारम्भ हो रहा है, मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही अतिआवश्यक है, ताकि गरीब बच्चें वहां पर रहकर पढ़ सके।

मेरा दूसरा निवेदन यह था कि जिस प्रकार से कोटा व जयपुर में नीट, ए ट्रिपल आई और सीएलटी प्रतियोगिता परिक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, इसमें आर ए एस, आई ए एस जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी शामिल किया जाए। यह जयपुर और कोटा में है, सीकर भी एजुकेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा हब है। राजस्थान के बाहर से भी काफी छात्र वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। यदि वहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए तो वहां के छात्रों को काफी लाभ मिला सकता है।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री गोरधन (धोद): क्या मंत्री महोदय इसमें करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मैंने खण्ड दो के अंदर पहले ही कहा है कि वर्तमान में सीकर जिले में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय स्तर के छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है। चूंकि यह विश्वविद्यालय अभी खुला है, अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो गुणावगुण के आधार पर वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वित्तीय प्रावधानों को देखते हुए निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी।

आपने कहा कि सीकर के अंदर जिस प्रकार मेडिकल और इंजीनियर में, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग दी जाती है वह सीकर में भी की जाए। अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान के अंदर 2017 से यह योजना प्रारम्भ हुई है। इस योजना के अंदर इन पिछड़े वर्ग के बच्चों को विशेष तौर पर इस प्रकार की परीक्षाओं के लिये तैयारी कराने के लिए,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में यह भी आए इसलिए इसमें अभी प्रायोगिक तौर पर जो कार्यवाही प्रारम्भ हुई कोटा, जयपुर के अंदर, उसमें प्रति छात्र 49 हजार 500 रुपये की राशि आती है, जो एक वर्ष में इनको इस कोचिंग के लिए है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए माननीय सदस्य निश्चित तौर पर कह रहे हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निश्चित तौर पर निवेदन भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एससी, एसटी और ओबीसी के कॉलेज स्तरीय छात्र-छात्राएं हैं उनको 2016-17, 2017-18 में कॉलेज स्तरीय और जो तकनीकी अध्ययनरत हैं, उन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दे दी गई है? यदि नहीं दी गई है तो कब तक दी जाएगी, यह भी माननीय मंत्री महोदय बताए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल छात्रवृति से संबंधित नहीं है। छात्रावासों में जो छात्र रह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: उनसे संबंधित है, हां ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उनको जिस प्रकार मैंने उत्तर दिया इसमें दो हजार रुपये प्रतिमाह उनको सुविधाओं के लिए देय है जो निश्चित तौर पर सभी छात्राओं को दिए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री भजनलाल।

श्री भजन लाल (वैर): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों छात्रावासों में घटिया सामग्री, तकियों-गद्दों में बहुत भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, क्या सरकार उसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर उन अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है क्या? खाद्य सामग्री में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण खाना नहीं मिल पा रहा है, क्या मंत्री महोदय उस +++ क्या? छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। ...(व्यवधान

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ...(व्यवधान)... +++ यह शब्द हटाया जाए...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। एससी, एसटी के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): यह क्वेश्चन से अलग चीज हो रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द रिकार्ड से हटाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य, क्वेश्चन पर बात करो। माननीय सदस्य, आपको जानकारी ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): जानकारी कैसे नहीं है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन पर बात करें। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल (वैर): क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं, छात्र-छात्राओं का मामला है। पूरे राजस्थान के छात्र-छात्राओं का मामला है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य ने तो यह पूछा है क्या भ्रष्टाचार में शामिल है या नहीं है, जो है उत्तर दे दो। इतना क्यों घबरा रहे हो भ्रष्टाचार के मुद्दों से? पहले तो माल खाया अब जवाब देने से ...(व्यवधान)... यह क्या तरीका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विराजो, विराजो। अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: भजनलाल जी, बैठो। घनश्याम जी, बैठो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या जवाब देंगे ...(व्यवधान)... वह स्वयं देंगे, बाद में दे देना कभी, कोई जरूरी थोड़े ही है आज ही दें। जब मंत्रीजी स्वयं सदन में आएं तब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अभी बैठो आप। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको क्या पता किसने क्या खाया। इनके तो हाथ लगा नहीं, राठौड़ साहब ने तो खाया नहीं, यह कैसे बताआगे आप....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनको अभी तक सवाल

(श्री मदन राठौड़)

करना नहीं आया... चार साल हो गये, विधायक हैं, सवाल कैसे करना चाहिए, इनको सवाल करना नहीं सिखाया आपने।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, गद्दों में रुई नहीं थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कैसे बताओगे। सामाजिक न्याय मंत्रीजी ने पैसा खाया कि नहीं... व्यवधान..

श्री भजन लाल (वैर): भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, हम तो उसकी पूछ रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कौन-कौन शामिल थे, अधिकारी शामिल थे या कौन शामिल था, उनको दण्डित करने का विचार रखते हैं क्या।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हो, वह गलत है। बिना कोई वजह के आरोप लगा नहीं सकते हैं। बिना किसी वजह के आरोप लगा रहे हो, बिलकुल गलत है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सर्दी लग रही है, गर्मियों में सो नहीं सकते हैं, बुरा हाल है।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, बैठिये, जवाब आने दीजिए। जवाब आने दीजिए। द्रोपती, बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एस.सी., एस.टी. के गरीब बच्चों से संबंधित मामला है, उनके हक का पैसा खाने का मामला है, इसका जवाब थोड़ा विस्तार से दिलायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय है और जिस प्रकार का गैर जिम्मेदारी का आचरण कर रहे हैं ये लोग, यह उचित नहीं है। ये आपने पूछा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, कौनसा गैर-जिम्मेदाराना कर दिया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। अगर मंत्रीजी ने नहीं किया तो अफसर का नाम बता दें, अफसर ने नहीं किया तो और किसी अदर्स से सख्ती से नाम बता दें, किसी का बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह सवाल सदन में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आया था, उस समय मैंने उठकर जवाब दिया था और मैंने यह कहा था कि राजस्थान में जितने भी छात्रावास है, चाहे उसमें गद्दा खरीदा गया हो, तकिया खरीदा गया हो, चद्दर खरीदी गई हो। एन.टी.सी. कम्पनी है, भारत सरकार का उपक्रम है, किसी प्राइवेट एंटिटी से नहीं खरीदा गया और उसके पश्चात् भी अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि हमारे प्रमुख शासन सचिव, हमारे निर्देशक जो आई.ए.एस. हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति जांच समिति हमने बैठाई है और पूर्णतय: जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। अगर इसमें कोई दोषी होगा तो उसको बचाने का कोई मकसद सरकार का की नहीं रहा और मैं समझता हूं कि ओछी मानसिकता है आज कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलीटी से सरकार चल रही है, मेरे को अधिकार आपने मुझे अनुमति दी है....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसी के प्रमुख शासन सचिव को जांच सौंपते हो, आप चीफ सैक्रेटरी को भेजो न, उनसे कराओ जांच, जिस विभाग पर आरोप है, उसी के प्रमुख शासन सचिव से करा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे को सख्त एतराज है। आज सामाजिक न्याय मंत्रीजी की अनुपस्थिति में उन पर व्यक्तिगत दोषारोपण कर रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो नोटिस देकर आएं न। हम जवाब दे देंगे, बेबुनियाद कोई बात को खड़ा कर देना, ये उचित बात नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप जवाब दे रहे हो न...

श्री अध्यक्ष: पूरक व्यवस्था में.... विधान सभा आपकी है, मुझे मदद कीजिए, आप सब, बार-बार खड़े, नो। हां द्रोपती.....

एक माननीय सदस्य: मेरा पूरक प्रश्न था।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ जिले में जितने भी छात्रावास बने हुए हैं, बच्चों की सुविधा के लिए जो सर्दियों के अन्दर गर्म पानी की व्यवस्था और गर्मियों के अन्दर पंखे की व्यवस्था होती है क्या? अगर नहीं है, तो सरकार इस पर क्या विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था इसी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार, जो एक विद्यार्थी पर एक महीने में साढ़े सत्रह सौ रुपये खर्च करती थी, इसकी सरकार ने उसको बढ़ोतरी करके दो हजार किया है और उसके अन्दर जो दो हजार रुपये प्रति माह का वर्गीकरण है उसके अन्दर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसमें बिजली और पानी के लिए प्रति विद्यार्थी, एक विद्यार्थी पर डेढ़ सौ रुपया प्रतिमाह का, इसी दो हजार रुपये के अन्दर जो सुविधाओं के लिए सरकार दे रही है एक विद्यार्थी पर उसमें बिजली और पानी के लिए भी डेढ़ सौ रुपये खर्च करने की व्यवस्था सरकार ने की है। अगर किसी छात्रावास में बिजली, पानी की कोई असुविधा हो, एक कैम्पेन चलाया था सरकार ने, दो तीन महीने कैम्पेन चला, हर छात्रावास का मौका मुआयना किया गया। उसमें जो कमी-खामी थी उसको इंगित किया गया और उसके बाद उस पर एक कार्यकारी योजना बनकर उसको पूरा किया, उसके बाद भी माननीय सदस्या कह रही हैं, अगर कोई छात्रावास इस प्रकार को होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार कार्यवाही करेगी। बिजली और पानी पर डेढ़ सौ रुपये एक छात्र पर हर महीना छात्रावासों में रहने वाले छात्र पर खर्चा आता है जो सरकार वहन कर रही है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा, पूरक प्रश्न श्रीमती मंजु बाघमार। यह शिड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है।

डा. मंजू बाघमार (जायल): सर, आ गया, जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल... श्री ज्ञानचन्द पारख।

एक माननीय सदस्य: सर, मेरा था।

पाली जिले में हिताधिकारी लाभ योजनान्तर्गत लंबित प्रकरण

83. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में हिताधिकारी लाभ योजना में कौन-कौनसी योजना में कौन कौनसा प्रकरण, कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) सरकार द्वारा उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में प्रकरणों का निस्तारण कर हिताधिकारी को लाभ की राशि हस्तान्तरित करने में अत्यधिक देरी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई समयावधि निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लिखित जवाब आ गया है, मेरे को तीन सवाल आपसे पूछने हैं उसका जवाब दे दो आप। बाकी लिखित जवाब आ गया। पांच मिनट बाकी है, एक तो माननीय मंत्री महोदय ने, आपने यह जवाब नहीं दिया कि ये प्रकरण कितने समय से लम्बित हैं, एक तो वो जानकारी आप मुझे दे दो। पहला तो यह है। एक कितनी अवधि में इन लम्बित प्रकरणों का आप निस्तारण कर दोगे, वह अवधि भी आप मुझे दे दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं अगर मंत्री महोदय......

श्री अध्यक्ष: कृपया, वरिष्ठ.. ज्ञान जी, जरा विराजिये। हां, माननीय..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर यहां सुना देते तो दूसरे लोगों को भी सप्लीमेन्ट्री करने में सुविधा रहती।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल सुझाव ठीक है। यह सही है, व्यवस्था यही है। हां, मंत्री महोदय, व्यवस्था यही है। बैठिए-बैठिए आप। प्रद्युम्न सिंह जी ने बहुत व्यवस्था का ठीक सवाल उठाया।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) पाली जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- (परिशिष्ट-अ)

1. निर्माण श्रमिक औजार एवं टूल किट, जिस दिन जवाब दिया उस दिन 163 थे, लेकिन हमने उसकी पेंडेन्सी खतम करके केवल 3 बचे हैं।
2. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना जवाब दिया उस दिन 9 थे, अब 0 कर दिया है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

3. निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना 5159 थे, अब 388 हैं।
4. निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 22 थे, अब 9 है।
5. प्रसूता सहायता योजना जिस दिन जवाब दिया उस दिन 174 थे, अब कुल 9 है।
6. शुभ शक्ति योजना 1275 थे, अब आज के दिन 41 पेंडिंग हैं।
7. सिलिकोसिस पीड़ित योजना 102 थे अब 81 हैं।
8. सामान्य व दुर्घटना सहायता योजना 112 थे, अब आज के दिन शेष 34 हैं। कुल जिस दिन जवाब दिया, उस दिन 7016 थे, आज के पेंडेन्सी खतम करके 565 रह गये हैं।

उक्त आवेदनों का लंबित रहने का मुख्य कारण श्रम निरीक्षकों के पद रिक्त होने के कारण निस्तारण में विलम्ब हुआ। अब श्रम निरीक्षकों की आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन पश्चात् नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप श्रम निरीक्षकों का पदस्थापन कर पेंडिंग प्रकरणों का FIFO (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

(2) श्रम निरीक्षकों का चयन आर.पी.एस.सी. द्वारा किये जाने उपरान्त निरीक्षकों की नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप पेंडिंग प्रकरणों का FIFO (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।

सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र कर दिया जाएगा। आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने तथा विकास अधिकारियों को निस्तारण में आ रही समस्याओं के निदान हेतु विभाग स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किये हैं।

(3) विभाग में पर्याप्त संख्या में अधिकारी व श्रम निरीक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण निस्तारण की गति प्रभावित हुई। अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति आर.पी.एस.सी. द्वारा किये जाने के फलस्वरूप पेंडिंग प्रकरणों का त्वरित निस्तारण FIFO (पहले आओ पहले पाओ) आधार पर तुरन्त किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: राइट, पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक सवाल बाकी रह गया अब। ये सारे प्रकरण निस्तारण करने के बाद, इनको जो राशि का भुगतान आप करोगे, कितनी राशि की आवश्यकता होगी और वह राशि कब तक आप उन को उपलब्ध करा दोगे, ताकि उनके खातों में पहुंच जाए, कितनी अवधि में उपलब्ध करा दोगे, यह बता दो आप तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जैसे ही हमको वहां के अधिकारियों से यू.सी. मिल जाता है जितनी आवश्यकता होती है हमारे पास राशि की कमी नहीं है। जितना भी डिमाण्ड की जाती है ऑन-डिमाण्ड हम उसी टाइम उसको हस्तांतरित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक भविष्य में कोई आप ऐसा प्रावधान करने वाले हैं कि कोई भी आवेदन आये तो इतनी अवधि के अन्दर उसका निस्तारण निश्चित रूप से कर दिया जाएगा, वरना अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, वह अवधि आप तय करवा दो, करवाना चाहते हो तो उसकी सीमा आप बता दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है हमारा मेन मकसद यह रहता है कि तुरन्त प्रभाव से लम्बित प्रकरणों को निपटा दिया जाएं या जिम्मेवारी इसलिए टाइम बाउण्ड इसलिए नहीं कर सकते कि इसके अन्दर जो डॉक्यूमेन्ट्स लगते हैं, फर्स्ट कम-फर्स्ट सर्व वाला मैटर है। एक व्यक्ति ने पहले वाले ने अगर डॉक्यूमेन्ट पूरे नहीं लगाये तो उसको हम वापस रिमाइन्ड करवाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेन्ट इतनी टाइम में भेजिये। जब वो डॉक्यूमेन्ट्स भेजता है तब उसका निस्तारण होकर दूसरे वाले का नम्बर आता है पर ये है कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके हमने नोडल अधिकारी भी लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: ध्यान रखियेगा, प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा सिवाय चक व आबादी भूमि पर कथित रूप से कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में शिवकर कुडला लिग्नाइट प्रोजेक्ट के लिये अवाप्त की गई भूमि का किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कला शिक्षा (संगीत तथा चित्रकला) का अध्यापन न कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कोलायत थाना क्षेत्र में लूट व चोरी की घटनाओं पर अंकुश न लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर कार्यरत चौकीदारो का वेतन न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में नायका लिख देने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
8. श्री विवेक धाकड़, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया में स्टाफ की कमी एवं भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले में दलित वर्ग के पुलिस कर्मी द्वारा स्वयं सहित तीन परिजनों के साथ आत्महत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा भवन एवं संनिर्माण कामगार योजना के तहत हजारों श्रमिकों को भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पूरणमल सैनी, श्री विवेक धाकड़, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम सहायक सचिव के पदों पर विद्यार्थी मित्रों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा वेंडिंग जोन का निर्धारण नहीं किये जाने से पंजीकृत थड़ी, रेहड़ी एवं खोखा इत्यादि के माध्यम से व्यवसाय करने वाले लोगों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

3. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर सिंचाई परियोजना के मसीतावाली हैड से 15 किलोमीटर नई नहर निकाले जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से कथित रूप से पुलिस थाना गुढ़ा गौडजी के विभिन्न मुकदमों में सी.आई.डी. (सी.बी.) के अधिकारियों द्वारा अपराधियों को बचाने के सम्बन्ध में।

5. श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से बीसलपुर बाँध के डूब क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों में सड़कों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्रीमती अनीता, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर की नगर सी.एच.सी. पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने से मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
7. श्री नाना लाल अहारी, सदस्य की ओर से खैरवाड़ा की कतिपय नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
8. श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से तहसील बस्सी के सिविल न्यायालय तथा तहसील कार्यालय में वकीलों को बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं होने के सम्बन्ध में।
9. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर-चौराहा-कन्नौज-सावा-शंभुपुरा-गिलुण्ड-घटियावली से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पड़े प्राध्यापकों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
11. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश के प्रेरकों का पुस्तकालय सहायक या इसके समकक्ष कैडर बनाकर नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
12. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कतिपय एनीकटों एवं तालाबों का सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 09 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्री अशोक डोगरा	बूंदी पटवार हल्का के खसरा नम्बर 2, रकबा 202 बीघा जमीन को वन सीमा से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2.	श्री गोतम कुमार	जिला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा टू-लेन सड़क के बीच चिकारडा गांव में स्वीकृत बाई-पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3.	श्रीमती द्रोपती	ग्राम पंचायत खोडा एवं डबलीवास कुतुब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री बनवारी लाल सिंघल	अलवर शहर की विभिन्न कालोनियों में डाली गयी पेयजल एवं सीवरेज लाइन से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यगण, मुझे आपसे निवेदन करना है कि आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का आखिरी दिन है। पाँच बजे मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा। उसके पहले, चार बजे प्रतिपक्ष के नेता से भी मैंने कहा था, डोटासरा साहब से, कि आपकी तरफ से जो भी बोलें, प्रतिपक्ष की तरफ से, चार बजे उनका समय है। उसके बाद मुख्य मंत्रीजी का है। अब चार बजे तक जितने भी हम बोल सकें, वे यहां पर समय सीमा के अंतर्गत बोलें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैंने यह सूचना आपके सामने इसलिये रख दी है कि आज बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों भाषण होंगे, जिन्हें संयम एवं शांति से सुनें।

अब श्री पूरणमल सैनी। कल तो आये थे, आज नहीं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 20-20 क्वेश्चंस का हमें प्रश्न पत्र देते हैं लेकिन 3-4 क्वेश्चंस से ज्यादा का नम्बर नहीं लगता। तो आप ऐसा कोई प्रावधान करें कि मंत्री जवाब देने में लम्बा नहीं खीचें। आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण, यू.आई.टी., अलवर का क्वेश्चन दसवें नम्बर पर था। कुल 6 क्वेश्चंस का जवाब आया।

श्री अध्यक्ष: आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। श्री विवेक धाकड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आगे ध्यान रखें। कृपा करें, आगे ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विवेक धाकड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माण्डलगढ़ एवं बिजौलिया के राजकीय महाविद्यालय में स्टाफ एवं भवन की कमी

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): Respected Chair, Honorable House, मेरा सवाल माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उस पर।

श्री अध्यक्ष: आराम से बोलें, धीरे-धीरे बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, नये सदस्य आये हैं।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): जी हुकुम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ऐसी कृपा सभी पर रखें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पहली बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: First, maiden speech है उनकी।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): Thanks, सभी का आभार।

इसमें अण्डर ग्रेजुएशन जो वहां पर कॉलेज है, उसमें एट-प्रजेण्ट चार सब्जेक्ट्स ही हैं। काफी लम्बे समय से वहां पर कॉलेज है। अब नये जितने भी कॉलेजेज खुल रहे हैं, उनमें 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो, इसमें एक तो सब्जेक्ट्स बढ़ाने के लिये मंत्री महोदय क्या विचार रखते हैं? इसमें विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्र-छात्राओं का अनुपात है, उसमें 60 परसेंट गर्ल्स वहां पर अध्ययनरत हैं। इसको मद्दे नजर रखते हुए सब्जेक्ट्स इन्हासंमेंट का मैं निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा, जो वहां पर लैक्चरर्स स्टाफ है, 13 की पोस्ट के अगेंस्ट में सिर्फ 2 लैक्चसर्स हैं, जिनमें से एक लोकल माण्डलगढ़ से हैं, वे भी शायद इस वर्ष रिटायर हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले स्टाफ की बहुत कमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में 9 के अगेंस्ट में एक जना लगा हुआ है, तो इससे प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है। इसके बारे में आप बताए कि आगे हम इसमें क्या कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं, घनश्यामजी, आपसी बातचीत नहीं।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): दूसरा, निवेदन यह है कि अभी हाल ही में, उप चुनाव में मद्‌दे नजर रखते हुए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय एवं मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने घोषणा की कि माण्डलगढ़ में बिजौलिया में कॉलेज खुलेगा, तो जैसा बताया गया कि 30 किलोमीटर रेडियस और सुराज संकल्प यात्रा के तहत एस.डी. हैड-क्वार्टर पर कॉलेज, उसमें बिना किसी निवेदन के आपने वहां पर कॉलेज स्वीकृत कर लिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। पर निवेदन यह है कि टोपोग्राफिकली और जियोग्रोफिकली बिजौलिया, बट-एक्स्ट्रीम कॉर्नर पर है और आगे यूनिवर्सिटी एफिलिएशन के हिसाब से देखें तो अजमेर से बहुत डिस्टेंस पर है, उधर कोटा एफिलिएशन होगा। तो चूंकि यहां पर तीन वर्ष के लिये इसमें प्रवेश लिया जायेगा तो कैरियर को देखते हुए, चाहे अपना सिविल स्ट्रक्चर कहीं पर कितना भी हो, आज एस.डी.ओ. के यहां पर मीटिंग है, 5 एकड़ जमीन, तो बिल्डिंग इम्मैटेरियल है, वहां पर जो स्टाफ है, वह वहां पर सुनिश्चित कराएं। ताकि जो भी वहां एडमिशन लें, कम से कम वह इस निर्भीकता से लें कि वापस उसको वहां से टी.सी. नहीं कटानी पड़े, दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़े। वहां पर स्टाफ की सुनिश्चितता निश्चित रूप से आप कराएं। जो भी 7 सब्जैक्ट्‌स का आपने किया है, जैसी मेरी जानकारी आई है, 60 परसेंट स्टाफ वेकेण्ट है, ऑल ओवर राजस्थान हायर एजुकेशन में। अभी भी जो डेपुटेशंस हुए हैं, भीलवाड़ा से जो डेपुटेशंस दे रहे हैं, 135 के अगेंस्ट में 60 लैक्चरर्स ही भीलवाड़ा में, और वहां से भी फिर डैपुटेशन दिया जाता है।

एक-एक महीने के लिए वहां पर उनको डेपुटेशन पर भेजा जाता है तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें अपन रेगुलर स्टाफ लें ताकि दोनों का कार्य बाधित नहीं हो क्योंकि जहां से डेपुटेशन होता है, वहां के स्टूडेंट्‌स भी सफर करते हैं और जहां पर डेपुटेशन होता है, मात्र एक महीने में पूरे सेशन का सब्जेक्ट कमप्लीट नहीं करवाया जा सकता, ऐसा मेरा निवेदन है।

आपने बोलने के लिए समय दिया, प्रथम मौका है और एक दु:खद घटना के तहत हमारे विधायकजी के निधन के कारण यह उप चुनाव हुआ था, हार्दिक संवेदना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, एक मिनट ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप बैठिये। वह जवाब आ जाए। शिक्षा मंत्रीजी, क्षमा करें, आपको रेस्पांड करना है, मैं आपकी तरफ देखना भूल गया, अब देख लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन देना अंग्रेजी में ही पड़ेगा। हमारे माननीय सदस्य ने भी अंग्रेजी बोली है तो इनको। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आधी अंग्रेजी और आधी हिन्दी। ....(व्यवधान)....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो प्रस्ताव यहां पर रखा है और उसमें जिस तरीके से इन्होंने माण्डलगढ़ के संदर्भ में महाविद्यालय के अंदर व्याख्याताओं की कमी के बारे में जो इन्होंने बात कही तो सबसे पहले तो मैं उन्हें यह जानकारी देना चाहूंगी क्योंकि वह नए सदस्य आए हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम होगा इसलिए कि माण्डलगढ़ में सन 2017-18 में यू.जी.सी. पी.जी. कॉलेज किया गया, स्नातकोत्तर किया गया और वह स्नातकोत्तर करते हुए उसमें भूगोल, हिन्दी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, हिन्दी विषय यह खोले गये। यह जो विषय खोले गये, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी का यही सोच था कि यहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें और इसलिए यह पी.जी. के अंदर यह सारे सब्जेक्ट्स दिये हैं।

इसके अलावा, जैसा आपने कहा कि कुछ और सब्जेक्ट्स के बारे में आपने कहा कि और होने चाहिए तो आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि कौन-कौन से सब्जैक्ट्स चाहते हैं तो हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे।

दूसरा, आपने जैसा कहा कि लैक्चरर्स की कमी है तो यह लैक्चरर्स की जो कमी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 6265 पद पूरे राजस्थान में स्वीकृत हैं व्याख्याताओं के और उनमें से 3925 पद ही अभी हाल में भरे हुए हैं। इसका कारण यह है कि पिछली जो सरकारें रहीं, उसमें

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जब 2003 से 08 तक माननीय वसुन्धराजी राजे की ही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय हमने जो पद स्वीकृत किये थे, फाइनेंस से सैंक्शन की थी, आर.पी.एस.सी. में भेजी थी, उसके बाद में जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, जो एग्जामिनेशन होना था आर.पी.एस.सी. से वह सारा नहीं हो पाया, पांच साल तक कुछ भी नहीं हुआ। उसका ही यह कारण है कि आज इतना सारा यह बैकलॉग हमारे सामने खड़ा है और इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए अभी वर्तमान में 1248 पद स्वीकृत हुए, स्वीकृत होने के बाद में आर.पी.एस.सी. में एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया और अब इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। इस इंटरव्यू में 7 विषय के 128 व्याख्याताओं का चयन हो चुका है जिसमें से 118 व्याख्याता लग चुके हैं और बाकी शेष जो पुलिस वैरिफिकेशन में चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस बार हमने बहुत ही ज्यादा प्राम्प्टनैस जो बतायी है सरकार ने उसमें 31 दिसम्बर, 2017 तक के जो हमारे रिक्त पद हुए हैं, लगभग 935 पद हैं उनकी भी हमने अर्थना आर.पी.एस.सी. को भेज दी है, इनको भी हम भरना चाहते हैं, वह भी सारा क्लियर करके भेज चुके हैं। हम लोग जीरो पेंडेंसी पर लाना चाहते हैं व्याख्याताओं की जितनी भी भर्ती पुराने समय में नहीं हुई है, उसको पूरा करना और आज जो अभी 2017, अभी दिसम्बर गया, वहां तक के जितने भी हमारे रिक्त पद थे, उन सबकी हमने अर्थना फाइनेंस से क्लीयर करके आर.पी.एस.सी. में भेज चुके हैं।

इसलिए यह जो स्टाफ की कमी है, वह आज हमें दिख रही है लेकिन आने वाले समय में व्यवस्था में सुधार होगा और यह ठीक हो जाएगा।

आपके यहां पर जो माण्डलगढ़ कॉलेज है, उसमें 14 जो हमारे व्याख्याता हैं, उनमें से वर्तमान में दो व्याख्याता हमारे परमानेंट वहां पर लगे हुए हैं, पदस्थापित हैं और 11 डेपुटेशन पर लगाये गये हैं इसलिए यह नहीं कह सकते कि पढ़ाई के काम में कोई बाधा आ रही है, इस तरीके का नहीं है, 14 में से 13 व्याख्याता वहां पर काम कर रहे हैं। प्राचार्य जो हैं वहां के वह दुर्भाग्यवश अभी 26.01.2018 को जब चुनाव का समय चल रहा था तो श्री कोमल मेहता जो हैं, उनका आकस्मिक निधन हो चुका। उनकी बजाए किसी और दूसरे को चार्ज हमने दिया है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

साथ ही, जो बिजौलिया का कॉलेज है, बिजौलिया कॉलेज की आपने बात कही कि बिजौलिया में कॉलेज सैंक्शन हुआ, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की वहां पर और 30 नवम्बर, 2017 को यह आदेश निकल गये क्योंकि सबने यह कहा कि हमने आज तक तो केवल यही देखा कि घोषणाएं होती हैं लेकिन उन घोषणाओं पर इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है लेकिन यही पहली सरकार है जहां पर केवल घोषणा नहीं होती जो कहते हैं वह तुरंत करते भी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करके आये और 30 नवम्बर, 2017 को इसका हमने, घोषणा करके इसका आदेश भी जारी हुआ। आदेश ही नहीं जारी हुआ बल्कि जमीन हमें चाहिए 5 एकड़ भूमि, उसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखा, जिसकी कॉपी मेरे पास में है। अगर, माननीय सदस्य लेना चाहे तो मुझ से ले सकते हैं। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नये कॉलेज की तो घोषणा कर रहे हैं लेकिन जो मंत्री-मंडलीय समीक्षा के नाम पर इन्होंने कॉलेजें रोक रखी हैं, हमारे जहाजपुर की भी रोक रखी है, 13 कॉलेज राजस्थान की मंत्री-मंडलीय समीक्षा में, चार साल तो इनको हो गये कब समीक्षा करेंगे यह? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉलेज रोक रखी है हमारे जहाजपुर की। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उसका भी जवाब देंगे, आप आ जाना। आपका भी जवाब आपको दे देंगे। ....(व्यवधान)....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप मंत्री-मंडलीय समीक्षा कब करोगे? सरकार जाने के बाद करोगे क्या समीक्षा? अब तो आपका जाने का समय आ गया। ....(व्यवधान)....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इतना भी जोर से चिल्लाने से कोई उसका यह सोल्यूशन नहीं है। इस तरीके से जो पूछ रहे हो और कह रहे हो न, थोड़ा आराम से, शांति से भी कहा जा सकता है और शांति से जवाब भी लिया जा सकता है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इतना घमंड मत करो। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है कि बिजौलिया के कॉलेज के संदर्भ में उनको आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगी कि यह कॉलेज के लिए जमीन आवंटन के संदर्भ में कलेक्टर को पत्र लिखा है 5 एकड़ भूमि जल्द से आवंटन हो जाए। जैसे ही जमीन आवंटन होगी वैसे ही 6 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार इन्हें नए कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए देंगे और आपको यह भी जानकारी दूं कि पिछली सरकार ने 36 कॉलेज की घोषणा की थी पाँच साल में और वह जो कॉलेज की घोषणा की थी उसमें से मात्र 2 कॉलेज के लिए ही जमीन और पैसा दिया था बाकी रेस्ट जितने भी थे वह इस सरकार ने जमीन भी आवंटित करवायी और 6-6 करोड़ रुपये उसमें आवंटित किये।

वर्तमान में यह जो चार साल है, इन चार साल में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 45 कॉलेज की घोषणा की, उस 45 में से 40 कॉलेज के अंदर जमीन भी मिल गयी है, भवन का काम भी शुरू हो गया है और जो पाँच कॉलेजेज हैं, उन पाँच कॉलेज में भी आल्टरनेट व्यवस्था करके वह कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उनकी जैसे ही जमीन की स्वीकृति आ जाएगी तो उसमें भी 6-6 करोड़ प्रत्येक कॉलेज में देंगे जो पिछली सरकार मात्र 3 करोड़ रुपये देती थी बिल्डिंग निर्माण के लिए। इस सरकार ने 6 करोड़ रुपये बिल्डिंग निर्माण के लिए दिये तो यह आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): तो आप अपनी तरफ से यह बहुत क्लीयर जो जाए कि बिजौलिया का कॉलेज केवल घोषणा नहीं है, उसमें तुरंत नियुक्तियां भी होंगी। उसमें हम वहां नोडल आफिसर भी लगा चुके हैं, वह नोडल आफिसर यह सारे काम को कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): मेरा निवेदन था सर, इसमें ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अब आप बात कर लेना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरा कर दिया न आपका तो। आप पर तो पूरी मेहरबान है मंत्रीजी, पूरी बात आ गयी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): रिक्त पद तो भरवाओ, पद खाली है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बात आ गयी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन्होंने पहले हमारी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, आप बहुत लकी हो।

श्री अध्यक्ष: मैं ध्यान दे रहा हूं आपकी तरफ, आप इधर देखकर बोलिए।

नागौर में दलित वर्ग के पुलिसकर्मी द्वारा तीन परिजन सहित आत्महत्या

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 साल बाद जिन लोगों का आजादी से पहले भी शोषण हुआ था और आज हमारे गृह मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं और गृह मंत्रीजी की नॉलेज में जब भी कोई बात आती है तो वह निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करने का प्रयास जरूर करते हैं लेकिन फिर नीचे से वह पूछते हैं तो नीचे से तो जानकारी पुलिस के खिलाफ तो पुलिस कभी देगी नहीं तो मैं गृह मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगा कि नागौर जिले के अंदर जो हमारे गेनाराम, कांस्टेबल पुलिस का था, इसका बेटा और बेटी इंजीनियरिंग कर रहे थे दोनों और अपनी पत्नी के साथ पुलिस से प्रताड़ित होकर, पुलिस महकमे से प्रताड़ित होकर और लास्ट में जो सुसाइड नोट था, उसके अंदर इसने यह लिखा कि मेरा भरोसा इस राजस्थान की कानून व्यवस्था से उठ गया, मैं जा रहा हूं। उसने लिखा कि मैं जा रहा हूं, परमात्मा मुझे न्याय देना। मैं राधा किशन, ए.एस.आई., सी.ओ. नागौर-ओम प्रकाश गौतम और जितने भी दोषी हैं, इनको भगवान सज़ा देगा मतलब, उसने बहुत प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह 21 तारीख की घटना है। जहां गेनाराम ने अपने पुत्र-पुत्री और पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। यह दलित पुलिसकर्मी द्वारा खुद के परिजनों के साथ आत्महत्या कर लेना बहुत गंभीर प्रकरण है जो आज भी यह साबित करता है कि अंग्रेजी हुकूमत के कानून, अफसरों की दादागीरी एक जवान पर कितनी भारी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटनाक्रम से जुड़े तथ्य की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

कोतवाली नागौर के अंदर राधाकिशन नामक पुलिसकर्मी ने एफ.आई.आर. 171/12 चोरी की दर्ज करायी थी। वह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उसने चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज करायी। उस एफ.आई.आर. में पुलिसकर्मी गेनाराम के लड़के को झूठा फंसाने के इरादे से करायी थी, लेकिन उसमें उस समय जब एफ.आई.आर. दर्ज हुई, तब नाम नहीं लिखा और लिखाया कि अज्ञात लोगों ने मेरे घर से, जब मैं शादी के अंदर गया तो गहने-जेवरात वगैरह चुरा लिये थे। अध्यक्ष महोदय, कोतवाली में दर्ज इसकी दस बार तफ्तीश हुई। जो झूठी एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी, उसकी 10 आई.ओ. ने तफ्तीश की और 2014 के अंदर यह एफ.आर. कोर्ट के अंदर पेश हो गयी कि जो राधा किशन ने एफ.आई.आर. दर्ज करायी गेनाराम और उसके परिवार के खिलाफ, अज्ञात के नाम से इनको बुलाकर पूछताछ भी की और प्रताड़ित किया तो एफ.आर. लग गयी, लेकिन बाद में राधा किशन कोर्ट के अंदर वहां गया कि एफ.आर. गलत लगी है तो कोर्ट ने 2014 के अंदर यह आदेश किया था कि वृत्ताधिकारी नागौर इसकी जांच करेगा।

अध्यक्ष महोदय, राधा किशन, जिसके खिलाफ अभी ए.एस.आई.है, वह एस.पी.आफिस के अंदर कम्प्यूटर ब्रांच का इंचार्ज है और जितने भी कांस्टेबलों की नियुक्ति होती है, वह एडहॉक पर लगते हैं और जब परमानेंट उनको करते हैं तो यह राधा किशन पहले उनका इंटरव्यू लेता है और वह पास करता है तभी एस.पी. आगे उन लोगों को परमानेंट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गेनाराम की पत्नी के नाम, क्योंकि राधा किशन और गेनाराम के पहले आपस में दोस्ती भी थी, उसने एक प्लॉट खरीदकर गेनाराम की पत्नी के नाम प्लॉट कराया था और बाद में उस प्लॉट को बेच

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दिया और बेचने के बाद जब गेनाराम ने कहा कि अपनी जब पार्टनरशिप में था तो मुझे भी मेरा हक मिलना चाहिये तो उसने कहा तेरा कोई हक नहीं बनता और वह पैसा भी खा गया और उसके बाद इसको झूठा प्रताड़ित करने के लिये इसके खिलाफ झूठी एफ.आई.आर. करायी। उसमें दस बार एफ.आई. पेश हुई, 10 आई.ओ. ने जांच की। अध्यक्ष महोदय, खुद के परिजनों के खिलाफ झूठे मामले में एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अभी जो लास्ट जांच थी, वह सी.ई.ओ. नागौर, ओम प्रकाश गौतम कर रहे थे और ओम प्रकाश गौतम ने उसको बुलाकर कहा कि मेरे पर बहुत बड़ा प्रेशर है, एस.पी.बार-बार मुझे यह कह रहे हैं तू चल एस.पी. से मिलाता हूं। उसको वह एस.पी. के चैम्बर में भी ले गया और कहा कि तेरे बेटे को और तेरे को इसमें हमें मुलजिम बनाना पड़ेगा। हमारे पास हाई पॉलिटिकल प्रेशर है और एस.पी.साहब यह चाहते हैं। गेनाराम को जब लगा कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिलेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा चोरी के एक मामले के अंदर। मैं पुलिस का कांस्टेबल हूं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, उसने अपने गांव बागरासर के अंदर अपने परिवार की इहलीला समाप्त कर ली।

अध्यक्ष महोदय, इससे गंभीर घटना नहीं हो सकती। गृह मंत्रीजी के बयान से भी कुछ नहीं होने वाला। वहां पूरा मेघवाल समाज, कल भी हजारों की तादाद के अंदर कलेक्ट्रेट में बैठा था। एस.पी.ज्ञापन लेने के लिये आये थे। राजस्थान की विधान सभा चल रही है। अगर हमारी सच बात पर भी आप कार्यवाही नहीं करोगे गृह मंत्रीजी, तो मुझे तो लगता है कि हमारा यहां आना ही बेकार है। अगर आपको कोई बात कहें तो नीचे से आप बीट कांस्टेबल से लेकर और एस.पी. तक, यह नागौर के अंदर क्या हालात हुए? अजमेर का चुनाव तो आप इसलिये हार गये कि आई.जी. को लेकर बैठे रहे। उसका स्नेह आप पर भारी पड़ा। जो गहलोत के खास थे, वही अधिकारी आपके खास हैं। वो ही कमिश्नर है, जो पहले वहां चलाता था, आज आपके यहां चला रहा है। कुछ तो सोचो साहब, वापस जाओगे चुनाव के अंदर। उसने कहा कि मेरा तो इस कानून से विश्वास ही उठ गया। मैं मेरे परिवार को खतम कर रहा हूं। उसने अपने बेटे-बेटी, जो मासूम बच्चे थे, उनके साथ अपने पूरे परिवार को खतम कर लिया।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि राजस्थान विधान सभा के अंदर इतने मेघवाल विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन उस परिवार को न्याय दिलाने के लिये सब पार्टियों से बंधे हुए हैं। कोई तो यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाएगी, कोई यह कहता है कि कांग्रेस नाराज हो जाएगी। राधा किशन की जाति के वोट कांग्रेस को मिलते हैं। आखिर यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस वोट के चक्कर में क्या राजस्थान को गिरवी रख देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं गृह मंत्रीजी, आप इस पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराएं और उस डी.वाई.एस.पी. ओम प्रकाश गौतम, जिसका सुसाइड नोट के अंदर नाम है, सिर्फ ए.एस.आई. राधा किशन, तीन जनों का नाम लिखाकर पुलिस ने आनन-फानन के अंदर कर दिया। आपके जायल के विधायक महोदय भी वहां गये थे। आपने सोचा, हंगामा बड़ा हो जाएगा इसलिये रातों-रात हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी के ओ.एस.डी. भी वहां समझाइश करने के लिये गये, लेकिन वहां मामला खतम नहीं हुआ है। मामला तो अब शुरू होगा। मैं हनुमान बेनीवाल, आज विधान सभा में यह कहकर जा रहा हूं, उस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान बन्द कराने की आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बन्द कराएंगे, लेकिन इस तरह कानून-व्यवस्था को तार-तार नहीं होने देंगे। एस.पी. और डी.वाई.एस.पी. की दादागीरी राजस्थान के अंदर इस तरह से नहीं चलेगी। नागौर के क्या हालात बना दिये? सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं सीकर-नागौर में होती है। एस.पी. वहां पिटकर आ गया, उसके लिये आप कह रहे हो कि एस.पी. तो बहुत अच्छा है, वीर है एस.पी.। मैं गलत क्या कह रहा हूं, सही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ध्यान आकर्षित कर दिया स्थगन में, दो मिनट का आपने समय दिया, बीस मिनट बोले हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, आपके द्वारा दलितों के ऊपर अत्याचार पर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं गृह मंत्रीजी यहां बैठे

(श्री हनुमान बेनीवाल)
हैं, गृह मंत्रीजी क्या न्याय करते हैं, यह सही बात है, लेकिन इनको जब हम बात समझाते हैं और आधे घंटे बाद दूसरा कोई समझा देता है तो फिर उसकी तरफ हो जाते हैं। यह बड़ी विडम्बना है। हमारी तरफ यह किस दृष्टि से देखते हैं कि यह जो बोलते हैं वह तो विपक्ष की भाषा बोलते हैं, लेकिन इसकी पूरी जांच कराये। गृह मंत्री कहते हैं कि आप चाहो जिससे जांच करा लो तो आज आप अपना साहब दिखाओ और उस डी.वाई.एस.पी. को सस्पैण्ड करो, सी.बी.आई. जांच कराओ और नहीं तो स्पेशल टीम बनाओ। इसके अंदर आपका एस.पी. भी नहीं रहेगा। जिस तरह आनंदपाल प्रकरण की आपने जांच करायी थी। आपने एक एस.पी. विकास कुमार को तो हटा दिया, लेकिन मालिनी अग्रवाल और गौरव श्रीवास्तव को आपने नहीं हटाया। सरकार ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अब आप बिराजिये। आप अपनी बात कह चुके।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कहता हूं कि उस दलित परिवार को न्याय मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले।...(व्यवधान)... एक मिनट, जो आपके आई.जी. और कलक्टर वहां घोषणा करके आये थे, पहले भी आई.जी. और कलक्टर ने कई बार घोषणाएं कीं और ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर कोई कानून-व्यवस्था बिगड़े। हमेशा अलग तरह से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय, इस घटना ने तो आपको भी झकझोर दिया होगा, राजस्थान के प्रत्येक आदमी को, जिसने भी यह घटना सुनी...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये आप। आपने ध्यान खींच लिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, मेरा आपसे अनुरोध है कि नागौर के एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही हो, नागौर के डी.वाई.एस.पी. को गिरफ्तार करें। तीनों-चारों लोग, जो उस घटना के अंदर इन्वाल्व थे, उनकी गिरफ्तारी हो और मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, इस प्रकरण की सी.बी.आई. जांच हो और अगर सी.बी.आई. जांच नहीं हो तो एस.पी. और डी.वाई.एस.पी. के खिलाफ अध्यक्ष महोदय, लोकल पुलिस कैसे जांच करेगी। आपका पुलिस-पुलिस का सारा सिस्टम एक है। मैं चाहता हूं कि आज पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा जवान की भूमिका होती है। आप

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जवानों को हर जगह बैन कर रहे हो कि कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा।

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल जी, अब आप समाप्त कीजिये। एक-एक मिनट करके बहुत समय ले लिया। अब गृह मंत्रीजी रेस्पांड करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उनकी तनख्वाह काट लो, मुठभेड़ में मारा जाये तो शहीद था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं उस दलित परिवार को न्याय मिले और आज गृह मंत्रीजी आज हमसे ऊपर उठकर, मतलब विपक्ष का ध्यान नहीं रखें, आप हमेशा जो बात आपके समझ में आ जाती है, उस पर कार्यवाही करते हो। आप ऐसी कार्यवाही करें कि राजस्थान के अंदर इतिहास बन जाये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उसने यह कहा कि मेरा कानून से भरोसा उठ गया, परमात्मा उनको सज़ा देगा। मतलब आपको भी उसने माना कि आप सज़ा नहीं दे सकते। दस बार एफ.आर. लगने के बाद .....(व्यवधान)... आप निर्देश दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैं अब माननीय गृह मंत्रीजी से कह रहा हूं रेस्पांड करें। आप विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में चार लोगों ने आत्महत्या की। विषय गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस कारण से की, उस कारण के बारे में तो थोड़ा-सा मैं आपको और सदन को बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल उसी से संतुष्ट नहीं होऊंगा। उसका पूरा सुसाइड नोट, जो मेरे पास है, लेकिन अक्षर ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया और ठीक तरह से समझ भी नहीं पाया। मैं सोचता हूं उस सुसाइड नोट को मैं अपने आई.जी. लेवल के किसी अधिकारी को लगाकर एक बार उसको ठीक तरह से समझने के बाद उसकी देखरेख में यहां से इस सारे केस की जांच हो, जिससे वास्तव में इसकी सच्चाई का पता लग सके कि चार लोगों ने एक छोटी-सी घटना पर आत्महत्या कर ली, यह सामान्यतया समझ में नहीं आया। घटना तो लिखी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
हुई है उस तरह से, लेकिन परिवार के चार लोग, सारे के सारे पति-पत्नी, बच्चा-बच्ची, सब सुसाइड कर जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं, कोई न कोई और पेचीदगी हो सकती है। इस सुसाइड नोट का वर्ड टू वर्ड अध्ययन भी करूंगा और अध्ययन करने के बाद मैं आई.जी. लेवल से नीचे के अधिकारी को नहीं, यहां से भेजकर इस सारे प्रकरण को दिखवाऊंगा। मैं केवल विषय को टालने के लिये आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन घटनाक्रम जिस प्रकार से चला है, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसके बाद में सदन की जैसी राय होगी उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

यह बात सही है कि वास्तव में 4 लोगों ने, गेनाराम ने, उसके बच्चे गणपत ने, उसकी पत्नी संतोष और उसकी बच्ची सुमित्रा, चारों ने आत्महत्या कर ली। प्रकरण में आरोपी राधा किशन, सहायक उप निरीक्षक मृतक गेनाराम पुलिस लाइन नागौर में पड़ौसी थे। मैं केवल केस को टालने के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं इसको पढ़ने के बाद भी स्वयं भी अपने मन में इस बात को रखता हूं कि चार लोग इतनी सी बात पर एक साथ आत्महत्या कर लें, यह इतना आसान नहीं है। इसको कहीं न कहीं और कोई बात तो नहीं है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं यह कोई लीपापोती के लिये नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन केस जिस ढंग से चला है, वह मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं।

प्रकरण में आरोपी राधाकिशन, सहायक उप निरीक्षक, मृतक गेनाराम, पुलिस लाइन नागौर में पड़ौसी थे तथा उनके मधुर पारिवारिक सम्बन्ध थे। वर्ष 2012 में राधाकिशन, सहायक उप निरीक्षक के मकान में चोरी हुई जिसके सम्बन्ध में 171/12 थाना कोतवाली, दिनाक 01.04.12 धारा 457, 380 पंजीबद्ध हुई। प्रकरण की घटना के दिन राधा किशन के मकान की चाबी गेनाराम के पास थी। पड़ौसी होने के कारण से दे जाते थे हमेशा। चोरी की घटना में जांच से यह उजागर हुआ कि अज्ञात चोर द्वारा मकान का ताला खोलकर, तोड़ कर नहीं, खोलकर प्रवेश किया। चूंकि मकान की चाबी गेनाराम के पास थी इसलिए चोरी का पहला शक गेनाराम और उसके परिवार पर गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में गेनाराम और उसके परिवार से चोरी के सम्बन्ध में गहन पूछताछ की गई। अपराध साबित न होने और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अज्ञात मुलजिमों का पता न लगने पर प्रकरण में एफ आर नम्बर 37 दिनांक 09.05.2014 को अदम पता मुलजिम दी।

राधा किशन द्वारा प्रोटेस्ट करने पर न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के आदेश से पत्रावली पुन: अनुसंधान हेतु वृत्ताधिकारी, नागौर के पास आयी। वृत्ताधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण में गहन अनुसंधान किया गया। इसी दौरान गेनाराम द्वारा चोरी के प्रकरण को समाप्त करने हेतु गेनाराम ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहित के तहत याचिका संख्या 4243/17 दायर की जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.18 को निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने उसकी बात को सही नहीं मान कर, जो गेनाराम रिलीफ लेने गया था, गेनाराम को रिलीफ नहीं मिला।

महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर द्वारा दिनांक 20.01.16 को उक्त प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के पर्यवेक्षण में वृत्ताधिकारी, नागौर द्वारा करने के आदेश जारी किये गये। माननीय न्यायालय को पेश किये गये जवाब में वृत्ताधिकारी, वृत्त नागौर द्वारा गेनाराम के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना गया। गेनाराम द्वारा भी प्रकरण संख्या 276/12 थाना कोतवाली धारा 323, 341, 342, 383, 327, 330, 337, 352, 402, 3 एससी, एसटी एक्ट विरुद्ध राधा किशन, नथमल, ललिता के खिलाफ व अन्य के खिलाफ दर्ज कराया जिसमें अनुसंधान के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट 254, 25.12.13 को अदम-वकू झूठ में दी जाकर न्यायालय में पेश की।

वृत्ताधिकारी, नागौर द्वारा दिनांक 11.01.18 को गेनाराम को गिरफ्तारी हेतु एक नोटिस जारी किया गया। गेनाराम 18.01.18 को अवकाश पर प्रस्थान कर गये और 21.01.18 को उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।

एक तरह से यह केस सारा का सारा कोर्ट में जो भी प्रोसेस होता है, उसके तहत वह गया, रिलीफ नहीं मिला लेकिन सुसाइड नोट को थोड़ा-सा मैंने पढ़ा है, राइटिंग हाथ की होने के कारण से बराबर समझ नहीं पाया, पर इसको 2012 में ही इसके नाबालिग बच्चे को थाने पर ले गये। बिना किसी एन्ट्री के दो दिन तक इसके बच्चे को रखा और इसके साथ मारपीट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की। यह उसने लिखा है। उसने यह भी लिखा है कि उस समय भंवरू खां इस केस की तफ्तीश कर रहा था और रत्नाराम कांस्टेबल था, वह भी उसके साथ था इसलिए उसने सुसाइड नोट में इन दोनों को भी अभियुक्त की तरह से अपने डाइंग डिक्लरेशन में उसने लिखा है। यह बात सही है कि ये दोनों लोग उस समय तफ्तीश कर रहे थे। भंवरू खा कर रहा था और कांस्टेबल उसका सहयोगी था। भंवरू खां तो 01.09.14 को रिटायर हो चुका था। उसके पहले केस कई प्रोसेस में से निकला था। भंवरू खां ने जो जांच की थी, वह उसको एफ आर की तरफ केस को ले गया था और रत्नाराम जो था सहयोगी, वह भी सितम्बर, 16 में रिटायर हो गया। पुलिस फिर भी इसकी तफ्तीश कर रही है लेकिन जो तथ्य इस सुसाइड नोट में इतने पेजों में लिखा है, उसको देखने के बाद यह जरूर है कि उसको कहीं न कहीं इस बात की बहुत पीड़ा हुई कि बना किसी एन्ट्री के उसके लड़के को पहले भी मारा। उस समय भी उसने जाकर अधिकारियों से बात कही लेकिन उसकी सुनी नहीं गयी। मतलब उसने जो भी प्रयास किया, हाई कोर्ट तक चला गया वह, छोटी-सी बात के लिए, इस केस के लिए। उसके कारण से उसके मन में यह पीड़ा निश्चित रूप से आयी कि मैंने इतना प्रयास कर लिया फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला और उस वेदना के कारण से उसने आत्महत्या की।

मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं, इस हृदयविदारक घटना को सुनने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो रोया नहीं होगा। मैं गारन्टी देता हूं आपको, जो भी मेरे पास अच्छे से अच्छा अधिकारी है, उसको मैं इसमें लगाकर इसके अन्दर जाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में यह घटना चार लोगों के सुसाइड का कारण एक छोटी सी चोरी और उसमें मुलजिम बनने मात्र से, क्या होता, चला जाता, जमानत हो जाती, बाहर आ जाता, तो मैं सारे के सारे प्रकरण को, चार पेज का जो सुसाइड नोट है, उसको देखते हुए जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा और जिन कारणों से भी हुआ है, निश्चित रूप से न्याय करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पूरी कोशिश करूंगा और सरकार की तरफ से जो कुछ भी उसकी आर्थिक मदद की जा सकती है नियमों में रहते हुए, उसको करने का प्रयत्न करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री पूरण मल सैनी। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, हो गया। पर्याप्त हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... गृह मंत्रीजी से पूछ रहा हूं खाली एक।

श्री अध्यक्ष: विस्तृत बयान आने के बाद भी आपको कोई शंका रह गयी है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कोई शंका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: फिर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह दूं? ...(व्यवधान)... आपसे कह रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, आपका तो पूरा आ गया। बैठो आप। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, आप टाइम बीइंग सर्किल आफिसर को वहां से हटाने का आश्वासन देंगे यहां पर? जो सीओ जांच कर रहा है, आप उसको जब तक वहां रखेंगे, यह सही जांच माननीय गृह मंत्रीजी, नहीं हो पाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास भी थोड़ा बहुत अनुभव है इस विभाग का। मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे मास्टरी है लेकिन मुझे भी इस विभाग का अनुभव है, मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं। कृपया आप उसको हटा दीजिए वहां से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वैसे इसमें राधेश्याम जो मेन मुलजिम है, उसको पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है, वह भाग रहा है, 21 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, उसी दिन उसको निलम्बित कर दिया गया। एक दिन भी देर नहीं लगायी, बिना किसी से पूछे। उसे निश्चित रूप से गिरफ्तार करेंगे। वहां जो अधिकारी है, जिसने यह जांच की है डीवाईएसपी के रूप ...(व्यवधान)... सीओ, नागौर जिसने यह तफ्तीश की है, उसको हटा दूंगा और यह जो जांच है वह आईजी लेवल पर एडीशनल एसपी को दे दी लेकिन फिर भी अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आईजी, अजमेर नहीं। वह तो वही है। दूसरा आईजी दे दो यहां से, साहब।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको कह दिया। यद्‌यपि आईजी, अजमेर ने एडीशनल एसपी, अजमेर को जांच दे दी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बहस का विषय नहीं है, इतना नहीं होगा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): एक लाइन कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। इस पर डिस्कशन अलाउ नहीं करूंगा। आश्वासन पूरा हो गया। नो।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): समाज हड़ताल पर है।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरण मल सैनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आई जी, अजमेर ने तो कुण्डा कर दिया है पूरी रेंज का। ...(व्यवधान)... दूसरा आई जी भेजो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कह दिया, मैंने पहले ही कह दिया। यहां से आईजी के साथ टीम भेज कर जांच करवाऊंगा। पहले ही कह दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसमें बहस अलाऊ नहीं करूंगा। जनरल बहस नहीं। श्री पूरण मल सैनी। आप अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)... नहीं। विराजिए। आ गया। पर्याप्त आ गया। उन्होंने बहुत ठीक ढंग से मैटर रखा है और गृह मंत्रीजी ने ठीक ढंग से जवाब दिया है। इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। नो।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, वह अन्तिम संस्कार नहीं कर रहे थे। प्रशासन ने जो समझौता किया था, उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): 000

श्री अध्यक्ष: मिस्टर लाम्बा, नो। बहुत बढ़िया किया है, इसको आप बिगाड़ रहे हो। बहुत बढ़िया केस आ गया, सदन में आ गया। सारी बातें साफ हो गयीं। उसको फिर बिगाड़ना चाहते हो बेकार में। चलो बैठिये।

नायक जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में नायका लिख देने से हो रही परेशानी

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की इतनी महत्वपूर्ण कार्यवाही को रोक कर मेरे स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात कहता हूं।

इस देश और राष्ट्र के निर्माताओं को अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 'नायक' जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में 'नायका' लिख देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है। अंग्रेजी में लिखा था NAYAKA, उसको हिन्दी में नायका लिख दिया जबकि नायका नाम राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में कोई जाति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिनांक 20.05.2013 को भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति सूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित 'नायक' जाति का कूटनीतिपूर्ण तरीके से बिना किसी आधार व आदेश के, इनके पास कोई किसी प्रकार का आधार नहीं है और न ही कोई आदेश था केन्द्र की सरकार का, 'नायक' के स्थान पर अंग्रेजी उच्चारण 'नायका', जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, Nayaka लिखा था, उसको इन्होंने ही हिन्दी रूपान्तरण कर लिया और उसको हिन्दी में नायका लिख दिया और लिखा ही नहीं, उसको विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया।

इससे, माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्या यह पैदा हुई कि नायक जाति के लोग जब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उप-खण्ड कार्यालयों पर जाते हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता और नायका लिख कर अनुसूचित जाति में रखने की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे सबूत और साक्ष्यों के साथ, कब-कब केन्द्र की सरकार के क्या-क्या आदेश हुए, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उन साक्ष्यों का अवलोकन किया जाए तो

(श्री पूरणमल सैनी)

ऐसा महसूस होता है कि इस देश के संविधान और फैसले नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच से यह देश चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के भारत सरकार के द्वारा सितम्बर, 1976 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया जो अंग्रेजी भाषा में था और इसी का हिन्दी वर्जन गजट नोटिफिकेशन 01 अक्टूबर, 1979 को जारी हुआ। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि यह नायका जो अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा था, हिन्दी में नायक ही है। वर्जन कर के फर्मा दिया गया गजट नोटिफिकेशन 1979 में।

भारत सरकार के पत्र संख्या 12026 दिनांक 28 जनवरी, 2009 में जानकारी दी गयी और उसमें लिखा है कि '...It is further requested that a self contained proposal along with specific recommendations required under Article 342 of the constitution as well as the modalities approved by the Government on 15/06/1999 for modifications in the Hindi list of Scheduled Tribes of the State, be sent to this Ministry for consideration, for amending the Hindi version of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 dated 1.10.79.' माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त पत्र के बाद भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2017 को नायक जाति को राजस्थान में एस.टी. प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में स्पष्ट किया है। जब नायक जाति के लोग वहां केन्द्र की सरकार से पार्लियामेंट में जाकर मिले तो उन्होंने राजस्थान में एस.टी. प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में स्पष्ट किया, उसके बिंदु संख्या तीन में लिखा है कि 'Nayaka' community has been notified at Sl. No. 10 in STs list of Rajasthan.' आगे बिंदु संख्या चार के कॉलम तीन में लिखा है '...any tribe can be included or excluded from list of STs issued under Clause (1) of Article 342 only by the Parliament by law and by no other authority.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि पार्लियामेंट के अलावा इसमें कोई परिवर्तन और परिवर्धन नहीं कर सकता। उसके बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के जिस विभाग के पास यह काम है उस विभाग ने अपने आप ही उसमें चेंज कर के और उसको पोर्टल पर अपलोड कर देना और नायक जाति के बच्चों के प्रमाण पत्र में कठिनाई पैदा कर देना, मेरे ख्याल में न्यायोचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले खेतड़ी और झुन्झुनूं की बात नहीं है, समस्त राजस्थान प्रदेश के नायक समाज की जाति के बच्चों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है।

तो मेरा निवेदन है कि जब हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और परिवर्धन बिना किसी पार्लियामेंट के आदेश के कर नहीं सकते तो फिर यह अपलोड की गई बात को वहां से हटायें और नायक जाति के बच्चों के लिए समस्त उप-खण्ड कार्यालयों पर आदेश फर्माएं कि उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र ही जारी किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री, आप रेस्पांड करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो बात सदन में उठायी है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि कौनसी जाति अनुसूचित जाति में शामिल होगी, कौनसी जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होगी, अध्यक्ष महोदय, इसमें कई प्रकार के कमीशन समय-समय पर बनते रहे हैं। काका कालेलकर कमीशन के बाद इस देश के अन्दर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग बना और उसके बाद जो प्रक्रिया रही कि राज्य सरकार अपना प्रस्ताव किसी भी जाति को किसी भी वर्ग में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजती है। भारत सरकार उसको राष्ट्रीय जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने परीक्षण के लिए भेजता है और परीक्षण के उपरान्त वो सारा मामला, जो भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित कर रखी है, उसके सामने जाता है और टास्क फोर्स के बाद में वो देश की संसद में जाता है और उसके बाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
महामहिम राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 409 के तहत अनुमोदित करने के पश्चात् उस सूची में शामिल होता है।

आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2013 के अन्दर राजस्थान की सरकार ने नायक और नायका को विभेद के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ वो ही बात कही जिस बात का उल्लेख आपने खुद ने कहा, भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 1976, अध्यक्ष महोदय, इसको पार्लियामेंट ने पास किया। इसके अनुसार कैटेगरीज जिस प्रकार की थी, हां यह सही है कि नायक और नायका, इन दोनों को अलग-अलग कैटेगरी में डाल रखा है, नायक को एस.सी. में और नायका को एस.टी. में।

अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह मामला उठा था और राजस्थान की सरकार ने इसको स्पष्टीकरण के लिए भारत सरकार को लिखा था कि इसमें हिन्दी में अनुवाद कुछ है, अंग्रेजी में अनुवाद कुछ है, आप इसको ऑथेंटिकेट करें कि इसमें किस को किस वर्ग में माना जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो यह संशोधन अधिनियम, 1976 में अनुसूचित जातियों की सूची, क्रम संख्या 57 पर थोरी, नायक अंकित है तो अनुसूचिज जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 10 पर नाइकड़ा, नायक, चोली वाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, यह अंकित है। अब इंग्लिश वर्जन में नायका शब्द और हिन्दी अनुवाद में नायक, यह अंकित निश्चित तौर पर है और जब यह भारत सरकार से पूछा गया कि इसके कौनसे वर्जन को सही माना जाए तो भारत सरकार की तरफ से जो पत्र आया उसमें लिखा गया, अध्यक्ष महोदय, कि आर्टिकल 348 (ए) के अनुसार उसमें लिखा है "Authoritative text of the notification namely the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, orders (Amendment) Act, 1976 may be taken as the one which is in English language, which has been issued on 20.09.1976."

मतलब यह साफ इन्होंने लिख दिया कि हिन्दी का वर्जन अनकरैक्ट है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंग्रेजी का वर्जन है, क्योंकि जब कभी भी ऐसी बात आती है तो हमारे संविधान के आर्टिकल 248(1)(बी) में यह प्रावधान किया कि अंग्रेजी के वर्जन को ऑथेंटिकेट माना जाए, चाहे कोई रूल्स हो, ऑर्डिनेंस हो, चाहे पार्लियामेंट ने पास किया हो, विधान सभाओं ने पास किया हो। इस नाते, अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर आज स्थिति यह बनी है कि 57 नम्बर पर अनुसूचित जातियों में यह थोरी, नायक है, यह अंकित है और यह एस.टी. का जो मैंने आपको निवेदन किया, इस एस.टी. के अन्दर भी यह अंकित है और राजस्थान की सरकार ने पहले भी लिखा, कई बार इसके लिए पत्र लिखे गये। मैं निवेदन करूं, पूर्ववर्ती सरकार में वसुन्धराजी ने 2007 में चिट्ठी लिखी, उसके बाद अब भी हम निरन्तरता से सम्पर्क में हैं और इसको बदलने के लिए या इसके ऑथेंटिकेटेड जो भारत सरकार ने कम्युनिकेट कर दिया कि इसमें राज्य सरकार वो ही काम करेगी जो पार्लियामेंट ने पास किया और पार्लियामेंट का जो शिड्यूल फोर्थ है, अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर सब चीजें अंकित हैं। इसके लिए इसको परिवर्तन और परिवर्धन करने का अधिकार राजस्थान सरकार को नहीं है।

2013 का जो आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें सिर्फ था कि पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करते थे, अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने का काम जो राज्य सरकार ने किया तो ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, जो भारत सरकार की सूची के अनुसार जारी होते हैं, उसको ऑन लाइन करने के लिए निश्चित तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें उल्लेख किया गया था कि यह जो नोटिफिकेशन है 1976, इसमें जिस तरह वर्गीकृत किया गया है उसी तरह उसको वर्गीकृत किया गया था।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय जो फरमा वो बात सारी सही है लेकिन गजट नोटिफिकेशन 1946 के और उसमें धारा 342 में साफ-सुथरा लिखा गया है कि उसके बिना कोई परिवर्तन गजट नोटिफिकेशन भारत की सरकार लेकर आएगी और पार्लियामेंट लेकर आएगी, उसके बिना कोई परिवर्तन और परिवर्धन नहीं कर सकता।

(श्री पूरणमल सैनी)

यहां तक कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें पार्लियामेंट के बिना कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: अब आप चाहते क्या हैं यह रिक्वेस्ट कीजिए न ...(व्यवधान)... आप इसमें क्या कहेंगे केसारामजी। यह कह रहे हैं न। इनका विषय है। आपका विषय नहीं है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इसमें गजट नोटिफिकेशन 1976 को जारी हुआ, वह अंग्रेजी में था। जब राजस्थान की सरकार ने उसमें किसी प्रकार से चाहा तो केन्द्र सरकार ने इनको लिखा कि आप अगर अंग्रेजी का वर्जन चाहते हो तो हमें पत्र लिख दो। यह बात सही है कि राजस्थान की सरकार ने पत्र लिखकर के समय-समय पर जानकारी चाही, लेकिन आज तक किसी भी नोटिफिकेशन में या केन्द्र सरकार के आदेश में यह नहीं है। नायकड़ा लिखा है, नायक लिखा है, नायक के विभिन्न समूह बताए गए हैं लेकिन नायका कहीं नहीं है। केवल उच्चारण को ही इन्होंने हिन्दी में नायका पढ़ लिया, जो गलत है।

श्री अध्यक्ष: वह तो आ गए सारे फैक्ट्स। अब आप चाहते क्या हैं? ...(व्यवधान)...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): नहीं आया, सर।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, अंग्रेज चले गए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आप बैठिए। बहुत संवैधानिक मसला है। आप कहेंगे क्या? इनका विषय है, यह बोल रहे हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ऐसा कोई भी यदि आदेश हो, कोई नोटिफिकेशन हो, मेरा निवेदन है कि आप फर्माएं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपका क्या लेना-देना है इसमें?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि सरकार ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): एसटी का सर्टिफिकेट देते हैं ...(व्यवधान)...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है। अगर कोई आदेश है तो हमें उपलब्ध करवाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। मंत्रीजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आते हैं, कैसे नहीं आते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले के अंदर सरकार को जो उत्तर मिला है, वह है पत्र क्रमांक 12026/4/2009 सीएंडएलएम 1, उसमें लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में जारी अधिसूचना 'Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 dated 1.10.79.' को अधिकृत पाठ माना जाए।

इसके पश्चात भी मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हम खुद चाहते हैं कि इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो या इसके अंदर संशोधन हो। पहले राजस्थान की सरकार ने लिखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके दुबारा लिखाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यह बात पहले मैंने इसलिए नहीं कही कि फिर कहेंगे कि इस नाते आप रोक रहे हो। इस पर बहस वैसे तो नहीं की जा सकती थी। यह नायका, नायक जाति के संबंध में एसबीसीडब्ल्युटी रिट पीटिशन नंबर 12891, 2013 लेखराज बनाम राज्य सरकार व अन्य, संत लादूराम नायक सेवा समिति सीकर द्वारा भी एक याचिका दायर की है। वह अभी विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: चलिए, बैठिए। हो गया, बस हो गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): एक बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, बैठिए आप। हो गया ...(व्यवधान)...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष: नो, पूरण जी, बैठिए। हो गया। श्री डोटासरा।

भवन एवं संनिर्माण कामगार योजना के तहत हजारों श्रमिकों को भुगतान का इंतजार

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के श्रमिकों की एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के कल्याण के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक मंडल बना हुआ है। केन्द्र का कानून 1996 में पारित हुआ। यहां पर राजस्थान में भी कानून बनकर के मंडल बना। जो निर्माण के ऊपर सैस लगता है 1 परसेंट, उसके आधार पर इस मंडल में पैसा आता है। श्रमिकों के कल्याण के लिए जिसमें शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना ऐसी 8 योजनाएं संचालित होती हैं। जिससे श्रमिकों को लाभ मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हर बार सदन में बहुत से माननीय सदस्य क्वेश्चन लगाते हैं। उनके जवाब भी आते हैं। पहले भी 2015 में जब सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी साहब मंत्री थे तो 14 मार्च, 2015 को भी धीरज गुर्जर का 336 नंबर का क्वेश्चन था। मुझे अधिकृत किया था तो मैंने प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री महोदय, उस वक्त भी 5,25,297 आवेदन लंबित थे, उनको पैसा नहीं मिल रहा था। मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि 800 करोड़ रुपए हमारे मंडल में पड़े हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है।

आज भी माननीय ज्ञानचंदजी पारख का 1050 नम्बर का क्वेश्चन था। आज ही मेरा 863 नम्बर तारांकित क्वेश्चन था। यह सब माननीय सदस्य इसलिए प्रश्न लगा रहे हैं कि इन 8 योजनाओं में जो पैंडेंसी है उसमें 6 लाख के लगभग श्रमिकों के आवेदन पैंडिंग हैं।

हमारे अकेले सीकर जिले की मैं बताऊं कि वहां जिस दिन यह 24 मार्च को सवाल आया था, उस दिन 61774 श्रमिकों के आवेदन पैडिंग थे। 30.01.2018 को 65829 फार्म पैंडिंग हैं और 09.02.2018 को 66583 फार्म पैंडिंग हैं। इनके पास में जो बजट है उसमें मेरा यह मानना है कि 1500-1600 करोड़ रुपए से कम आज की तारीख में नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमने इन प्रश्नों में भी जवाब मांगा था। पाली वाले माननीय सदस्य ने भी पूछा। माननीय मंत्री महोदय, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन होते हैं। उसके बाद ग्रामीण इलाके का है तो वह विकास अधिकारी को देगा।

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हाउस ऑर्डर में लाओ। क्या मछलीखाना बना दिया इन मंत्रियों ने। आप बताइए, यह क्या श्रमिकों का भला करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ज्ञानदेव आहूजा, आप अपनी सीट पर जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब श्रमिकों के कल्याण की बात हो रही है तो आप अंदर हाउस में कचहरी लगा रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाइए। बात नहीं करें। आप बाद में कर लेना। कृपया अपनी सीट पर जाइए। माननीय चिकित्सा मंत्री, मत सुनिए। यह कोई तरीका नहीं है। सीट पर जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह 1500 करोड़ रुपए के लगभग पड़ा होने के बावजूद श्रम विभाग में फार्म लेकर के सरकार ने यह कर दिया कि रुरल का तो बीडीओ जांच कराएगा और जो अरबन की श्रम विभाग जांच कराएगा। बीडीओ को ना तो कोई ऑपरेटर दिया, ना कोई मशीन दी, ना कोई कम्प्यूटर दिया। हम बार-बार मांग कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों चाहे प्रतिपक्ष के हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी फार्म इतने पैंडिंग पड़े हैं। बजट इनके पास में उपलब्ध है। उसके बावजूद नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि जिसका पैसा वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर श्रम विभाग में आ जाता है तो वह क्या करतें हैं कि जिसने 2 रुपए दे दिए अन्यथा के, उसका फार्म तो कर देते हैं। बाकी का जो ऊपर ऑनलाइन होता है, जो ऊपर मैरिट में होते हैं जिनका कुछ नहीं आया इनके पास लेन-देन, उसको क्या करते हैं कि ई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
मित्र के भेज देते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो आवेदन हैं उनमें मिलीभगत करके श्रम विभाग के डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी उसके पते में अस्थायी एड्रैस शहर का बता देते हैं। शहर का केवल श्रम विभाग ही देखता है। गांव का विकास अधिकारी देखता है। बजट जो दिया जाता है वह श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): श्रम विभाग के अधिकारी जान-बूझकर के अटका रहे हैं। करोड़ों रुपए आपके पास में पड़े हैं, उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। डोटासरा साहब, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम बार-बार चिल्ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरी बात तो समाप्त कर दूं।

श्री अध्यक्ष: आ गई सब बातें। सब बातें आ गई हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: श्रम मंत्रीजी। सब बातें आ गई आपकी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह ऑनलाइन सिस्टम है। सतत प्रक्रिया है। इसमें रोजाना श्रम कार्ड एप्लाई करने वाले पूरे राजस्थान में 5 से 10 हजार लोग होते हैं। यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है क्योंकि मजदूर रहेगा तो रजिस्ट्रेशन होता रहेगा।

माननीय सदस्य, अगर आप थोड़ी-सी स्टडी कर लेते तो शायद यह पूछने की आप जहमत ही नहीं करते। यह आपके ही कार्यकाल के अंदर, पूरे 5 साल के अंदर 3,79,350 बने थे टोटल। यह कतई गलत आंकड़ा नहीं है। जो लाभ दिया था, अब दिया था वह 23 करोड़ समथिंग है। पहले आप बात सुनिए। अब सुनने की हिम्मत क्यों नहीं रखते आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज भी सीकर जिले को पौने 200 करोड़ का बजट चाहिए। आपके पास में बजट पड़ा है तब भी नहीं दे रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप पूरी बात तो सुनिए। एक मिनट बात तो सुनिए, जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हमारे अधिकारियों तक को लपेट दिया आपने तो अब सुनने की कोशिश करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भ्रष्टाचार पनपा हुआ है आपके विभाग में, उसकी ओर इंगित कर रहा हूं। प्रमाण दे सकता हूं अगर मुझे अध्यक्ष महोदय इजाजत दें तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप अपनी आदत से मजबूर हैं। आपको सब जगह भ्रष्टाचार नजर आता है। तभी आपकी यह दुर्गति हुई थी और आप हमें कहते रहते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी दुर्गति पर तो आपने चौका-छक्का लगा दिया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): पहले आप सुन लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कार्यकाल में 15,47,304 और आपके में थे 3 लाख, तो पैंडेंसी तो बढ़ेगी। आपने 23 लाख समथिंग खर्च किए, पैसा तो तब भी था। हमने किया 2 करोड़ 44 लाख।

अब बात सुनिए आप।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: सुन लो, सुन लो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अब आप सुनिए तो सही। योजनाओं में आपने खर्च किए थे कुल 21 करोड़ रुपये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप बात तो सुनिए, ...(व्यवधान)... अब आप सुनना नहीं चाहते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बजट जारी क्यों नहीं कर रहे हो? जब पड़ा है पैसा तो? ...(व्यवधान)... इतनी सी बात है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप जवाब सुनने का माद्दा रखो न। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम क्या जवाब सुने इनका, अलवर वालों ने ही नहीं सुना इनको।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में ला दूं, हमने काम किये हैं 703 करोड़ रुपये के, अब जिस चीज के अंदर आनलाइन एक सतत प्रक्रिया है, आप यह कहते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कोई ट्यूशन वाला चाहोगे तो मैं भेज दूंगा ट्यूटर। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, बैठो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्रीजी, आपका साफ्टवेयर गलत है, एक फोर्म चैक करने में एक बार ओटीपी आता है तब तक वह लाग आउट हो जाता है। दुबारा लाग इन करने में समय लगता है इसलिए इस प्रक्रिया में एक दिन में 20 फार्म ही चैक नहीं होते। यह बात है। आप समस्या की तह में तो जा नहीं रहे हो।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, बैठिए। यह आपका कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुनने की क्षमता रखें। इनका डिटेल में जवाब दे रहा हूं। जब कोई श्रमिक कहीं भी काम करता है तो उसके स्वत: ही दो एड्रैस हो जाते हैं, एक परमानेंट एड्रैस, जहां का वह रहने वाला है और एक जहां काम कर रहा है, वह अस्थायी होता है तो दोनों उसको लिखने पड़ते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका आइडेंटीफिकेशन होता है आधार कार्ड से, सारी चीजें हम लेते हैं तभी तो श्रमिक कार्ड बनता है। तो, आप मेहरबानी करके एक तो आपने बात कही कि अस्थायी, कोई भी मजदूर कहीं दूसरी जगह ही काम करेगा जो स्वत: ही उसका अस्थायी पता बन जाता है। इसके अंदर चूंकि मजदूर बहुत पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, सारे डाकूमेंटेशन की चैकिंग होती है, हमारा फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व से काम होता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सीकर को बजट दे रहे हो क्या, यह बता दो आप तो जो पैडेंसी है उसको कब तक खतम कर दोगे?

श्री अध्यक्ष: अगर आप जवाब सुनना नहीं चाहते तो मैं जवाब बंद कर दूंगा। नो, यह नहीं हो सकता। पूरा जवाब सुनिए। ...(व्यवधान)... नहीं, यह सब ठीक है। अगर नहीं सुनना है तो आप बोल दीजिए, मैं मना कर देता हूं जवाब देने के लिए। ...(व्यवधान)... अब आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं जवाब दिलवाना बंद कर दूंगा उनका।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हमने इसमें सुधार करने के लिए चूंकि ...(व्यवधान)... ईडीओ लेवल पर हमारी पैडेंसी ज्यादा थी, बीडीओ पर हमारा डाइरेक्टली कोई अंकुश नहीं तो इसलिए हमने नौ जिलों से अब तक विथड्रा कर लिया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि 1984 से आज तक आपकी सरकार रही, इस विभाग में कभी कोई इंस्पैक्टर या लेबर आफिसर की भर्ती नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपको भी धन्यवाद देना चाहिए, मुझको भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमने मजदूरों के हित के लिए पहली दफा सवा सौ इंस्पेक्टर अब आए हैं और हम सारी पंचायतों से विथड्रा करके आप जितना कहेंगे, जितनी डिमांड होगी, आपके सीकर के अंदर यू सी तुरंत मंगवाता हूं। आज आप कह रहे हैं, चार दिन में इसको देखेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं है। पर हमको यू.सी. चाहिए, उन पैसों का सदुपयोग चाहिए, तुरंत प्रभाव से अवेलेबल करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री शंकर सिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद तो दे दूं। यह कह रहे हैं कि चार दिन में सीकर जिले के जो पेंडिंग आवेदन है उनका बजट चार दिन में भिजवा दीजिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): बिलकुल, चार दिन में भिजवा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बजट?

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां, बजट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री शंकर सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रदेश में ग्राम सहायक सचिव के पदों पर विद्यार्थी मित्रों का चयन

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत मैं प्रदेश में ग्राम सहायक सचिव के पदों पर विद्यार्थी मित्रों के चयन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में काफी समय से विद्यार्थी मित्र कम मानदेय में विद्यालयों में अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे थे। सरकार द्वारा इनके हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में नया पद सहायक सचिव सृजित करके इन्हें दोबारा रोजगार देने का प्रयास किया गया था। इससे विद्यार्थी मित्रों में काफी खुशी थी मगर प्रशासनिक अधिकारियों की अदूरदर्शिता के फलस्वरूप सरकार द्वारा नए सृजित पद सहायक सचिव पर विद्यार्थी मित्रों का चयन हीं किया गया जबकि सहायक सचिव के पद पर विद्यार्थी मित्रों का ही चयन किया जाना था। ऐसा नहीं होने से हजारों विद्यार्थी मित्र बेरोजगार हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्रों के हितों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शेष रहे विद्यार्थी मित्रों को भी समायोजित करने की कार्यवाही कर अनुगृहित करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीगंगानगर नगर परिषद् क्षेत्र में वेंडिंग जोन निर्धारण

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में 1700 से अधिक पंजीकृत पथ विक्रेता थड़ी, रेहड़ी, खोखा इत्यादि माध्यमों से अपना

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

व्यवसाय कर रहे हैं। अभी तक नगर परिषद क्षेत्र में वेंडिंग जोन का निर्धारण नहीं किया गया है तथा समय समय पर नगर परिषद द्वारा इन पथ विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जिसके कारण पथ विक्रेताओं में भय व्याप्त है तथा व्यापार करने में कठिनाई आ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियम) नियम 2016 के अंतर्गत श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र हेतु स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई और न ही कोई वेंडिंग जोन घोषित किया गया। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर के सरकारी कार्यालयों के बाहर वेंडिंग जोन के लिए मना कर दिया जाता है जबकि राज्य सरकार की गाइड लाइन में सरकारी कार्यालयों के बाहर वेंडिंग जोन के लिए किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। मेरे द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को इन पथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन निर्धारण हेतु लिखा जाने एवं उनके द्वारा निर्देशित करने के उपरांत नगर परिषद प्रशासन द्वारा आनन-फानन में वेंडिंग जोन निर्धारण कमेटी की मीटिंग बुलाकर कुछेक वेंडिंग जोन निर्धारित कर औपचारिकता कर दी गई लेकिन अभी कभी 1500 से ज्यादा पंजीकृत पथ विक्रेताओं पर खदेड़े जाने की तलवार लटक रही है। श्रीगंगानगर के पथ विक्रेताओं द्वारा बार-बार आग्रह करने एवं वेंडिंग जोन चिन्हित करने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में पथ विक्रेता बिना भय के अपना व्यवसाय कर सकें इसके लिए वेंडिंग जोन निर्धारण किए जाने बाबत प्रकिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करती हूं।

(13.05 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभिषेकजी मटोरिया। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री शुभकरणजी चौधरी (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, राजेन्द्रजी गुर्जर।

देवली-उनियारा में आधारभूत सुविधाएं

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के देवली उपखंड के बीसलपुर डूब क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतें नासिरदा, रतनपुरा, हिसामपुर, डाबरकला, मालेड़ा, थावला, बीजवाड़ है। उक्त सात ग्राम पंचायतों में 21 राजस्व ग्राम व 18 गैर आबाद ग्राम एवं सैंकड़ों ढाणियां आती हैं। उक्त सात ग्राम पंचायतों की जनसंख्या, नासिरदा-7809, हिसामपुर-4583, मालेड़ा-4634, डाबरकला-3700, बीजवाड़-3860, थावला-6456 एवं रतनपुरा-4000, कुल 35000 है। उक्त ग्राम पंचायतें देवली मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उक्त ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

बीसलपुर डूब क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रारम्भ में जो लिंकिंग डामरीकृत सड़कें बनी थीं, जो बीसलपुर परियोजना द्वारा निर्माण करवाई गई थीं, वे वर्तमान में टूट चुकी हैं, इससे आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। बीसलपुर परियोजना द्वारा पुन: सड़कें बजट के अभाव में निर्मित नहीं की जा रही है और न ही सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैंडओवर की जा रही है। अत: आपसे निवेदन है कि उक्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैंडओवर करें या परियोजना से सड़क निर्माण हेतु बजट प्रदान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इस 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए वहां उक्त आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्रीमती अनीता।

नगर में ट्रोमा हॉस्पिटल

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत नगर विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर से अलवर सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाएं एवं हॉस्पिटल में उचित व्यवस्था नहीं होने के बारे में निवेदन करना चाहती हूं।

(श्रीमती अनीता)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में मेगा हाईवे पर हर रोज गाड़ियां टकराती हैं और बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप पुलिस रिकार्ड उठा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि हर हफ्ते दुर्घटना में जन हानि हो रही है। कभी 5 तो कभी 4 मौतें वहां होती रहती हैं, मोटर साइकलें भी दुर्घटनाग्रस्त होती रहती हैं। अगर वहां का साल भर का रिकार्ड निकालें तो 50-60 लोगों की जान जा चुकी है। हमने सरकार के ध्यान में लाने के लिए नोन एक्सीडेंटल रोड स्वीकृत करने की बात की है। हमने केन्द्रीय मंत्री को भी इसकी जानकारी दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है पर लगातार हो रही जन हानि से परेशानी बढ़ रही है। नोन एक्सीडेंटल रोड के साथ ट्रोमा सेंटर भी बनता है और डीग से बहरोड के बीच में कितने ट्रोमा हॉस्पिटल बनेंगे? क्या नगर विधान सभा क्षेत्र की सीमा में ये ट्रोमा हॉस्पिटल बनाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कहां पर? ताकि सरकारी जमीन सरपंचों से कह कर अलॉट करवाने की कार्यवाही की जा सके। जब तक यह हॉस्पिटल नहीं बनें तब तक नगर सीएचसी में ऐसे एक्सीडेंटल केसों से निपटने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर व फर्स्ट एड भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएं। अभी गोविन्दगढ़ वाली गाड़ी के एक्सीडेंट में पांच लोग हादसे में मारे गए और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होना भी उसका एक कारण है इसलिए कब तक ऐसे हादसों से निपटने की व्यवस्था सरकार कर देगी?

श्री सभापति: माननीय श्री नानालालजी अहारी।

खैरवाड़ा की कतिपय नहरों का सुदृढ़ीकरण

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि खैरवाड़ा में सोम कागदर बांध सोम नदी कागदर में बना हुआ है, दो नदी बांध ढीकवास में बना हुआ है। घोड़ा खोज बांध भूधर में बना है, अमर सागर बांध भूधर में बना हुआ है, हाथिया का नाका बांध पादेड़ी में बना हुआ है, अपर-घोड़ी तालाब घोड़ी में बना हुआ है। इन सारे तालाबों की नहरें जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं तथा इन्हीं मुख्य नहरों के धोरों की आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि नहरों का सुदृढ़ीकरण व धोरों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक

(श्री नाना लाल अहारी)
है। ग्राम पंचायत मच्छारों की ओबरी में लिफ्ट केनाल पर किलोमीटर 5.5 पर धोरा निर्माण एवं इसी तरह से बायीं मुख्य नहर पर 5.75 किलोमीटर पर धोरा निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। ग्राम पंचायत माडवा फलां में आबन काड माइनर पर धोरा निर्माण, ग्राम पंचायत टोकर, शकुवतोगुडा पंचायत में गुडा टोकर माइनर, बड़ी माइनर का कार्य अत्यंत आवश्यक है।

ग्राम पंचायत कल्याणपुर, विच्छुवाड़ा में मुख्य नहर पर तेड़िया घाटी भगोर धोरा सुदृढ़ीकरण, ग्राम पंचायत भूधर में अमर सागर बांध की दायीं व बायीं नहरों का एक्सटेंशन (सुदृढ़ीकरण), ग्राम पंचायत पादेड़ी में हाथिया का नाका की नहरों का एक्सटेंशन (सुदृढ़ीकरण) तथा ग्राम पंचायत कोजावाड़ा में फूटा ताला परेड़ा की नहरों का कार्य करवाना अत्यन्त आवश्यक है। घोड़ा खोज बांध ग्राम पंचायत भूधर में 100 एमसीएफटी भराव क्षमता का तालाब है जिसकी कच्ची नहरों को पक्का करवाया जाए।

सेमारी बांध की दायीं मुख्य नहर में तालाब से दर्जनपुरा, घाटा भागल, संगतपुरा, ढाबरा 30 किलोमीटर नहरों का एक्सटेंशन (सुदृढ़ीकरण) कार्य व बायीं मुख्य नहर में सेमारी सालवी मेघवाल बस्ती, रेबारी ढाणी, ब्रह्मपुरी, जोधपुरिया, श्यामपुरा, लिम्बड़ी पाल के भागल फलां 20 किलोमीटर की नहरों का सुदृढ़ीकरण कार्य करवाना अत्यन्त आवश्यक है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्रीमती अंजू देवी धानका।

बस्सी के सिविल न्यायालय तथा तहसील कार्यालय में वकीलों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जयपुर जिले की बस्सी तहसील में उपखण्ड कार्यालय एवं सिविल न्यायालय तथा तहसील कार्यालय में वर्तमान स्वरूप एवं आवश्यकता के अनुसार वकीलों को बैठने हेतु स्थान तथा कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के तहसील एवं उपखण्ड स्तर पर वकालत करने वाले वकीलों को आमजन की पैरवी करने एवं बैठने हेतु पर्याप्त स्थान न्यायालय परिसर एवं तहसील कार्यालय परिसरों में ही उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वकील समुदाय

(श्रीमती अंजू देवी धानका)
स्वयं के बैठने के साथ-साथ अपने पास आने वाले मुवक्किलों को बैठाने की तथा स्वयं के रिकार्ड, कानूनी पुस्तकें व फाइलों आदि को सुरक्षित रख सके। वर्तमान में सिविल न्यायालय एवं उपखण्ड कार्यालय तथा तहसील कार्यालय, बस्सी में वकीलों व आमजन के उपयोगार्थ नवीन भवन बनाने हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से विशेष उल्लेख के माध्यम से अनुरोध है कि बस्सी उपखण्ड कार्यालय एवं सिविल न्यायालय में नवीन कक्ष तथा तहसील कार्यालय में नवीन कक्ष/टीनशेड राज्य सरकार के स्तर पर निर्माण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंहजी आक्या।

चित्तौड़गढ़ में भदेसर-चौराहा-कन्नौज-सावा-शंभुपुरा-गिलुण्ड-घटियावली से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक सड़क निर्माण

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर-चौराहा-कन्नौज-सावां-शंभुपुरा-गिलूण्ड-घटियावाली से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 (एमडीआर) तक के सड़क मार्ग निर्माण की बजट घोषणा 2017-18 में की गई थी जिसकी कार्यकारी संस्था आरएसआरडीसी को बनाया गया है। उक्त संस्था आरएसआरडीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह सड़क नॉन वायबल हो गई है।

मेरा आग्रह है कि 35 किलोमीटर के उक्त सड़क मार्ग क्षेत्र में आस-पास के ग्रामीण परिवेश के लोगों के आवागमन का सर्वाधिक वैकल्पिक मार्ग रहेगा। जिससे क्षेत्रीय किसानों, ग्रामीणों व अन्य राहगीरों को काफी फायदा पहुंचेगा। साथ ही उक्त मार्ग की स्वीकृति घोषणा से प्रभावित क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है परन्तु उक्त स्वीकृति को निरस्त करने से आमजन में काफी रोष व्याप्त है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित में उक्त सड़क को राजस्थान राज्य सड़क निधि अन्तर्गत अथवा किसी अन्य योजना में शीघ्र स्वीकृत कराने की कृपा कराकर आमजन को राहत प्रदान करें।

(13.15 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) के राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों के रिक्त पद

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में राजकीय कॉलेज में 22 प्राध्यापकों में से मात्र 3 प्राध्यापक हैं। प्रिंसिपल का पद भी प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त पड़ा हुआ है। मैं पिछले दो वर्षों से लगातार 295 के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में इस विषय को उठाता रहा हूं किन्तु गत दो वर्षों से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही और किसी प्रकार से भी रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। अब पुन: इस सम्बन्ध में 295 के माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत् उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में, राजकीय महाविद्यालय गोविन्दगढ़ में रिक्त पदों पर प्राध्यापकों के पदों को भरवाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह जी।

प्रेरकों का पुस्तकालय सहायक या इसके समकक्ष कैडर बनाकर नियमितीकरण

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रेरकों की समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन है कि सरकार के सुराज संकल्प घोषणा के अनुसार प्रेरकों को नियमित करने का वादा किया गया था। उसके अनुसार पुस्तकालय सहायक अथवा इसके समकक्ष कैडर बनाकर प्रेरकों को नियमित किया जाए एवं प्रेरकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रेरकों को उच्च न्यायालय के निर्णय 7500 रुपये का मानदेय किया जाए तथा 30 दिसम्बर, 2017 से प्रदेश के 17 हजार प्रेरक बेरोजगार हो गए हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से नियमित कराने का आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

(श्री गिर्राज सिंह)

अत: सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही को रोककर उक्त अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने का समय प्रदान कर अनुगृहीत करें। इसी आशा व विश्वास के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृत लाल मीणा।

सलूम्बर में एनीकटों एवं तालाबों का सुदृढ़ीकरण

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्यवाही संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सम्बन्ध में निवेदन है कि-

1. डाया बाँध मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है जो बहुत बड़ा बांध है। सिघटवाड़ा ग्राम पंचायत में दो नदी पर एक एनीकट बनवाकर पानी को रोककर सुरंग द्वारा डया बांध में डाला जाए, इस बांध से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा धावड़िया, महुआड़ा, कतिला, बोवस, सर्सिया पाल, डीगरी मोडला, बटुका, कालापायरा, इन सभी गांवों में नहरें निकाली जाए।
2. थूर घाटी तालाब की दो मीटर की हाइट बढ़ाई जाए। उससे निकलने वाली नहरें पक्की की जाए तथा चावण्ड, बडौली, लालपुरिया, डायली, थाना, केवडी, केजड़ जोयरा तक नहरों का निर्माण किया जाए।
3. केजड़ तालाब की मुख्य नहरें दायीं-बायीं व नहर नम्बर 4 को आगे बढ़ाते हुए कोलर, काली घाटी, सुरखण्ड का खेड़ा तक निकाली जाए।
4. हरचण तालाब का सुदृढ़ीकरण व पाल के ऊपर विलायती बबूल को साफ किया जाए तथा उनकी नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए और बजट में प्रावधान किया जाए।
5. बुझ नाका का एनीकट सुदृढ़ीकरण करके उसकी ऊँचाई 5 मीटर बढ़ाई जाए तथा उससे पिलाई हेतु नहरों का निर्माण किया जाए और बजट में प्रावधान किया जाए।
6. आलदरा एनीकट का निर्माण किया जाए। लालपुरिया (सेमारी) एनीकट का निर्माण किया जाए तथा उसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया जाए।

(श्री अमृतलाल)

7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में झामरी नदी, गोमती नदी, टीडी नदी पर जीरो लेवल पर एनीकटों का निर्माण किया जाए जैसे कराकली, उथरदा, बासा, खाटिया खेड़ा, केनपुरा, गुडेल, गिंगला, कोटा, कांट, लोदा, रतनपुरा, कोटड़ी, पाड़ला, देवपुरा, धावड़िया, अमरपुरा, पादरड़ा, गोपेश्वर, सल्लाड़ा, बड़गांव, बाणा, धनकेश्वर और चन्दौड़ा आदि में एनीकटों का निर्माण किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री अशोक डोगरा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बून्दी पटवार हलका के खसरा नं. 2 रकबा 202 बीघा जमीन को वन सीमा से मुक्ति

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से बून्दी पटवार हल्का के खसरा संख्या दो, रकबा 202 बीघा जमीन जोकि वन सीमा में बता रहे हैं। रेवेन्यू रिकार्ड निकलवाओ तो रेवेन्यू वाले बोलते हैं, यह हमारी है। लेकिन वन सीमा में होने से वन विभाग वाले काम नहीं करने देते। दो विकसित कालोनीज इसमें एक रजत गृह कालोनी और दूसरी नवजीवन संघ। ये दो ऐसी कालोनीज हैं जिनमें 300 मकान रजत गृह के और 600 मकान नवजीवन संघ के हैं। यह कोई कच्ची बस्ती नहीं है। यहां दो-दो, तीन-तीन मंजिल मकान बने हुए हैं। इसके अलावा जनता कालोनी के करीब 100 मकान भी हैं। उसके अलावा इसमें दुकानें, धार्मिक स्थल, सरकारी कार्यालय, दो तो इसमें सरकारी विद्यालय हैं, केन्द्रीय विद्यालय भी बून्दी का उसी में चल रहा है। एक राजकीय चिकित्सालय है, सामुदायिक भवन है, विकसित पार्क है, सड़कें, नल-लाइट के कनेक्शन हैं। नगर परिषद द्वारा पूर्णत: दोनों विकसित कालोनीज हैं। इसको वन विभाग वाले किसी भी तरह का काम नहीं करने दे रहे हैं। इसके पीछे का मामला यह है कि 1964 में ग्राम देवपुरा बून्दी की खसरा नम्बर दो, रकबा 317 बीघा 17 बिस्वा को अन्य भूमियों के साथ वन अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वन भूमि अधिसूचित की गई थी, लेकिन उस समय कलेक्टर को

(श्री अशोक डोगरा)

पावर थी किस्म चेंज करने की तो 1972 में जिला कलक्टर, बून्दी ने अन्य भूमियों के साथ-साथ इसी खसरा संख्या के रकबा 306 बीघा 17 बिस्वा को किस्म बदलकर राजकीय बिला नाम पड़त भूमि भू-अभिलेख में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमैं टीनेंसी एक्ट, 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत जारी हो गई। फिर अगस्त में ही जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इसी रकबे की 306 बीघा 17 बिस्वा भूमि राजकीय बिला नाम पड़त भूमि कृषि योग्य अथवा कृषि भूमि में परिवर्तन करने योग्य नहीं तथा ग्राम देवपुरा एवं बून्दी नगर की बढ़ती आबादी की आवास समस्या उत्पन्न हो जाने से इस भूमि को आबादी विकास हेतु सुरक्षित करने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत देय भू-राजस्व को कम करने एवं इस भूमि की किस्म आबादी दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। फिर 05.07.1972 को अन्य भूमियों के साथ-साथ खसरा संख्या दो, रकबा 306 बीघा 17 बिस्वा किस्म आबादी में परिवर्तन हो जाने से राजस्व (ख) विभाग, राजस्थान जयपुर की आज्ञा संख्या एफ.16/42/राज-ख/58/ग्रुप-1 दिनांक 20.04.1961 के अन्तर्गत उक्त भूमि की पंजीकृत कीमत (कैपिटलाइज वैल्यू) का 20 गुना पैसे ग्राम छतरपुरा द्वारा राजकोष में जमा कराने के उपरान्त यह ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार के लिए हस्तान्तरित कर दी। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत छतरपुरा, पंचायत समिति तालेड़ा (बून्दी) की बैठक दिनांक 02.12.1972 के पारित प्रस्ताव संख्या-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत छतरपुरा ने नवजीवन संघ, बून्दी की मांग के अनुसार तथा पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुसार भूमि की कीमत की राशि रसीद संख्या 28 दिनांक 18.12.1972 से पंचायत कोष में जमा कर देने पर राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 88 के अधीन ग्राम पंचायत की सम्पत्ति खसरा नम्बर दो, रकबा 306 बीघा 17 बिस्वा में से 134 बीघा 2 बिस्वा नवजीवन संघ को दे दी और शेष भूमि रजत गृह निर्माण समिति को दे दी। उसके बाद उस पर निर्माण होने लगे, रजिस्ट्री हो गईं, मकान बन गये, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सरकारी कार्यालय भी बने।

80] पर्ची के माध्यम से-09 फरवरी 2018-उठाये गये मुद्दे

(श्री अशोक डोगरा)

1982 में रामगढ़ अभयारण्य का नोटिफिकेशन आया जिसमें अभयारण्य में बून्दी की अन्य भूमियों के साथ-साथ हाल खसरा संख्या दो, रकबा 202 बीघा को सम्मिलित करते हुए रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का नोटिफिकेशन हो गया जिसमें उसमें चली गई लेकिन किसी को पता नहीं, डवलपमेंट होता गया। आज से करीब 10 साल पहले जब वाइल्ड लाइफ वालों ने मकान वगैरह बनाने बंद किये, उन पर लोन के लिए मना कर दिया, बैंकों को भी कह दिया कि आप इस पर लोन नहीं दोगे तब बून्दी में बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ। बून्दी बंद से लेकर सब कुछ हुआ। 13वीं विधान सभा में मैंने भी दो बार यह मामला यहां पर उठाया। धरने पर भी बैठा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद माननीया मुख्य मंत्रीजी जब सुराज संकल्प यात्रा में बून्दी पधारीं तो उस टाइम जनता की समस्या सुनकर उन्होंने कहा कि राज आने पर इसको हम अभयारण्य से मुक्त करेंगे और उसके बाद माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से सब तरह से इसको, फोरेस्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने जो सीईसी बनाकर रखी है, उस कमेटी के सदस्य भी वहां आये और फिर यह 12.01.2017 को इस भूमि को डाइवर्जन प्रस्ताव बनाकर पूरी बून्दी की 40 परसेंट आबादी, इसके साथ और भूमियां भी थीं, उनको अभयारण्य से मुक्त किया लेकिन उस समय गलती यह हो गई कि इस खसरा संख्या दो को अभयारण्य से मुक्त करके फोरेस्ट में डाल दिया, जबकि इसमें सघन आबादी करीब 1,000 से ज्यादा मकान, दुकानें, सरकारी कार्यालय, स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, अस्पताल, सब कुछ बना हुआ है। अब उसमें दिक्कत यह आ गई कि अब सब कुछ अभयारण्य से हट गया, इसके बदले में, जमीन के बदले में जमीन भी दे दी लेकिन कहीं गलती हो गई जो इसको फोरेस्ट में डाल दिया। रेवेन्यू रिकार्ड पर पटवारी से नकल लो तो वह रेवेन्यू रिकार्ड बताता है लेकिन फोरेस्ट वाले काम नहीं करने देते। अभी अमृत योजना में बून्दी में 47 करोड़ रुपये पेयजल के लिए आये तो बून्दी की सबसे बड़ी टंकी इसी नवजीवन संघ की भूमि पर बननी थी, उसका काम चालू हुआ तो एसीएफ ने जेसीबी मशीन जब्त कर ली, उनका और सामान जब्त कर लिया, काम रोक दिया। अभी सीवरेज का काम चल रहा है। वह नहीं होने दे रहे। पेयजल की पाइप लाइन

(श्री अशोक डोगरा)
नहीं डलने दे रहे। इतनी बड़ी आबादी, इसको कहीं भी शिफ्ट करना संभव ही नहीं है। इसमें 1,000 से ज्यादा दो मंजिल, तीन मंजिल मकान बने हुए हैं। सघन आबादी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कलक्टर के स्तर पर इसकी रिपोर्ट मंगा लें कि वहां एक्चुअल में स्थिति क्या है क्योंकि उसमें भी यह आएगा कि इतनी बड़ी आबादी बसी हुई है, इतने मकान हैं। कैसे भी करके, जल्दी से जल्दी इस खसरा नम्बर दो को फोरेस्ट से मुक्त कराए और जब तक मुक्त नहीं हो, तब तक जो विकास के काम वहां चल रहे हैं, जैसे सीवरेज वाले काम करने के लिए तैयार हैं। उनके टैण्डर हुए हैं। पेयजल की पाइप लाइन डलनी है, टंकी बननी है। जिन लोगों के प्लाट्स हैं, उनमें भी बाउण्ड्री वाल बनाना चाहता है, बहुत महंगे प्लाट खरीदे हुए हैं, उनको रोका नहीं जाये और जल्दी से जल्दी इसको फोरेस्ट से मुक्त कराएं। माननीय मंत्री महोदय इसके लिए समयबद्ध आश्वासन दे दें। धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, इनकी चिंता वाजिब है। पटवार हलका बून्दी सिटी के ग्राम देवपुरा के खसरा नम्बर दो, रकबा 202 बीघा भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है और इस भूमि पर वर्तमान में पूरे रकबे पर आबादी बसी हुई है। पूर्व में यह भूमि रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में रही...

जो वन विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.01.2017 से वन्य जीव अभयारण्य रामगढ़ की सीमा से विमुक्त की गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी व वन्य जीव अभयारण्य रामगढ़ द्वारा उक्त खसरा संख्या-2 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति मई, 1964 के अनुसार वन खंड-झेरपीर का हिस्सा बताते हुए वन भूमि के नाम अमलदरामद किये जाने हेतु दिनांक 02.10.2017 को तहसीलदार बूंदी को पत्र लिखा गया। वर्तमान में वन खंड झेरपीर की सीमा से विमुक्त किये जाने हेतु सर्वे दल गठित किया गया है। इसके द्वारा सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु नगर परिषद, बूंदी द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में इस रकबे पर रजत गृह, नवजीवन कॉलोनियां बनी हुई हैं और शीघ्र ही ये प्रस्ताव विदिन 5 डेज नगर परिषद से मंगा

(श्री अमराराम)
करके इसका जो वन विभाग की सीमा से बाहर करने का अधिकार है वो केन्द्र सरकार को है, हम जल्दी ही वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज करके माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उसका समाधान डेढ़ महीने के अन्दर करवा देंगें। यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि जो विकास कार्य वहां चल रहे हैं जैसे सीवरेज का काम चल रहा है, पेयजल का चल रहा है। इस बीच में उसको ये रोकें नहीं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): वो किसी भी सूरत में, क्योंकि आलरेडी वो राजस्व विभाग की भूमि है उसमें गैर आबादी लिखा हुआ है और गैर मुमकिन आबादी लिखा हुआ है तो उसमें जरूरी विकास कार्य, जो उसमें इतनी बिल्डिंग्स बन गयी हैं, पचास सालों से बैठे हुए हैं सिर्फ जो वन सीमा उसको लिख दिया गया था कि वन के अन्दर है जबकि इनको उसके बदले जमीन दे दी है तो उनसे यही कहेंगे और जल्दी से जल्दी से यह प्रस्ताव केन्द्र को भेज करके इसकी स्वीकृति लाएं और इसको वन सीमा से बाहर करें और इस बारे में सारे वन विभाग के अधिकारी भी सहमत हैं कि यह जरूरी है लेकिन वह एक प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आपको सबको पता ही है लेकिन यह तो काम हुए ही हैं आज तक किसी को रोका ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा टू लेन सड़क के बीच चिकारड़ा गांव में स्वीकृत बाईपास का निर्माण

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग चालीस किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए लगभग 86 करोड़ रुपये की स्वीकृति मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा रोड़ के लिए पहले हुई थी। इस सड़क का काम भी पूरा हो चुका है और काम पूरा होने के साथ-साथ इस पर टोल वसूलते हुए भी लगभग छह-सात साल हो गये हैं। इस रोड़ पर हमारा भी आना-जाना रहता है, क्षेत्र पड़ता है मेरा कई बार चिकारड़ा गांव में जाना

(श्री गोतम कुमार)
हुआ तो लगातार वहां जाम की स्थिति रहती थी तो वहां चिकारड़ा ग्रामवासियों ने मांग की कि यहां चिकारड़ा में अगर बाईपास हो जाएगा तो उचित रहेगा। आधा-पोन घंटा हमें उस गांव से निकलने में लगता है। सड़क का निर्माण आरएसआरडीसी, जयपुर द्वारा किया गया था तो जब मैंने यहां आरएसआरडीसी के अध्यक्ष जी से सम्पर्क किया तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि इस सड़क पर तो आलरेडी चिकारड़ा का जो बाईपास है वो स्वीकृत है और इसके लिए लगभग आठ करोड़ रुपये रिजर्व भी रखे गये हैं। तो, मैंने उनसे जानकारी ली कि जब आपने स्वीकृत कर दिया था रोड भी बन चुकी है लेकिन बाईपास क्यों नहीं बना तो उन्होंने बताया कि उस समय जो तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह जी थे उन्होंने निर्देशित किया कि यहां चिकारड़ा में बाईपास की आवश्यकता नहीं है और उस काम को पोस्टपोन कर दिया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जब इसका फंड रिजर्व रखा हुआ है और आप टोल भी लोगों से वसूल कर रहे हो और आठ करोड़ तीस लाख रुपये आपके पास फंड भी पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं आप जनता को राहत दो। उन मंत्री महोदय को किसी ने गलत जानकारी दी हो या हो सकता है किसी ठेकेदार ने या किसी ने गलत मंशा रखी हो तो किसी वजह से उन्होंने कह दिया होगा लेकिन वहां की जनता की परेशानी को देखते हुए जो स्वीकृत है जिस पर आठ करोड़ रुपये रिजर्व भी रखे हुए हैं और आज दिन तक वो मनी आरएसआरडीसी के पास है तो क्यों नहीं वहां पर बाईपास बना कर के वहां की जनता को आप राहत प्रदान करें। मेरा तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहां की जनता की परेशानी को देखते हुए पिछली सरकार ने गलती की लेकिन आप उसको सुधारते हुए कैसे वहां की जनता को राहत मिले इसके लिए आप तुरंत आज ही से कोई न कोई इस पर अच्छी घोषणा करके, पैसा आपके पास उपलब्ध है, सिर्फ आप लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही करके कैसे जल्दी से जल्दी आप इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ करा करके और इसी सरकार में उस बाईपास से हो कर के निकलें, ऐसी आप व्यवस्था करेंगें। तो, निश्चित रूप से चिकारड़ा की और पूरे निम्बाहेड़ा में मंत्रीजी भी विराजते हैं उस रोड से आपको भी निकलना होता है तो निश्चित रूप से वहां पूरे उस क्षेत्र के जो

(श्री गोतम कुमार)
भी उस रोड पर पड़ते हैं आस-पास के दो-दो प्रदेशों को भी यह रोड जोड़ता है तो वहां की जनता को इससे राहत मिलेगी। आने-जाने वाले साधन-सुविधाओं में जो चिकारड़ा गांव के लोगों को भी परेशानी होती है जाम से, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय आज ही घोषणा करके और इसकी कार्यवाही को तुरंत चालू करके इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करें। धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मांगलवाड़ से निम्बाहेड़ा सड़क 2010 में स्वीकृत हुई थी और उस समय तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय का दौरा हुआ और उन्होंने निर्देश दिये कि यह चिकारड़ा, मिनाना और डोरड़िया इसके डीपीआर में तीन बाईपास भी सम्मिलित थे और उन्होंने कहा कि ये तीनों बाईपास नहीं बनाने हैं और इसके आफिशियल आर्डर जारी हो गये चूंकि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने आज यह विषय सदन में उठाया है और अभी यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने प्रारंभिक रूप से इसको अध्ययन किया तो इसमें यह है कि यह चिकारड़ा के साथ मिनाना और डोरड़िया ये दोनों ही क्यों स्थगित किये गये थे, क्यों निरस्त किये गये थे तो मूल पत्रावली मंगवा करके और संभव होगा तो अभी मैंने माननीय सदस्य से भी पूछा था कि यह विषय क्या है आप इससे पहले चार साल में मेरे संज्ञान में नहीं लाये तो इन्होंने कहा कि मैंने 2015 में चिट्ठी दी है और आज पहली बार यह विषय संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से पुरानी डीपीआर में ये तीनों गांव सम्मिलित थे वहां लोकहित में आवश्यक हुआ तो माननीय सदस्य से चर्चा करके और इसमें हम विदिन 7 डेज शीघ्र निर्णय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

पीलीबंगा की पंचायत खोड़ा एवं डबलीवास कुतुब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों का निर्माण

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से ग्राम पंचायत खोड़ा एवं डबलीवास कुतुब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों के निर्माण करवाने के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती द्रोपती)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ग्राम पंचायत खोड़ा मेरा ग्राम है। यहां के विद्यालय में मात्र सात कमरे हैं। ग्राम पंचायत खोड़ा के विद्यायल में 435 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राम पंचायत विद्यालय में ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों के बैठने के लिए गत वर्ष 340 मेज, स्टूल विद्यालय को दिये हैं। विद्यालय में कमरे नहीं होने की वजह से वो मेज, स्टूल कोई काम नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अभी क्रमोन्नत हुआ है पिछले साल हमारे खोड़ा का उसमें 6 कमरे हैं और एक कंप्यूटर लैब है टोटल सात कमरे हैं तो बच्चों की संख्या को देखते हुए कमरों की घोषणा की जाए। मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी और दूसरा जो विद्यालय है मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र का ही है मेरा ही है वो भी जो पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है डबलीवास कुतुब, उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 297 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में कुल चार कमरे हैं जिनमें एक में कार्यालय है शेष तीन कमरे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां मौके पर गयी थी तो वहां बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड गांव में स्कूल की दीवार पर बना रखे हैं। दीवार पर बोर्ड बना कर उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और...

उस विद्यालय का रिजल्ट भी शत प्रतिशत रहा है। इसलिए मैं स्टाफ को, बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे विद्यालय में इतनी अच्छी पढाई हो रही है। डब्ल्यू बास कुतुम में कुल 9 कमरों की जरूरत हैं। हमारे खोडा में 6 कमरों की जरूरत है। मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगी कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए, जो हमारे भारत देश का भविष्य हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था के लिये आज कमरों की घोषणा की जाए, धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से जो विषय आया है वह निश्चित रूप से गंभीर है। पिछले दिनों हमारे विभाग ने 1552 काम सैंक्शन किये हैं और चूंकि भारत सरकार के पास और पीएबी में प्रस्ताव भेजते हैं, कई बार कुछ प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, कुछ प्रस्ताव धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हो पाते हैं, फिर भी राज्य

(श्री वासुदेव देवनानी)

सरकार ने अपने फंड में से वहां से 728 करोड़ रुपये आये, हमने विभिन्न माध्यम से चाहे वह नाबार्ड हो, चाहे टीएसपी हो, चाहे डीएमएफटी हो, चाहे बीएडीपी हो, हमने लगभग 1693 करोड़ रुपये के काम कराने शुरू किये हैं और अभी एसएससी के माध्यम से भी 1204 करोड़ के काम शुरू हुए हैं। कुल 2898 करोड़ के काम हुए हैं। हमने जो 5500 स्कूल एक साथ क्रमोन्नत किये उससे कमरों की आवश्यकता एकदम से बढ़ी हैं, हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने जिन दो स्कूलों का कहा है, उसमें हमने भारत सरकार को भेजा था वह गत वर्ष नहीं हुए, इस बार मैं पुन: भिजवा रहा हूं और जो दूसरा प्रस्ताव है द्वितीय फेज योजना, उसमें भी आपकी ग्राम पंचायत खोडा को हमने लिया है। 54.9 लाख का प्रस्ताव बना है और आपके दूसरे स्कूल का 44 लाख का, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी न किसी फंड से दें। आपसे भी निवेदन करूंगा कुछ एमएलए, एमपी फंड से भी साथ में मुख्य मंत्री जन सहभागिता योजना जिसमें 60-40 का रेश्यो है, 40 परसेंट इकट्ठा करेंगे और 60 परसेंट गवर्नमेंट देगी, इसमें यदि आप सहयोग करेंगी तो हम सारी समस्या का समाधान करने में आगे बढ़ सकेंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल जी सिंघल।

अलवर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं मेरे शहर विधान सभा क्षेत्र अलवर की जो पिछले दिनों पेयजल की और सीवरेज की लाइन डाली गई हैं, उनसे जो अव्यवस्था हुई है, उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना चाहिये राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री और देश के प्रधान मंत्री जी का, देश के यूडीएच मिनिस्टर, राजस्थान के यूडीएच, पीएचईडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब का क्योंकि सरकार पिछली भी थी, अलवर शहर एनसीआर में लंबे समय से है लेकिन एनसीआर का लाभ अलवर को नहीं मिला था। इस वर्तमान समय में एनसीआर का भरपूर लाभ अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र को मिला है। 175 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि पेयजल लाइन के लिय अलवर शहर की जो पुरानी पेयजल

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

लाइन थी, उसके सुदृढीकरण के लिये मिली। इसी प्रकार से 211 करोड़ रुपया मिशन अमृत के माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान के माध्यम से मिला। दोनों का काम अलवर में तेजी से चल रहा है। लगभग 1000 किलोमीटर पानी की लाइन और सीवरेज की लाइन का काम तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों विभाग ने जिन ऐजेंसीज को ठेके दिये थे, उन ऐजेंसीज ने नार्म्स के और अपने एमओयू के मुताबिक काम नहीं करके एमओयू का वायलेशन करके एक साथ पूरे शहर की सड़कों को तोड़ने का काम किया, उधेड़ने का काम किया और उसके बाद समय रहते उनका नोर्म्स के मुताबिक जो रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ जिसके कारण से जनता में आक्रोश भी व्याप्त हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कहना है कि विभाग के द्वारा जिन ठेकेदारों को काम दिया गया था उन्होंने जो रेस्टोरेशन का काम किया है, जैसा मुझे जानकारी भी है कि जब ठेकेदारों से बात की जाती है या विभागीय अधिकारियों से बात की जाती है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि रेस्टोरेशन का काम पूरा कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, संभवत: मुझे यह भी लगता है कि विभाग ने रेस्टोरेशन के काम को पूरा करके अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित कर दी हो किन्तु जिस क्वालिटी का रेस्टोरेशन का काम किया गया, जैसी सड़कें तोड़ी गई थीं, वैसी की वैसी सड़कें दिये जाने का एमओयू में प्रावधान था, सड़कों का बिलकुल निम्न स्तरीय रेस्टोरेशन का काम किया गया। उससे आम जन में जिस प्रकार से असंतोष व्याप्त हुआ वह असंतोष हमको झेलना पड़ा। मैं माननीय पीएचईडी मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बड़े पैमाने पर जो पट्टाशुदा अलवर की कालोनी है, उनमें आज तक इससे पहले 70 साल में कभी भी पेयजल लाइन डालने का काम नहीं हुआ और न ही कोई ऐसी उम्मीद करता था, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने और देश की वर्तमान सरकार ने एनसीआर और अमृत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से ...

श्री उपाध्यक्ष: आप लोग कोई आपस में ना बोलें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बड़ी राशि देकर पेयजल लाइन का काम कराने का काम किया, 500 किलोमीटर मिशन अमृत में, 500

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किलोमीटर एनसीआर परियोजना के अंतर्गत केवल 10 किलोमीटर की परिधि के शहर में जो पेयजल लाइन डल रही है, वह आम जनता के लिये निश्चित तौर पर आने वाले समय में पेयजल को आराम से उपलब्ध कराने का साधन तो बनेगी लेकिन जो रेस्टोरेशन का काम विलंब से हुआ, रेस्टोरेशन का काम जो उचित गुणवत्ता के माध्यम से नहीं हुआ, जिस क्वालिटी की सड़कों को तोड़ा गया, उसकी जैसी क्वालिटी की सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करके, रेस्टोरेशन नहीं करके जिस तरह से उनकी लीपापोती की गई, उससे निश्चित तौर पर अलवर शहर का भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरह अगर हम देखें तो आरयूआईडी ने जो सीवरेज लाइन डाली, उन सीवरेज लाइन्स का भी रेस्टोरेशन, मैं आपको यह घटना बताना चाहता हूं पिछले दिनों जब मैंने इस बाबत शिकायत माननीय यूडीएच मंत्रीजी को की तो मैं धन्यवाद के साथ आपको कहना चाहता हूं, आपने विभागीय उच्च अधिकारी को अलवर भेजा, उन्होंने आकर जब वहां पर बात की तो वहां जो संबंधित एक्सईएन लगे हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट की कि केवल डेढ़ किलोमीटर रेस्टोरेशन का काम बकाया है। मैंने मौक़े पर ले जाकर जब दिखाया तो वह डेढ़ किलोमीटर नहीं सौ किलोमीटर से भी अधिक का काम बकाया था। यूडीएच मिनिस्टर साहब ने उनको ठीक कराने का आदेश भी दिया। मैं दोनों मंत्री पीएचईडी एवं यूडीएच मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं चूंकि जिले का शहर मुख्यालय है और मुख्यालय पर आलरेडी जो सड़क के दोनों तरफ कच्चा हिस्सा होता है, उसमें एक तरफ बीएसएनएल की लाइन, दूसरी तरफ एयरटेल या रिलाइंस की लाइन होने के कारण से दोनों ही विभागों ने स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जो आरयूआईडीपी की सीवरेज की लाइन डाली जा रही थी और पीएचईडी के द्वारा जो इंडियन ह्यूम पाइप लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, वह जो लाइन डाल रही थी, इन्होंने मुख्य सड़कों को बीचों बीच से तोड़ा है। आज स्कीम नंबर एक, दो, तीन, पाँच, सात, आठ, दस, बारह, तेरह, जितनी भी अलवर शहर की यूआईडी और हाउसिंग बोर्ड की कालोनी हैं, इसके अतिरिक्त जितनी भी दूसरी कालोनी हैं, उन सबकी बनी हुई सड़कों को बीचों बीच से एक दम उधेड़ने से जैसा काम करके लाइन डालने का काम किया। रेस्टोरेशन उचित तरीके से नहीं किया जिसके कारण से आमजन को भारी असुविधा हुई है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दोनों विभाग के मंत्रियों को यह कहना है कि अब वर्तमान में उनके रेस्टोरेशन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यूडीएच डिपार्टमेंट, पीएचईडी डिपार्टमेंट के साथ अपनी व्यवस्था बैठा कर इनको डवटेल के माध्यम से जितना पैसा पीएचईडी डिपार्टमेंट का बनता है, उसको अपने माध्यम से लेकर नगर परिषद अलवर, अलवर विकास न्यास अलवर, इन दोनों विभागों को उन सड़कों को दुबारा से बनाने का काम करें ताकि वह शहर, शहर जैसा नजर आने लगे। वर्तमान में उस शहर की स्थिति यह हो गई जैसे कोई आज से पचास साल पुराना कोई गांव हो, ऐसी स्थिति अलवर शहर मुख्यालय की हो गई है। मैं इस संदर्भ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय युनुस खान जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने जो अलवर शहर की मुख्य सड़क जितनी भी तोड़ी गई थीं ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... क्या करें, धन्यवाद ही नहीं ले रहे हैं। धन्यवाद ले लो, साहब।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं। माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब श्री युनुस खान जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक छोटे से निवेदन पर अलवर शहर की शत प्रतिशत मुख्य सड़कों को जिस तरह से पेवर फिनिशर से नया बनाने के लिये जो स्वीकृति प्रदान की है, उनमें से कुछ सड़कें बन गई हैं, शेष सड़कें बन रही हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपना काम हमारी अपेक्षा से अधिक किया है, इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं। साथ में मैं स्वायत्त शासन मंत्री और नगरीय विकास मंत्रीजी से, पीएचईडी मिनिस्टर साहब से यह उम्मीद, आशा और अपेक्षा करता हूं कि अलवर शहर को ...(व्यवधान)... आपकी सीट चैक करानी पड़ेगी। इसमें कोई न कोई ताबीज दबा हुआ है। ...(व्यवधान)... नहीं स्प्रिंग नहीं है, कोई न कोई उछलने का ताबीज है। गोविन्द सिंह डोटासरा किसी भी व्यक्ति के बीच में नहीं बोले तो इनकी शाम को रोटी हजम नहीं होती है। आपके और ही बहुत टारगेट हैं कालीचरण जी रहे, राजेन्द्र जी राठौड़ साहब रहे, हमको तो बख्शो। हमको तो बख्श दिया करो, इन बड़े बड़ों से से रख लो। मेरा नगरीय

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
विकास मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री और पीएचईडी मिनिस्टर साहब से यह निवेदन है कि विभाग ने हो सकता आपको यह सूचना भी दी हो कि हमने सड़कों रेस्टोरेशन पूरा करा दिया। आम हमारे साथ बेशक चाहे तो कमेटी बनाकर भेजें। विधायकों की कमेटी बनाएं, अधिकारियों की कमेटी बनाएं या आपको इंजीनियरिंग सैल की कमेटी बनानी हो, उसको बनाएं....

लेकिन वास्तविकता की जांच कराएं। अब उनके रेस्टोरेशन की भी गुजांइश नहीं बची है। क्योंकि उन्होंने जो रेस्टोरेशन किया था, उसकी गुणवत्ता खराब है। जिस तरह सड़कों को तोड़ा गया, डामर की सड़क पर उन्होंने जो मैटेरियल डालकर रेस्टोरेशन किया, वह डामर नहीं पकड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने सी.सी. रोड का रेस्टोरेशन किया है, उसमें भी ऊँचा-नीचा छोड़ दिया। इन्होंने जो सीवरेज के डग्स बनाये देखेंगे, उनके मैनहॉल को देखेंगे तो वे आज सड़क से छह-छह इंच ऊंचे हैं, वे एक्सीडेंट के कारण बन रहे हैं। इन सारी असुविधाओं को दूर कराने के लिये दोनों मिनिस्टर और दोनों विभाग से मेरा यह निवेदन है कि इन सड़कों को डवटेल के माध्यम से अलवर की सारी कालोनियों में नया बनवाने के लिये जो भी फंड की आवश्यकता अलवर शहर की नगर परिषद और यूआईटी को हो, उनको दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित तौर पर कृपा करेंगे, ताकि अलवर शहर जो पार्थ का शहर जाना जाता था, अलवर शहर जो सुंदरता और सफाई का शहर जाना जाता था, आज जो उस शहर की दुर्गति हो रही है। मैं यह कह रहा हूं कि हमने यह जो सुविधा अलवर की जनता को दी है, उस सुविधा का समय पर रेस्टोरेशन नहीं होने के कारण से 1 हजार किलोमीटर पानी की लाइन, सैंकड़ों किलोमीटर सीवरेज की लाइन। कांग्रेस पिछले राज में सपने दिखाती रही कि हम चंबल का पानी लाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चंबल का पानी लाने के लिये किसी ने नहीं रोका था। किसी विधायक ने नहीं रोका, किसी जनता ने रोका, लेकिन ये लोग केवल और केवल सपने दिखाते रहे, काम नहीं किया। हमने काम किया। अगर हमारी कम रही तो यह रही कि विभागों ने उचित तरीके से डाली गयी लाइंस का रेस्टोरेशन नहीं किया। आने वाले पचास साल तक अलवर के लोग इस काम

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
को याद रखेंगे जो वर्तमान सरकार की मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और हमारे तीनों विभागों के मंत्रियों ने किया है। कम-से-कम पचास साल तक लोग इसको याद रखेंगे, लेकिन समय पर रेस्टोरेशन नहीं होने के कारण से..।

माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब और यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब आप दोनों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उचित तरीके से इनका रेस्टोरेशन नहीं करके, दुबारा से इन पूरी कालोनियों की सड़कों को बनाने का फंड आप रिलीज करें और पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब, आपके हाथ जोड़कर निवेदन करते हुये धन्यवाद करता हूं कि आप शानदार काम किया है। अलवर की मुख्य सड़कें, जैसे अलवर नया आदर्श शहर बन रहा हो, इस प्रकार की सड़कों को आपने बनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी से मैं चाहता हूं कि मेरी बात को आगे बढ़ाकर आप इस बात का आश्वासन दें दे कि आप दोनों मिलकर उन सड़कों को नया बनाने के लिये फंड जारी करने का काम करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पर्ची के जरिये अपनी बात रखी है। मैं इनसे निवेदन करूं कि अलवर शहर में एन.सी.आर. परियोजना के अंतर्गत माह अप्रैल, 2016 में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य चालू किया गया था। जिसके अंदर 31 जनवरी 2018 तक काटी गयी रोड्स का विवरण निम्न प्रकार है। बी.टी. रोड 60.90 किलोमीटर काटी थी और रिपेयर भी 60.90 किलोमीटर कर दी है। सी.सी. रोड 38 किलोमीटर काटी थी, वह 38 किलोमीटर ही रिपेयर कर दी गई है। इसके तहत 121 किलोमीटर पाइप लाइन कच्ची डाली गयी थी। पाइप लाइन डालने के पश्चात ट्रेस में मिट्टी भर कर एवं काम्पैक्ट करके रोड को ठीक कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 31 जनवरी, 2018 के पश्चात मीटर रोड काटने का कार्य किया गया है। इसे फरवरी के अंत तक ठीक कर दिया जाएगा। जहां तक नयी रोड बनाने का काम है, वह यू.डी.एच. डिपार्टमेंट करेगा या पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट करेगा। हमारा काम

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पाइप लाइन डालने का है। पाइप लाइन डालकर उसको रिपेयर कर दिया गया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मुझे जवाब देना है?

श्री उपाध्यक्ष: सीवरेज लाइन का क्या आप देंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बनवारी लाल जी सिंघल ने सभी मंत्रियों और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया है और इन्होंने अपेक्षाएं भी रखी हैं। मैं समझता हूं कि अलवर शहर में राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के कार्यकाल में जो काम हुये हैं। शायद पिछले 40 साल में इतने काम नहीं हुये होंगे, इतने काम हुये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा सीवर लाइन हेतु 66.10 किलोमीटर लंबाई की सड़क खोदी गयी, जिसमें से 65.20 किलोमीटर रिपेयर कर दी गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 900 मीटर लंबाई का रिपेयर शेष है। इसे 28 फरवरी, 2018 तक कमप्लीट करा देंगे। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सीवर लाइन डालने के लिये कुल 76 किलोमीटर सड़क काटी गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 120 स्थानों सड़क क्षतिग्रस्त हुयी थीं, उसमें से 65 स्थानों पर मरम्मत करा दी गयी है और 55 स्थानों की मरम्मत 28 फरवरी, 2018 तक पूरी करा दी जाएगी। इसके अलावा अन्य सड़कों का रेस्टोरेशन हेतु रूडसिको द्वारा, हमने इनको 10 करोड़ रुपये और दिये हैं और भी आवश्यकता पड़ेगी और करेंगे। जिनकी निविदा प्रक्रिया चल रही है। इस राशि द्वारा 19.40 किलोमीटर सड़कों की रिपेयरिंग की जायेगी। नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा 9.5 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। इन पर हमने दो करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किये हैं। अलवर शहर का पी.एच.ई.डी. का तो बता ही दिया गया है। पेयजल एवं सीवर लाइन हेतु कुल 362 किलोमीटर सड़कें खोदी गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुये खुशी हो रही है कि 362 में से 361.10 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कर दी गयी है, बाकी बची हुयी भी शीघ्र हो जाएगी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक मिनट, माननीय मंत्रीजी, मैंने आपको यह धन्यवाद पहले ही दिया है। दोनों मंत्रियों को दिया है कि आपने मरम्मत करायी है, लेकिन उस मरम्मत की गुणवत्ता इतनी कमजोर है कि सारी सड़कें आज की तारीख में बिलकुल समाप्त प्राय: नजर आ रही हैं। माननीय यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब आपसे मेरा निवेदन है कि डवटेल के माध्यम से या जो भी..। चूंकि राज्य सरकार विकासशील सरकार है, माननीय मुख्य मंत्रीजी और आपका विजन बड़ा है। इस शहर की सड़कों को नयी बनाने के लिये फंड देने केलिये मैं आपसे मांग कर रहा हूं। आप तो इन सड़कों को दुबारा से बनाने का पैसा राज्य सरकार के माध्यम से देकर उस शहर को वापस शहर जैसा बनाने की कृपा करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी 10 करोड़ रुपये हमने इनको दिये हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो देंगे। जहां तक सड़कों की गुणवत्ता की बात इन्होंने कही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इसकी जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी अधिकारी होगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

शिक्षा विभाग

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या: प.(602) जरारासंविवि/शैक्ष/16/3220-30 दिनांक 12.12.2016, जिसके द्वारा जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के परिनियम-38(1) एवं (2) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्त एवं विनियोग लेखे, श्री कालीचरण।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का छठा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजपाल सिंह जी शेखावत।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2016-2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक - महा लेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2016-2017 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2016-17 सदन की मेज रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरालाल।

याचिका

निवाई के ग्राम नला से सिरस तक सड़क निर्माण

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम नला से सिरस तक सड़क निर्माण किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी। श्रीमती सोना देवी। your point of information. आप सिर्फ विषय को बोल दीजिये। मंत्री जी के ध्यान में ले लाइये। आपको मैं वक्तव्य नहीं दूंगा। आप जिस विषय को ध्यान को लाना चाहती हैं..।

सूचना

रायसिंहनगर पंचायत समिति के ग्राम 22 एनपी के विद्यालय में तालाबंदी

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यहां सदन में भाषण देने का कोई तात्पर्य नहीं है, न ही मैं चाहती हूं कि

(श्रीमती सोनादेवी)

कोई भाषण दूं। पंचायत समिति रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत करड़वाली के ग्राम 22एन.पी. में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 86 बच्चे हैं और उसमें अध्यापकों के पांच पद हैं, उसमें से एक है। आज ताला लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। आप विराज जाओ। point of information पर आप सिर्फ सूचना के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। आसन की अनुमति तक जो विषय था, जो ध्यान आकर्षित करना था, वहां तक ही अंकित होगा।

धरना

(माननीय सदस्या श्रीमती सोनादेवी का सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्या, आपका धरना अनिश्चितकाल है, मुझे लगता है। रात को भी यहां अकेले रहना पड़ेगा। यहाँ भूत..।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि रात को यहां पर भूत आते हैं। उन्होंने भूत बोला है।

(14.00 बजे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राठौड़ साहब, अगर यह अकेली रह जाएं तो आपको क्या दिक्कत है ...(व्यवधान)... आप आ जाना फिर इनको मनाने के लिए। मनाने के लिए आ जाना आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि माननीय सदस्या धरने पर अपनी समस्या को लेकर बैठी है। आपका आदेश हो गया कि आगे अंकित नहीं होगा लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री अगर उकसा कर माननीय सदस्या को यहां वैल में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हो यह ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्या से भी निवेदन करूंगा कि पूरा प्रतिपक्ष आपके साथ में हैं, आप अपनी सीट पर आएं। हम इस सरकार को घेरेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप प्लीज, आप एक मिनट आओ, हम सब आपके साथ है। यह तो महिलाओं पर अत्याचार....

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने संवेदनशील होकर सदस्या का विषय था उसे सरकार के ध्यान में लाने की अनुमति दी। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, आप कुछ समय सरकार को दीजिए। जो आप करना चाहते हैं, यह सदन अभी चलेगा, आपको मौका मिलेगा, अगर आप उससे असंतुष्ट हो तो नियमों में और भी तरीके हैं, आप पुन: इसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आसन आपको संरक्षण प्रदान करता है लेकिन आपकी अनुशासनहीनता का संरक्षण आसन प्रदान नहीं कर सकता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप आ जाओ, अपन सब साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्या, आसन आपसे निवेदन कर रहा है, आप पधारें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आ जाओ, आसन का सम्मान करना चाहिए।

(माननीय सदस्या श्रीमती सोना देवी का धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष: आपके विषय पर संवेदनशील होकर सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सत्ता पक्ष ही नहीं करता आसन का सम्मान, हम तो करते हैं और करते रहेंगे।

व्यवस्था

अभिभाषण पर नियम 15 के तहत दिया गया संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य के आचरण के चलते निरस्त माना जाता है

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 15 के अधीन दिनांक 05 फरवरी, 2018 को अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं तो वे प्रस्ताव वापस ले लेंगे। मेरे व माननीय सदस्य के बीच इस संबंध में वार्ता भी हुई। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद में बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची में श्री

(श्री उपाध्यक्ष)

घनश्याम तिवाड़ी, माननीय सदस्य का नाम दिनांक 08 फरवरी, 2018 की सूची में सम्मिलित किया गया था। माननीय सदस्य को आसन की ओर से यह कहा गया कि आसन उनसे कुछ निवेदन करना चाहता है। इस पर उन्होंने आसन की बात सुने बिना ही सदन छोड़ दिया। इनके इस आचरण से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव पर त्याग कर दिया। ऐसे में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वत: ही बिना चर्चा के निरस्त माना जाता है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

घनश्याम तिवाड़ी, श्री, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पांइट आफ एक्सप्लेशन। उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा जो भी बात कही जाए वह तो सिर माथे है लेकिन परिस्थितियों का वर्णन ठीक नहीं है। नियम 15 में लिखा हुआ है कि अपन संशोधन दे सकते हैं लेकिन जिस रूप में अध्यक्ष महोदय स्वीकार करें उस रूप में उस पर बात होगी। तो मैंने यह नहीं कहा था, मैंने कहा था मैंने अपना संशोधन दे दिया है, आप जिस रूप में स्वीकार करें उस रूप में स्वीकार कर लें, इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कल मैंने बोला नहीं, यहां से जाने के बाद सुना। कुछ बातें अतिरेक में कही गईं, उनसे मुझे दुख पहुंचा, आघात पहुंचा। लेकिन आसन और आसन से दूसरे बड़े लोगों ने कहीं इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह व्यवस्था है इस व्यवस्था से इत्तफाक नहीं रखता हूं, चूंकि आसन ने व्यवस्था की है इसलिए व्यवस्था व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री भवानीसिंह राजावत।

मैं सम्मानीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि ठीक चार बजे प्रतिपक्ष की ओर से इस अभिभाषण पर प्रतिपक्ष के नेता या उनके अधिकृत जो भी माननीय सदस्य होंगे वह अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। तो चार बजे पहले जितना हमारे पास समय है, आप अनुशासित होकर 10-15 मिनट के बीच अपनी-अपनी बात को कह सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत है। सारे समाचार पत्रों में जो बात कही गई है, मेरी किसी भी प्रकार की कोई वार्ता इस संबंध में नहीं हुई। नाम के बाद बिलकुल गलत है। मैंने कल भी आपको व्यवस्था के लिए कहा था। मैंने यह नहीं कहा था कि आप मुझे बोलने का टाइम दो। मैंने आपकी व्यवस्था के लिए पर्ची भेजी थी। दूसरा, फिर भी मैंने नहीं कहा कि मैं वरिष्ठ हूं। मैंने कभी नहीं कहा। इस सदन में आने वाले सभी सदस्य समान हैं, चाहे वह पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो। मैंने कभी अपनी वरिष्ठता के लिए आपको बोलने के लिए आग्रह नहीं किया था। इतनी बातें कहने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, मैं इस बात में आपसे निवेदन करूं। आपके लिए आप स्वंय वरिष्ठ होने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे। यह तो आसन पर निर्भर करता है कि आसन किसको वरिष्ठ कहे और वरिष्ठता की अपनी परिभाषा है। इसमें कहीं कोई नाइत्तफ़ाक़ी नहीं है, आप वरिष्ठतम श्रृंखला में आते हैं। हमारे संस्कार हमें यह कहते हैं, आप वरिष्ठ हैं तो आसन आपको वरिष्ठ के नाम से पुकारता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं, उस समय आसन ने जिस प्रकार की व्यवस्था दी वह उस समय के हिसाब से और जो कुछ चर्चा हो रही थी उस चर्चा को समाप्त करके, वापस सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक था। आसन आपका आदर भी करता है और आसन समस्त सदस्यों का आदर करता है। आसन है ही सदस्यों के लिए, आपके अधिकारों को भी संरक्षण देता है और सदन के मर्यादित आचरण को भी सुरक्षा प्रदान करता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लगातार सदन में देखा कि प्रतिपक्ष इस उप चुनाव की छोटी सी जीत से इतना उत्साहित है, इतना अहंकार में डूबा हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रदेश की प्रगति का दर्पण है, हौंसले

(श्री भवानी सिंह राजावत)

की उड़ान है राजस्थान की, जिस तरह से राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

(14.07 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

लेकिन उस पर ध्यान नहीं देकर जिस तरह की हरकत प्रतिपक्ष कर रहा है जैसे कि वे जीत गए हों, आम चुनाव हो गए हों, भारतीय जनता पार्टी कहीं पराजित हो गई हो। पायटल साहब जवाब दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पटरी से उतर गई।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नाम हटाया जाए। माननीय सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम लेकर यह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, अगर नाम है तो हटाया जाए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सभापति महोदय, सब ध्यान रखा जाएगा लेकिन कांग्रेस के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी गाड़ी तो पटरी से उतरे बरसों हो गए। उस पटरी को जनता ने उखाड़ दिया। पटरियों को उखाड़ दिया। आपकी गाड़ी अब पटरी पर नहीं आ सकती। आपकी गाड़ी राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारे लिए पटरी बनाने का काम आप कर रहे हो, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): पूरे हिन्दुस्तान में धरातल से रसातल में चली गई। सदन के सदस्य माननीय अशोक जी गहलोत शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी को बुलाकर पार्टी कर रहे हैं, जैसे शपथ ग्रहण होने वाला हो। तनोट माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं यह भारतीय जनता पार्टी, इस पौधे को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भैरोसिंह शेखावत ने खून पसीने से सींचा था और यह पौधा आज वट वृक्ष बन गया। इस वट वृक्ष की अगर दो-तीन टहनियां टूट जाती हैं तो यह भ्रम मत पालना। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आज भी पटरी पर है। प्रचण्ड बहुमत का नरेन्द्रजी मोदी का ईंजन लगा हुआ है और 19 राज्यों के 19 डिब्बे

(श्री भवानी सिंह राजावत)
पटरी पर लगे हुए हैं। जब श्रीमती गांधी का राज था, तब केवल 18 राज्यों में आपका राज था। आज 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज है। और डिब्बे जुड़ते जाएंगे, आ रहे हैं कर्नाटक के चुनाव। डिब्बा जुड़ेगा कर्नाटक के चुनाव का।

जिस तरह से अजमेर के कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में कहने लगे, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि भामाशाह कार्ड, हमारा राज आएगा तो इसके टुकड़े करके कूड़े में फेंक देंगे। यह गरीबों का अपमान है। भामाशाह कार्ड क्या है। पांच करोड़ 55 लाख लोगों के जिस तरह से कार्ड बने हैं, बैंकों में खाते खुले हैं। धन्य हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने गरीबों को बैंकों के दरवाजे दिखा दिये, गरीबों को बैंकों की सीढ़ियां चढ़वा दीं। गरीबों के भामाशाह कार्ड बन गये। जीने की नई राह दिखा दी गरीबों को। भामाशाह कार्ड ने गरीबों को सम्बल दे दिया। आपने क्या किया गरीबों के लिये 50 साल में? इस राजस्थान के 5 करोड़ गरीब, उनको पैरों पर खड़ा कर दिया। यह भामाशाह कार्ड है, जो गरीबों के दिल का टुकड़ा है, भामाशाह कार्ड, आप उस जिगर के टुकड़े करके फेंकना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, यह भामाशाह कार्ड स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य कार्ड, 30 हजार से 3 लाख तक गरीबों का नि:शुल्क इलाज। आपने मुफ्त में दवाइयां, जो भी केवल 15-20 दवाइयां थीं, आज कम से कम 800 तरह की दवाइयां मुफ्त में गरीबों को मिल रही हैं। मुफ्त में गरीब का इलाज हो रहा है। गरीब जेवर गिरवी रख देता था, गरीब अपना मकान इलाज के लिये गिरवी रख देता था। लेकिन आज भामाशाह कार्ड से जटिल और असाध्य रोगों का इलाज, लाखों रुपये का इलाज सरकार करा रही है। गरीब को राहत दे रही है। गरीब को इससे बड़ा कोई सम्बल नहीं मिल सकता। लेकिन आप भामशाह कार्ड के टुकड़े करना चाहते हो। आपने तो केवल नारे लगाये हैं, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, लेकिन आपने गरीबी नहीं हटाई। गरीब को मार दिया लेकिन गरीबी नहीं हटाई। आज पूरे हिन्दुस्तान में गरीबी हटाने का यथार्थ के धरातल पर अगर किसी ने काम किया है तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने, मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया।

आपके राज में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में यह कहा कि 22 करोड़

(श्री भवानी सिंह राजावत)

हिन्दुस्तानी या तो भूखा सोता है या एक टाइम खाना खाता है। यह राज था आपका, जिस राज में लोग भूखे मर रहे थे, दस लाख मीट्रिक टन अनाज गोदामों में सड़ गया लेकिन गरीब के लिये आपने एक दाना भी नहीं दिया। यह था आपका राज।

सभापति महोदय, आज गरीब को भरपेट खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है। अन्नपूर्णा रसोई से लगभग 3 लाख लोगों को राजस्थान में सुबह गरम खाना मिलता है, आठ रुपये में खाना मिलता है, पांच रुपये में नाश्ता मिलता है। यह है गरीब की सेवा, यह है गरीब को सम्बल देना, यह है गरीब को राहत देना, लेकिन आपने नहीं दी। इस राज में आपने देखा, मैंने गरीब को नजदीक से देखा है कि सुबह चार बजे महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, गरीब महिलाएं, घर से उठती हैं, गांव के बाहर जाती हैं, शहर के बाहर जाती हैं। पैदल-पैदल जाकर, कहीं जंगल में जाकर लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करती हैं। सिर पर रख कर 10-10 किलोमीटर तक लकड़ियां लेकर घर में आती हैं। मैंने कोटा में चम्बल पर देखा कि ट्यूब डालकर, महिलाएं ट्यूब पर बैठ कर नदी को पार करके, फिर कहीं जंगल से लकड़ियां लाती हैं और कैसे भी करके बाल-बच्चों को पालती हैं, चूल्हा जलाती हैं। वे जब चूल्हा जलाती हैं तो धुएं के प्रदूषण से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इस दर्द को किसने जाना, इस दर्द को किसने पहचाना, देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पहचाना। उज्ज्वला योजना पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर गरीबों के लिये ये ऐसी राहत है कि नि:शुल्क गैस कनेक्शन और नि:शुल्क गैस का चूल्हा 25 लाख परिवारों को इस राजस्थान की धरती पर उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिल गया, 3 लाख 25 हजार परिवारों को देश में मिल गया। अब तो 8 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिलेगा। यह है गरीबों की सेवा, यह है गरीबों की मदद। आपने फूटी कोड़ी की मदद नहीं दी। आज उज्ज्वला योजना में करोड़ों रुपया हमने पूरे देश के गरीबों को दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भूल गये, लिखकर लाये हैं?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): हां-हां, बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: लिखा नहीं, हकीकत बता रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज मजा नहीं आ रहा है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सभापति महोदय, आज देखें, गांव में मुख्य मंत्री आवास योजना, एक किश्त दे दी चुनाव के पहले। गरीब ने कच्चा-पक्का घर तोड़ दिया, लेकिन उसको दूसरी किश्त नहीं मिली। उसको तीसरी किश्त नहीं मिली। वह सर्दी में, गर्मी में बाहर सोता रहा, लेकिन आज पूरे हिन्दुस्तान में, राजस्थान में प्रधान मंत्री आवास योजना में, गरीब को डेढ़ लाख रुपये का प्रधान मंत्री आवास के लिये अनुदान मिल रहा है, डेढ़ लाख रुपये, करोड़ों लोगों को, और करोड़ों मकान बन रहे हैं। यह है गरीबों की मदद। इस राजस्थान की धरती पर कभी आपने गरीब को रहने का हक नहीं दिया, पट्टा नहीं दिया, पचास साल के राज में एक पट्टा नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब को कि गांव में साढ़े आठ लाख परिवारों को केवल सौ रुपये में पट्टा दिया। पूरे राजस्थान में गरीबों को, गांव के लोगों को पट्टा मिला है। डेढ़ लाख रुपये का आवास बनाने के लिये अनुदान मिला है। यह है गरीबों की मदद, यह है गांव की मदद, यह है किसान की मदद। केवल आप बातें कर लो। भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं किया। हमने यथार्थ के धरातल पर इतना बड़ा काम किया है कि आजादी के बाद कोई सी भी सरकार ने नहीं किया।

आप किसान की बात करते हो कि कर्जा माफ करो। कर्जा माफ ही नहीं, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। किसान को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

फसल बीमा योजना, आपके टाइम तो फसल बीमा योजना केवल 33 परसेंट खराबे पर फसल बीमा योजना थी। आज 50 परसेंट खराबे पर फसल बीमा योजना है और जो फसल बीमा योजना है वह क्या है? अब इसका विस्तार जो किया है, जो व्यापक बनाया है अगर किसान का एक दाना भी खेत में खराब हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलेगा। अगर वह खेत से मंडी में जा रहा है और बीच में अगर कहीं ओलावृष्टि हो गयी और जिंस भीग गयी तो उसको मुआवजा मिलेगा और मंडी में लेकर चला गया और मंडी में भी अगर ओलावृष्टि हो गयी और उसकी जिंस बह गयी, खून-पसीने की कमाई बह गयी तो उसको मुआवजा मिलेगा।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

अभी घोषणा हुई है केन्द्र के बजट में कि उत्पादन की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य इस हिंदुस्तान की धरती पर किसान को मिलेगा। किसान को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह 2022 की घोषणा है। उस समय न तो आप रहोगे और न मोदीजी रहेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): उसकी जो लागत है उससे दोगुना फायदा हम किसान को पहुंचाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहला प्रयोग राजस्थान की धरती पर जल स्वावलंबन योजना, किसी ने सोचा भी नहीं और कल्पना भी नहीं की लेकिन आज पूरे राजस्थान की धरती पर खेत का पानी खेत पर रुकता है। बरसात का एक परसेंट पानी राजस्थान की धरती पर आता है लेकिन उस एक परसेंट पानी को भी रोकने की अगर किसी ने योजना बनाई तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे सिंधिया ने बनाई। करोड़ों रुपये की लागत से आज तालाब खुद रहे हैं, बांध खुद रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, एनीकट बन रहे हैं और धीरे-धीरे राजस्थान आने वाले समय में यह राजस्थान मिनी पंजाब हो जाएगा। राजस्थान की एक इंच धरती असिंचित नहीं होगी। कोई जमाना था जब टी.वी. पर दिखाया जाता था राजस्थान को रेत के टीलों में पानी के लिए मटके लेकर दौड़ती हुई महिलाओं को। कभी रेत के टीलों पर ऊंटों को चलते हुए दिखाया जाता था लेकिन अब वह दिन दूर नहीं आने वाले समय में पूरे राजस्थान पर हरियाली होगी, राजस्थान में पानी होगा।

योजना बनाई है मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार करोड़ रुपये की। जो सपना था देश के हृदय सम्राट अटल बिहारीजी वाजपेयी का नदियों को जोड़ने का, वह नदियों को जोड़ने का सपना इस राजस्थान की धरती पर साकार होने जा रहा है। चालीस हजार करोड़ रुपये की योजना है। परवन, पार्वती, कालीसिंध, आऊ, घोड़ा-पछाड़ यह नदियां बनास से जुड़ेंगी। ब्राह्मणी नदी जो चित्तौड़ की है, वह भी जुड़ेगी। जब यह नदियां जुड़नी शुरू हो जाएंगी राजस्थान की धरती पर तो माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह ऐसी योजना है कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

राजस्थान की धरती पर एक बड़ा विकास का आयाम स्थापित हुआ है रिफाइनरी, यह रिफाइनरी क्या है? यह धोरों की धरती पर तेल ही नहीं उगलेगी, यह सोना उगलेगी, सोना। आपके राज में, आपने जल्दबाजी में सोनिया गांधी को बुलाकर शिलान्यास करवा लिया। काहे का शिलान्यास था? 40 हजार करोड़ रुपये राजस्थान को घाटे में डालने का शिलान्यास था वह लेकिन आज शुभारंभ हुआ है, नरेन्द्र मोदीजी ने शुभारंभ किया है, एक लाख करोड़ रुपये का राजस्थान को प्रतिवर्ष फायदा होगा। रिफाइनरी से कारोबार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा तो यह रिफाइनरी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करुंगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: माननीय श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या समझौता हुआ? यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, माननीय सदस्य?

श्री सभापति: आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, मेरा निवेदन है कि आप समय की मर्यादा रखें, यह आपसे थोड़ा सा निवेदन रहेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपके आदेश की पालना करूंगा और आप भी आदेश देने से पहले थोड़ा सा ध्यान रख लें तो कृपा होगी।

श्री सभापति: मैंने आपको इसीलिए ध्यान दिलाया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज चौथा दिन है। अनेक माननीय विद्वान सदस्य अपनी बात कह चुके हैं। मेरा निवेदन है राज्यपाल महोदय के भाषण में जिन योजनाओं का जिक्र है, चाहे मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना हो, चाहे उज्जवला हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे शुभ-लक्ष्मी हो और चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 3 हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च करने का जिक्र हो, निश्चित रूप से सरकार ने जिन योजनाओं का जिक्र किया है, उनमें उपलब्धियां हो रही हैं।

मैं 'सत्ता पक्ष' का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं सत्ता पक्ष

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का हिस्सा नहीं हूं। आपको यह तो विचार करना पड़ेगा कि क्या अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा की एक सीट क्या इनमें इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था? क्या वहां पर नरेगा नहीं चल रहा था? क्या वहां पर विद्युत, जो अपने 12 हजार मेगावाट स्थापित जो कर दिये उसका लाभ अलवर, अजमेर और उनको नहीं हो रहा था? यदि उन योजनाओं का लाभ उनको होते हुए भी अपन आगे नहीं बढ़ पाये, दो कदम पीछे हटे तो सोचना तो नेतृत्व को है। माननीय सदस्य भी सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 17 मंत्री और 17 विधायकों की जिम्मदारी अलग-अलग क्षेत्र में थी। मेरा निवेदन यह है कि परसेप्शन राज का जन-हितैषी, गरीब हितैषी बना कि नहीं बना देखना आपको यह है। योजनाओं से हमारी आकृति आगे जाती है और कुछ कामों से हमारी आकृति में खरोंच लगती है।

एक पटवारी अकाल को जमाना दिखा दें, माननीय सभापति महोदय, और मेरा जैसा विधायक जिसके क्षेत्र में 33 गांव अकाल में है और इसके अलावा 20 गांव और अकाल में है, जो अकालग्रस्त गांव हैं उनकी सूची मैं पढ़ा रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, सहजरासर, बड़ेरण, मनोरिया, कांकड़वाला, सुभलाई, कागासर, छटासर, नक्कोजेसर महाजन, चांदसर, जैतपुर वगैरह-वगैरह और भी दस-बीस गांव हैं। कुल 20 गांव अकाल में है। पटवारीजी ने बिना देखे, बिना गये, एक-एक पटवारी के पास कितना वर्क-लोड है, माननीय राजस्व मंत्रीजी को मालूम है कि किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, किसी के पास चार है, चार पटवार मंडलों का वज़न है। कल नवलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक इसका जिक्र भी कर रहे थे। मैं कहता हूं कि यदि वह दो, तीन, चार हलकों का पटवारी होने के कारण खेत में नहीं जा सका और घर बैठे ही गिरदावरी कर दी तो इस गिरदावरी का इलाज बताइये। राजस्व मंत्रीजी को भी मैंने जिक्र किया। मुझे खुशी है कि ग्राम सहजरासर अकाल में भी है और मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन में भी है और जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। डाक्टर रामप्रताप मंत्री महोदय जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, वह भी आए थे। हजार लोग होंगे मीटिंग में और हमने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन

(श्री मानिक चन्द सुराना)
तो आप लाए हैं इस गांव में लेकिन गांव अकाल में है और बीसों गांव अकाल में है। आदरणीय डाक्टर रामप्रतापजी ने कलेक्टर को कहा। एस.डी.एम. वहीं था, तहसीलदार वहीं था, राजस्व का पूरा अमला-जमला था।

माननीय सभापति महोदय, मैंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चैयरमेन को तार भेजा। आपदा प्रबंधन मंत्री को तार भेजा। डा. रामप्रताप जी मुझे कह रहे थे कि इन्होंने भी यहां पर बात की। राजस्व से की, आपदा प्रबंधन से की और नतीजा आज क्या है। वह गांव अकाल में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या देश की आजादी के 70 साल बाद भी और क्या इस चौदहवीं विधान सभा में चौदह सरकारों के आने-जाने के बाद भी इस पटवारी के डंक लगाए हुए, गलत रूप से जमाना दिखाए हुए, का कोई इलाज नहीं है? मेरे कलक्टर महोदय ने मुझे कहा कि साहब गिरदावरी का तो एक समय होता है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो खूब जानते हैं नियम 78, लैंड रिकॉर्ड रूल्स के नियम 78 और 79 की अवहेलना में गिदरवारियां बनाई जा रही हैं। गिरदावरी बनाने में बहुत तान आता है। लाल स्याही से दर्ज करना पड़ता है कि कितनी जमीन खराबे में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो 20 गांव जिनके लिए हम नवम्बर से कोशिश में है कि इनमें अकाल घोषित हो।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं लैंड रिकॉर्ड रूल्स भगवान के भेजे हुए नहीं है। डा. रामप्रताप जी जरा ध्यान दें। लैंड रिकॉर्ड रूल्स भगवान के भेजे हुए नहीं है। आपके बनाए हुए हैं। इसमें पारदर्शिता नहीं है। गिरदावरी करने में कोई पारदर्शिता आज भी नहीं है। किसान के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। माननीय कृषि मंत्रीजी, उस सरपंच को पूछना जरूरी नहीं है जबकि उसकी ड्यूटी है कि वह खेत-खेत में जाए। वह एक खेत में न जाए, अकाल को जमाना दिखा दे, वह गांव तो मर गया। कितना नुकसान हुआ, 120 दिन का नुकसान तो अकाल के काम का हुआ माननीय पंचायत राज मंत्री जी। चार महीने अकाल का काम चलता मार्च, अप्रैल, मई, जून। 120 दिन में रुपए मिलने थे 201 से ऊपर। फलां लीजिए कितना हुआ यानी 20 हजार नीचे तो आ गया मजदूरी में और फसल बीमा का जो नुकसान हुआ। उसकी फसल खराबा दिखती तो उसको प्रधानमंत्री फसल योजना से रुपया मिलता।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आज हम इलाज नहीं कर सकते अकाल का। एक जिला प्रभारी के मंत्री के ध्यान में आ जाए। कलेक्टर को कह दिया जाए देखों, आप देख नहीं रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, वह नियमों में आपकी परतंत्रता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नियमों को बदलिए। जिन गांवों में जबरदस्ती जमाना घोषित कर दिया है और अकाल है, उन गांवों में जो मैंने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट मैं दे दूंगा मंत्री जी को, उनमें अकाल राहत के काम करवाए जाएं। फसल बीमा तो कोई मजबूरी होगी कि लाभ हम नहीं दे सकते, एक अलग बात है, लेकिन आप नरेगा में काम करवाएं और चाहे अकाल राहत में काम करवाएं, 120 दिन का काम इन गरीबों को मिलना चाहिए। ये काम पटवारी जो करता है हमारी आकृति को खरोंचता है। हमारी आकृति को खरोंचने के कई काम होते हैं।

सभापति जी, कल एक खबर पढ़ रहा था मैं डीजी साहब ने कोई बयान दिया। राजस्थान के डीजी ने और डीजी के बयान में यह कहा गया-अपने परिवार के सदस्यों को सरकार के खिलाफ जाने से रोकें। इसके लिए पुलिस कर्मियों को पाबंद करने के मामले में पुलिस महानिरीक्षक ओ.पी.गल्होत्रा ने सरकार के आदेश का हवाला दिया है। गल्होत्रा ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कहा कि सरकार पूर्व में भी ऐसे आदेश निकाल चुकी है। उसे पुलिस विभाग ने एडवाइजरी के रूप में जारी किया है। क्या सरकार के ध्यान में नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार डीजी पर निर्भर है? क्या पुलिस वालों के परिवारों को जो एडल्ट हैं, जो 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्या पुलिस में एक नौकरी कर ली तो पूरा परिवार आपका बंधक हो गया? यह आपकी इमेज को खरोंच करने वाली बात है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी। गृहमंत्री जी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि यह वक्तव्य गृहमंत्री जी के बिना इजाजत के जारी किया गया है, निश्चित रूप से चाहें वह डीजी हों, सरकार यदि नौकरशाही पर लगाम लगाना चाहती है तो डीजी को भी पूछ ही लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये आर्डर विथड्रा करो। यह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो संविधान के दायरे में हैं, उस पर खरोंच करती है। इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सभापति जी, कल ही मैंने पढ़ा कि ग्रामीण विकास के एसीएस हैं, जो भी है, उनके खिलाफ लोकायुक्त महोदय ने संज्ञान लिया है। मैं संज्ञान क्या लिया है, आपको थोड़ा-सा पढ़कर सुनाता हूं, आरोप है कि पंचायत राज विभाग के अधीन ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में कथित रूप से भर्ती अनियमितताएं व्याप्त होना प्रकट हुआ है। विभाग ने पूर्व में संविदा पर लगे अफसर जयपाल कौशिक जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया था, लेकिन एसीएस सुदर्शन सेठी ने वेतन बढ़ाकर चीफ आपरेटिंग मैनेजर के पद पर पुन: लगा दिया। मैं आगे की बात नहीं पढ़ता हूं। सभापति जी, माननीय पंचायत राज मंत्री का बयान भी एसीएस के खिलाफ अखबारों में छपा था। मैं माननीय मंत्रियों से कहना चाहता हूं आज तक आपने अपने एसीएस के खिलाफ बयान नहीं दिया और राजस्थान के एक मंत्री ने यदि बयान दिया है, आपने कितनी गंभीरता से लिया उसको, सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया उस बयान को। लोकायुक्त के द्वारा उसका संज्ञान ले लिया गया, वही बात माननीय मंत्रीजी ने कही थी और वही लोकायुक्त कह रहा है। एक जयपाल कौशिक नाम के आदमी को जिसको भ्रष्टाचार में हटाया गया है, उसको आपका एसीएस, जो कि संविदा पर है उसको वापस चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर बनाता है। मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि नौकरशाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही है।

मैं निवेदन करूंगा 17 विधान सभाओं के चुनाव से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस के साथी बहुत उत्साहित हैं। मैं हेराल्ड विल्सन ने जो कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, माननीय कृषि मंत्री जी सुनें। उन्होंने कहा कि 'A week is a long time in politics.' मेरे मित्र ध्यान रखें कि अभी तो 40 हफ्ते पड़े हैं। आठ महीने का समय सरकार के पास है और कौनसे हफ्ते में कौनसा पासा पलट सकता है। यह भविष्य बताएगा। मुझे कुछ नहीं कहना है। आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, समालोचना करेंगे और ये जमाने को अकाल दिखाने की परम्पराओं को बंद करेंगे। ये एसीएस जैसे अफसरों को विधिवत बनाए रखेंगे, उनको हटाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इमेज में कुछ सुधार होगा। इमेज एक काम से नहीं हजारों कामों से बनती

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है। मैं निवेदन करता हूं कि मैंने मेरी अकाल की पीड़ा आपसे व्यक्त की। मैं एक बात कहना चाहता हूं 70 साल से कभी कांग्रेस का राज रहा। फिर या तो भाजपा का रहा, कुछ दिन भाजपा की दूसरा स्वरूप जनता पार्टी का रहा या फिर कांग्रेस का रहा, लेकिन इतने मिनिस्टर आए गये, इस पटवारी डंक का इलाज आज भी कोई नहीं कर पाया। मेरा नम्र निवेदन है हाउस से कि इस पटवारी के गलत रिकॉर्ड का इलाज करें। कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं माननीय कृषि मंत्री के पास, वे जाकर बता देंगे कि इसमें कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। यदि गांव में कुछ पैदा ही नहीं हुआ, खाली पटवारी के लिखने से क्या होगा, उसको आज भी क्यों नहीं अकाल दिखाया जाए और अकाल के लाभों से लोगों को लाभान्वित किया जाए। सभापति जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो माननीय कृषि मंत्रीजी के विभाग का मुद्दा है। राज्यपाल महोदय के पैरा 22 में यह कहा गया है कि प्रथम चरण में राज्य की समस्त कृषि जोतों के लिए 77 लाख 17 हजार साइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाकर द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अनुसार सिर्फ 68.88 लाख जोतें, तो आपने 77 लाख कार्ड कैसे बांट दिए?

अच्छा मैं मान लेता हूं कि यह 2010-11 का सर्वे है और 2010-11 के सर्वे से अब वह 77 लाख हो गये होंगे। एकमिनट, आप बात सुनें आपका मौका आएगा। आप मेरी बात सुनें। मैं अर्ज करता हूं कि लूणकरणसर क्षेत्र में, मैं माननीय मंत्रीजी को चुनौती देता हूं कि 10 परसेंट से ज्यादा किसानों के सोइल हैल्थ कार्ड टैस्ट नहीं किये गये हैं, सोइल हैल्थ कार्ड का नमूना नहीं लिया गया है। मेरे बीकानेर जिले में, मैं अधिकारपूर्वक कहता हूं मात्र 2 लाख 85 हजार होल्डिंग हैं और आपके कृषि अधिकारियों ने अब तक मात्र 85 हजार या 87 हजार होल्डिंग्स का सोइल हैल्थ कार्ड लिया है। माननीय कृषि मंत्रीजी, इसी के आधार पर किसान की आय को दुगुना करने का मुद्दा आया है। जब आपने अभी तक 2 लाख 85 हजार में सिर्फ 85 हजार के ही सोइल हैल्थ कार्ड लिये, जो करीब 33-34 परसेंट है तो आपके पास तो एक साल बचा है। आप बात सुनें, मैं गलत हूं तो आप बाद में खंडन कर देना। ...(व्यवधान)... सभापतिजी, मैं यह इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आप मुझे सम्बोधित मत करो। आप तो अपना बोलते रहो, सब सुन रहे हैं।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं निवेदन करता हूं कि कृषि विभाग ने उन 85 हजार हैल्थ कार्ड वाले, जिनका रिजल्ट दे दिया आपने, क्या आपने यह चिन्ता की कि सोइल हैल्थ कार्ड का जो रिजल्ट आया है, उसके अनुसार आपने उनको खाद-बीज देने का प्रबन्ध कर दिया है। मेरा कृषि अधिकारी कहता है कि देशी बाजरे की खाद में मैक्रो न्यूट्रीएंट्स और माइक्रो न्यूट्रीएंट्स देने के लिये, मैक्रो के लिये एक हैक्टेयर में 655 रुपये चाहिये और माइक्रो के लिये 1950 रुपये चाहिये, यानी कुल मिलाकर 2700 रुपये एक हैक्टेयर में चाहिये और मोठ के लिये कुल एक हैक्टेयर में मैक्रो और माइक्रो मिलाकर 3084 रुपये चाहिये।

मैं निवेदन करता हूं जिसके पास 40 बीघे का खेत है और दस गुना उसको खाद की जरूरत है। अभी यहां सहकारिता मंत्रीजी नहीं हैं, सहकारिता विभाग और केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से अल्पकालीन ऋणों में किसान के सोइल हैल्थ कार्ड के अनुसार उतना रुपया ऋण का अल्पकालीन ऋण में इजाफा नहीं करते, तब तक वह किसान कैसे अपने खेत में खाद डालेगा और कैसे अधिक उपज लेगा। मैं सूत्र रूप में ही सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि अभी तक सोइल हैल्थ कार्ड को 34 परसेंट और 34 परसेंट का रिजल्ट भी एक परसेंट लोगों को भी कृषि विभाग द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा उनके लिये आवश्यक खाद और बीज का इन्तजाम नहीं किया गया है। दूसरा मुद्दा आया, सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी और सारे मंत्रियों से कह रहा हूं।

श्री सभापति: मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप तो आसन को सम्बोधित करो, मंत्रियों को कहने का यह समय नहीं है। आप प्लीज, आसन को सम्बोधित करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह कोई छुई-मुई का पौधा हैं क्या जो यह मुरझा जाएंगे?

श्री सभापति: आप एक सैकिण्ड रूकें। आदरणीय कृषि मंत्रीजी, क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, आपके माध्यम से लूणकरणसर से आने वाले हमारे वरिष्ठ, सदन के विद्वान साथी हैं। सोइल हैल्थ कार्ड का जहां तक सवाल है, राजस्थान में अब तक 77 लाख सोइल हैल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्योंकि 68.88 लाख हमारा कृषि जोत था, उसमें ढाई हैक्टेयर में और दस हैक्टेयर में एक-एक सोइल हैल्थ कार्ड के प्रोविजन है। ढाई हैक्टेयर सिंचित भूमि और दस हैक्टेयर असिंचित भूमि, तो असिंचित दस हैक्टेयर में एक सोइल हैल्थ कार्ड यानी कि दस काश्तकार भी हैं, बीस काश्तकार भी हैं, तो भी एक ही रिकमण्डेशन उनको पैकेज्म प्रैक्टिस के अनुसार रिकमण्ड किया जाता है। आपने कहा कि 34 प्रतिशत हुआ है। हमारा पहला फेज पूरा हुआ है, दूसरे फेज में हम काम कर रहे हैं। हर दो साल में हमको नये सोइल हैल्थ कार्ड देने पड़ेंगे। चूंकि सोइल हैल्थ का संबंध फर्टिलाइजर से जैसा आप कह रहे हो, नहीं है। सोइल हैल्थ कार्ड का मतलब है कि आपके माइक्रो न्यूट्रीयंस की या क्या डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, बोरॉन डेफिशिएंसी है, फॉसफोरस डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी का इंडेक्स बनाकर हम उस काश्तकार को देते हैं कि आपकी सोइल में यह स्थिति है, इसको ठीक करने के लिये मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा एक लाख मिनि किट्स हम लोग माइक्रो न्यूट्रीयंस के किसानों को दे रहे हैं ताकि वह किसान अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें।

श्री सभापति: थैंक्यू आपकी एफीशिएंसी और डेफिशिएंसी, दोनों के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक लाख मिनि किट्स पूरे राजस्थान में हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करता हूं और मेरे क्षेत्र में जहां 85 हजार किट्स बंटे हैं, मात्र 3100 लोगों को वह मिनि किट्स दिये गये हैं, जो आपके 90 परसेंट अनुदान पर हैं और राजस्थान के जो 68 लाख 66 हजार जो होल्डिंग्स हैं, वह आपके उस मिनि किट्स का अभी तक इन्तजार कर रही हैं। 68 लाख 66 हजार में आपके सिर्फ एक लाख मिनि किट्स हैं। खैर, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। मेरा दावा है कि जिस तरह से बीकानेर जिले में 34 परसेंट सोइल हैल्थ कार्ड का परीक्षण हुआ है, रिजल्ट आया है, उसी तरीके से सभी जिलों में कहीं 50 परसेंट होगा, कहीं 40 परसेंट होगा। किसी भी 100 परसेंट रिजल्ट सरकार के द्वारा सोइल हैल्थ कार्ड का नहीं दिया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सभापति महोदय, एक तरफ किसान की पैदावार खाद और बीज से बढ़नी चाहिये। दूसरी तरफ समर्थन मूल्य, भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने बजट में फर्मा दिया कि हमने रबी की फसलों में डेढ़ गुना कर दिया। यह नहीं कहा कि डेढ़ गुना करेंगे, उन्होंने कहा डेढ़ गुणा कर दिया। ..(व्यवधान)... आप मुझे अर्ज करने दे, मैं होम वर्क करके ही आया हूं। बिना होम वर्क के नहीं आया हूं। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रीजी का यह कथन, यह रबी की फसलों का चार्ट है, रबी की फसल में जो भाव हैं, वह पिछले साल भाव थे गेहूं के, रबी की फसल में गेहूं सबसे पहले है 1625 था, और अब हो गया 1730, 110 रुपये का इजाफा, जौ में 1325 था, 1410 हुआ, इसमें 85 रुपये का इजाफा हुआ, चना में सिर्फ 250 का इजाफा, मसूर में 200 का इजाफा, रेपसीड में 200 का इजाफा और कुसुम्भ, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसमें 300 का इजाफा। मैं निवेदन करता हूं कि क्या इतनी-सी बढ़ोतरी करके यह कह दिया गया कि डेढ़ गुणा दे दिया। समर्थन मूल्य के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि किसान जितना इनपुट डालता है, अपन सिर्फ उसको देते हैं और किसान जितना इनपुट डालता है, सिर्फ उसको देखा जाए और उसकी लेबर को बिलकुल इग्नोर कर दिया जाए, उसके और उसकी परिवार की लेबर को, तो आपका यह जो डेढ़ गुणा वित्त मंत्रीजी ने किया है, यह सिर्फ किसान के इनपुट को ध्यान में रखकर किया गया है। किसान की लेबर को, आपने उसको बाण्डेड लेबर समझ लिया है कि वह तो मुफ्त में काम करेगा ही करेगा। बिना किसान के परिवार की मेहनत का ध्यान किये जो यह दावा किया गया है कि हमने रबी की फसल में बढ़ा दिया और खरीफ की फसल में बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सब बातें करोड़ों-करोड़ों किसान देख रहे हैं, वह भी सुन रहे हैं कि हमारी तो रबी की फसल का डेढ़ा कर दिया, और यह भी देख रहे हैं कि क्या डेढ़ा कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य में किसान के परिवार की लेबर को जोड़कर आप उसको डेढ़ा करें, यह मेरी मांग है, चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो। जब तक आप यह नहीं करते हैं, समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाते हैं तो किसान के घर में समृद्धि कैसे आएगी? किसान कैसे समृद्ध होगा?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। हमारी भी मजबूरी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-सा और है। कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी को मैं पूरा ध्यान में रखूंगा। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में 12 जिले रेगिस्तानी हैं, मोठ और ग्वार का भाव तय है क्या? मोठ का भाव, जिसका भुजिया 200 रुपये किलो बनता है, क्यों नहीं पांच हजार रुपये किलो किया जाए और ग्वार का भाव क्यों नहीं साढ़े चार हजार रुपये किलो किया जाए।

राजस्थान की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को इनिशियेटिव लेकर बारानी खेती के किसानों को मोठ और ग्वार का उचित मूल्य दिलाने के लिए आप मोठ और ग्वार के भावों को 5 हजार और साढ़े 4 हजार तय कराने की भारत सरकार से कृपा करें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान का मैं प्रबल समर्थक रहा हूं और जितना पत्राचार मैंने मुख्य मंत्रीजी से और ग्रामीण विकास मंत्रीजी से इस संबंध में किया है, मैं समझता हूं कि कम माननीय सदस्यों ने किया होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान में रेगिस्तानी क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है और हमारे 12 जिलों की ग्राम पंचायत समितियों को जहां 806 गांव लिए गए हैं, एमजेएसए के प्रभारी तो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं। माननीय मंत्री महोदय, यह एमजेएसए सैकिण्ड की बात मैं कह रहा हूं 12 जिलों में 806 गांव और बचे हुए 11 जिलों में तो 806 और 22 जिलों में तो इतने गांव कि जिससे 806 मिलाकर 4204 हो जाएं, 3300 गांव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान की आवश्यकता हम बारानी वालों को है या सिंचित क्षेत्र के लोगों को है?

सभापति जी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आपने अभी तक करीब 11 हजार गांव ले लिए हैं, 3500 प्रथम बार, 2900 को तो मैं इग्नोर करता हूं। 3500, 4200, 4200 यह हो गए करीब 11 हजार कुछ गांव। यदि आप 200 विधान सभा क्षेत्रों में 11500 को बांट दें तो संख्या आएगी 57 गांव। रेगिस्तानी क्षेत्रों में 57 गांवों में जो मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान हो जाना चाहिए था, वो कहीं 9 गांव हैं, कहीं 10 गांव हैं, कहीं 11 गांव हैं,

कहीं 12 गांव हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितने भी गांव मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान में लिए जाते हैं, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उसका बराबर का बंटवारा किया जाए, ताकि हर क्षेत्र को मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान का बराबर लाभ मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): महोदय, कन्क्लूड तो करने दें।

श्री सभापति: बहुत हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): चलिए, जैसा आप चाहें। मैं सभापति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य हबीबुर्रहमान जी। माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चौथा दिन चल रहा है। थोड़ी देर पहले कोटा से आने वाले माननीय सदस्य महामहिम के भाषण पर कम बोल रहे थे और अपनी प्रशंसा ज्यादा कर रहे थे। अभी लूणकरणसर से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य ने भी काफी बातें कहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों में आलोचना करने से राजस्थान का भला नहीं होगा।

पीर पर्वत-सी भारी हो गई, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है, मेरा मकसद सुधार करने से है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वैरी गुड। इसके रचनाकार कौन थे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रचनाकार राजेंद्र सिंह राठौड़ ही थे और कौन थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इतनी अच्छी कविता पढ़कर सुनाई, इसके रचयिता कौन थे?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये तो बारहवीं विधान सभा से यही पढ़ते आ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दोनों में से कोई होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान में विकास की बात जब आती है तो जनता की बात कम सोचते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, ये बातें चलती रहती हैं। कभी रावण बैठा, कभी राम बैठा, जनता तो सीता है, उसे तो अग्नि परीक्षा देनी ही है। कौरव बैठें या पांडव बैठें, द्रौपदी का चीरहरण तो होना ही है। यह सारा सिस्टम तो सभी समझ गए 50-67 वर्ष में। ये राजेंद्र जी मेरे साथ देखते-देखते तीसरी बार मंत्री बने हैं और लंबे-चौड़े भाषण देते हैं। कभी पीडब्लूडी पर भाषण देते हैं, कभी शिक्षा में आए, कभी चिकित्सा में आए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): चिकित्सा में आए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): चिकित्सा को छोड़कर अब ये ग्रामीण विकास में आए हैं। अंग्रेज कहते थे न ग्रामों का विकास, उसमें आ गए। अब आप देखिए 67 वर्ष में डॉक्टर का, नर्स का, पटवारी का, अभी तक इन्होंने यह तय नहीं किया कि गांव में रहेगा। शाम को साढ़े 4 बजे और शहर में आए। आप देखिए, 2 परसेंट और 4 परसेंट को भी कोई सरकार बंद नहीं कर पाई। सड़कों के लिए गौरव पथ बना रहे हैं। मैं मानता हूं गौरव पथ एक बहुत अच्छी चीज का नाम है और जो बनाया है, अच्छा ही बनाया है, पर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की हालत देखी आपने? अभी टूट-फूट गए वो। वहां पर डामर पोती जा रही है। जब तक इस देश का भला सोचने का यहां बैठने वाले लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, तब तक इस राजस्थान का भला नहीं हो सकता। पेड़ भी अपनी पत्ती छोड़ता है, जड़ नहीं छोड़ता है। तुम तो जड़ छोड़कर ही भाग जाते हो। एक बार कोई एमएलए बन गया, वह सोचता है कि पीछे किसको छोड़कर आया था, मुझे मालूम नहीं। जिस झोंपड़े में लाइट नहीं है, जिन गांवों में पानी नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, 70 प्रतिशत लोग ऐसे गांवों के इस हाउस में बैठे हैं। उन लोगों का आज तक दिमाग ठीक नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जल स्वावलंबन की बात कर रहे थे। राजेंद्र जी मैं आज आपको प्रैक्टिल बात बता रहा हूं। मैं 1980 में सरपंच भी था और 2017-18 में एमएलए भी हूं। 38 साल से लगातार इस पंचायती राज से जुड़ा हुआ हूं,

(श्री श्रवण कुमार)
लेकिन मैंने देखा है, वसुंधरा जी ने काफी जोर लगाया होगा। जल स्वावलंबन का एक धेले का काम भी गांव में नहीं हुआ है। एक भी तालाब में पानी नहीं है। एक कुंड में पानी नहीं है। अरबों-खरबों रुपए गांव के अंदर खींचकर के जिस......। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सदस्य गांव में जाते भी हैं कि नहीं...।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप तो पागल हो गए, आप बैठ जाओ।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): क्षेत्र में जाकर देखो, जल स्वावलंबन का कितना काम चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वैरी गुड।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक बात सुनिए। जिस झोंपड़े में जन्मा था, उसी झोंपड़े में आज भी रहता हूं और आप लोग शहर में रहते हो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): जल स्वावलंबन का कितना काम हुआ है, झुंझुनूं में जाकर तो देखिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बैठिए, बैठिए, यह ज्ञान कथा नहीं है। बैठिए। यह विधान सभा है। मैं जिस गांव में जन्मा था, जिस झोंपड़े में जन्मा था, उसी झोंपड़े में आज भी आवास करता हूं। शहर में नहीं रहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काश, काश, काश। ऐसी झोंपड़ी सभी के पास हो। जिस झोंपड़ी में आप रहते हो, मैंने जाकर देखा है उस झोंपड़ी को।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप नहीं जाते हो। आप तो हवाई फायर कर रहे हो। हवाई फायर से काम नहीं चलेगा। आज 7-7, 9-9 करोड़ रुपए जल स्वावलंबन के पंचायतों में जा रहे हैं और मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, मजाक में ना लें, यह राजस्थान का बहुत दुर्भाग्य है कि आप हर चीज को मजाक में लेकर देश का विनाश कर रहे हो। विकास नाम की चीज नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): श्रवण जी, मलसीसर कभी गए हैं, कितना पानी आया उसमें बता दें। आपने पचास साल तक कुंभाराम लिफ्ट ली, पानी कितना आ गया उसमें, बता दें जरा। खेतड़ी में आपके भी जा रहा है। सब जगह पानी आपने पहुंचा दिया। कभी मलसीसर जाकर देखना रिजर वायर आपके भरे पड़े हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप थोड़ी देर में बता देना मुझे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप तो अभी नए-नए आए हो, दो बार आ गए होंगे। मैं 1980 से पंचायती राज से जुड़ा रहा हूं। ये खेतड़ी के एमएलए बैठे हैं, पूरे पांच साल में अभी तक दो गांवों में पानी आया है। बताना जी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): दो गांवों में आया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो गांवों में आया है। कहां बात कर रहे हो आप। आप हमारे प्रभारी मंत्री हो। कभी जाते हो? चाय-नाश्ता करके शाम को वापस आ जाते हो। आपको क्या मालूम? गांव की झोंपड़ियों में तो हम रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई एमएलए खड़ा होकर कहे कि जिस तालाब को हमने बनाया था, उसमें आज पानी भरा हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): इधर देखो इधर। साथ में चलो। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसका पानी भरा हुआ है? बरसात का है क्या? आप तो एक बात सुनो। यह मैं पार्टी से हटकर के बात कर रहा हूं। हाथ नीचे कर लो। ...(व्यवधान)... आपको संसदीय सचिव बना दिया, आपको तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि पानी नहीं है और आपको अचंभा होगा कि आज से 20 दिन पहले विद्याधर नगर में एक बनिये के दो बच्चे- दो लड़कियां और एक बाप जल गए थे और शोक सभा में बैठे उसके ताऊ ने क्या कहा, कि मुझे बड़े दुःख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एंबुलेंस आई उसमें गैस नहीं थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आई उसमें पानी नहीं था।

(15.00 बजे)

इससे बड़ी डूब कर मरने वाली बात कोई और हो नहीं सकती। वहां पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत बैठे थे और परनामीजी भी बैठे

(श्री श्रवण कुमार)

हुए थे। ...(व्यवधान)... हमने नहीं कहा। उसके ताऊ ने कहा था, जो लड़के जल कर मर गये। उस शोक सभा में लोग बैठे थे एक हजार से ज्यादा। उन्होंने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार की यह हालत है कि जो एम्बुलेंस आयी थी, उसमें गैस सिलेण्डर नहीं था ऑक्सीजन का, और जो फायर बिग्रेड की गाड़ी आयी थी, उसके अन्दर पानी नहीं था। आप देखिए राजधानी में आग लग गयी और गाड़ी बार-बार घूम रही है, पिन नहीं लगी और वह जलकर राख हो गये। प्रभुलालजी, आप बताइये जिसके पांच मौतें एक साथ, चार बच्चे और एक बाप जल जाएं, उस घर में क्या बचेगा? घर स्वाहा हो गया और एम्बुलेंस में गैस का सिलेण्डर नहीं था। यह बड़े शर्म की बात है। हंसने वाली बात नहीं है। जिस घर में मातम छाया हुआ था उसके ताऊ ने यह बात शोक सभा में खड़े होकर कही हैं कि मुझे खेद और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एम्बुलैंस आयी थी उसमें गैस का सिलेण्डर नहीं था।

कितना बड़ा एसएमएस हास्पिटल है और उसमें एम्बुलैंस है। गैस का सिलेण्डर नहीं था, 67 साल हो गये। पूरे देश का लवाजमा एसएमएस में आता है। आपने कभी सोचा था कि एक एसएमएस उदयपुर में बना दें, एक एसएमएस सीकर में बना दें, एक एसएमएस कोटा में बना दें। सारे लोग जयपुर में आते है, कोटा के लोग भी जयपुर में आते हैं, उदयपुर के लोग भी जयपुर में आते हैं और हरियाणा के लोग भी जयपुर में आते हैं, 67 साल में किया क्या? कभी कांग्रेस आ गयी, फिर बीजेपी आ गयी, कभी बहुजन आ गयी। यह आप लोगों ने गेम बना रखा है। जनता के साथ क्या कर रखा है? यह देश के साथ धोखा हो रहा है, 15 दिन पहले कोर्ट से यह आदेश आया है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो नाम लिखवा रखा था, वह हटा दीजिए। आपने हल्का काम क्यों किया? राजीव गांधी के नाम से मकान क्या भारी हो रहा था, क्यों करते हो हल्के का? आपने किया फिर मुंह की खानी पड़ी और वापस उसको राजीव गांधी लिखना पड़ा।

(श्री श्रवण कुमार)

कल प्रधान मंत्रीजी क्या कह रहे थे कि नेहरूजी को प्रधान मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बनाना चाहिए था? क्या तकलीफ हो गयी? उस समय अटल बिहारीजी थे क्या? वह उस समय की परिस्थितियां थीं, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसने क्या किया। पर मैं इतना कह सकता हूं, आज पानी की बात करते हैं। मंत्रीजी, एक बात बताना, कभी कोई मंत्री बनता है, कभी कोई मंत्री बनता है, मैं लांछन नहीं लगाता हूं। आप एक जिले के लिए कह सकते हो खड़े होकर कि वहां पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपकी योजनाएं केवल पांच वर्ष की होती है। पच्चीस साल की योजना बना कर चलना चाहिए। चाहे सड़क की हो, चाहे कृषि की हो, चाहे पानी की हो। पांच साल में क्या करते हैं, कुछ कमीशन ठेकेदार ले लेते हैं, कुछ कोई ले लेता है और पाँच साल की योजना पूरी हो जाती है। काम होता नहीं है।

यही कृषि का हाल है। आज हम कर्जे के लिए रो रहे हैं। कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। आपने 67 सालों में ऐसा देश बना दिया। अगर चाहते तो कर्जा मुक्त हो जाता देश। ऐसा काम करना चाहिए था। क्या किया? कोई योजना नहीं है आपके पास। केवल मात्र भाषण करना और मेज थप-थपाकर मुख्य मंत्रीजी को खुश कर देंगे और हम उधर बैठे रहेंगे। ...(व्यवधान)... मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं। मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो भी बैठा है, देश की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, 25 साल की योजना बनाते, सड़कें बनाते। कल बनाई और परसों टूट गयी। क्यों टूट गयी? मैं कहता हूं कि क्वालिटी और क्वान्टिटी को ध्यान में रख कर सड़क बनायी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमेन्ट की सड़क 30 साल तक नहीं टूटेगी और डामर की सड़क दस साल तक नहीं टूटेगी। आज डामर की सड़क बनायी है, अगर बरसात हो गयी तो वह सैकिण्ड बरसात में साफ हो जाएगी। जेईएन का दो परसेंट, एक्सईएन का चार परसेंट, एसई का छः परसेंट, चीफ इंजिनियर का तीन परसेंट बन्द किया क्या? कभी सोचा क्या दिमाग में? आज भी आपकी नाक के नीचे आपके अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं और आप नाक नीचे करके उसको देख रहे हो और बड़े आराम से सो रहे हो। हमने नहीं किया। जिसने चालू किया देश को छोड़ गया होगा, पर आपने बन्द करने की हिम्मत की

क्या? आपको 163 का मेन्डेट दिया था, क्या किया आपने? लोगों को लूटने के लिए दिया गया था क्या? 153 कांग्रेस वाले आये थे। ये भी भाषण देते थे, यह करेंगे, वह करेंगे। वह चले गये, 53 बच गये। तुम भी 23 बच जाओगे, ध्यान रखना। यह जनता है, फैसला करती है। हमें तो कोई मंत्री बनना नहीं है, 38 साल हो गयी और पाँच साल निकाल देंगे, दस साल निकाल देंगे लेकिन राजेन्द्र जी, आपको बगैर मंत्री पद नींद नहीं आती है। आपको एक बार छः महीने लेट कर दिया था तो आपकी नींद हराम हो गयी थी। रात को उठ-उठ कर कहते थे कि गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी में गर्मी लगने लग गयी थी इनको। हमें नहीं लगती है, हम तो आदत से लाचार हैं, हम तो वही सिपाही के सिपाही ही रहने हैं।

माननीय मंत्रीजी, आप देखिए। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में लोग आर ओ का पानी नहीं पीना चाहते हैं। हम आर ओ का पानी पीना चाहते हैं। आप हमें आर ओ क्यों नहीं देते हैं? आपने पचास साल, साठ साल में चम्बल नदी को बनास नदी से जोड़ा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री नहीं हैं आज, उनका सोच था कि नदियों को जोड़ कर पानी की प्यास बुझा देंगे। वह आज प्रधान मंत्री नहीं हैं। जिन्दे तो हैं पर प्रधान मंत्री नहीं हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने चम्बल नदी से जोड़ा क्या? दस जिलों को पानी की पूर्ति हो जाती। आज एक बात पर बैठे हैं कि नहर का पानी पीएंगे। राजीव गांधी भवन बनाये, उन पर अटल बिहारी वाजपयी लिख दिया। अब इन्दिरा गांधी नहर पर क्या लिखना चाहते हो? आपका तो एक ही ध्यान है मोदी, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी की धर्मपत्नी का एक्सीडेंट हो गया कल, मालूम है क्या आपको? +++ मेरी बीबी थी, मेरा नाम लिया था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्रवणजी, मर्यादाओं में रह कर बात करें प्लीज। अपना जो विषय है उससे सम्बन्धित ही बात करें। मेरा निवेदन है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): थोड़ी देर पहले कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था तब तो नहीं बोला आपने। मैंने तभी बोला है। थोड़ी देर पहले कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या बोला था? तब क्यों नहीं बोला आपने?

श्री सभापति: सबके लिए है। अपना जो विषय है, उसी पर रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि देश के प्रधान मंत्री को इंगित करके इन्होंने कुछ कहा है, उसको एक्सपंज कराइये।

श्री सभापति: एक्सपंज कर दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनो, सोनिया गांधी को बोलते हो, हमारी प्रधान मंत्री मानते हैं हम तो, बनीं नहीं होगी लेकिन प्रधान मंत्री मानते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो किसी को प्रधान मंत्री मान लोगे, देश मान लेगा क्या? आप तो अपनी काकी को प्रधान मंत्री मान लोगे, देश मान लेगा क्या? ये कह रहे हैं सोनिया गांधी को मैं प्रधान मंत्री मानता हूं। कौन मान लेगा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसको मान लेंगे? मनमोहन सिंह तो प्रधान मंत्री था। क्यों, क्या हो गया? उसकी बीबी का एक्सीडेंट नहीं हुआ क्या?

बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी को लेकर हा-हाकार मचा हुआ है। आपने जब गांव में सुराज संकल्प यात्रा निकाली थी और गांव गांव में जब गये थे तो क्या कहा था? 15 लाख व्यक्तियों को नौकरी देंगे और झूठ बोलने से रुक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि 13 लाख को दे दी। आपने 01 लाख 77 हजार के आंकड़े तो सही हैं आपके, बाकी 13 लाख कहां गये?

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी झुन्झुनूं गये थे जनता के सामने रूबरू होने के लिए। तो सबको क्या कहा मालूम है? ब्राह्मण आओ, हरिजन आओ, जाट आओ, राजपूत आओ, रावणा राजपूत आओ। एक मुख्य मंत्री जाति और धर्म की बातें करें, मुझे तो शर्म आयी। यह बात तो कर सकती थी कि बूढ़े आओ, जवान आओ, माता और बहिनें आओ, यह बात तो कहना उचित था। शिक्षक आओ, बेरोजगार आओ लेकिन जाति और धर्म की बात करने के लिए आप खुद ही बाध्य नहीं हो। आप खुद ही कहते हो कि धर्म और जाति की बात नहीं करनी चाहिए। जातिवाद की बात करके पूरे के पूरे झुन्झुनूं जिले में, जहां भी गये वहां एक ही बात कही कि राजपूत आओ

(श्री श्रवण कुमार)
और वही लोग आओ, जिनका पास बन गया। मुख्य मंत्री जैसे पद का महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर यह कहे कि जो पास बन गया, वही आयेगा। हम जायें तो प्रधान मंत्री से मिल नहीं सकते, पर मुख्य मंत्री तो स्वयं गांवों में मिलने गयी और उसके बाद जाति और धर्म की बात आयी तो इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी?

सभापति महोदय, ज्यादा बात नहीं बोलूंगा लेकिन इनको बताऊं तो सही ये क्या कर रहे हैं। आप लोगों की करतूत ठीक नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि नवम्बर में चुनाव होंगे, दिसम्बर में राजेन्द्रजी, हो सकता ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाए वर्ना रुकेगी नहीं। ...(व्यवधान)... मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि काम नहीं किया, आने वाले से प्यार से बात नहीं की। राजनीति में कभी नहीं चलता है कि कांग्रेस में, बीजेपी में या बहुजन में है। जो वास्तव में अच्छी बात करता है, समाज के लिए करता है, गांव के लिए करता है, उस सोच के लिए पॉजिटिव बात आनी चाहिए।

पंचायत समितियों में बी.डी.ओ. नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, एस.डी.एम. कोर्ट में एस.डी.एम. नहीं, गांव में पटवारी नहीं, ग्राम सेवक नहीं, तो यह राज किस पर कर रहे हो, दीवारों पर कर रहे हो क्या? किस पर कर रहे हो? मेरे सूरजगढ़ में चार साल में बी.डी.ओ. नहीं है, एस.डी.एम. नहीं है, पटवारी नहीं है, किस पर राज कर रहे हो? तहसीलदार आया है, तहसीलदार बाट देखबो करै है, कद बीस रुपया मिलै और सब्जी ल्याऊं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया यह हम लोगों को ही नहीं, आप लोगों को भी दुःखी करेगा और समाज को सबसे ज्यादा अखर रहा है।

तो मैं यह कह रहा हूं कि एक-एक पटवारी के पास चार-चार तहसीलें हैं, पंचायतें हैं और पटवारी जा ही नहीं सकता, प्रमाण पत्र दे ही नहीं सकता। यह हालत है, गांव के बच्चे उसके पीछे-पीछे घूमते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपको मालूम है हमने जो 4400 लोगों को भर्ती किया है, ट्रेनिंग हमने 9 महीने से 6 महीने कर दी है और अब हमने कलेक्टर्स को आदेश दे दिया, तीन-चार महीने उनको फील्ड के

(श्री अमराराम)

अन्दर भेज दिया जाए। आपके यहां नहीं भेजा है तो वो कोई बात नहीं लेकिन हमने सब कलेक्टर्स कोहिदायत कर दी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): चार साल बाद में आपकी नींद कैसे खुली? यह कमियां तो पहले से ही चल ही रही थीं, कांग्रेस के टाइम में भी चल रही थी पर हमने 163 का मेन्डेट इसलिए दिया था कि आप लोग कुछ सोचोगे, करोगे। चार बाद में भी पटवारी ट्रेनिंग लेगा, कब काम करेगा? नवम्बर में चुनाव आ जाएंगे, आपकी ट्रेन तो जाने वाली है। क्योंकि टिकट कट चुकी है, अभी तो जाने में देरी कहां है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): पहले आपने भर्ती किये उसी के कारण से और हाई कोर्ट में अटकते रहे, करते रहे तो इसी का, हमारा क्या दोष है? हमारा कोई दोष नहीं है, हमने तो भर्ती की है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने सारे के सारे कोर्ट में फंसा कर छोड़ दिया। आपने गुर्जरों को आरक्षण के लिए तीन बार तो यहां विधान सभा में सर्व सम्मति से भेज दिया और गुर्जरों को पांच परसेंट आरक्षण दे रहे थे, चार परसेंट, आज तक तो दिया नहीं, 60 आदमी आरक्षण के चक्कर में उनके मार दिये। उनकी बहनें रो रही थीं, बेटा रो रहा था, भाई रो रहा था और आज तक आपने उसको दिया नहीं। उस चक्कर में आपने सारी वेकेंसीज बंद कर दीं। मास्टरों के लिए स्कूल खाली पड़ी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कमरे बनाएंगे, किसके बना रहे हो कमरे, पी.पी.पी. मोड पर दे दिया। राजस्थान सरकार की सम्पत्ति उन लोगों को दे दी जो लोग लूट कर खा रहे थे और फिर पी.पी.पी. मोड पर दे दिया। सारे राजस्थान की सम्पत्ति को आपने छिन्न भिन्न कर दिया। क्या देश को लूटने के लिए आये हो या कुछ राज करने के लिए आये हो? शिक्षा का भट्टा बैठा दिया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने तो 70 साल तक लूट लिया, हम तो बचा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या बचा रहे हो? कपड़े तो नहीं बचा पाओगे लोगों के सामने जब जाओगे न नवम्बर में।

श्री सभापति: श्री श्रवण जी, इधर आसन को सम्बोधित करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान की चुनावों की प्रक्रिया आएगी, नवम्बर में जाओगे तो किस को बचाओगे? कपड़े भी नहीं बचा पाओगे, वो भी साथ ड्रेस लेकर जानी पड़ेगी। यह हालत कर दी आपने।

शिक्षा के नाम पर जीरो कर दिया। पानी के नाम पर अभी तय ही नहीं कर पाये कि किसको पिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे। जे.ईएन. नहीं है, ए.ईएन. नहीं है, यह हालत इनकी बिजली बोर्ड की और पानी की है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बिजली बोर्ड में आज आपने एक बहुत बड़ा स्कैण्डल तैयार कर रखा है। गांव-गांव में, गली-गली में वीसीआर भर कर लाओ। जाओ, वीसीआर लेकर आओ। जो वीसीआर नहीं लेकर आये उसकी तनख्वाह बंद करेंगे। गांवों की हालत यह कर दी, गरीब आदमी रो रहा है, बोल नहीं रहा है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं आपकी सरकार आठ महीने की है, होश में आओ, हो सकता है आपकी दस-बीस सीटें और आ जाएं तो आपकी इज्जत बच जाएगी वर्ना बेइज्जती होने वाली है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हबीबुर्रहमान जी।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कुशल और सक्षम नेतृत्व में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उनका निर्माण और क्रियान्वयन बहुत अच्छा हुआ है, पूरे देश भर में राजस्थान को विशिष्ट स्थान मिला है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना से गांवों को, राजस्थान को कुछ फायदा नहीं हुआ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां-जहां भी जिस पंचायत में मुख्य मंत्री जल

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

स्वावलम्बन योजना का काम हुआ है वहां पर पानी का लेवल बढ़ा है, किसानों के ट्यूबवैल में जो पानी नीचे आ रहा था वो पानी और ऊपर आया है और जो नाड़ियां थीं, जो तालाब थे वो इतने सुन्दर हो गये हैं, उनकी बाउंड्रियां बनी हैं, वहां पर्यावरण की दृष्टि से पेड़-पौधे लगे हैं। तो यह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का हमारी पंचायत में, मेरे क्षेत्र में जो काम हुआ है वो बहुत बड़ा काम हुआ है, इससे किसानों को और गांव वालों को बहुत फायदा हुआ है।

हमारे नागौर क्षेत्र में भी मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का जो बावड़ियों का काम किया था, मेरे भी नागौर की एक बावड़ी थी उसमें भी बावड़ी को बहुत अच्छा सुन्दर कर के और उसमें पानी का लेवल बढ़ाया गया है और जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थीं उनमें मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में पानी जमा करने के बड़े-बड़े टैंक बनाये गये हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्री, युनुस खान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में उन्होंने चाहे टीएफएफ योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण गौरव पथ हो, नगरीय गौरव पथ हो, नोन पेचेबल हो, मिसिंग लिंक हो और हमारे विधायक और एम.पी. क्षेत्र के जो काम हैं उन कामों में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और पूरे क्षेत्र में 8985 लाख का काम हुआ है।

तो मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नागौर विधान सभा में कोई ऐसी सड़क नहीं रही है जिसका पेचिंग का काम नहीं हुआ, सभी 30 पंचायतों में गौरव पथ बन गया है। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी सड़कें आयी थीं उनका आज तक पूरा काम हो गया है।

मेरे नागौर नगर परिषद को जो अमृत योजना में लिया है, मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी को, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नागौर को अमृत सिटी में लेकर वहां का जो सीवरेज का 40 परसेंट काम था, वो अभी स्वीकृत किया है, वो काम चालू है। पानी की पाइप लाइनें 50 करोड़ देकर अभी नई बन रही हैं और शहरी क्षेत्र के जो गौरव पथ दिये थे, उनका भी काम लगभग पूरा हो चुका है। हमारा इन्दिरा गांधी नहर का पहला चरण जिसमें मेरे नागौर का पूरा कस्बा, मूंडवा, बासनी और 86 गांवों को पूरा लाभान्वित किया जा चुका है।

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

इसके अलावा जो बड़े-बड़े गांव हैं, मूंडवा है, बासनी है, गोगेलाव है उनमें सभी में नई पाइप लाइन जो छह करोड़ देकर बदली जा रही है और अलाई की 17 ढाणियां हैं, उनमें 1 करोड़ 37 लाख मन्जूर करके उन ढाणियों को जोड़ा जा रहा है, 40 जनता जल योजनाओं को नये पम्प और सामान लागू कर के चालू किया गया है और एक करोड़ की राशि खर्च करके दो सालों में महानरेगा में 15 नलकूप, 25 हैण्डपम्प और एक करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 आर.ओ. प्लांट लगाये हैं जिससे जहां पर खारा पानी था उसको सही करके आज गांव के लोगों को आर.ओ. प्लांट से पानी मिल रहा है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं जो सीवरेज का अभी अमृत योजना में 135 करोड़ रुपये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं, उनमें सीवरेज का काम, वाटर सप्लाई का काम, स्पेशल पार्क का काम जिसमें पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे, अरबन ट्रांसपोर्ट एरिया का है उसमें दस करोड़ रुपये खर्च होंगे और रुडीप द्वारा जो बाकी 40 परसेंट सीवरेज रह गयी थी, उस पर 60 करोड़ रुपये का जो बाकी का काम किया है। अभी पिछले महीने रुडसिंको द्वारा मेरे नागौर सिटी में सड़कें दी हैं जो अगले दो महीने में बन कर उनको पूरा किया जाएगा।

मेरे नागौर में पूरा 89 पर 250 करोड़ रुपये देकर रिंग रोड़ बन रहा है उसका भी करीब-करीब 75 परसेंट काम हो गया है और आर.ओ.बी. का काम भी 30 परसेंट हो गया है जो 25 करोड़ रुपये देकर चालू किया गया है।

मेरे करीब-करीब 1500 करोड़ के काम चले हैं, मैं मुख्य मंत्री को और माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे जितनी भी सेन्टर की भी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मेरी पंचायत सेवड़ी है, पूरे हिन्दुस्तान में फर्स्ट है, जिन्होंने मॉडल बना कर घर बनाया है और प्रधान मंत्रीजी ने उस सरपंच को, जिसका घर बना, उसको बुला कर एक सर्टिफिकेट दिया है। तो जो प्रधान मंत्री आवास योजना है उसका चाहे फर्स्ट फेज हो, उसका पूरा काम हो गया और सैकिण्ड फेज का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैं प्रधान मंत्रीजी को भी, मुख्य मंत्रीजी को भी और सभी मंत्रियों को और कालीचरण जी को मैं बधाई

देना चाहता हूं हमारा जे.एल.एन. हास्पिटल भामाशाह योजना में फर्स्ट आया, आपने उसको भी इनाम दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): तो मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देते हुए जितना भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी का अच्छा काम कहते हुए मैं सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हनुमान जी बेनीवाल। कृपया समय की मर्यादा का खयाल करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूगा कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

पिछले तीन दिन से और आज यह चौथा दिन है, पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के भाषण सुने और हर कोई चिंता कर रहा है कि राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं पिछली बार जब वोट मांगने के लिए 2008 के अन्दर गये थे तो सबसे महत्वपूर्ण हो बात थी कि प्रदेश के किसान को मजबूत करेंगे, जवान को रोजगार के साधन देंगे और राजस्थान को विकसित राज्य सुराज यहां राजस्थान के अन्दर लाएंगे, लेकिन सवा चार साल के अन्दर सभापति महोदय, किसान के कर्ज माफी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पिछले 17 साल के अन्दर दिल्ली में धन्ना सेठों का दोनों सरकारों ने 17 साल लगातार तीन लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार भी किसानों का 82 हजार करोड़ का सम्पूर्ण कर्जा माफ करें, ताकि किसानों को राहत मिले।

सभापति महोदय, खाली रिसर्जेन्ट राजस्थान के नाम पर बड़े-बड़े आयोजन करके, चाहे 2003 से 2008 के दौरान या इस बार रिसर्जेन्ट राजस्थान तो आपने किया और खूब एम.ओ.यू. किये, लेकिन यहां बाद में कोई निवेश किसी तरह का नहीं हुआ। एक उद्योगपति मुझे मिल गया था

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उस समय, कहीं बैठा था तो मैंने कहा आप कैसे आये यहां पर, पैसा लगाओगे तो उसने कहां मैं तो पिकनिक मनाने आया हूं, मेरा दिमाग खराब है यहां पैसा लगाऊंगा। यहां तो अपराध इतना बढ़ गया कि जो राजस्थान अपराध में 21 वें नम्बर पर था वह 1 नम्बर पर आया। मैं तो सैर-सपाटे के लिए राजस्थान के अन्दर आया हूं।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग रहेगी की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली के यहां पर पेंडिंग पड़ी है। प्रधान मंत्रीजी जब रिप्लाई दें या जो भी इनका उसमें है तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करें। खरीफ की फसल को बाजार मूल्य से डेढ़ गुना खरीदने की बात जरूर अभी बजट के अन्दर कही थी, लेकिन खरीफ की फसल के साथ-साथ, रबी की फसल भी दुगुनी कीमत पर जिस तरह जापान, अमरीका के अन्दर 100 रुपये खर्च करने पर 200-300 रुपये मिलते हैं। यहां भी किसान तभी मजबूत होगा जब बाजार मूल्य से उसको दुगुनी कीमत उसकी मिलेगी। मैं सरकार से मांग करूंगा कि किसानों का कर्जा माफ करें, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के बाद, अगर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं बढ़ी हैं तो राजस्थान के अन्दर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं, जवानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं।

सभापति महोदय, समर्थन मूल्य पर जहां तक खरीद का मामला है, यहां समर्थन मूल्य पर खरीद होती है अभी मूंग की खरीद हुई समर्थन मूल्य पर और मूंग की खरीद के अन्दर भारी भ्रष्टाचार हुआ। सर्वेयर, चाहे जिस माल को रिजेक्ट कर रहा था और 100 रुपये बोरी के दे दो, उसको पास कर रहा था। मेरी इसके अन्दर यह मांग है कि समर्थन मूल्य पर भी खरीद, अगर कोई व्यक्ति टोकन लेकर जाए और मण्डी के अन्दर उसका 4 दिन नम्बर नहीं आये तो वह कहां पर अपनी व्यवस्था करेगा, गांव का आदमी है, उसको रूकना भी पड़ता है। शहर के अन्दर तो हमारी मण्डी में भी लम्बी-लम्बी 3-3 किलोमीटर लाइनें लगी थीं। तो मैं सरकार से मांग करुंगा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह मध्य प्रदेश के अन्दर समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए एक सिस्टम बना रखा है कि किसान कहीं पर भी अपना माल बेच दे और जो समर्थन मूल्य है, वह विक्रय पर्ची वहां बता दें, उसके

(श्री हनुमान बेनीवाल)

खाते के अन्दर सीधे पैसा चला जाएगा। उसको मण्डी में आने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के अन्दर यहां की सरकार लागू करें।

सभापति महोदय, आज इस तरह भ्रष्टाचार हुआ, पहले तो समर्थन मूल्य पर खरीद कम कीमत पर हुई। मेरी मांग है कि दुगुनी कीमत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे ताकि किसानों को राहत मिले। रोजगार के मामले के अन्दर 15 लाख रोजगार देने की बात सरकार ने की थी लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब 2 साल पहले मैं अभिभाषण पर बोल रहा था तो आपके इधर से खड़े होकर एक जना बोल रहा था कि हमने नरेगा में 15 लाख लोगों को मजदूरी लगा दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा साहब। चाहे जैसे हम बोलें, चाहे जैसे करें, आखिर प्रदेश के युवाओं ने और देश के युवाओं ने नरेन्द्र मोदी जी को भी पी.एम. के पद पर बैठाया और अगर वसुन्धरा जी को भी लेकर आये है तो वापिस भेजने का काम भी ये रास्ता दिखा देंगे और युवाओं ने जिस हिसाब से राजस्थान के अन्दर करवट ली हैं और युवा जिस तरह यहां परिवर्तन चाहता है, 70 साल की व्यवस्था के खिलाफ राजस्थान का जवान जाग गया है और 70 साल की व्यवस्था को राजस्थान का जवान बदलना चाहता है। 2018 के अन्दर सभापति महोदय, ज्यादा खुश होने के आवश्यकता किसी को नहीं है, इस बार नया धमाका राजस्थान के अन्दर होगा। जिस तरह अन्य राज्यों के अन्दर क्षेत्रीय पार्टियां और थर्ड फ्रन्ट बने हैं, राजस्थान के अन्दर भी जब तक तीसरा कोई विकल्प नहीं आएगा, तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करुंगा कि जो 4 लाख खाली पद हैं, वे 4 लाख खाली पद सरकार भरे और जब तक नौकरियां नहीं लगती, तब तक 10 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में किसान के बेटों को मिले। यह मेरी मांग रहेगी और एक मांग यह भी रहेगी कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के जो आपका निगम लोन देता है, अनुसूचित जाति का, उसके अन्दर लोन इतने ड्यू हो गये, पैंडिंग हो गये, सभापति महोदय, उन लोन को भी किसान के कर्ज के साथ माफ करें, ताकि उन लोगों को भी राहत मिले।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अभी एक आंकड़ा आप खुद ही कह रहे हो कि 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 2 लाख 21 हजार 742 युवाओं को आपने प्रशिक्षित करने की बात कही है, इतने ही प्रशिक्षित किये और ऊपर लिख दिया कि 11 लाख 47 हजार 697 युवाओं को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे दिया। जब आपने उनको तैयार ही नहीं किया तो रोजगार कहां दे दिया, नौकरियां जरूर 35-36 हजार आपने लगाई होगी, लेकिन 4 लाख पद आज भी खाली हैं। मैं मांग करुंगा 4 लाख खाली पद भरे जाएं और राजस्थान का जवान आज बेरोजगारी से तंग आकर सभापति महोदय, गैंगवार की घटनाएं पहले नहीं होती थी राजस्थान के अन्दर लेकिन जवानों के पास कोई काम नहीं है। बेरोजगारी से तंग आकर या तो हाथ में बदूंक उठा कर अपराध की दुनिया में जा रहे हैं या फिर फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। सबसे ज्यादा जवानों ने राजस्थान के अन्दर आत्महत्याएं कीं। सबसे ज्यादा छात्र राजस्थान के अन्दर आत्महत्याएं कर रहे हैं तो मेरी मांग रहेगी कि जवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन सृजित करें। मुख्यमंत्री जब बजट लेकर आएं तो कम से कम 3-4 लाख नौकरियां, आप अभी भी चाहो तो आपका आर.पी.एस.सी है, दूसरी ऐसी एजेन्सी हैं, जिनसे आप एक्जाम करवाकर चुनाव से पहले चुनाव में जाने लायक रह सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, हम तो आपको चेता सकते हैं, जो परिणाम अभी उप चुनाव के अन्दर आया, आपने देख लिए, सारे दाव पेंच खेलने के बाद भी जनता ने अपने आप जाकर बिना संघर्ष के ही वोट दे दिया और आप हार गये, बिना संघर्ष वालों को, समझ रहे हो सारी बात।

अभी रिफानरी का बहुत बड़ा हल्ला हुआ राजस्थान के अन्दर। कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी का पत्थर लगाया, वह पत्थर चोरी हो गया वहां से, एफआईआर हुई थाने के अन्दर, वह पत्थर हीं नहीं मिला। अब आपने लगा दिया। आपने कहा 40 हजार करोड़ का हमने एम.ओ.यू. में लागत कम हुई है तो आप यह बताओ जब 40 हजार करोड़ की लागत पहले एम.ओ.यू. के अन्दर ज्यादा थी तो पहले एम.ओ.यू. करने वाले वे अधिकारी कौन थे, जिन्होंने 40 हजार करोड़ ज्यादा का वो कर दिया? उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, बाड़मेर जहां पर 27 प्रतिशत तेल निकल रहा है, इस तरह बाड़मेर के साथ अगर राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण बाड़मेर के युवाओं को नौकरी नहीं मिली, राजस्थान के युवाओं को नौकरी नहीं मिली, अगर यह रिफाइनरी 7-8 साल पहले सभापति महोदय, लग जाती तो निश्चित रूप से राजस्थान के लाखों जवानों को रोजगार मिलता, बाड़मेर के अन्दर उन्नति होती, लेकिन राजनीति की भेंट, आप भी श्रेय लेना चाहते थे, ये भी श्रेय लेना चाहते हैं, रिफाइनरी राजनीति की भेंट चढ़ गई, अब आपने उद्घाटन कर दिया। 2022 के अन्दर हम यह करेंगे, 2022 में पता नहीं कौन रहेगा, नहीं रहेगा। भविष्य किसने देखा सभापति महोदय, तो मेरी यह भी मांग रहेगी कि इसके अन्दर जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता जो घोषणाएं वहां हुई हैं वे पूरी होंगी।

सभापति महोदय, लोकायुक्त कानून के संबंध में देश में बड़े आंदोलन हुए और लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर दिल्ली के अन्दर एक अकेला व्यक्ति सरकार बना गया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घर बिठा दिया। राजस्थान के अन्दर भी 28.02.2014 को मौजूदा लोकायुक्त कानून व उप-लोकायुक्त कानून, 1973 की संख्या 9 अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर सशक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए राज सरकार द्वारा महाधिवक्ता लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जो एक साल के अन्दर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कार्यवाही नहीं।

सभापति महोदय, मिली भगत का आलम यह है कि 01.01.2015 को लोकायुक्त ने पिछली सरकार 8 से 13 के करीबी ओम मैटल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने व सी.बी.आई. या ए.सी.बी. से जांच करवाने के लिए निर्देश दिये, जबकि यह निर्देश स्वयं मुख्य मंत्री को दिया गया है। आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक निजी व्यक्ति को रीको का डायरेक्टर बनाने व रीको की जमीन फर्जी बेचान करने के संबंध में जांच कराने पर लोकायुक्त ने निर्देश दिया था। सभापति महोदय, अगर लोकायुक्त के निर्देश को नहीं माना जाए, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती और वो भी पूर्ववर्ती सरकार का घोटाला है तो तुरन्त आपको करना चाहिए। फिर आप

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कहते हो न हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं मांग करता हूं कि उत्तराखण्ड की तर्ज पर मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अन्दर बने और उसको सीधे कार्यवाही करने का अधिकार हो।

दो मिनट, सभापति महोदय, सड़क के मामले में पिछले एन.एच.ए.आई. के राजस्थान में केवल 20 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश में 676 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। इससे राज्य का प्रगति स्तर साफ हो जाता है। गौरव पथ के नाम पर आपने गौरव पथ बनाये लेकिन विपक्ष के जो भी विधायक थे, उनके कहने से गौरव पथ नहीं बनाये, हमें तो हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर के छोटी-छोटी मिली होंगी, फिर भी हमारे कहने से गौरव पथ नहीं बने। इसमें आपको बड़ा मन रखना चाहिए था। पूर्ववर्ती सरकार ने भाजपा के 80 विधायक होते हुए भी, सभी को मिसिंग लिंक सड़कें और धार्मिक सड़कें दी थीं लेकिन इसके अन्दर आपने मन छोटा रखा और जानबूझकर विपक्ष के जितने भी विधायक थे उनको रोका। निर्दलीयों में भी, जो आपके साथ खड़े थे, उनको तो आपने चाहे जैसी सड़कें दे दी और जो हमारे जैसे जो राजस्थान को बचाने के लिए निकले हैं, इनको आपने रोक दिया तो मैं यह भी मांग करुंगा कि इस तरह की द्वेषतापूर्वक कार्यवाही सरकार को नहीं करनी चाहिए। खींवसर क्षेत्र के अन्दर तो पूरा भेदभाव किया गया क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह आप लोग रखते हों, तो पूरा ध्यान भी मेरा रख रहे हो। सभापति महोदय, मैं 2-3 मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: आपके बताये हुए टाइम से ऊपर हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2 मिनट, फिर मैं आराम से बैठूंगा। 2-3 मिनट दे दो मुझे, नहीं तो मैं खड़ा होऊंगा बीच में। सरकार ने भ्रष्टाचार एवं निक्कमेपन के कीर्तिमान स्थापित किए। सरकार के शुरुआत में बजरी माफिया ने नैटवर्क स्थापित किया। बजरी माफिया ने समानांतर सरकार चलाई। कोई किसान अपने खेत में बजरी निकालता है तो आपने कानून ही बना दिया कि अगर ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई तो 27 हजार उस पर जुर्माना होगा, अगर ट्रक पकड़ा गया तो सवा लाख का जुर्माना होगा। बजरी माफिया इतने हिम्मत वाले हो गए कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन करे तो उनके ऊपर झूठे मुक़दमे राजस्थान के अंदर दर्ज हो गए। बजरी माफिया कह रहा

(श्री हनुमान बेनीवाल)
है कि सीमेंट के कट्टों की भांति बजरी के भी कट्टे बनाकर के हम बेचें राजस्थान में। इससे ज्यादा नकारा कुछ नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, खान घोटाले के अंदर अशोक सिंघवी, एसीएस, पहली बार कोई एसीएस राजस्थान में पकड़ा गया था। सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस एसीएस को इतने टाइम जेल के अंदर रहने के बावजूद भी वापस छुड़वा भी दिया और अच्छी पोस्ट भी दे दी। यह भ्रष्टाचार का आलम है। हम यह चाहते हैं कि इनकी सीबीआई या कोई उच्च स्तरीय जांच होती तो ज्यादा बढ़िया रहता।

सभापति महोदय, वंडर सीमेंट को सरकार अभी भी बिना नीलामी के ब्लॉक देकर फायदा पहुंचा रही है। नागौर में अंबुजा को जमीन दे दी। उसने लैंड बैंक बना दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। आज भी वह उसको आगे से आगे बेचता जा रहा है जबकि किसान तकलीफ में है।

पीएचईडी घोटाला, एसपीएमएल घोटाले की गूंज विधान सभा के अंदर रही। आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। मंत्री जी को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। एसीबी की कॉल रिकार्ड में आया। फिर भी जांच नहीं हुई।

सभापति महोदय, एनएचएम घोटाले में केवल एक आईएएस की गिरफ्तारी की। पीएमटी का एग्जाम रद्द हुआ। राजा बाबू जो कांग्रेस सरकार को प्रिय था, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रिय है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर। राजस्थान के अंदर जो इतना ज्यादा पीएमटी या आरपीएससी का भरोसा हुआ करता था, वह भरोसा उठ गया। आरपीएससी का चेयरमैन भी भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा गया। आखिर राजस्थान की छवि को हम कहां ले जाएंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एनएचएम घोटाले में सिर्फ एक आईएएस पर कार्यवाही की। दूसरे आईएएस मुकेश शर्मा, नवीन जैन इनकी कम से कम जांच तो सरकार कराती। इसमें मैं तो यहां तक

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कहना चाहूंगा कि उस समय के जो मंत्रीजी थे उनको इस पर वक्तव्य देना चाहिए था। आज के मंत्रीजी पर तो रोज आरोप लग रहे हैं। इनका ऑडियो वायरल हो गया। हो जाता है, गलती हो जाती है लेकिन फिर भी आप इन पर आरोप लगा रहे हो तो पूर्व में भी पीएमटी का एग्जाम रद्द क्यों हुआ? एनएचएम घोटाले के अंदर कौन जिम्मेदार था? इसका वक्तव्य मंत्री जी को देना चाहिए था। सरकार को देना चाहिए था। इसकी मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, अब 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर मैं बैठ जाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट मेरे कहने से दे दो, नहीं तो मैं फिर बीच में हल्ला करुंगा। फिर कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापति: ऐसा नहीं होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। फिर माननीय सदन की नेता बोलेंगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम भी प्रतिपक्ष ही हैं। सुनों।

श्री सभापति: एक मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो बोलते जाओगे। एक मिनट क्या आप तो 10 मिनट तक बोल सकते हो।

श्री सभापति: आप विराजें। एक मिनट में आप पूरा करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट मांग रहा हूं आपसे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी विद्वता पर कोई शक नहीं है।

श्री सभापति: एक मिनट में पूरा करें अपना। हो गया?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं?

श्री सभापति: हां।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, एक मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं सर, ऐसा मत करें। आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा।

श्री सभापति: एक मिनट। देखिए, आपके कहने पर 5 मिनट और हो गए। आपने जो मांगे उससे 5 मिनट ऊपर हो गए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप विराजो तो सही।

श्री सभापति: एक मिनट में पूरी करें अपनी बात।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरी करता हूं। सभापति महोदय, सरकार के स्थानीय निकायों और जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरणों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। बिना पैसे दिए पट्टे लेना संभव नहीं है। स्वयं सरकार के मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर विफल हो गए। पृथ्वीराज नगर योजना में बड़े अधिकारी व जेडीसी के मार्फत बैक डेट में पट्टों को नियमित करने का खेल चल रहा है। स्वयं भाजपा के, जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा के लड़के राहुल बोहरा, सोसायटी सदस्य, नाम नहीं ले रहा हूं। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं। आगे सुनो तो सही पूरी बात। सोसायटी सदस्य तथा सरकारी जमीन पर रजिस्ट्रेशन कराकर नई कॉलोनी बनाकर, बैक डेट के पट्टे नियमित किए गए। इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, द्रव्यवती नदी में बड़ा खेल किया जा रहा है। गरीबों के मकान तो तोड़ दिए लेकिन माफियाओं के, जो बड़े बिल्डर हैं उनकी जमीनों को आप कुछ नहीं कर रहे हो। कैसे पानी द्रव्यवती में चलाओगे यह तो बता दो। आपने 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आखिर राजस्थान को कहां लेकर के जाओगे।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भर दिया आपने। बहुत है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, बिजली पर। सिर्फ एक मिनट लास्ट। बिजली पर मैं मांग करुंगा कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिलनी चाहिए। आप किसानों को सब्सिडी बिजली पर दे रहे हो यह सही है। हम मांग करेंगे कि 90 पैसे यूनिट जो ले रहे हो, वह भी माफ करो। तब प्रदेश का किसान मजबूत होगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बिल भरते हैं मीटर से, उनको भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर आधी दर पर बिजली दी जाए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं यह करुंगा कि कम से कम चुनावी साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और नेता हैं, आप कम से कम उस तन्मय कुमार को तो ठीक कर दो जो गेट आउट कहता है विधायकों को। क्या हालात हो गए राजस्थान के। वहां पर्ची लेकर के लोग खड़े मिलते हैं। तन्मय कुमार की तो छोड़ो, वह चपरासी कमठान के आगे हाथ जोड़कर के खड़े रहते हो। कब आपका जमीर जागेगा?

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य शंकर सिंह जी राजपुरोहित। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सरकार ने पीपीपी मोड पर स्कूल दे दिए और विधान सभा में विरोध हुआ तो थूक करके चाट लिया। बैकफुट पर आ गए। पीएचसी को पीपीपी मोड पर दे दिया। हजारों स्कूल आपने बंद कर दिए। शंकर सिंह जी, एक मिनट, बोल देना। आपका तो राज है। बोलों न आराम से।

श्री सभापति: शंकर सिंह जी शुरू करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): काला कानून जो आप लेकर के आए उसको विरोध के बाद आपको वापस लेना पड़ा। आप मीडिया पर और उन नेताओं पर अंकुश लगाना चाहते थे जो सरकार की खिलाफत करते हैं।

श्री सभापति: शंकर सिंह जी अपना वक्तव्य शुरू करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बहुत हो गया हनुमान जी, बैठ जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बार-बार आप बैकफुट पर आ रहे हो। थूक करके चाट रहे हो। इससे सरकार की बदनामी हो रही है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बहुत हो गया। क्या थूक कर के चाट रहे हैं? क्या होता है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं मांग करुंगा कि आप राजस्थान की कानून व्यवस्था को भी ठीक करें। दलित आत्महत्याएं कर रहे हैं। राजगढ़ की कोर्ट के अंदर अपराधी गोलियां चलाएं, वकील टेबल के नीचे घुस जाए और जज भी टेबल के नीचे घुस जाए। विधायक पिट रहे हैं। मंत्री पिट रहे हैं। दलित पुलिस कर्मी आत्महत्याएं कर रहे हैं।

श्री सभापति: शंकर सिंह जी कृपया अपना वक्तव्य शुरू करें। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान में जंगल राज है। पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माफिया राज पैदा कौन करते हैं? आप लोग करते हैं ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इस तरह तो यह एंड ही नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? आप अंकित मत कराओ। आप उनका बोलना अंकित मत कराओ। अपने आप बंद हो जाएंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: शंकर सिंह जी शुरू करें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, उनके कथन को अंकित मत होने दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमने जो बातें कहीं हैं उनको अमल में लाना होगा ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या बात कर रहे हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, उनके कथन का अंकन बंद कराएं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब बिना अनुमति बोलें वह अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण पर समय तो कम है। सदन की नेता पधारने वाली हैं, वह बोलेंगी। आंकड़े और सारा कुछ आ गया, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्रवण जी और हनुमान जी बोल रहे थे। विधान सभा में हम बोलते हैं। हम भाषा की मर्यादा रखकर के बोलें। यह थूक करके चाटना, वगैरह यह क्या है। नहीं, नहीं, सही बात है। इसमें क्या हो गया हनुमान जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माफिया हम पैदा करते हैं। यह आप रहने दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पैदा करते हैं, और क्या है, आप देखिए, जब-जब भी घटनाएं कोई हुई हैं तो वह कहां से हुई हैं? क्या हुई हैं? वह सब जानते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हम सब जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी बात चली कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने क्या नहीं किया। वह किया, यह किया, लोक सभा में बोल दिया। ऐसा नहीं है हनुमान जी, यह चीज नहीं कहनी चाहिए। क्या नहीं बोला है? आज विश्व के मानचित्र पर हिन्दुस्तान का नाम गौरवान्वित किया है। आज दुनिया के देश कह रहे हैं कि नरेन्द्र भाई मोदी 2 देशों का समझौता करवा सकते हैं। आज फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान की धरा पर आकर के बोला है। ऐसा कभी हुआ है क्या? यह बात हुई है।

सभापति महोदय, श्रवण जी ने नेहरु जी के बारे में कहा। देश की जनता यह जानती है कि अगर सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री उस समय बन गए होते तो देश का मानचित्र एक अलग होता। वह लौह पुरुष थे, इसलिए उन्होंने नेहरू जी के पीछे प्रश्न चिह्न लगाया। इस बारे में आपको बात करनी हो तो आप दो टूक बात कर सकते हैं। कहीं न कहीं खामियां रही हैं। आपके 70 साल के चरित्र में हजार तरह की खामियां हैं। हजार तरह के ऐसे प्रश्न चिन्ह लगे हैं।

सभापति महोदय, आप एक कल्पना करो कि जो कांग्रेस पूरे देश में थी, आज कांग्रेस शून्य हुई है। उसका कुछ न कुछ कारण है। इस चीज की तो पहचान करनी पड़ेगी। श्रवण जी, आपके मन को साक्षी रखकर के कहो कि सरदार पटेल अगर नेहरू जी की जगह प्रधानमंत्री होते तो शायद देश का चरित्र और होता। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

यह वास्तविकता है कि जब-जब भी नेहरू जी ने समझौते किए हैं तो +++ चाहे वह कश्मीर का समझौता हो, चाहे वह असम का समझौता हो।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अब एक बात बताओ कि यह बात बार-बार क्यों कहलवाते हो, शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला परिवार के मोतीलाल जी नेहरू से क्या संबंध थे? उसके कारण कश्मीर का समझौता कर दिया। कश्मीर में धारा 370 लगा दी। कश्मीर के ब्राह्मणों के साथ अन्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो नेहरू जी ने किया है। इस देश के लोग इस बात को इसीलिए स्वीकार करते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब हटवा दो, अब हटवा दो, इतना परेशान हो रहे हो, राज आपका है, कब धारा हटाओगे यह बताओ आप?

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वोट नहीं देगा कोई 2019 में, आप काम कराओ, काम के बिना नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें माननीय सदस्य, शंकरसिंहजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गाय को धोखा दिया, मंदिर नहीं बनाया, मंदिर के नाम से चंदा कर लिया, धारा 370, कश्मीर, क्या-क्या लेकर आए आप। लोग वहां रोज शहीद हो रहे हैं।

श्री सभापति: इनके अलावा कोई माननीय सदस्य बोले वह अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, यह विभिन्न योजनाएं अगर देश की मतलब राजस्थान में आई हैं, अब देश में देखिए, आज एक बात बताओ, कांग्रेस का राज था और आज के प्रधान मंत्री उस समय गुजरात के मुख्य मंत्री थे, अमेरिका जैसे देश ने उन्हें वीजा देने से इंकार कर दिया। यह हिन्दुस्तान की कीमत थी कि आपके हिन्दुस्तान के एक मुख्य मंत्री को अमेरिका की हिम्मत थी कि वह वीजा नहीं दे रहा था और आज लाल कालीन बिछाकर वहां का राष्ट्रपति गरज करके खड़ा है हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के लिए, यह हिन्दुस्तान का गौरव लौटाया है, इस देश के प्रधान मंत्री ने। इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही आप

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
कुछ बातें मन में सोचते हो पर कह नहीं पाते हैं, कुछ कहिए आप। कुछ बातें सत्य आप कहते हैं, स्वीकार भी करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज। आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक बात बताओ, ऐसा है नरेन्द्र भाई मोदी देश के प्रधान मंत्री, एक बात बताओ श्रवणजी, आप भी पूर्व में कई बार एमएलए सदन में रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): देश का प्रधान मंत्री कौन है? देश का प्रधान मंत्री कौन है?

श्री सभापति: शंकरसिंहजी, आसन को सम्बोधित करके वक्तव्य दें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, एक बात है, माननीय सदस्य, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके पास भी गैस के कनेक्शनों के लिए फोन आए होंगे तो एसडीएम को फोन करने पड़े होंगे, आपने किए भी होंगे। एसडीएम साहब, लोगों को गैस नहीं मिल रही है। अब क्या किया? गैस वही, सप्लाई वही, गैस के व्यापारी वही लेकिन एक व्यवस्था सुधारना। ...(व्यवधान)... देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है।

माननीय सभापति महोदय, आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम कहीं भी गांवों में जाते हैं तो उन गरीब महिलाओं का भाव सुनते हैं, उन्होंने कहा कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे घर में भी गैस आएगी। जिस गैस कनेक्शन के लिए महीने-महीने, दो-दो महीने, चार-चार महीने, इंतजार करना पड़ता था, आज वह गैस के व्यापारी, गैस एजेंट आपके घरों में गैस लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह लो। एक सिस्टम बना दिया। ...(व्यवधान)... जो सब्सिडी लेने के लायक नहीं थे

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

उन्होंने सब्सिडी छोड़ी। ...(व्यवधान)... ऐसा है आप लखपति हो तो आप सब्सिडी लायक ही नहीं हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, सम्पन्न हो इसलिए आपको सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। ...(व्यवधान)... ऐसा है उस विषय पर भी आउंगा। उसकी आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी बात चली थी भामाशाह योजना की, मुख्य मंत्रीजी की एक सोच है, वास्तव में भामाशाह योजना, देखिए, समय तो लगेगा, एक चीज कोई लाए हैं तो उसको सुधरने में समय लगेगा, यदि कहीं कोई कमी है, कोई कसर है तो उसको सुधारने में तो समय लगेगा लेकिन एक बात बताओ, आज वसुन्धराजी की सोच, यह भामाशाह योजना, मतलब घर की मुखिया कौन? महिला। मतलब पूरे घर की तिजोरी की चाबी खजाने की चाबी उस मुखिया के पास होगी। उस कारण से भामाशाह योजना में सारी राजकीय, जो-जो भी गरीबों को सहायता, मदद मिल सकती है, पैसा-रोकड़ा देने पर कोई न कोई दलाल, जैसे पूर्व में प्रधान मंत्रीजी, राजीव गांधीजी कहा करते थे न कि मैं तो रुपया भेजता हूं, नीचे तक पन्द्रह पैसे पहुंचते हैं। यह क्या है? इस लीकेज को खतम करने के लिए पहल हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी ने की है उसके लिए उनको धन्यवाद देना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... ऐसा है माननीय सदस्य, रमेशजी, एक-एक बात का जवाब दे सकते हैं, देखो, आप डिस्टर्ब मत करो, यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य पूरा करें। ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, जब भी आप बैठने के लिए कहेंगे, मैं बैठ जाउंगा, उसमें कोई विषय नहीं है, अब बोलना है तो बोलता हूं। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना निश्चित रूप से अच्छी है। आप एक बात बताओ मुझे पहले आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते थे तब खातेदार की साक्षी लाते थे, लाते थे न? ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): देखिए, देश के गरीब लोगों के इतने ज्यादा अकाउंट खुले, साक्षी के लिए बैंक को कहा, मेरे इन 28 करोड़ अकाउंट

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दाताओं के, महिलाओं का अगर कोई साक्षी है तो देश का प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी, उनका साक्षी है, उनके सबके बैंक अकाउंट खोले गए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): काले धन के जन्मदाता तो आप लोग थे। ऐसा है आपके दिलों में धड़कनें तेज हुई, यह जो योजनाएं लाई गई हैं, आपके दिलों में धड़कनें तेज हुई क्योंकि काले धन के जन्मदाता तो आप लोग थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर 48 हजार करोड़ रुपया पड़ा है, जिसकी चाबी सोनियाजी के पास है इसीलिए चारों तरफ यह गांधी परिवार, नेहरू पारिवार है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य शंकरसिंहजी, अपना वक्तव्य पूरा करें। ...(व्यवधान)... जल्दी करें, पूरा करें। ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): रमेशजी, आप एक बात का जवाब दे दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बिलकुल। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, प्रतिपक्ष इस बात का जवाब दे दे, आज भी क्योंकि देखो, बार-बार वक्ताओं ने कहा कि नेहरू जी, प्रधान मंत्रीजी, इसीलिए कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराम अम्बेडकरजी के साथ इस प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस ने क्या किया? ...(व्यवधान)... वास्तव में, हकीकत में उस विद्वान ...(व्यवधान)...

श्री रमेश (सपोटरा): 000 ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय की कमी को देखते हुए आप एक मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, देश का इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति और जातिवाद के झगड़ों के अंदर इस देश को, मतलब जला दिया, क्या किया उन्होंने? जातियों के अंदर भेदभाव पैदा कर दिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

किसने कराई? बड़ौदा के राजघराने ने, उन्होंने तलाशा कि यह होशियार व्यक्ति है, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा और पढ़ लिखकर आए, उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने देश में तय किया कि भीमराव अम्बेडकरजी के सामने कोई भी कैंडीडेट खड़ा नहीं करेगा, उनको संसद में जाने दिया जाएगा, कांग्रेस पर यह आरोप है कि उसने भीमराव अम्बेडकरजी को संसद में जाने से रोका, अगर वह जाता तो वह देश के प्रधान मंत्री होते, वह प्रधान मंत्री होते तो देश की एक अलग तस्वीर होती। ...(व्यवधान)... यह बात है। इस बात का जवाब दो। ...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: बैठिए आप। ...(व्यवधान)... आहौर से आने वाले माननीय सदस्य, शंकरसिंहजी, आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करें। ...(व्यवधान)... बिना अनुमति के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनका अंकित नहीं किया जाए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सदस्य, मलिंगाजी, आपकी समझ में यह नहीं आएगा। यह आपके समझ के बाहर की बात है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात आज राजस्थान के पिछले चार वर्षों के कार्यकाल के बारे में मैं दो-तीन बातें कह देता हूं। उसके बाद विराम।

जितना गुणगान, मतलब काम इतना हुआ है। ...(व्यवधान)... हकीकत में। माननीय सभापति महोदय, यह जरूर है कि कहीं पर भी योजनाएं नीचे तक जाने में थोड़ी कमी पड़ी होगी।

लेकिन योजनाओं से जनता लाभान्वित हुई हैं। आज एक बात बताओ, आज 'न्याय आपके द्वार', क्यों नहीं आया आपके ध्यान में कभी?

श्री सभापति: थैंक्यू।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक नहीं, 96 लाख ऐसे मामले, मतलब वर्षों से गरीब, दो भाइयों के खातेदारी के मामले थे और एस.डी.एम. कोर्ट में चक्कर काटते थे उनके मामले सलटाये। म्यूटेशन जैसे मामले, 5-5,

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

10-10 हजार रुपये वकीलों पर खर्च करते थे पर हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने तय किया कि 'न्याय आपके द्वार' जाकर वो फैसले गांव में ही, उनकी ग्राम पंचायत में कैम्प लगाकर वहीं पर पर फैसले हुए। यह आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? (व्यवधान) आपके ध्यान में यह भी क्यों नहीं आया कि पुश्तैनी पट्टे वाला? यह पुश्तैनी पट्टे वाला विषय आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि यह शोभा नहीं देता आपको। (व्यवधान) वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप विराजें आराम से।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अब मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन वाली बात चली तो अगर आपको चलना है तो हमारे यहां पर चलो, आज भी वहां नाड़ी भरे हुए हैं, आज भी तालाब और नाड़ी भरे हुए हैं। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन के अन्दर इतने बढ़िया काम हुए हैं और प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य चलना चाहे तो हम उनको ले जाएंगे और हमारे यहां जो भी तालाब भरे हुए हैं वो दिखाएंगे। बरसात के पानी से भरे हुए तालाब आपको दिखाएंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आज गौरव पथ, गौरव पथ का वास्तव में आज पंचायत लेवल पर इतना जबरदस्त काम हुआ है कि उन पंचायतों की तस्वीर, उन गांवों की तस्वीर उन गौरव पथ के कारण से बदल गई है, यह काम हमने किया है। यह आपके ध्यान में कभी क्यों नहीं आया?

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपको तो खाली जातियों को लड़ाना है, इधर-उधर एक-दूसरे को लड़ाना है और साम्प्रदायिक दंगे करवाना है, जातियों में विषभेद करना, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं था। खाली ढकोसला करते हो। आओ, मैं आज विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं कि किसी भी योजना पर, एक नहीं, जहां भी बहस करना चाहो, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, यह जो हमारा अभिभाषण पढ़ा है इसके समर्थन में

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
जितना बोलना चाहें उतना कम है, बहुत कुछ है और अभी भी इस पर एक घंटे मैं बोल सकता हूं पर समय की बाध्यता है। माननीय सदस्य, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती रानी सिलोटिया जी। माननीय सदस्य मनोज जी। पांच मिनट, मनोज जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला और आप पाबन्द कर रहे हो। जैसे आपने पहले तो अतिक्रमण किया कि हनुमान जी बेनीवाल को आपने मेरे से पहले बुलाया। इनकी पर्ची बाद में आई पर सरकार इनसे डरती है और डरते हुए आप यहां भी अन्याय कर रहे हो और पहले ही पाबन्द कर रहे हो कि पांच मिनट में बोल लें, नहीं बोलूंगा। नहीं तो मुख्य मंत्री को नहीं बोलने दूंगा यहां। क्या बात हो गई?

श्री सभापति: आप बोलें, पांच मिनट में पूरी कर दें अपनी बात। आपको बोलना है क्या? अब बुला देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, दोनों पार्टियों ने अपना-अपना बखान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया, कांग्रेस कह रही है कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, इस राजस्थान का विकास किस तरीके से हो, धरातल पर, अंतिम छोर पर उस व्यक्ति को लाभ कैसे मिले इस बात पर विचार करना आज के दिन की जरूरत है। मैं नहीं कह सकता कि अकेली कांग्रेस ने बहुत बड़ा विकास कर दिया, अकेली बी.जे.पी. ने बहुत बड़ा विकास कर दिया लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने विकास किया तो 2013 में इस राजस्थान की जनता ने अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो इनको आइना दिखाकर 21 में समेटने का काम किया और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत बड़ा विकास

(श्री मनोज कुमार)

किया तो उप चुनाव में इस जनता ने इनको आइना दिखाने का काम किया है इसलिए 2018 के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के लोगों को जनता आइना दिखायेगी और 2018 में हम उस आइने को, दर्पण ले जाकर जनता को दिखाने का काम करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में संवैधानिक व्यवस्था सबसे शक्तिशाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत होना चाहिए लेकिन मुझे यह लगता है कि वर्तमान सरकार में यह लोकतंत्र सबसे कमजोर हो गया और इस लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा हावी हो गई जिसको रोकने में सरकार, मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया और सरकार के मंत्री पूर्णतया विफल है। जिस तरीके से हमारे पंचायती राज मंत्री का स्टेटमेंट और साथ में अधिकारी की फोटो और उस भ्रष्टाचारी की बात जब करना चाहते हैं तो उसका इसी सदन में मैंने, उस आजीविका मिशन के अधिकारी की बात रखी थी और माननीय पंचायती राज मंत्री ने मुझे विश्वास दिलाया था कि हम कमेटी गठित करके उसकी जांच करेंगे लेकिन इस सदन में अपनी बात रखने के बाद में भी अगर सरकार यह करने में विफल रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इस सदन में अपनी ऐसी बात न कहें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को भी कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से उन्होंने भी हमारे एक विश्वविद्यालय के द्वारा जो छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, फर्जी मार्कशीट बांटी जा रही है उसके बारे में सदन में कहा था कि हम कमेटी गठित करके उसकी जांच कराएंगे पर आज तक इस सदन के पटल पर दोनों मंत्रियों ने उनकी जांच करके नहीं रखी। फिर कैसे मान लेंगे इनके वक्तव्य? किस तरीके से हम अभिभाषण को सत्य मान लें कि यह सरकार सत्य बोल रही है। मैं मानता हूं कि इस तरीके की अगर सरकार की नीति और रीति रही तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता आपको बख्शने वाली नहीं है।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर इनकी बात नहीं सुनते, इनके कहे हुए कार्य अगर अधिकारी नहीं करते तो जनता का धरातल पर क्या हाल हो सकता है? माननीय मंत्री महोदय, आप गौर से देखिये, उस

(श्री मनोज कुमार)
जनता की सुनने वाला कोई नहीं है और वही परिणाम आपको उप चुनाव में जनता ने दिया है।

मैं सबसे पहले कृषि विभाग की बात करूंगा। किसान के बारे में हमारे इसी अभिभाषण के पैरा नम्बर 21 में लिखा है - 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2017 में लगभग 55 लाख किसानों को योजना से जोड़ा गया है।' जोड़ा गया है, किसानों को दिया क्या गया है इस बात पर विचार नहीं है। आपने उस किसान से केन्द्र सरकार ने अनुदान के रूप में प्रीमियम की राशि भरी, स्टेट गवर्नमेंट ने अनुदान के रूप में प्रीमियम की राशि भरी और किसान ने स्वयं प्रीमियम की राशि भरी। कितनी राशि भरी? माननीय कृषि मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, बताइये, तीनों ने मिलकर कितना प्रीमियम कम्पनियों को दिया और उसके बाद आपने भुगतान क्या किया? आपके भुगतान करने का मामला, किसान के प्रति जाकर देखिये कि यह एक नई लूट किसान के साथ इन सरकारों के द्वारा जिसमें दोनों सरकार शामिल हैं, कांग्रेस के समय में भी था फसल बीमा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी फसल बीमा है लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं। किसान की हर वर्ष कम से कम 10 से 20 हजार रुपये प्रीमियम के नाम से बड़ी लूट हो रही है और किसान को इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार सुन रही है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया भी यहां विराजमान होंगी, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सैण्ट्रल गवर्नमेंट को इस सरकार के द्वारा प्रस्ताव लेकर भेजा जाए कि यह जो अनुदान केन्द्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ये दोनों अनुदान किसान के खाते में दिए जाएं और बीमा के लिए बाध्य नहीं, किसान को स्वतंत्र किया जाए कि इच्छा हो तो किसान बीमा करवा ले और इच्छा नहीं हो तो इस अनुदान से संतुष्ट हो जाए। इसलिए आज दोनों सरकारें धरातल पर बात करने की कोशिश करें।

(15.58 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं कि किसान आवारा पशु से बहुत तंग है और आवारा में सबसे बड़ा नाम अगर पशु का है तो वो उस गाय का है

(श्री मनोज कुमार)
जिस गाय के नाम से भारतीय जनता पार्टी स्टेट और केन्द्र सरकार में आज राज कर रही है। उस गाय की दुर्गति हो रही है। आज हिन्दुओं की बात करते हो, आप साम्प्रदायिक रूप से कहीं मारने का काम करते हो लेकिन मैं कहता हूं कि उस गाय की रक्षा करने का काम आपका था लेकिन आज किसान पूरे दिन उसके लिए लट्ठ हाथ में लेकर रखता है, उस गाय से उसकी फसल बर्बाद होती है उसको बचाने में भी वह सक्षम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आवारा पशुओं से, जिनको गाय कहते हो आप, उनसे किसान को बचाने की कोई कोशिश करिये और सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करे।

मैं इसी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी की बात सरकार ने कही, सीकर में एक आंदोलन में समझौता किया और उसमें कहा था कि हम 50 हजार रुपये तक कर्ज माफी करेंगे। हम तो कहते हैं कि आप पूर्णत: कर्ज माफी करिए लेकिन अगर 50 हजार तक भी आपकी नीयत है कर्ज माफी करने की तो कमेटी गठित करने की जरूरत कहां पड़ी? आपने कमेटी गठित क्यों की? क्योंकि आपकी नीति है कि उसमें कहीं न कहीं हम बैरिकेड्स डालेंगे, या तो हम लघु सीमांत को देंगे या हम किसी एस.सी., एस.टी. को देंगे या हम किसी बी.पी.एल. को देंगे और आप पूर्णत: किसान की कर्ज माफी करना नहीं चाहते नहीं तो आपको उसी दिन घोषणा करनी चाहिए थी कि राजस्थान के प्रत्येक किसान का 50 हजार रुपये का कर्जा आज ही माफ करते हैं। इसलिए कमेटी के माध्यम से यह सरकार इस समय को बिताना चाह रही है कि हमारा 7-8 महीने का जो समय बचा है इसमें हम तो जनता को सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर के हमारा तो जाने का समय हो जाएंगे और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारा आएगा पर मुझे तो लगता है कि 2018 में कोई और कुछ होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से कृषक मित्र योजना कृषि मण्डियों में चल रही है और कृषि मित्र योजना में मैं बताना चाहूंगा कि यह भी बहुत बड़ा लूट का स्थान हो गया है। इसमें भी कृषि मण्डी डाक्टर की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, सरपंच की रिपोर्ट, प्रधानाचार्य की रिपोर्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट और एक सैक्रेटरी अपने आप गांव में जाती है और चार

(श्री मनोज कुमार)
आदमियों के बयान लेती है, उन सारी रिपोर्टों को नजर अंदाज करते हुए खारिज करने का काम करते हैं। मंत्री महोदय, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे राजगढ़ की जांच करा लीजिये कि वहां इस तरीके के हालात हैं और सैक्रेटरी को कोई दाम दे देता है उसी का सैंक्शन कर देती है.......

(16.00 बजे)

इस तरीके के हालात पूरे राजस्थान में है माननीय कृषि मंत्री महोदय, इस पर आप गौर करिये। इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात और गम्भीर है, उसके अलावा अपील करने का कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है। अगर मण्डी के सैक्रेटरी ने खारिज कर दिया तो कहीं भी अपील करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसमें आप नया अपील करने का प्रावधान करें और जो-जो डाक्टर, पुलिस और अधिकारी, जो रिपोर्ट देते हैं, उनको नजर-अंदाज सैक्रेटरी मण्डी करती है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए जिन्होंने फर्जी प्रमाण-पत्र दिये हैं, जिन्होंने फर्जी जांच की है। उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, नहीं तो उस लाभार्थी को लाभ दिया जाए।

भामाशाह योजना, आपने स्वास्थ्य में बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको भामाशाह योजना के लिए एक जरूर सलाह देना चाहूंगा। भामाशाह योजना में आपने एक आनलाइन का बहुत बड़ा प्रश्न लगा रखा है। मैं कहता हूं, जिस दिन आप भामाशाह कार्ड बनाएं, उसी दिन जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना में है, वह भी आनलाइन है, आप उसी दिन उस भामाशाह कार्ड के साथ उसको आनलाइन करने का काम करें जिससे वह लाभार्थी, जो व्यक्ति भामाशाह कार्ड का लाभ लेना चाहता है, उसको कहीं भी आनलाइन के नाम की दिक्कत ना आए, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए और प्राइवेट अस्पतालों में इसके नाम से फर्जी लोगों को भर्ती किया जाता है जिनका भामाशाह कार्ड नहीं है और 24 घंटे भर्ती रखकर उसका बिल तो थोड़ा सा बनाते हैं और बहुत सारी राशि उठाते हैं, इसलिए इस पर भी आप कम से कम मोनीटरिंग या निरीक्षण करने का काम करें जिससे हमारी इस सरकार के खाते को या इस भामाशाह योजना में गलत जो लाभ ले रहे हैं, उन लोगों से भी हमारा आम आदमी बच सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम्बुलैंस की स्थिति बहुत बड़ी खराब है।

(श्री मनोज कुमार)
108 एम्बुलैंस की स्थिति यह है, वहां के न तो सीएचसी प्रभारी, न कोई पीएचसी का प्रभारी, न कोई संबंधित उपखण्ड कार्यालय का प्रभारी, आपकी 108 एम्बुलैंस पर काल करो, वह जहां कहीं है, वह एक घंटे तक नहीं पहुंच पाती, तब तक मरीज जिसको एम्बुलैंस की आवश्यकता है, वह मरीज मर जाता है इसलिए इसको आप कहीं न कहीं तहसील मुख्यालय पर नियंत्रण में रखें जिससे ये तुरन्त कहीं न कहीं इनको लाभ मिल जाये। इसमें भी आप कहीं न कहीं संशोधन करने का प्रयास करें।

(16.02 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी है। उस सीएचसी के अन्दर सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी है, ब्लड स्टोरेज बंद पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, गौर करके आप लिख लें, ये दोनों चीज तुरन्त प्रभाव से चालू कराएं जिससे वहां गर्भवती और आने वाली महिलाओं की सोनोग्राफी हो सके और किसी को खून की आवश्यकता है तो वहां रक्त चढ़ सके। इसलिए आप मंत्री महोदय, नोट कर लें, इस बात को हमारे यहां करने की कोशिश करें।

मैं अभी खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में और दो बात कहूंगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 69 प्रतिशत लोगों को आपने लाभार्थी माना है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप 69 प्रतिशत लोगों को लाभ नहीं दे रहे हो। उनके अनुसार इकाई मानकर आप आवंटन नहीं कर रहे हो। प्रत्येक इकाई मानते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को इकाई मानते हुए आवंटन करें और पात्र व्यक्ति 69 प्रतिशत से अधिक भी अगर हो जाते हैं तो उन पात्र व्यक्तियों को आप वंचित कैसे कर सकते हैं? उनको आप और बढ़ाने का, इकाई जिनको आपने खाद्य सुरक्षा योजना में रजिस्टर्ड कर दिया है, उसको इकाई मानते हुए आप आवंटन करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल जाए...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट हुई ही नहीं है अभी।

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट हो गये हैं, मैं देख रहा हूं अन्दर से। नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हुई है। अभी पांच मिनट में कनक्लूड कर दूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष: सिर्फ पांच मिनट नहीं, दो मिनट।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बहुजन समाज पार्टी का मैं अकेला आदमी हूं, आप भी उनके साथ हो, फिर भी आप उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: दो बात कहकर। नहीं, नहीं दो बात कह दो आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पांच मिनट में पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में पूरा करो। दो मिनट में। फिर प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): खाद्य सुरक्षा में आप यह कह रहे हैं और मैं कहता हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाबू से लेकर आपका कोई अधिकारी नहीं है माननीय मंत्री महोदय, मेरे राजगढ़ तहसील में रसद विभाग के किसी भी एक अधिकारी को आप नियुक्त करें, जिससे हम कम से कम अपनी बात तो वहां रख सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के माध्यम से एक निवेदन और कर दूं। इनकी राशि है, वह एक-एक, दो-दो साल तक लोगों को नहीं मिलती। इसमें जितनी भी योजनाएं हैं, उन सबकी राशि जल्द से जल्द आवंटित की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इन्होंने बेरोजगारों के नाम से कहा कि 15 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और इन्होंने नौकरी मात्र 50,000 लोगों को भी नहीं दी और बेरोजगारों को भामाशाह रोजगार सृजन में राशि बढ़ाकर पांच से 10 लाख और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन में आपने कहा है कि हम...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। दो मिनट बोल लिये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरी मेरी दो बात और है।

श्री अध्यक्ष: एक बात, एक बात। जल्दी करिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कर देता हूं साहब। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना, इसमें आपने लोन की राशि की कोई व्यवस्था नहीं की। यह कागज लिखकर आप बैंक में भेज देते हो और बैंक की मनमर्जी है, वह

(श्री मनोज कुमार)

किसको लोन दे। आप इसके लिए बाध्य करो जिसका भी प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना में या भामाशाह रोजगार सृजन योजना में शामिल हैं, उन सबको लोन मिले और अगर लोन की व्यवस्था नहीं हो सकती तो फिर अपने नाम हटा दो, कम से कम इसमें आप नाम लिखते हो, लोन बैंक देता है, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है।

विद्युतीकरण में, मैं विद्युत के बारे में जरूर कहूंगा। पैरा नम्बर-52 में आपने लिखा है कि हम 22 से 24 घंटे विद्युत देते हैं। मैं माननीय सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं, आप सब इस बात से तंग और परेशान हैं। बिजली 12 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं मिल रही है लेकिन आपने इसमें लिखा है कि हम 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये बस। नहीं, अब हो गया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): विद्युत के मैटेरियल की बात है।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया है। कृपया कृपया कृपया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, दो बात रह गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब लास्ट हूं। मैं पांच मिनट में और अपनी बात कर दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। अब मैं प्रतिपक्ष के नेता को बुलाता हूं। नहीं, हो गया। बहुत हो गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पूरा हो जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बहुत अधिक हो गया। आपके पास सामग्री बहुत है। आप सारे दिन बोल सकते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं साहब, नहीं है। पांच मिनट में।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं। आप खतम कीजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): विद्युत विभाग में एमएलए एमपी के कोटे द्वारा दी जा रही राशि के बाद 4-4, 6-6 महीने काम नहीं होता है पैसा आने के बाद भी। इसमें मैटेरियल के अभाव के कारण, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पेंशन योजना के बारे में और बात कर दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। आप विराजें। नहीं नहीं। यूं तो बहुत बोल सकते हैं। नहीं, मैं प्रतिपक्ष के नेता को बुला रहा हूं। कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं कह दूं साहब। एक बात कह दूं साहब।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक बात बोल दो। एक बात सिर्फ।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पेंशन योजना में पैरा नम्बर-74 पर आपने लिखा है, विधवा पेंशन में आपने उम्र की बाधा डाली है कि 60 साल वालों को हम इतना देंगे, 75 वालों को हम इतना देंगे। मैं कहता हूं, विधवा के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप उसकी प्रत्येक विधवा की पेंशन राशि यह 700 और 750 और 1,500 के बैरिकेड्स है, इसको आप हर विधवा के लिए 1,500 रुपये कर दीजिये जिससे उस विधवा को लाभ मिल सके।

इसी तरीके से विकलांगों के लिए भी, विशेष योग्यजनों के लिए भी पेंशन में आपने बैरिकेड डाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि विशेष योग्यजन चाहे आठ साल का हो, चाहे 75 साल का हो, वह विकलांग है, वह कमा नहीं सकता, उसकी भी पेंशन 1,500 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए जिससे कम से कम वह अपना जीवनयापन कर सके। इसलिए आप इन सबको शामिल करते हुए, एक आशा सहयोगिनियों को इसमें मानदेय बढ़ाया जाए। इनको नियमित किया जाए।

एक हमारे प्रेरक, 17,000 लोगों को आपने दिनांक 31.12.2017 को हटा दिया, उनको आप वापस रखें, उनको नियमित करें। उनको 15 साल तक आपने रखा और आज उनको घर से निकाल दिया। आप एक तरफ तो रोजगार देने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको बेरोजगार करने का काम कर रहे हो। इसलिए इन प्रेरकों को आप शामिल करते हुए, आप इनके रोजगार की चिंता करें। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से जरूर कहूंगा कि आपने इस सदन में जो घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं को आप पटल पर रखें कि आपने जांच कैसे कराई, उस जांच में आपने क्या पाया? उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या किया? अगर आपकी नहीं चलती है तो निरंकुश मुख्य मंत्री जिस तरीके से चला

(श्री मनोज कुमार)

रही है, इसका मतलब आपकी कहीं नहीं चलती है, कोई सुनने वाला नहीं है। एकमात्र राज मुख्य मंत्री महोदया के हाथ में हो गया है। आप सब फ्लाप हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शासन कुशासन है। ये सुशासन की बात कर रहे थे। इस कुशासन को रोकने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, हमारी बात सुनी। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इस सदन के अन्दर अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से सरकार ने महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनके श्रीमुख से अभिभाषण का वाचन करवाया गया, इस अभिभाषण से पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता बहुत निराश हुई है। इस अभिभाषण के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं, जिससे राजस्थान की प्रजा का कोई फायदा हो। आपने एक आईना रखा है। सरकार ने अभिभाषण के तहत एक आईना रखा है। चार साल हो गये आपको सत्ता में आये हुए, इन चार सालों के अन्दर आम वर्ग दुःखी हुआ है। प्रदेश का सबसे ज्यादा कोई वर्ग दुःखी हुआ है तो वह किसान वर्ग दुःखी हुआ है। आज प्रदेश के अन्दर किसान आत्महत्याएं कर रहा है, 80 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर लीं। माननीय कटारियाजी बैठे हैं, इनको पता होगा, ये अपने मन पर हाथ लगाकर पहले भी एक-दो बार पेपर में आया था आपका, हमने पढ़ा था। आपने कहा, राजस्थान के अन्दर किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आप छाती पर हाथ रखकर कह दो कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर किसानों ने आत्महत्या नहीं की। आज पहली बार इन चार सालों के अन्दर इस प्रदेश के किसान के हालत इतनी खराब हुई है...

कि उसके खाने की दिक्कत आ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि वो अनाज से दुनिया का पेट पालता है। आज उस किसान को सशक्त और मजबूत करने की जरूरत है। हमारा प्रदेश विकास की उन ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता, जब तक प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं हो। आज

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

किसान की क्या हालत कर दी। समर्थन मूल्य आपका तय किया हुआ है। केन्द्र में आपकी सरकार है उसके बाद में किसान की फसल को समर्थन मूल्य पर आप खरीद नहीं कर रहे हो। पीछे क्या हालात हुए। आज पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा, हमारे मैं बीकानेर डिवीजन की और उस साइड की बात करता हूं, मूंगफली सबसे ज्यादा किसान की होती है उस किसान की मूंगफली को समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं और उसमें 25 क्विंटल का राइडर लगा दिया, 25 क्विंटल का राइडर लगाने का मतलब क्या हुआ? उस किसान के डेढ़ सौ-दो सौ क्विंटल मूंगफली होती है और उस पर आपने 25 क्विंटल का राइडर लगा दिया और आज भी किसान मंडियों के बाहर बैठा है रात और दिन, उसकी फसल नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने बंद कर दिया कि 31 तारीख तक ही फसल खरीदेंगे और फिर अखबारों में आया कि ये ही सत्ता के लोग इनके रिश्तेदारों का माल उनकी मूंगफली या जो भी फसल है उसको खरीदा गया। यह अखबारों में आया है। आप पर एलीगेशन लग रहा है। गलत है या सही है वो तो आप तय करो। किसी तरीके का भेदभाव आप उस किसान के साथ में करने से भी चूकते नहीं हो, उस किसान के साथ में भी भेदभाव कर रहे हो। आज किसान मर रहा है उसको खाद और बीज असली नहीं मिल रहा है। सैनी साहब बैठे हैं, उसको जरूरत है खाद और बीज सही और असली देने की। सब्सिडी आपने सारों में बंद कर दी। किसान की कमर तोड़ने का काम कर दिया। आज किसान आपकी तरफ देख रहा है। 2013 में विधान सभा के चुनाव थे, आप लोग चुनाव में थे, उस चुनाव में आपने सुराज संकल्प पत्र दिया था, 611 वादे उस जनता से किये थे और उस सुराज संकल्प के तहत आपने जो वादे किये, जनता ठगी गयी और जनता ने प्रचण्ड बहुमत देकर आपको सत्ता में बैठाया और सत्ता में आने के बाद आपका पता नहीं वो सुराज संकल्प पत्र कहां है। मैं समझता हूं आपको बताना चाहिए। सदन की नेता बैठी हैं। आप बताएं कि हमने चार साल में जो 611 वादे किये थे उन वादों में आपने कितने वादे निभाये? मैं चेलेंज देता हूं आपको, आपने उसमें से 30 परसेंट से ज्यादा वादे पूरे नहीं किये। किसान की कहीं कोई बात नहीं की, जबकि किसान को आपने सब्जबाग दिखाने का काम किया। आज किसान कर्जे से डूबा हुआ है। पिछला सत्र था, विधान सभा के इस पवित्र सदन के अन्दर हमारा कांग्रेस विधायक दल उसी किसान की मांग को लेकर कि

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

राजस्थान प्रदेश के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो उस बात को लेकर हम 54 घंटे तक रात और दिन इस सदन में बैठे रहे। मुझे बड़ा दुख होता है कि सदन की नेता जी एक दिन भी आकर हमारे कांग्रेस विधायक दल को पूछ नहीं सकीं कि आप 54 घंटे तक रात और दिन इस सदन में बैठे हो। किसान के बारे में दो शब्द नहीं कह सकीं। कितना दुख होता है उस प्रदेश के किसान को। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारा धर्म और कर्तव्य है कि आप लोगों को प्रदेश की जनता की हालत और प्रदेश की जनता के सामने जो दिक्कत और समस्याएं हैं उनको आपके सामने रखें और आप उसका समाधान करो। हम बैठे हैं, हम +++ रहे हैं आप सुनते ही नहीं हो। उस किसान की एक मजबूत बात करके आप कुछ कर नहीं रहे हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये असंसदीय भाषा बोल रहे हैं। ऐसे क्या बोल रहे हो आप? विपक्ष के नेता हो आप।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द ड्राप किया जाए। बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह असंसदीय भाषा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैंने ड्राप कर दिया वह।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका धर्म बनता है और आपका कर्तव्य बनता है उस विपक्ष की आवाज को सुनने का, लेकिन आप उसको कानों से निकाल देते हो। हम प्रदेश की जनता की असली आवाज हैं उस आवाज को आपके सामने रखने का काम करते हैं और आप कुछ नहीं करते। यह स्थिति आपकी है। जनता आपको माफ नहीं करेगी और जनता ने अभी आपको बता दिया और सबसे बड़ा चिन्ता का विषय आपका है...।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कभी इंटरवीन नहीं करता, लेकिन जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हो पीछे से मुझे आवाज आ रही है कि डॉ. साहब आप जाट हो क्या, I am ashamed of it.

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मैंने वो शब्द निकाल दिया।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): डिग्निफाइड पोस्ट पर हो। डिग्निफाइड वे में बोलो, आप अपनी बात रखो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कहा मैंने सुना नहीं डॉ. साहब। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये जोगाराम जी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था। हम बात कर रहे थे किसान के बारे में। हम यहां बैठे हैं प्रदेश के किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के लिए। उस किसान के कर्जे के बारे में एक शब्द नहीं कहा। पीछे आपने, सरकार ने किसानों के साथ बैठ कर समझौता किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कमेटी बना दी, उस कमेटी का निर्णय आएगा। उसके बाद में आप कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। कर्नाटक में हमारी सरकार है। पंजाब में हमारी सरकार है और यू.पी. में सरकार आपकी है। उन सरकारों ने किसान का कर्जा माफ कर दिया तो राजस्थान प्रदेश के किसान ने क्या बुरा किया था जिसमें आप कमेटी बना रहे हो। कमेटी का निर्णय आएगा। उसके बाद में किसान का कर्जा माफ करोगे। यह सबसे ज्यादा किसान के साथ में अन्याय है। बिजली की व्यवस्था। उस किसान को आपने आठ घंटे बिजली देने की बात की थी। आज उस किसान को चार घंटे बिजली नहीं मिल रही है। किस तरह से बिजली की रेट्स बढ़ाने का काम किया है। हमने सड़क से लेकर विधान सभा तक आपको घेरा है। आप बैकफुट पर आए और बढ़ी हुई बिजली की दरें आपने वापस ली थी। ली थी कि नहीं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कांग्रेस के राज से तो अच्छी बिजली मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज चार घंटे उसको बिजली मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको खाद और बीज सही समय पर नहीं मिल रहा है। डिग्गी की सब्सिडी, 90 परसेंट सब्सिडी फव्वारे पर, ड्रिप इर्रिगेशन पर उनकी सब्सिडी घटाने का काम कर दिया। सोलर पंप पर पहले 75 परसेंट सब्सिडी थी उसको आपने घटा कर 50 परसेंट कर दिया।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
वो किसान रो रहा है आपकी जान को। आज किसान के लिए हम सबका सामूहिक दायित्व है। जब तक प्रदेश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक हम प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते इसलिए सबसे पहला काम उस प्रदेश के किसान की मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसमें आपका और हमारा सबका दायित्व बनता है। आप यदि सकारात्मक सोच से सोचो तो सबसे पहले आप किसान का भला सोचो। आज हालात आपके बहुत ज्यादा खराब हो गये हैं। आज सिर्फ गांव और खेत में नहीं थे, आप मानते थे कि हमारा वोट बैंक गांव और खेत में नहीं है हमारा वोट बैंक बीजेपी वोट बैंक की मशीन शहरों में है। क्या हुआ आपका इन बाई इलेक्शन में? हर शहर के अन्दर आप हारे हैं, क्योंकि इन चार सालों में आपने पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी 2018 आने वाला है। प्रदेश में आज तक आठ बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमे 6 पर हम जीत कर आये हैं आप दो पर ही जीते हो वो भी धन बल के तहत, सत्ता के बल पर, 6 हम जीत कर आये तो जनता ने आपको नकार दिया। आप सोच लो। अभी भी आपके पास में आठ-दस महीने पड़े हैं इन दस महीनों में जनता की भावनाओं की कद्र कर लो और जनता की भावनाओं की कद्र करोगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत रख देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किसान के बारे में इन्होंने एक शब्द भी इस अभिभाषण में नहीं कहा। ऊर्जा की बात, बिजली की क्या हालत हो गयी। बिजली उस किसान को चार घंटे और घरेलू को चौबीस घंटे देने का आपने सुराज संकल्प में 611 वादों में से एक वादा यह भी किया था। आज क्या हालात हो गये। आज पूरा प्रदेश बिजली की कटौती की मार झेल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की रेट्स बढ़ रही हैं। प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम कर रहे हो और ...

हम जब सत्ता में थे उस वक्त बिजली के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने का काम किया था, वह इतिहास था कि इस प्रदेश में साढ़े बारह हजार मेगावाट बिजली हमने बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में बिजली की खपत कितनी है, साढे दस हजार मेगावाट। हम बिजली सरप्लस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

छोड़ कर गये। आपके थर्मल पावर बंद पड़े हैं। कभी आपकी सूरतगढ़ की तीन यूनिट बंद हो जाती है। कभी कोटा की दो यूनिट बंद हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मंशा एक ही है कि सरकार उस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई की सम्पत्तियों को कोरपोरेट घरानों को ओने पोने दामों में आप बेचना चाह रहे हो, यह हम कतई नहीं होने देंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस प्रदेश की जनता की कमाई आप कोरपोरेट घरानों को औने पौने दामों में बेचना चाह रहे हो, यह हम कतई नहीं होने देंगे, आप अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज ढाणी में बैठा हुआ जो ग्रामीण है वह भी बिजली के बल्ब की चिंता कर रहा है कि हमारे भी बल्ब लगेगा। आप उस गांव ढाणी में दो घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे रहें हैं। हमारे बिजली मंत्री बैठे हैं, सिंगल फेस की लाइट आपने 24 घंटे देने की बात करी थी और पूरे प्रदेश के किसान हम बीकानेर में इकट्ठे हुए थे, 50 हजार से ऊपर किसान थे। उस ट्यूबवैल वालों की आप सिंगल फेस लाइट काट देते हो कि ट्यूबवैल वाला किसान चोर है। आप किसान को चोर कह रहे हो, किसान बिजली की चोरी कर रहा है। सिंगल फेस लाइट क्यों काटी, क्यों काटी उस किसान की सिंगल फेस लाइट? हमने धरना दिया, पूरे किसान इकट्ठे हुए, आप बैक फुट आये। आपने उसी वक्त सिंगल फेस लाइट चालू करी थी। आज आप वापस से एक एक सिंगल फेस काटने लग गये, वह किसान रो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल वाला वह किसान अपने खेत में उस ढाणी में रहता है, बच्चों को पढ़ाता है, पूरा परिवार उस ढाणी में रहता है और उसकी चार घंटे के बाद आप लाइट काट देते हो, उसको सिंगल फेस भी नहीं देते, यह हालात बिजली के हैं। प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हो। 7-8 रुपये डोमेस्टिक बिजली की रेट बढ़ा दी। क्या ढाणी वाला, गांव वाला 7-8 रुपये दे सकता है, वह बिल भर सकता है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिये। आपके पास समय पड़ा है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह हालात बिजली के हैं।

पीने के पानी की बात करें, सबसे पहले तो आपने मेरे को ही झटका दिया, आपकी सरकार बनते ही साढ़े चार सौ करोड़ की स्कीम मेरे विधान

सभा क्षेत्र नोखा में थी। हमने पूरी की, उसके पैसे मंजूर कर दिये, उसके टेंडर हो गये और उसका डिवीजन बन गया। उस डिवीजन में एक्सईएन, एईएन, जेईएन सब लग गये और आपने सत्ता में आते ही साढ़े चार सौ करोड़ की काट दी। आज वह ढाणियों वाले रो रहे हैं। पीने का पानी नहीं, जमीन में पानी खारा। वह कहां जाए? भगवान मेहरबान हुए तो उनके टांके हैं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आप दो बार पहले भी बोल चुके हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। आप कर ही दो न, क्यों कैंसिल की आपने? क्यों उन गरीब लोगों के पेट पर लात मारी आपने? साढ़े चार सौ करोड़ की स्कीम आपने कैंसिल कर दी। उस इलाके की 20 सालों से मांग थी। नीचे जमीन में पानी खारा है। पूरा इलाका ढाणियों में रहता है। मैं नेताजी आपको कहना चाह रहा हूं कि उन लोगों को जाकर आप देखो एक दिन, उन ढाणियों में जाओ। वह भेड़ बकरियां रखता है, कहां वह पानी पिलाते हैं। जमीन में पानी खारा, और कोई सोर्स नहीं। भगवान मेहरबान होता है तो तालाब और टांकों में पानी आता है, उस इलाके की स्कीम आपने कैंसिल कर दी। क्या पैसे की कमी आ गई थी? आपके 2000 करोड़ रुपये का द्रव्य नदी प्रोजेक्ट बन रहा है और ढाणी में वह आदमी प्यासा मर रहा है, खाने की तो बहुत दूर की बात है। आज जयपुर में स्मार्ट सिटी बन रही है। पहले उस गांव के गरीब, ढाणी, खेत को तो संभालो, उसके बाद स्मार्ट सिटी की सोचना, यह हालात उस गांव की है। यह पीने के पानी के हालात हैं।

आपने सुराज संकल्प यात्रा में जो वादे किये थे उन वादों में एक सबसे बड़ा जो आपने वादा किया, 2014 में आपके बजट स्पीच में आपने कहा था कि हम इंदिरा गांधी नहर का कायाकल्प करेंगे, 10 हजार करोड़ रुपये उसमें हम लगाएंगे और उसमें पानी के जहाज चलाएंगे। चार साल हो गये, हमने तो कागजों की नाव चलती हुई देखी है। उसके हालात इतने खराब हुए हैं, उस नहर का टेल एण्ड का जो किसान है, उसकी सिंचाई तो बहुत दूर की

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बात है, उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है और नहर पर वह जमीन लिये हुए बैठा है। यह हालात पूरी इंदिरा गांधी नहर की हैं। आपसे रिनोवेशन हुआ नहीं, आपने कहा पैसे हमने मंजूर कर दिये। खाली पैसे मंजूर करके और डीपीआर बनाने से काम हो गया क्या? काम तो जब धरातल पर होगा तब उस किसान को, उस इलाके के आम आदमी को फायदा मिलेगा, यह हालत इंदिरा गांधी नहर की है। पिछली सर्दी में पूरे इलाके के किसान रात दिन धरना दिये हुए बैठे रहे, आपने उसका कुछ सोचा ही नहीं, उससे कोई बात करी ही नहीं। उस किसान की हालत इतनी खराब है, फसल उसकी हो नहीं रही, सिंचाई का पानी उसको पूरा मिल नहीं रहा। पंजाब से जिस तरीके से आप पूरा पानी लेना चाह रहे हो, आपकी नहर पानी ले नहीं रही, ऐसी हालत उस नहर की है। आये दिन वह टूट रही है, रिनोवेशन उसका हो नहीं रहा, अब कहां शिप चलेगा, कहां नहीं चलेगा, आपने 2014 में घोषणा कर दी तो उस घोषणा का क्या माने? आज सदन की नेता इस पवित्र सदन में कोई बात कहती है तो पूरे प्रदेश की जनता उस पर विश्वास करती है, अब कहां विश्वास की बात है। आपने कह दिया, जनता ने मान लिया चार साल, लोग रो रहे हैं। काम धरातल पर कुछ हुआ नहीं। अब आपने डीपीआर बनाने के निर्देश दिये हैं कि इस फलां काम की डीपीआर बनाओ। डीपीआर से काम नहीं होगा, लोगों को धरातल पर काम चाहिये तब लोगों को कुछ मदद मिल सकती है। यह हालत नहरी तंत्र की है। किसान इकट्ठे होते हैं, पुलिस बल इनके पास में है, 7 किसान मरे थे उस रावला और घड़साना आंदोलन में। सोइला में गोली मार दी गई। गोलियां, लाठी, पुलिस से आप किसानों को धमका रहे हो। किसानों की मदद करने को बैठे हो या धमकाने के लिये बैठे हो। राठौड़ साहब, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नहीं खड़े होंगे।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने उनको पूछा है इसलिए वह खड़े हो गये, आप मत पूछिए किसी से।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह राठौड़ तो नकली है साहब, यह तो नकली वाला राठौड़ है, मैं असली राठौड़ साहब से बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उनसे भी मत करो आप, आप चेयर को एड्रेस करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके पास यह प्रमाण पत्र कहां से आ गया कि कौन असली है, कौन नकली है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका ही दिया हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुझे अफसोस इस बात का है कि पुराने कागज लाकर गोविन्द जी ने आपको दे दिये, यह भाषण आपने चार साल पहले दिया था।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने मुझे नकली कहा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आपने खुद ने ही कहा था कि मैं तो नकली राठौड़ हूं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैंने नकली नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं पीड़ित राठौड़ हूं, यह सामंती राठौड़ हैं, यह कहा था।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आराम से पानी पी लीजिए। आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बात कर रहे थे नहरी तंत्र की, आज चंबल का इलाका ले लो, उसमें भी टेल एण्ड के किसान को पानी नहीं। मैंने मंत्री जी से बात की थी, उस समय रिनोवेट का पैसा दिया हुआ है आज तक...

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको संबोधन करके कहें, मेरे को कहेंगे तो मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी यह नहीं, बीच में नहीं, बाद में जवाब आ जाएगा।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): आप आसन को संबोधन करें, मेरे को करेंगे तो मैं इंटरवीन करुंगा। आप जिस चंबल की बात कर रहे हो..

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पहले बात तो करुं, मैं मेरी बात तो कहूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आप उधर देखो न, मेरी तरफ देखोगे तो...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपसे बात की है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मेरे से करी है तो मैं जवाब अभी दूं क्या आपको? 50 साल से आपके कोलेप्स किये हुए सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए मंत्री महोदय।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चंबल के हालात यह है, पूरे नहरी तंत्र के हालात यह है। सुराज संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, मैं क्या क्या बताऊं? 611 वादे, टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष: जितना बताना चाहते हो, उतना बताओ आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम लगेगा। आप बता दो, मैं सदन की नेता को चैलेंज देता हूं कि आप अपने रिप्लाई में सदन में बताएं कि 611 वादे हमने जनता से किये थे, उन 611 वादों में आपने आज तक कितने वादे निभाये हैं, यह आप बताएं, हम इंतजार करेंगे इस बात का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहरी तंत्र की बात करूं। परवन योजना इतनी बड़ी योजना है, उस परवन योजना को इन्होंने चार साल रोककर रखा। अब पता नहीं उसको कोई कागजों में चालू किया है। चार साल तक उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता। उनके लिये सिंचाई का पानी मिलता है, लेकिन उनका कहीं कोई लेना-देना नहीं है। मैंने एक यह ब्लैक बॉक्स भेजा था। ..(व्यवधान)... मैंने आपको भी भेजा है। मैंने पूरे 200 विधायक, सभी मंत्रियों और मुख्य मंत्रीजी को भेजा है। ..(व्यवधान).. तो मैं पहुंचा दूंगा। आपको नहीं पहुंचा तो आपका एड्रैस सही नहीं होगा। नहीं तो पहुंचा तो पहुंचा देंगे।

श्री अध्यक्ष: चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 52 सवाल सरकार से किये थे। मैं अपेक्षा रखता हूं कि इन 52 सवालों का जवाब माननीय सदन की नेता अपने रिप्लाई में दें। हर चीज, किसी भी तंत्र में, चाहे बिजली ले लो, चाहे सड़क ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे चिकित्सा ले लो, शिक्षा में पीपीपी मोड। सरकार ने आज ही कोई आदेश निकाला है

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कि हम इसे स्थगित कर रहे हैं। पहली बात तो गांव वालों को पता नहीं कि पीपीपी मोड क्या है? आप पीपीपी मोड पर स्कूलें दे रहे हो। आपने 300 स्कूलें पीपीपी मोड पर करी थीं। उन 300 स्कूलों पर ताले लगा दिये। उन बच्चों के अभिभावक उन स्कूल के आगे बैठे थे। आपने एक दिन जाकर नहीं पूछा कि आप स्कूल के ताले लगाकर क्यों बैठे हो? तो भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है कि आपने इसको स्थगित किया है। स्थगित किया है, क्या किया है, पता नहीं। न ही उसको कैंसिल किया है, इसमें एक कमेटी बना दी। आपने कमेटी बना दी। आप किसान के कर्ज माफी की कमेटी बना रहे हो, सबके लिये आप कमेटी बना रहे है। रोजगार के लिये कमेटी बना रहे हो। अब आप हर जगह कमेटी बना रहे हो। आपके पास टाइम कम बचा है। अब कमेटी-कमेटी बनेगी आपसे। काम कुछ नहीं होगा। आपको जो भी काम करना है। आपको निर्णय ले लेना चाहिए, इसमें कमेटी की क्या जरुरत है? फिर सरकार का क्या काम रहेगा? उस गांव और ढाणी का बच्चा है, उसको आप शिक्षा नहीं दे सकते। अपनी स्कूल को आप चला नहीं सकते। आप मूलभूत सुविधाएं गांव और ढाणी को नहीं दे सकते, फिर सरकार का क्या धर्म है? सरकार का क्या दायित्व है? आप सारे निजी हाथों में सौंप रहे हो। बिजली निजी हाथों में, पीने का पानी निजी हाथों में। स्कूलें पीपीपी मोड पर। हास्पिटल्स आप पहले दे चुके। सारा रोडवेज। आपने ट्रांसपोर्ट विभाग पूरा प्राइवेट दे दिया। लाइसेंस प्राइवेट बनाने लग गये। आपने फिटनैस वगैरह सब प्राइवेट कर दिये। टोल भी, लोक परिवहन सेवा चालू कर दी, बसों वाले बेचारे इनके जी को रो रहे हैं। आपसे रोडवेज चल नहीं रही है। बसें सारी खटारा हो गयी हैं। आये दिन लोक परिवहन सेवा वाले रो रहे हैं, आपने उनको परमिट दे दिया। उनको बसें बस-स्टैण्ड पर खड़ा करने नहीं देते हैं। उसे परमिट दे दिया, उससे पैसे ले लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे ठग लिया। पता नहीं, कितना भ्रष्टाचार इस विभाग के अंदर है कि इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ..(व्यवधान)..सारा प्राइवेट कर दिया। लाइसैंस दूसरे बनाने लग गये। टैक्स दूसरे लेने लग गये। तो फिर काम ही नहीं है, फिर इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। मंत्रालय भी किस काम का?

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपको प्रदेश को बेचना है तो फिर सरकार का क्या दायित्व है? फिर सरकार क्या करेगी? आम आदमी का विश्वास जो वर्तमान सरकार होती है, उस पर होता है। तो आप विश्वासघात मत करो, जनता की भावनाओं की कद्र करो, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करो। आपका काम लोगों को झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना और सत्ता हथिया लेना। सत्ता हथिया ली, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपकी चार सालों के अंदर क्या दुर्दशा हुई है। आपने कभी सोचा है कि आप चिंतन-मंथन कर रहे हो। बीजेपी के विधायक दल की अभी मीटिंग थी। नेता जी एड्रैस कर रही थीं। उसमें विधायकों को नसीहत दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हालात ये हो गये हैं। इनको फिर दिक्कत होगी। तीन बाई इलेक्शन हम जीते हैं और मिठाइयां कौन बांट रहा है, मिठाई ये बांट रहे हैं। बंद कमरों के अंदर इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय में मिठाई बांट रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हालात हैं।

आप अपने एमएलऐज का ध्यान नहीं रख सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एमएलए की मंत्री नहीं सुन रहा है। जनता की एमएलए नहीं सुन रहा है। एमएलए की मंत्री नहीं सुन रहा है और मंत्री की मुख्य मंत्रीजी नहीं सुन रही हैं। ..(व्यवधान).. हम तो सुनते हैं। आप लोगों के साथ में ही बैठते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की प्रधान मंत्रीजी नहीं सुन रहे हैं। इस प्रदेश में ये हालात हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अंदर ये हालात हो गये हैं। कैसे राज चलेगा? इन्होंने चार साल जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। जनता आप को माफ नहीं करेगी। हम पाँच साल सत्ता में रहे। पाँच साल सत्ता में रहने के बाद ऐसे गांव, झोंपड़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति था, हमने उसकी भावनाओं की कद्र की है और उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए ऐसी सैकड़ों जनकल्याणकारी योजनाएं हम उस प्रदेश की जनता के बीच में लेकर आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे पेंशन की बात करो।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चाहे पेंशन की बात करो, चाहे फ्री मेडिसन की बात करें और चाहे गरीब के घर पर फ्री राशन देने की बात

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

करो। आपने आज क्या हालात कर दिये? प्रदेश में लाखों जो जिंदा बैठे हैं, उनकी पेंशन काटने का काम आपने किया है। आज बेचारे जिंदा बैठे हैं। आपने उनको कागजों के अंदर मरा हुआ बता दिया और उनकी पेंशन काट दी। आपने राशन 50 परसेंट छोड़ा है। दुकानों में सिर्फ 50 परसेंट राशन जा रहा है। गरीब इंतजार कर रहा है कि सरकार हमें राशन देगी और आपने सिर्फ 50 परसेंट राशन छोड़ा है।

आपने भामाशाह योजना चला दी। करप्शन और भ्रष्टाचार की जो स्कीम है, वह भामाशाह है। आज आपने फ्री मेडिसन तो बंद करी है। हर आदमी हास्पिटल में जाकर इलाज करा सकता था। भामाशाह भ्रष्टाचार में लिप्त स्कीम है। भामाशाह हास्पिटल के अंदर 24 घंटे तक तो एक्टिवेट नहीं होता है। बेचारा पैसे लगाता है, फर्जी रसीद बनाकर तीन लाख रुपये सरकार से खा लेता है और जो बेचारा सही में बीमार है, उसका इलाज नहीं होता है। ये हालात आपकी स्कीम के हैं। आप इस स्कीम को देखो। इसमें और वॉच करने की जरुरत है। जो स्कीम आपने चलाई है। अच्छी बात है, लेकिन उस स्कीम का उस गरीब एवं बीमार को फायदा मिले, यह मॉनीटरिंग तो आपको करनी पड़ेगी। पीछे कितने केस पकड़े गये हैं? भामाशाह का सही तरीके उस आदमी को फायदा नहीं मिल रही है। आपने ऐसी योजना चला दी। आज फ्री मेडिसन बिलकुल बंद है। हम 600 तरह की दवाइयां दे रहे थे। आज आपकी 40 दवाइयां बच गयी हैं। आज हास्पिटल में जाकर इलाज नहीं करवा सकते हैं।

एस एम एस हास्पिटल को ही ले लीजिए, आपको हंसी आ रही है। आप छाती पर हाथ लगाकर देखो न क्या स्कीम आ गई ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई कमी नहीं आई ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय चिकित्सा मंत्री जी। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फ्री मेडिसन कहीं कम नहीं हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप अपने विवेक को काम लो, बीच में मत बोलो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बैठ जाओ, ज्यादा पंचायती मत करो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): स्वास्थ्य मंत्रीजी, एक साल 2017 में ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट क्षमा करें। हां टाइम...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की इस प्रस्ताव से सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप उनसे मत पूछो, इधर बोलो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): स्वास्थ्य मंत्री जी बीच में बोल रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): आप पूछेंगे तो फिर हमारा जवाब भी सुनना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा-अच्छा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): या तो उधर पूछो। हमें पूछोगे तो हम जवाब भी देंगे, मुंह बांधकर नहीं बैठेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

स्वास्थ्य विभाग के क्या हालात हैं, पूरे प्रदेश के अंदर महामारियां फैल रही हैं। प्रदेश के पूरे के पूरे डाक्टर स्ट्राइक पर जा रहे हैं और यह कि डाक्टर को हम चींटी की तरह रगड़ देंगे, उनके ट्रान्सफर किये जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के डाक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय स्ट्राइक तो आपके समय में भी हुई थी। ...(व्यवधान)...आपके समय स्ट्राइक नहीं हुई थी क्या?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने डाक्टर को चींटी की तरह रगड़ने का नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्री जी विराजिए। मुझे एड्रैस कर रहे हैं, आपको एड्रैस नहीं किया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने ट्रान्सफर किए। उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष का ट्रान्सफर किया।

श्री अध्यक्ष: आप इधर एड्रेस कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दौरान सैंकड़ों मरीज मृत्यु के ग्रास पर चले गए। एक साल 2017 में 70 हजार, नवजात बच्चों की मृत्यु हुई, 70 हजार। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 70 हजार नवजात बच्चों की मृत्यु कैसे हो गई। सरकार ने जवाब दिया कि खराब सड़कों की वजह से। सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, खराब सड़कों की वजह से। डाक्टर्स की कमी की वजह से और इलाज की कमी की वजह से 70 हजार नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई, यह सड़क मंत्री भी बैठे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: उधर नहीं, इधर इधर।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपकी तरफ ही देखूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आपने मुझे निर्देश दे दिया, मैं सिर्फ आपके उसमें रहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, अपनी आंख से आंख मिल जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बिलकुल, आंख से आंख मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री विराजमान हैं अब किस की गलती है, सड़क खराब है तो सड़क वालों की है, सड़क खराब नहीं है तो उनकी है। अब यह दोनों तय कर लें कि किस की गलती है। जिसकी गलती हो सदन में ईमानदारी से इस्तीफा देकर चले जाए। दे सकते हैं न इस्तीफा, लेकिन यह देंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हालात स्वास्थ्य विभाग के हैं। सब सैंटर के अंदर डाक्टर नहीं है। गांव का बेचारा गरीब शहर के अस्पताल में आता है। जयपुर के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस है। उसमें हमारी एक वर्तमान विधायक की स्वाइन फ्लू से मृत्यु हो गई। वहां पर स्वाइन फ्लू को कंट्रोल करने के लिए आक्सीजन का पम्प होता है वह भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग के क्या हालात है। यह हालात पूरे प्रदेश के अंदर इस स्वास्थ्य विभाग के है। आप इनको दिशा निर्देश दें कि आम आदमी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। स्वाइन फ्लू यह ले आए, चार सालों में पता नहीं कहां से खरीद कर लाए। डेंगू, स्वाइन फ्लू, नई बीमारियां पैदा कर दी। इनके इलाज के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय यह हालात हो गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपके समय आया ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): स्वाइन फ्लू आपके उसमें आया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये माननीय विधायक।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज प्रदेश के पूरे कर्मचारी सड़कों पर हैं। आए दिन, आप यहां विधान सभा के बाहर देख लो, सारे ग्राउण्ड भरे हुए हैं। कर्मचारी, किसान, मजदूर, महिलाएं आज इस राज के अंदर, मुझे यह कहते हुए शर्म महसूस हो रही है सदन की नेता जी, आज आपके महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद राजस्थान की बहन-बेटियां सुरक्षित

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

नहीं है। आये दिन बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। बीकानेर की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ उसमें माननीय गृह मंत्रीजी जो बयान दे रहे हैं कि मेरे पास पुलिस नहीं, मैं घर में पुलिस बिठा दूं, वह कितने शर्म की बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। बच्ची की रक्षा स्वयं उसके माता पिता करें। क्या सरकार का दायित्व नहीं है?

प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गई है। आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। आए दिन चोरी, लूट, हत्या, डकैती आम बात हो गई है। कोई आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जिस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जब तक चुस्त-दुरस्त नहीं होगी तब तक वह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका रिसर्जेंट राजस्थान इसी वजह से फेल हुआ है। रिसर्जेंट राजस्थान, उस प्रोग्राम के अंदर 3 लाख 21 हजार करोड़ का एमओयू हुआ। एक भी निवेशक नहीं आया, क्योंकि यहां शांति नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गई। इस हालत की वजह से आपका एक भी निवेशक, एक पैसा लगाने के लिए, निवेश करने के लिए नहीं आया। प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त हो, तभी प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह हालत प्रदेश की कानून व्यवस्था की हैं।

कर्मचारियों का सातवां वेतन आयोग लागू नहीं किया। कर्मचारी आए दिन सड़कों पर घूम रहे हैं। जब आपने यह घोषणा कर दी कि हम कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग देंगे, आप ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक खींच रहे हो, कि चुनाव आएंगे और चुनाव आते ही हम इसको लागू करेंगे। सातवां वेतन आयोग लागू होना तो दूर की बात है आपने उसकी कटौतियां और चालू कर दी। 01 जनवरी, 2016 से लागू करना था आपको, कर्मचारियों की यह मांग थी। कर्मचारियों के साथ यह हालात है।

रोजगार, 15 लाख नौकरियां देने की बात की। आपके सुराज संकल्प पत्र के अंदर है कि हम सत्ता में आते ही पांच साल के अंदर 15 लाख नौकरियां देंगे। नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रदेश के 18 हजार 500 स्कूलें बंद करके, उनमें 27 हजार से ऊपर विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर रहे थे उनके पेट पर लात मारकर घर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

भेजने का काम आप लोगों ने किया है। आज वह रो रहे हैं इनकी जान को। कांग्रेस के समय उनको नौकरियां मिली हुई थी, उनको रोजगार मिला हुआ था, आपने चार साल के अंदर हजारों-लाखों युवाओं का रोजगार छिनने का काम किया है। यह हालत रोजगार की है तो कौन आम आदमी इन पर विश्वास करेगा। लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। आपने सत्ता हथिया ली लेकिन यह नहीं है, आप लोगों का काम करोगे, उनकी पीड़ा को आप समझोगे, उनकी मदद करोगे तब सत्ता का सही मायने में ...

श्री अध्यक्ष: बोलिए, बोलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी बातें हैं। प्रोजेक्ट, चाहे रेल की बात करो, रिफाइनरी, माननीय सदन की नेता जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने वापस उसका शिलान्यास किया जबकि हमारे वक्त में माननीय अशोक गहलोतजी चीफ मिनिस्टर थे, सोनियां गांधीजी आई थीं उन्होंने शिलान्यास किया था बाड़मेर रिफाइनरी का। फिर दुबारा उस बाड़मेर रिफाइनरी का शिलान्यास होना कितने दुर्भाग्य की बात है। हमने इसका विरोध किया तब इन्होंने उसका नाम चैंज कर दिया कार्य शुभारम्भ कर और प्रधानमंत्रीजी आए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में प्रधान मंत्री की बहुत बड़ी गरिमा और प्रतिष्ठा है। हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने उस प्रधान मंत्री पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को तार-तार करने का काम किया है। आपने दुबारा उसका शिलान्यास करवाया। आपने चार साल उसको रोके रखा। हमने 2013-14 में बजट के टाइम में बाड़मेर रिफाइनरी और मैट्रो ट्रेन, जो जयपुर की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके बारे में चर्चा की। चर्चा की तो सदन की नेताजी ने खुद ने अपनी स्पीच में कहा था कि प्रदेश की जनता के लिये यह बाड़मेर रिफाइनरी और जयपुर की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट मैट्रो, यह दोनों प्रोजेक्ट अनवायबल हैं। यह आपके द्वारा कहा गया। आज चार साल के बाद में भी वायबल हो गये। आज, बाड़मेर रिफाइनरी, यदि उस वक्त में आप चालू कर देते, आज उसका काम हो जाता और हमारे लाखों पढ़े-लिखे यूथ को उसमें रोजगार मिलता। अब ये करना तो हमें है। आप 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने में इसकी दीवार ही नहीं

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
बनेगी। इसको चालू हमें करना है और हमने ही इसकी शुरुआत की थी। आपने शुरुआत नहीं की। यह शुरुआत हमारी की हुई है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 40 हजार करोड़ रुपये का, पहली बार इन्वेस्टमेंट प्रदेश में हम लाये थे। इसको इन्होंने रोक लिया। मैट्रो का सैकिण्ड फेज पड़ा है।

गाय और राम के नाम से आप वोट मांगते हैं। चुनाव आता है, गाय की तस्वीर, राम की तस्वीर। जनता को फिर ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता बार-बार ठगी नहीं जाती। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। आज आपने क्या हालत कर दी गायों की, क्या हालत कर दी? हिंगोनिया गोशाला प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी गोशाला है। हजारों गायें उस दलदल में फंस कर मर गयीं। सदन की नेताजी एक दिन वहां नहीं गयीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर नगर-पालिका, लोकल बोडीज की जो गोशालाएं हैं, सबकी हालत यह है। ये पूरे सदन की चिंता का विषय है, आज एक गांव के अन्दर 1500-1500 आवारा पशु हैं। उस किसान की फसल को नहीं छोड़ते हैं। हम सबका एक दायित्व होना चाहिए कि एक-एक गांव के अन्दर 1500-1500 आवारा पशु, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। किसान की फसल को वे छोड़ नहीं रहे हैं, आये दिन उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। उनकी व्यवस्था सरकार कुछ कर नहीं रही है। यह हालत प्रदेश के गायों की हैं। क्योंकि गाय हमारे हिंदू धर्म की एक प्रतीक है। आज धर्म के प्रतीक की यह स्थिति है। यह स्थिति आपने करके छोड़ दी। आज गायों के नाम से आप वोट लेते हैं और प्रदेश की गाय की स्थिति यह है। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क है। जनता इस बात को समझ चुकी है। यह हालत पूरे प्रदेश के अन्दर है, अध्यक्ष महोदय।

दलित, शोषित वर्ग की क्या स्थिति है। मेरे नोखा के अन्दर, एक डेल्टा मेघवाल थी। उसके साथ में रेप हुआ। हमने निवेदन किया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। विपक्ष के नेता को कहने दें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। सदन की माननीय नेताजी से हमने निवेदन किया कि आप इसकी सही तरीके से जांच कराएं। उसकी जांच का क्या हुआ। आपने भेजा, जांच वापस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आ गई। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। आज दलितों की यह हालत है। कौन सम्भालेगा, आपको प्रदेश की सत्ता सौंपी है तो प्रदेश के आम आदमी की रक्षा और आम आदमी का ध्यान रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको कोई मतलब ही नहीं है। इनका एम.एल.ए. कहीं घूम रहा है, मंत्री कहीं घूम रहा है। प्रदेश की जनता जाओ भाड़ में, और चुनाव में वोट चाहिए। अब चुनाव में आप घूमने लग जाओ तो काम तो हुआ नहीं। न आपसे होगा। क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया। अब चुनाव में, 2018 में, आपको पहले कहा था कि 2018 में जनता आपको माफ नहीं करेगी और वापस हम लोग बैठेंगे। क्योंकि हमने विकास के काम बहुत किये। विकास के कामों में कहीं कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आप इतने बड़े ठग, इतने बड़े +++ कि जनता को आपने ठग लिया।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द प्रयोग नहीं किया जाए, ड्राप किया जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ क्या? ठग तो ठीक है, ठग तो सही है? ठग मान लो, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इतने बड़े ठग निकले कि इन्होंने जनता को ठग लिया ओर सब्जबाग दिखा दिये, लेकिन 2018 में जनता आपको माफ नहीं करेगी।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। आप कर्मचारियों का, रोजगार, जो पढ़ा-लिखा यूथ भटक रहा है। उसको आप 8 महीने के अन्दर वैकेंसी निकाल कर, लाखों वैकेंसीज आपकी खाली पड़ी हैं, उसमें आप उनको रोजगार दे सकते हैं।

शिक्षा विभाग का तो बंटाढार कर ही दिया साढे 18 हजार स्कूल बंद कर, 87 हजार जो पद थे, वे पद तो आपने समाप्त कर दिये। फिर आप पी.पी.पी. मोड पर देने की बात कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन की तो आपने कर दी। तो, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय रहते लोगों का भला कर दें। अब काफी है। मैं वह ब्लैक-बाक्स पर टेबल करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी को मैंने भेजा है। मैं आपसे पूरी अपेक्षाएं रखता हूं कि जो मेरे 52 सवाल हैं, उन 52 सवालों का आप जवाब दें। जो 611 आपने वायदे

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
किये हैं, सुराज-संकल्प के तहत, उन 611 वायदों में आपने कितने वायदे निभाये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, अध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सत्ता पक्ष के सभी माननीय विधायकों को, मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी बात पर गौर करते हुए आप कुछ सही रास्ते पर चलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता, मुख्य मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे कहना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि सदन की नेता को पुकारने के पश्चात कोई व्यवधान, कोई भी माननीय सदस्य नहीं करें, यह हमारी परम्परा रही है। आपने सदन की नेता को पुकार लिया। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। इनको शोभा नहीं देता। क्योंकि संसदीय ज्ञान हम इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। आज मैं पहली बार यह अनहोनी बात देख रहा हूं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखो। कृपया विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो वरिष्ठ कहां, गरिष्ठ हो गया हूं। अब तो मैं गरिष्ठता के कारण से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे दो-चार बातें करने दीजिये। क्या बिगड़ जायेगा?

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। यह आप भाषण के बाद पूछ लेना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, भाषण के बाद क्यों। इसमें बिगड़ क्या जायेगा, लोकतंत्र की रक्षा के लिये।

श्री अध्यक्ष: लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर मैं अव्यवस्था फैलाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बोलने से भी नहीं रोक सकते आप।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। बैठिये आप। बिलकुल नहीं, बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बोलूंगा अब, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं बोल सकते आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम सदन की, आसन की यह स्थिति होते हुए भी नहीं देख सकते। आप आसन के साथ यह व्यवहार कर रहे हैं। आप आसन को चुनौती दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो क्या करोगे?

श्री अध्यक्ष: करने को तो बहुत कुछ है लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। आप विराज जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप करना चाहो जो करो, साहब, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: करने को बहुत कुछ है। विराज जाइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं नहीं बैठूंगा, अध्यक्ष महोदय। मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। चलिये आपकी बात मान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: खड़े रहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं राज्यपाल महोदय की, जिन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से इस वर्ष की जो भी हमारी उपलब्धियां थीं, सरकार की उपलब्धियां थीं, उसको सदन के माध्यम से ...(व्यवधान)... जनता के सामने रखने का काम किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह आंतरिक लोकतंत्र है क्या भारतीय जनता पार्टी का? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बेनीवालजी, बैठ जाइये। बेनीवालजी, बैठ जाइये। कृपया आप बैठ जाइये। व्यवस्था मेरे हाथ में है। आपके हाथ में नहीं है। बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसका मैसेज गलत जा रहा है। ....(व्यवधान)....

(17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बेनीवालजी, बैठ जाइये। ....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरा राजस्थान देख रहा है, साहब, पहले तो आप चुपचाप लड़ते थे, अब तो सड़क पर आ गयी लड़ाई। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: मिस्टर हनुमान बेनीवाल, आप बैठिये। नहीं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। चेयर पर मैं हूं आप नहीं हो, बैठ जाओ। चेयर पर मैं हूं, आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। कृपया बैठ जाओ। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह सही है कि सरकार कोई भी होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय हमेशा जो अभिभाषण अपना पढ़ते हैं और सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, उनके अभिभाषण के ऊपर प्रतिपक्ष को तो कोई भी सच्चाई दिखाई नहीं देती है और जो सत्ता पक्ष है, उसकी अपनी सरकार की उपलब्धियों का यह दस्तावेज माना जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा बहुत सारे सालों से चलती आ रही है और अभिभाषण की कितनी सच्चाई है... ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): यह लोक तंत्र में ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवहार उचित नहीं है। यह व्यवहार उचित नहीं है आपका। सदन की नेता बोल रही हैं। ....(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालो। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता सहित एक को भी नहीं बोलने देंगे हम। हम भी संख्या में 162 हैं। ....(व्यवधान)....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): यह सदन की गरिमा नहीं है, जब सदन की नेता अपनी बात कह रही हैं। हमने भी विपक्ष के नेता को चुपचाप सुना है। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तरीका नहीं है इनका। यह कांग्रेस के साथ मिली भगत है क्या? तिवाड़ी जी, जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
खेल रहे हैं, उसका हश्र भी हमें मालूम है। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य विपक्ष से मिली भगत करके यह खेल खेल रहे हैं उसका पर्दाफाश ....(व्यवधान)....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): यह बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने उनको चुपचाप सुना। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं, शुरू में मैंने कहा था कि आज मैं अपेक्षा करता हूं कि जब प्रतिपक्ष के नेता का भाषण हो तब भी और जब सदन के नेता का भाषण हो तब भी शांति से सुना जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता को हमने बड़ी शांति से सुना। किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अपने उप नेता को चुप कीजिए और यह स्थिति ठीक नहीं है। ....(व्यवधान).... बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ। प्रतिपक्ष के नेता बैठाइये। आप बैठिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मिस्टर बेनीवाल, आप बैठ जाइये। वह तो रोज ही सोचकर आते हैं कुछ न कुछ करने का, अख़बार में छपाने के लिए, मैं जान रहा हूं, कई दिनों से देख रहा हूं। कल भी चले गये थे आप। कल वॉक-आउट करके चले गये तो आज आए क्यों? चलो ठीक है। प्रतिपक्ष के नेता। ....(व्यवधान).... नो, एक शब्द नहीं जाएगा इनका कार्यवाही वृत्तांत में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: हां, जाइये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलने दूंगा। मेरी इजाजत के विपरीत यहां पर कोई नहीं बोल सकता। मेरी बिना इजाजत के कोई नहीं बोल सकता, यह आप भी जानते हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। आपको मैंने चैम्बर में भी कह दिया था कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपने कहा था कि मैं सवाल करुंगा। मैंने कहा नहीं करने दूंगा आपको सवाल। नहीं करने दूंगा। बैठिये आप, बैठ जाइये आप। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये, मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, बैठ जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: अनुशासित विधायक के रूप में यहां बिहेव कीजिए, मिस्टर, सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक, अनुशासित विधायक की तरह, अनुशासित विधायक की तरह। आप यह जो अव्यवस्था कर रहे हैं, वरिष्ठ हो ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको मना कर दिया था चैम्बर में भी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: यह सब बेकार है। कल आपका नाम था, आप कल बोलना नहीं चाहते थे वॉक-आउट करके चले गये। मैंने आपसे कहा था कि बोलने की इजाजत देंगे, आप वॉक-आउट करके चले गये इसलिए बैठिये आप। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। चले गये कल इनका नाम था, कहा था मैंने। आपसे भी कहा था। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाम हमने दिया, उसमें नाम था। आप बीच में चले गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नाम था। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: असत्य बोलने से, आपके और मेरे चैम्बर में जो बात हुई है, मैं यहां पर बोलूंगा तो यह सब हंसेंगे आप पर। मैंने आपसे कहा था तो आपने कहा कि साहब, मैं अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं, अमेंडमेंट। यूं खड़े होकर। मैंने कहा कि अमेंडमेंट आप उस वक्त कीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: आपने मुझे कहा कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा, देंगे, और बोलने का मौका दिया, आप उस समय बोलना नहीं चाहते थे, वॉक-

(श्री अध्यक्ष)

आउट करके चले गये। अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अनुशासित विधायक की तरह मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप विराज जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: हां, चुपचाप खड़े रहिये। हां, ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता महोदय।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि जो भी अभिभाषण के अंदर चाहे कितनी भी सच हो, उसको तो विपक्ष कभी स्वीकारेगा ही नहीं। ....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मुख्य मंत्रीजी का पार्टी पर नियंत्रण ही नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बीच में क्यों व्यवधान करते हो। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम से पुकारिये इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको नाम से पुकारिये। नाम से पुकारो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको। यह क्या हो रहा है? कौनसी परम्परा डाल रहे हैं यह? ....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इस तरह का व्यवहार करने पर अगर आसन बिलकुल लाचार है, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूं कि यह पहली बार मैंने भी, तीस-चालीस साल यहां पर रहते हो गया लेकिन जिस प्रकार का दृश्य आज पेश हुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको रोकिये। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दाग बनेगा और इस तरह से कोई भी सदस्य इस प्रकार से व्यवहार करता है, मैं सोचता हूं कि हमने प्रतिपक्ष के नेता बोले तो एक शब्द भी उठकर जवाब नहीं दिया, चाहे अच्छा था या बुरा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

था। मैं सोचता हूं कि यह सब प्रकार की सीमा लांघ रहे हैं आज पहली बार। एक बार टोक दिया, बात समझ में आ सकती है लेकिन लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक खड़े होकर अपनी जो कुछ भी योग्यता दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए एक दाग बनेगा कभी भविष्य में जाकर।

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी, आपको मैं निवेदन करता हूं विराज जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर रहा हूं, विराज जाइये। बाकी मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा जो देख लेंगे। आप जा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

सदस्य का बाहर चला जाना

घनश्याम तिवाड़ी, श्री, सदस्य को आसन द्वारा बाहर चले जाने का निर्देश

श्री अध्यक्ष: मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, आप बाहर जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: यस, जाइये बाहर।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, माननीय सदस्य, सदन से बाहर गये)

श्री रमेश (सपोटरा): यह तो बहुत गलत बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। प्रतिपक्ष के नेता, आप इनको बैठाइये। प्रतिपक्ष के नेता, आप इनको बैठाइये। ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका क्या नियंत्रण है? प्रतिपक्ष के नेता, हमने आपको एक घंटा सुना है। हमने एक घंटा सुना है आपके ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): तुमको भी भुगतना पड़ेगा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: मैं जानता हूं आपको।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं वॉक-आउट करता हूं।

बहिर्गमन

(श्री रमेश (सपोटरा), माननीय सदस्य, इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: लौटने की जरूरत नहीं है, अनुशासनहीन आदमी को। जाओ। ....(व्यवधान)....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकालो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, आपने अपना नियंत्रण देख लिया न कि आपका नियंत्रण कितना है? देख लिया आपने। ....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ....(व्यवधान).... मैं भी वाक-आउट करता हूं।

(श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: हां, जाओ। आप बाहर चले जाइये। ....(व्यवधान).... आइंदा देख लूंगा मैं आपको, जाइये बाहर, बाहर जाइये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बाहर निकलो, बहुत होशियारी कर रहे हैं। ....(व्यवधान)....

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: बाहर जाइये। बाहर जाओ, बाहर जाओ। माननीय सदन की नेता।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि जो प्रतिपक्ष के नेता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर ही प्रजेंट नहीं थे, 65 साल में पहली दफा ऐसी बात हुई है। आज वह इन सब चीजों को लीड कर रहे हैं। मेरे से 52 प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी पार्टी से पूछ रहे हैं, सदन के अंदर उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को उन्होंने सुना ही नहीं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि वह तो अभिभाषण के अंदर आप कुछ भी लिख लो, चाहे, क्योंकि वह कोई झूठ का पुलिंदा तो होता नहीं है। उस अभिभाषण के अंदर वह सब चीजें लिखी जाती हैं जो साल के अंदर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सरकार ने काम अपना किया है। जमीन के ऊपर आया है, लोगों ने उसको देखा है परंतु यह ठीक है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रतिपक्ष की ओर से हमेशा उसको नकारा ही जाएगा।

पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि यह बड़ी गलत परम्परा है और कहीं न कहीं इस गलती को अपने को मिलकर सही करने की जरुरत है। आखिर जो भी अभिभाषण होता है वह पॉलिसी डाक्यूमेंट है और वह पॉलिसी डाक्यूमेंट हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण के द्वारा पब्लिक के बीच में जाता है और मैं समझती हूं कि साढ़े सात करोड़ जनता के सामने अगर इसको रखने की जरूरत होती है, हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में जाए, लोगों को समझ में आए कि इस साल के अंदर क्या काम हुआ है।

अगर आप देखें तो पार्लियामैंट्री ट्रेडिशंस के अंदर भी आपके और विभिन्न अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के अंदर भी, कौल और शकधर ने भी इस बात को उठाया है और सब लोगों ने यह स्वीकार किया है कि पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी का यह एक बहुत ही, जिसको कहते हैं सैंक्टिफाइड दिन है और ऐसे दिन को, माने, सब लोगों को बैठकर जो अभिभाषण होता है, उसको सुनने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अफसोस है कि ऐसे वक्त भी वह ही सीन जो पिछले चार साल से रिपीट होता जा रहा है, वही सीन हम लोगों को आज फिर से देखने को मिला और हमको ही नहीं, पुरे राजस्थान को देखने को मिला कि हमारा सदन शर्मिन्दा हुआ, जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर काला धब्बा लगा और मैं समझती हूं कि उसमें रोकथाम करने की अब हम लोगों को बहुत जरूरत है। 65 साल के अंदर जो हमेशा ट्रेडिशंस हुए हैं, जिस ट्रेडिशन को, चाहे प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब लोगों ने मिलकर उस ट्रेडिशन को मजबूत किया है। आज उस चीज को तितर-बितर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वह कहां तक सही है, और इसकी रेस्पांसिबिलिटी खाली सत्ता पक्ष की नहीं है, प्रतिपक्ष की भी है। मैं समझती हूं कि उनको अच्छी तरह से निभाने की इन लोगों को कोशिश करने की जरुरत है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की परिभाषा में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है और दोनों की भूमिका यस, अलग-अलग है, हम लोग सब जानते हैं परन्तु आखिर में कर्तव्य हम दोनों का एक ही है। हम लोगों को मिलकर इस सदन की गरिमा को बनाये रखना है और इस सदन की गौरवशाली परम्परा को जिन्दा रखने की कोशिश करना है। यह हमारा और आपका दोनों का काम है।

हमें दु:ख इस बात का है कि अगर आप देखेंगे पिछले चार दिन का जो फोकस हुआ है और जो फोकल पाइंट हुआ है, बार-बार घूम-फिरकर अगर आप समेटो तो एक ही डिस्कशन के ऊपर आता है कि सिर्फ तीन उप-चुनाव हम लोग कैसे जीते, छह उप-चुनाव हम लोग कैसे जीते और एक्चुअली में सत्ता को किस तरह से प्राप्त करें, उसकी लालसा बिलकुल क्लियर, ओपन दिखाई दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं और कोई-सा भी उप-चुनाव हो, प्रतिपक्ष के नेता को भी यह मालूम है क्योंकि यह भी हाउस में कई दिनों से बैठे हुए हैं। चाहे वह स्थानीय निकाय का हो, चाहे वह पंचायती राज का हो, चाहे वह विधान सभा का हो,चाहे वह लोक सभा का हो, किसी का भी रिजल्ट जो होता है, अध्यक्ष महोदय, उसका आगे का भविष्य कोई भी साकार नहीं कर सकता, आगे नहीं सोच सकते कि यही भविष्य आगे चलकर होने वाला है। वह निर्भर होता है कि उस समय की परिस्थिति क्या होती है, उस समय लोग क्या सोच रहे होते हैं और उस समय परसेप्शंस क्या होते हैं।

इस अवसर पर मैं तो यह शुरुआत करनी चाहूंगी कि मांडलगढ़ से आने वाले हमारे नव निर्वाचित माननीय सदस्य श्री विवेक धाकड़, अलवर लोक सभा क्षेत्र के हाल ही में अभी निर्वाचित हुए हैं डॉ. करण सिंह जी यादव और अजमेर लोक सभा क्षेत्र से जो चुने गये हैं डॉ. रघु शर्मा, इनको मैं बधाई देना चाहूंगी और आशा करती हूं कि वह अपने क्षेत्र की जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर जरूर खरा उतरेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी एक संस्कारवान् पार्टी है और इसलिये हमने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
जनता का जो फैसला हुआ, उसको सिर-आंखों पर लिया और हमें जरा भी संकोच नहीं है, क्योंकि हम उनकी वजह से यहां है, उनकी वजह से हम काम कर रहे हैं। मैंने अपने विधायक दल के अंदर जब हमारी बैठक हुई थी, तब उसमें मैंने यह कहा कि यह एक वेक-अप कॉल है, उस वेक-अप कॉल से हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिये और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये। मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिये, यह वेक-अप कॉल हम सबको यह प्रेरणा देता है और इसको समझकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है। इसको पूरी तरह से हमें स्वीकार करने की जरूरत है और हमने स्वीकार किया है। इसको स्वीकार करते हुए राजस्थान के आगे की विकास यात्रा को और तेज हम कैसे करेंगे और तेज हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को बैठकर सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष इस चीज को नहीं भूले कि आजादी के बाद देश के 50 साल तक राज करने वाली जो पार्टी थी, वह आज सिमटकर सिर्फ 4 प्रदेशों के अंदर क्यों रह गयी? कुछ तो कारण होगा और वहां भी जो भी सुनती हूं, वहां भी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके बारे में उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है। बार-बार अपने को कहने की जरूरत नहीं है और यह भी ध्यान में आये कि जिस पार्टी ने 1984 के अंदर खाली दो सांसद लोक सभा के अंदर लाये थे, आज उस पार्टी के पास इस देश के अंदर 19 राज्यों के ऊपर उनका राज काबिज है। कभी सोचा है आपने? यह तो बहुत आसान है यहां खड़ा होकर कल की हैडलाइंस के बारे में सोचकर अपने को जो भी कहना है, वह अपन कह सकते हैं। पर मैं समझती हूं कि हम में से कोई ऐसी रेस्पांसिबल पोस्ट पर होता है तो उसको बड़ी रेस्पांसिबिलिटी के साथ जो वह कह रहा है, उसको सोच-समझकर रखने की जरुरत है ताकि उसकी कोई गलत इन्टरप्रिटेशंस यहां से बाहर जाकर न हो।

अध्यक्ष महोदय, कारण भी मैं मानती हूं, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही निष्ठावान हैं। उन्होंने विपरीत से विपरीत समस्याओं और परिस्थितियों के अंदर मुश्किल से मुश्किल के साथ जूझे हैं और परिस्थितियों को किस तरह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

से अपने अनुकूल बना सकते हैं, वह भी करने का काम आगे किया है। इसलिये आपके सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। आप उसके बारे में मत सोचिये और आने वाले विधान सभा चुनावों के अंदर मैं आपको फिर से कहना चाहती हूं कि यह कमल खिलेगा और फिर से हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। हम आपको यहीं बैठे मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि आप वहीं हमको बैठे मिलेंगे। मैं यह इसलिये कहती हूं कि मुझे अपने संगठन के ऊपर, अपने कार्यकर्ता के ऊपर और प्रदेश की जनता के ऊपर पूरा-पूरा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की नीतियों के ऊपर पूरा विश्वास है और मुझे विकास पर विश्वास है जो उस आम आदमी के पास पहुंचा है, जो 50 साल तक नहीं पहुंचा था। मुझे उस पर विश्वास है। मुझे केन्द्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि हमने देखा है कि उन योजनाओं से लोगों के जन-जीवन में बदलाव आया है और हमने यह भी देखा है कि उनके बीच में खुशहाली लाने का काम उसने किया है और हमने अपने कानों से सुना है क्योंकि उन्होंने खड़े होकर हम लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखकर यह कहा है कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यह जो-जो काम आपने किये हैं, वह हम तक पहुंचे हैं और इससे हमारी जिन्दगी में बदलाव आया है, यह हमारे लिये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूं कि यह कारण आपके सामने हैं चाहे आप उसका मजाक बना लें, चाहे आप उसको सीरियसली न लें, परन्तु जनता इसको बहुत सीरियसली लेती है।

अध्यक्ष महोदय, भामाशाह योजना हो, या आपकी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को आपके द्वारा मैं यह कहना चाहती हूं कि इतना अच्छा और बड़ा काम हुआ है, बार-बार हमारे माननीय सदस्यों ने उसके बारे में सब लोगों के सामने पूरे फैक्ट्स एण्ड फीगर्स रखे हुए हैं और मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूं कि स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ-साथ जो फ्री मेडिसन की योजना है, उस फ्री मेडिसन की योजना में कहीं कोई कमी नहीं आयी है। आप किसी भी अस्पताल में पूछ सकते हैं, जो था, उसको बढ़ाने का काम किया है हमने, उसको घटाने का काम हमने अभी तक नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो, वह भी आप देखेंगे लोगों के बीच में जगह-जगह पर, करीब 330 हैं, जहां पर वह लगी हुई हैं, उसका लोगों को फायदा मिला है, लोग उससे खुश हैं और चाहे वह अन्नपूर्णा भंडार हमारा हो, उससे भी लोगों को फायदा हुआ है। चाहे वह हमारे गौरव पथ हों और चाहे मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना हो, अध्यक्ष महोदय, इस गौरव पथ के अंदर जो बीच की गांव की सड़क 50-50 साल से गंदी थी, जिसके लिए महिलाएं कहती थीं कि घुटनों-घुटनों तक हमको चलना पड़ता है उस कीचड़ के अंदर, आज 50 साल तक किसी ने हमारी सुनी नहीं है, आज उस गौरव पथ की वजह से हमारी इज्जत हमारे गांव के अंदर बनी है। मैं आपको कहना चाहूंगी 2015 के अंदर 3,904 किलोमीटर, यानी आप यह समझिये 4 हजार किलोमीटर, जिसके ऊपर हमने करीबन 1800 करोड़ रुपया खर्च किया है कि गौरव पथ जगह-जगह पर बनें और जहां लोग नहीं चाहते थे या जहां बन चुका था, वहां मिसिंग लिंक्स का काम हमने उनके साथ-साथ किया है।

इसी तरीके से मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की आप लोग बात करते हैं तो जनवरी, 2016 के अंदर इस बात को उठाया। शायद आपको चिन्ता होती होगी परन्तु मैं यह बताना चाहती हूं कि हर गांव के अंदर जो परिस्थितियां 50 साल के बाद तो हमको देखने की जरुरत ही नहीं होनी चाहिये थी। जिन लोगों ने इस राज को चलाया है, लगातार चलाया है, उनको इन सब चीजों को पहले से ही देखभाल करके राजस्थान की जनता, क्योंकि मैं यह मानती हूं कि कभी एक बार एक पार्टी आती है, या दूसरी पार्टी आती है अगले पांच साल के अंदर तो हो सकता है कि बीच में ब्रेक हो जाए परन्तु जहां 50 साल से एक ही पार्टी चल रही है, अगर वह भी हमारे प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकती है तो फिर उसके बारे में उसको मैं नहीं समझती हूं कि खड़े होकर कुछ बोलने का राइट हो, राइट ही नहीं है।

मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि कि हमारी राष्ट्रीय योजना हो या न्याय आपके द्वार हो, अगर आप उसको देखेंगे तो आज राष्ट्रीय योजना के अन्दर हमने करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और 8.13 लाख लड़कियां बेनिफिटेड हुई हैं। यह फर्स्ट जून, 2016 से ही चालू की है। तो It's not

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

even one year old. उसके अन्दर इतना पैसा भी खर्च किया है और इतनी लड़कियां बेनिफिट हुई हैं और वे जब बारहवीं तक पहुंचेंगी तब एक-एक बच्ची को पचास हजार रुपया मिलने वाला है। उसके अकाउन्ट में चला जाएगा। समझिए कि उसको कितना फायदा मिलने वाला है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि वह जमाना गया जहां पैसा हाथों से हाथों में जाया करता था जिसकी बात वह कर रहे थे। वह अब हो ही नहीं सकता है क्योंकि अब डायरेक्ट उसके अकाउन्ट में जाता है। भामाशाह का काम ही यह है और भामाशाह ने अपने कार्ड के द्वारा, अपने अकाउन्ट के द्वारा उसको डायरेक्ट उसके अकाउन्ट में पहुंचाने का काम किया है। तो जो पचास साल के लीकेजेज थे वह सब लीकेजेज अब बन्द हो गये जिसकी वजह से जनता हमको बार-बार धन्यवाद देती है।

न्याय आपके द्वार को आप देख लीजिए। इसमें सिम्पल, सिम्पल बातें थी, अगर पचास सालों से लगातार किया जाता था तो मैं समझती हूं कि जनता को परेशानी से गुजरना नहीं पड़ता। आज आप देख लीजिए कि न्याय आपके द्वार में सिर्फ अप्रैल, 2015, ढाई साल के अन्दर दो दफा हुआ है और उसके अन्दर करीब एक करोड़ कैसेज हम लोगों ने सुलझाये हैं। इतने सारे कैसेज। अगर पहले से काम किया गया होता तो मैं समझती हूं कि यहां तक पहुंचने की अपने को जरुरत नहीं पड़ती। इन तमाम योजनाओं ने प्रदेश के उन लोगों की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है जो आजादी से लेकर अब तक विकास से वंचित रहे। यह सबसे बड़ी बात है और इसको ध्यान में रखने की जरुरत है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात का है कि प्रतिपक्ष की भूमिका रचनात्मक है ही नहीं। कब तक क्रिटिसिज्म होता रहेगा। मैंने पिछली बार भी आपसे जिक्र किया था और मैंने यह सोचा था कि आपके द्वारा यह बात उन तक पहुंचेगी। कहीं कहीं कोई अच्छी बात होती है तो उस अच्छी बात की सराहना करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इनका काम तो बिलकुल विरोध ही करना है। कोई भी बात आ जाए, कोई भी बात उठे, उसको विरोध करने का है। चाहे हम कितना अच्छा भी विकास करें उनके सामने। विकास तो हुआ ही नहीं है। काम तो गलत ही हुआ है क्योंकि अपने को राजनीति ही करना है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर व्यवधान। यह तय हुआ है कि प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं या सत्ता पक्ष नेता खड़े होते हैं तो कुछ रूल्स के हिसाब से अपन चलेंगे लेकिन रूल्स के हिसाब से अपन चलने वाले नहीं हैं क्योंकि अपन ने तय कर लिया है कि अपन वही काम करेंगे जो अपने मन में आती है। रूल्स तब पढ़ना चाहते हैं जब अपने को सूट करता है और नहीं, तो वह रूल्स को अनदेखी करके जैसा मन आता है, उसी तरीके से हम अपना व्यवहार बनाये रखेंगे और एक्सपेक्टेशन यह रखेंगे कि चेयर और सत्ता पक्ष भी उस चीज को मान जायेगा। यह नहीं होने वाला है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें।

प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आज आदरणीय डूडी साहब इस कुर्सी पर बैठे हैं। इस कुर्सी पर हमारे स्वर्गीय भैरोंसिंहजी साहब बहुत ही कद्दावर नेता विराजा करते थे। मैं आपको यह कह दूं, मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के हित के लिए जब फाइनेंस कमीशन के सामने जाने की जरूरत थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ज्ञापन देने की बात हुई तो ऐसे समय में भैरोंसिंह साहब पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार के साथ खड़े थे क्याकि उन्होंने यह सोचा कि काम जरूरी है और यह काम राजस्थान की जनता को बेनिफिट देने वाला है इसलिए भले ही कांग्रेस की सरकार क्यों न हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और खड़े रहे।

अभी हाल ही का एक उदाहरण है। किसानों की बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, क्या हम राजनीति के बाहर या राजनीति से परे होकर इसके बारे में सोचने का काम कर रहे हैं क्या? इसको भी हम सिर्फ राजनीति में उलझा कर रखेंगे? किसानों के हितों की समस्याएं जो उठ रही थीं, उसका अध्ययन करने के लिए हमने एक दल केरल भेजा था। इसमें प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था, परन्तु वे नहीं आये। केरल एक ऐसी जगह है, जहां उनकी सरकार भी रही है। मैं समझती हूं कि अगर चार प्रदेशों में जाने की जरुरत हो या उनसे अगर पता करने की जरुरत हो कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, जिससे किसान को बेनिफिट हुआ है, अगर वह हम कर लेते

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी जाते हैं और अगर प्रतिपक्ष के लोग भी जाते हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? कुछ सीख कर ही तो आएंगे। परन्तु नहीं, हम नहीं जाएंगे।

इसका उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूंगी। जब मैं विपक्ष में थी तो आपको याद होगा कि टोंक रोड के ऊपर आईओसी का एक बहुत बड़ा टर्मिनल था, जिसके अन्दर आग लग गयी थी, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय। बहुत बड़ा हादसा था। सब लोग बहुत चिन्तित थे और सब लोग उसके अन्दर जुटे थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने, हमने यह सोचा था कि बहुत अच्छा प्रयास किया था और इसलिए उसी वक्त हम लोगों ने यह कहा कि सरकार ने अच्छे प्रयास किये हैं, हमने उस प्रयास की सराहना की। कोई प्राब्लम नहीं है। अगर जनता का कोई काम कर रहा है, उसने अगर अच्छा काम किया है तो उसमें मीन मेख निकालने की क्या जरुरत है? उसमें बड़ा दिल रख कर अपन कह सकते हैं कि नहीं, अच्छा काम किया है, हम आपके साथ हैं। मैं समझती हूं कि इसको हमारे प्रदेश की जनता एप्रिशिएट करेगी। इससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा क्योंकि हम और आप पर्सनली या पार्टी टू पार्टी पर्सनली की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है, इसका असर हमारी पूरी जनता और पूरे प्रदेश के ऊपर होता है। हम भी विपक्ष में थे। हम भी क्रिटिसाइज कर सकते थे परन्तु हमने नहीं किया। मेरा मानना यह है कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है अध्यक्ष महोदय, तो सभी को मिलकर अपनी डिफरेंट ओपीनियन को अलग करके जनता का सोच कर, काम वैसे ही करना चाहिए जिससे उनको फायदा हो।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का भी है कि राजस्थान में अब तक सबसे बड़ी रिफाइनरी को लेकर शब्दों का बाण लगातार चल रहा है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें आपके सामने रखी गयीं हैं। मैं थोड़ी-सी बात अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगी कि आपने जो चुनाव के चन्द दिन पहले, मैं तारीख बता दूं, 23 सितम्बर, 2013, आचार संहिता लगी, ऑन दी फोर्थ ऑफ अक्टूबर, 2013, एक महीना भी पहले नहीं था। 2013, 23 सितम्बर को बिना बजट के, बिना क्लियरेंस के, बिना प्रोपर प्लानिंग के रिफाइनरी का पत्थर लगा कर पचपदरा में रख दिया। पत्थर लगाना तो बड़ी आसान बात

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
है। इसके पीछे जो काम जाता है उसके ऊपर ध्यान देने की जरुरत है और फिर वह पत्थर भी वहां लगाना नहीं चाह रहे थे। सोच कुछ और रहे थे। किया कुछ और। यह तो अलग ही कहानी है इसलिए इसके बारे में कुछ कहने की जरुरत नहीं, पर इस तरह का अगर कोई बहुत बड़ा गेम चेन्जिंग प्रोजेक्ट होता है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि जमीन पर लाना हम सबका बड़ा कर्तव्य है और राजधर्म तो यही कहता है कि हम छोटी-छोटी बातों और संकीर्ण दायरे में से निकल कर जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए उनके बेस्ट इन्ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए नेगोसिएशंस ऐसे करें कि बेस्ट ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आये जिसको हम प्रदेश और प्रदेश की जनता के सामने रख कर उसको जमीन पर लाने का काम करें। ये अच्छी तरह से कर सकते थे। इनको किसने रोका? चार साल इनके निकल गये थे। 23 सितम्बर का मतलब क्या हुआ? आप यह समझिए कि दस दिन पहले यह सब काम कर रहे हैं। आप आराम से कर सकते थे पर आपने नहीं किया। यहां तक कि ट्रांजेक्शन एडवाइजर भी नहीं था। कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था, अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है कि बिना ट्रांजेक्शन एडवाइजर के होता नहीं है। आपका ट्रांजेक्शन एडवाइजर हो, आपका प्लानिंग हो, आपकी सोच हो, कहां जमीन है, वह सोचें, कितना ऑयल है और कितना पैसा डालने वाले हो, उन सब चीजों को सोचने की जरुरत है। ऐसे जाकर मजे से कहीं भी पत्थर लगा दो, और बिना लैण्ड एक्वीजिशन के। इसीलिए तो फिर उठा कर लाये।

मैं तो यह कहती हूं कि आप लोग सबको हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी नरेन्द्र मोदी को, हमारे केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानजी को जिन्होंने मदद करके दुबारा इस एमओयू को खड़ा किया, उसमें हमारे मदद की और वह भी रिकॉर्ड टाइम में।

क्योंकि You are taking huge amounts of money. ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी को इस तरीके से एक रात के अन्दर नहीं करा सकते। यह जनता का पैसा है, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है कि एक मिनट में आप यह सोच सकते हो कि जनता के पैसे को यहां से वहां हम आराम से रख सकते हैं, नहीं रख सकते, जनता की अमानत हमारी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
जिम्मेदारी में दिया गया है, हम उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, यह सबसे बड़ी चीज है।

इसी तरीके से आपने मैट्रो भी लगा लिया। जब सब लोग आपको कह रहे हैं कि अभी You cannot put it. इसलिए You cannot put it because.. इसके लिए आप It's too early. आप अभी नहीं कर सकते, आपको फायदा नहीं होगा और अगर आप अभी करते हो तो हर साल आपको 50 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगें, जो हम दे रहे हैं। 12 हजार करोड़ ऐसे ही लगा दो? कुछ तो सोच-समझ कर करने की जरुरत है, आखिर में इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी है। उस प्रदेश की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं है, हम सब की है। इसलिए रेस्पांसिबल तरीके से हम लोगों को खड़े होकर सदन के अन्दर बात करने की जरुरत है ताकि जो सुन रहा है प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनता, जो भी सुन रहा है उसको यह ध्यान में आयेगा कि हां, हमारे लिए दोनों लोग कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां कोई एप्लिकेशन आफ माइंड लगा ही नहीं। आप यह समझिये कि राजस्थान पर पड़ने वाले वित्तीय भार में 40 हजार करोड़ की बचत की हमने और, अध्यक्ष महोदय, हम आज के फिगर्स नहीं दे रहे हैं, हम उनके फिगर्स दे रहे हैं। उनके फिगर से 40 हजार करोड़ की जो बचत की है तो यह आप भी कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, चार साल आपको मिले। इलैक्शन के दस दिन पहले आपको कैसे सपना आया कि सोनिया गांधी जी को ला कर हम को यहां पत्थर लगाने की जरुरत है? क्या आपने यह तो नहीं सोचा था कि शायद हमको इससे वोट मिल जाएं? हो सकता है, मैं तो यही कह सकती हूं क्योंकि अगर आपने इसके बारे में तब सोचा होता तो अच्छा रहता क्योंकि जमीन भी अपनी थी, तेल भी अपना था, सेन्टर और स्टेट गवर्नमेंट भी आप ही की थी, नेगोशिएट आपको ही करना था। यह सब काम आप कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने किया। हां, हम को समय लगा परन्तु हमने यह कहा, ठोक-पीट कर के हम राजस्थान की जनता के बेनिफिट के लिए कितना पैसा कम कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, इसको सोच कर हमने किया, उसमें टाइम लगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम उसको एक रात में नहीं कर सकते थे और मैं नहीं समझती हूं कि ऐसी बड़ी चीज को एक रात में करना चाहिए।

पहले जो रिफाइनरी आप लगाने जा रहे थे, आप यह भी देखिये। बचत भी की और उसके साथ-साथ जो आप पहले रिफाइनरी लगाने वाले थे वो केवल 4.5 एमएमटीपीए क्षमता की थी और, अध्यक्ष महोदय, अब जो रिफाइनरी लगने जा रही है वो है 9 एमएमटीपीए की। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि इसकी दुगुनी क्षमता है and 40 thousand crores less कटौती कर के, वो भी कम पैसों में।

मैं यह अकेली रिफाइनरी की कहानी नहीं बता रही हूं, अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत जगह पर हुआ है क्योंकि यहां तो बड़े लैक्चर देते हैं परन्तु फील्ड में क्या हुआ है, पिछले सालों में क्या हुआ है, उसके ऊपर भी निगाह डालने की जरूरत है। पिछली सरकार ने जाते-जाते करीब 51 हजार करोड़ रुपये के प्रदेशभर में पत्थर लगाये। प्रदेशभर में, काम एक भी शुरू नहीं किया। मैं आपको अभी एक बता दूं, 17 सितम्बर, 2013, 17 सितम्बर कितने दिन हो गये, आप यह समझिये 20 दिन पहले, आचार संहिता के 20 दिन पहले, वो भी नहीं, 16 दिन पहले, 4 अक्टूबर को आचार संहिता आती है, उन्होंने राहुल गांधी को बुला कर बारां जिले के अन्दर परवन नदी का पत्थर लगा दिया। ये पत्थर लगाने में बहुत माहिर हैं। हम लोग इनको इस चीज में बीट ही नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश हम कर लें। ये पत्थर लगाने का काम तो इतना बढ़िया है, अगर उसी तरीके से आप एक्चुअली में काम कर लेते तो मैं नहीं समझती हूं कि आपको प्राब्लम होती परन्तु कभी नहीं किया और मैं समझती हूं कि आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जिस पत्थर को आपने लगाया उसका सम्मान हमने किया, उस रिफाइनरी को शुरू करने का काम और उसका निर्माण का काम, जो आप नहीं कर सकते थे उसको हमने करने का काम किया। धन्यवाद दे दो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कभी-कभी हमारी दो-चार योजनाओं की तारीफ भी कर लेते तो कितना अच्छा लगता क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक जो लागू नहीं हो सके, ऐसे-ऐसे कार्य हम लोगों ने किये हैं, ऐसे-ऐसे में कभी-कभी अगर आप धन्यवाद दे देते हो तो मैं समझती हूं कि बहुत अच्छा होता।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जो करना चाहते थे उसको हम लोगों ने करके दिखाया है। याद है जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सब को यह कहा था कि एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। कहा था कि नहीं कहा था? सॉरी, कहा था कि नहीं कहा था, आपके द्वारा मैं पूछ रही हूं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, आपके द्वारा मैं पूछ रही हूं, अध्यक्ष महोदय। एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे जाता है, यह मुझे याद है, उन्होंने कहा था। अब उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेहनत की और आज राजस्थान की जनता को हमने एक ऐसी योजना दी है जिसके बारे में अभी लोगों ने बात की, उसका नाम भामाशाह योजना है, जिसके माध्यम से बिना किसी भी लीकेज के सरकारी योजना का शत प्रतिशत पैसा अब लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। हमने ध्यान रखा, एक रुपये में से खाली 15 पैसा जा रहा है, अब पूरा का पूरा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जा रहा है। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपने को भी हमने पूरा करने की कोशिश की और किया।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 1952 के बाद के जो कई परिवर्तन है, ये सदन साक्षी है, उसने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। कई सैक्टर्स में हमारा प्रदेश कमजोर भी था, अब मैं नहीं कहना चाहती हूं किसने किया, किसने नहीं किया, 50 साल तो जिसने किया वो तो अपने सामने है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की जो मर्यादा के खिलाफ खुले में शौच की प्रवृत्ति राजस्थान के माथे के ऊपर एक कलंक है, मैं समझती हूं कि हम लोग इस सब चीज को मानते हैं लेकिन इस कलंक को मिटाने का एक अच्छा प्रयास हम लोगों ने करने की कोशिश की है। सब लोग उसमें लगे हैं, चाहे वो नीचे से नीचे सरपंच हो, सरपंच से लेकर ऊपर तक सब लोगों ने मेहनत करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। आप लाग तो सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए महात्मा गांधी जी का नाम इस्तेमाल करते हो पर अगर गांधी जी को सही मायने में किसी ने श्रद्धांजलि दी है तो वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का बीड़ा उठाया 02 अक्टूबर, 2014 को और तब से लेकर आज तक उस क्षेत्र के अन्दर मेहनत करके ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश जहां हर स्टेट के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अन्दर हम हमारी महिलाओं की इज्जत को बनाये रख सकते हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर निकाय हो, वो खुले में शौच से बहुत हद तक मुक्त हो गये हैं। ओ.डी.एफ. माने ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया जो हमारा है उसमें हमारे ग्राम पंचायत टोटल 9891 में से 9148 ओ.डी.एफ. हो चुके हैं, यह 92 परसेंट हैं, अध्यक्ष महोदय, और हमारे अरबन लोकल बॉडीज, नगर निकाय यह 191 हैं, अध्यक्ष महोदय, और उनमें से 164, 86 परसेंट हमारे ओ.डी.एफ. हो चुके हैं। इतना बड़ा काम, हो सकता है कि सबको लगता है कि यह छोटा काम है परन्तु मैं आपको यह कह सकती हूं कि इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगी है। कम से कम ऐसे विषय पर तो आप लोग एक सकारात्मक रुख दिखाएं, ऐसे टाइम के ऊपर तो थोड़े से राजनीतिक चश्मे उतारें। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको कहते हुए आज बहुत प्रसन्नता है कि शौचालय निर्माण में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी श्रेणी में आता है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ भी कहें लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कई वर्षों से निष्पक्ष रूप से अलग-अलग स्टेट्स के सरकारों के काम का मूल्यांकन करते हैं। ऐसी संस्थाएं राजस्थान के अन्दर वो कह कर नहीं आते, कभी कह कर भी आते हैं कभी कह के भी नहीं आते, वो आते हैं, दौरा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, ऐसा राजस्थान में भी हुआ है।

आप बताओ, यहां बैठे हुए हैं कि यह सही नहीं है कि भामाशाह योजना के अंदर हम देश में प्रथम आए हैं, इतनी बड़ी बात है। हम यहां उसका भले ही मजाक करें, परंतु पूरा देश उस चीज को मानता है। यह महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाकर 2 हजार रुपए उसके अकाउंट में डालकर उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में देकर उसको महिला मुखिया बनाकर हमने यह कार्ड बनाने का काम किया है और 15 अगस्त, 2014, क्योंकि हमने शुरू तो किया था 2007-08 में, परंतु उसके बाद पांच साल के लिए इन्होंने उसके ऊपर बड़ा क्रॉस लगा दिया। फिर उसको आगे ले जाना ही नहीं है। माननीय, अगर उसके पहले हो जाता तो मैं समझती हूं कि आज तक हम लोग कहां पहुंच गए होते। आज भी दुनिया में नाम है राजस्थान का,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
क्योंकि राजस्थान ही एक वह प्रदेश है, जिसने तब से लेकर आज तक बड़े आराम से, बड़े प्यार से डीबीटी के फार्मूला को लगाकर यहां तक प्रदेश को पहुंचाने का काम किया है। आज जो लोग एनरोल्ड हैं, वो करीबन 5.56 करोड़ जनता हमारी उसमें एनरोल्ड है। अब मजाक कर लें उसमें। जो फैमिलीज हैं, वो करीबन 1.52 करोड़ फैमिलीज हैं। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रान्जेक्शंस हुए हैं, वो करीबन 35 हजार करोड़ के हुए हैं और जो अमाउंट ट्रांसफर्ड हुआ है बैंक्स में 13 हजार 178 करोड़, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। छोटा-मोटा काम नहीं है यह।

अध्यक्ष महोदय, बीएसबीवाई के अंदर अभी तक, हमने इसको 13 दिसंबर, 2015 में शुरू किया था। जो पैसा हमने इसमें खर्च किया है, वह 1 हजार 71 अभी तक। जो लोग बैनिफिट हुए हैं इसमें करीबन 17-18 करोड़। जो प्राइवेट एण्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसके साथ जुड़े हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। Approximately, there are 656 private and 501 government hospitals, जो इसके साथ जुड़े हैं। अभी हम मजाक कर रहे थे न इसका कि इसमें हमको क्या मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना ही कह सकती हूं, कुछ दिन पहले 7-8 महीने पहले जब मैं एसएमएस हास्पिटल गई थी, कोई हादसा हुआ था तो किसी से मिलने गई थी, चारों ओर भीड़ थी। मेरे कंधे पर किसी ने लगातार हाथ लगाने का काम किया। मैंने सोचा कौन है यह, हाथ हटाया, पीछे मुड़कर देखा, तो एक महिला थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मुझे कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूं पर मैं आपको खाली धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का काम किया। क्यों? उसने कहा कि रात को मेरे हसबैंड को मैसिव हार्ट अटैक हुआ। रात के 12 बज रहे थे, लेट था, मेरे पास घर में पैसा नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं था, हां, भामाशाह कार्ड था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे डील करुंगी। मैं उनको वहीं के वहीं उठाकर हास्पिटल में ले आई। हॉस्पिटल में उन्होंने मुझसे यह पूछा कि तुम्हारे पास कार्ड है क्या? मैंने कार्ड दिखाया और मैडम, मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि इस कार्ड के ऊपर 8 घंटे का आपरेशन हुआ और आज मेरे हसबैंड की जिंदगी बच गई है। मैं आपको इसके लिए बार-बार धन्यवाद

देना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, हम इसी के लिए जिंदा हैं। हम इसी के लिए जिंदा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से। उनका प्यार हमको मिलता है, उनका आशीर्वाद उसके साथ मिलता है तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस दिन उसके आंसू देखकर, उसके आंसू पोंछने का जब हमको मौका मिला तो हमको मालूम हुआ कि हमारी स्कीम कहां तक पहुंची है और चाहे कोई और कुछ भी कह ले, मुझे मालूम है कि उसका फायदा कितने सारे लोगों को पहुंचा है और मैं यही आशा करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वह पहुंचे ताकि उन सबको फायदा मिले।

यह भी प्रश्न पूछने का है कि क्या राजस्थान देश में सबसे ज्यादा ई-मित्र केंद्र स्थापित करने वाला प्रदेश है कि नहीं। उसका जवाब मैं दे दूं। पूरे देश के अंदर ई-मित्र सब लोग कराना चाह रहे हैं, 20 प्रतिशत इस देश के ई-मित्र आज राजस्थान के अंदर हैं and पूरे राजस्थान के अंदर 51 thousand e-mitras 400 सर्विसेज हमारी जनता को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मजाक क्यों करते हैं हम, जब मेहनत करते हैं, ठीक है, कभी-कभी चुनाव के अंदर कुछ-कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और आपको हम यह क्लियरली बता दें कि इस मेहनत का भी फल हम लोगों को मिलेगा। यह मुझे विश्वास है, क्योंकि हमने इस चीज को चाह कर नहीं किया है। राजस्थान के 6 हजार 151 राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में हमने विकसित किया कि नहीं किया? मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं कि किया है और क्या 150 मल्टीब्रांड प्रोडक्ट्स हमने जो अन्नपूर्णा भण्डार है, उसके द्वारा at better rates हमने जनता को उपलब्ध नहीं करवाया? हम जानते हैं कि हम लोगों ने करवाया है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि आज के दिन अन्नपूर्णा रसोई, जिसको हमने 16 दिसंबर, 2016 को शुरू किया था और यह कहा था कि मार्च, 2018 तक हम उसको 500 तक ले जाने का काम करेंगे। Today, '303' 119 नगर-निकायों में काम कर रहे हैं। 500 by March and almost 2 lakhs & 30 thousand beneficiaries हैं उसके जो जाकर बार-बार जब भोजन करते हैं तो हम सब लोगों को धन्यवाद क्या, आशीर्वाद देते हैं। यह मुझे विश्वास है, क्योंकि भोजन भी अच्छा है,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

साफ-सुथरा है। हम सबने उसको ट्राई भी किया है और मैं जानती हूं कि जहां लगा है, वहां बहुत सारे गरीब लोगों को 5 रुपए में और 8 रुपए में उसका फायदा मिल रहा है। अब यह सब सुनने के बाद फिर भी आप क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा नवाचार वाला पहला प्रदेश हमारा प्रदेश नहीं है, क्योंकि वो सब लोग तो मानते हैं कि है।

क्या हमारा प्रदेश देश में सबसे अधिक शहरों के बीच में हवाई सेवा प्रदान करने में नंबर वन पर नहीं है? हम आप सबको बता दें कि सुप्रीम एयरवेज को हमने 04-10-2016, यानी Fourth October, 2016 में चालू किया था। उड़ान वगैरह तब नहीं था। 2016 में हमने चालू किया था और हमने अलग-अलग जगह को उसके साथ ज्वाइन करने की कोशिश करी थी। आज उड़ान चालू हुआ है 26-09-2017 को और उससे भी कहीं ज्यादा फ्लाइट्स हमारे उसमें जुड़ गए हैं। आज राजस्थान जगह-जगह, from the Middle-east, Thailand to all the internal flights से हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं यह विश्वास करती हूं कि इसकी वजह से टूरिज्म के अंदर बहुत आगे निकलने का हमको एक मौका मिलने वाला है। ऐसे कई क्षेत्रों में हम लोगों ने पहला स्थान लिया है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि प्रतिपक्ष को यह चीज दिखाई नहीं देती। अभी तो मैंने schools and education और दूसरे कई सैक्टर्स की बात ही नहीं की है, क्योंकि मैं समझती हूं कि उसको लंबा लेने से कोई मतलब नहीं है, पर इतना ही कहूंगी मैं, स्कूल्स के बारे में कि जब हमने उसको इनहैरिट किया था तो उस समय 26वीं पोजीशन पर थे हम एजुकेशन में। आज चार साल के बाद, अब कुछ भी हो, ऐसा स्कूल दिया, वैसा स्कूल दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, आपने सब-कुछ कह दिया। मैं यह कह रही हूं कि 26वीं पोजीशन से आज थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारा स्टेट पूरे देश के अंदर है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मायने रखता है। कुछ तो मायने रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे राजस्थान जैसा परिवार मिला है, जिसने मुझे सम्मान दिया है, जिसने मुझे अपनाया है, मुझमें विश्वास रखा है और हम सबने भी यह कोशिश की है कि इस विश्वास को हम कायम रखें और कोशिश में हम किसी भी तरह की कमी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता का प्यार, उनका स्नेह यह सब हमारी ताकत है, हम इस चीज को मानते हैं। हम हमारी जनता के कर्जदार हैं। हम हमारी जनता के ऋणी हैं, जिसने इस प्रदेश को सजाने, संवारने का और उसकी सेवा करने का इतना बड़ा मौका हम सब इतने सारे लोगों को दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता and least of all, certainly not you.

अध्यक्ष महोदय, सत्ता तो एक माध्यम है। सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ने की कला तो इनसे बेहतर कौन जान सकता है, 50 साल से ये जो सत्ता के ऊपर काबिज रहे। साम, दाम, दण्ड, भेद, सब-कुछ इस्तेमाल करना और सारे हथियारों को किस तरीके से अपनाना है, वह सब ये जानते हैं, except one.... सेवा। सेवा को छोड़कर सब-कुछ कर लिया।

वो Records speaks for itself, मुझे उसके बारे में कुछ कहने की जरुरत नहीं है। महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, साल में दो दफा, उनको याद करते हैं, स्वच्छता पर बिलकुल भी ध्यान नहीं है। उसके ऊपर सबका मजाक करते हैं, सरदार पटेल की स्तुति गाते हैं जोर-जोर से लेकिन इमरजेन्सी को किसने लागू किया था, जनता को वोट बैंक में बांटने के माहिर, उसे सशक्त तो नहीं करना है अपने को, उसको किस तरीके से और डिपेन्डेन्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि जब वह डिपेंडेन्ट है, तब वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है तो वह प्रश्न पूछता है, हम कांफिडेन्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, हमसे वो प्रश्न पूछें हम चाहते हैं कि वो हमसे प्रश्न पूछें, हमको रास्ता बताएं और हम बार-बार चैंज कर करके उनके प्रश्नों का जवाब देने का काम करेंगे, ये जो प्रश्न, बिलकुल ही नहीं उसका जवाब देना चाहते हैं।

मैं एक कहानी बताना चाहूंगी, कुछ दिन पहले की बात हम जहां से, मध्य प्रदेश की बात है, मेरे घर की बात है, मैं वहां से जब निकली थी तो एक हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले थे, वो बैंक में काम करते थे तो चुनाव आ रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं अब बैंक की अच्छी नौकरी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा हूं तो एक दिन भोजन करने आये थे तो मैंने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

साइड में ले जाकर उनसे पूछा कि मुझे खाली इतना बता दो, कि भई इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा पेंशन, इतना सब कुछ आप, क्यों जा रहे हो कांग्रेस के अन्दर, तो उन्होंने मुझे यह कहा कि मेरे दो बेटियां हैं, अभी उनकी शादी करनी है, मुझे अभी अपने घर को बनाना है, ये सब मेरे को काम करने हैं, मैं यह बैंक की पेंशन पर, बैंक की तनख्वाह के ऊपर कैसे करूंगा। ये तो सोच था दूसरे ने कहा, मेरे को जहां मैं शादी होकर गई, वहां कहा मेरे को किसी ने कि आप ये रोज जा-जाकर इनसे क्यों पूछते हो और वो भी अपने कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये रोज जा-जाकर हैण्डपम्प लगा के नहीं, बिजली लगी के नहीं, क्यों पूछते हो। आप इस पूछने से ऐसी परिस्थिति में अपने आपको लाओगे, अभी तो पूछना ही नहीं, उनको तो अपने परेशानी में पीस कर रखों, ऐसे पीस कर रख दो कि उनको सिर उठाके पूछने का समय नहीं होगा कि भई, मेरा यहां पानी क्यों नहीं लगा, मेरे यहां बिजली क्यों नहीं लगी, ये तो सोच और ऐसी सोच वाले हमसे पूछ रहे हैं और ये हमको एडवाइज दे रहे हैं।

मैं यह कहती हूं कि 'गरीबी हटाओ' का नारा किसने दिया था, 50 साल बीत गये पर गरीबी हटाओ को तो हमने सुना नहीं, गरीब तो और गरीब हुआ। ये तो हमने देखा है, क्या किया आपने? जिससे यह गरीबी मिटे नारा चुनाव जीतने के लिए तो बहुत अच्छा था और उस नारे के ऊपर, हमने कितने तो चुनाव निकाल दिये पर मैं यह कहना चाहती हूं कि कभी-कभी तो अपने गिरहबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि भाई-भाई के बीच में दीवारें खड़ी करके, उससे एक से वोट लेना, यह कहां तक उचित है। सत्ता में बने रहने का गुण तो इनमें है ही, फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमको लगन से सेवा करना आता है और उस चीज को हम करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक दुख है और इस बात से नहीं कि मैं चुनाव हारी, इस बात से है कि हमारी मेहनत में, हम कहां और किस बात की कमी छोड़ गये, जिसकी वजह से हमारे से दुःखी हुए लोग, इस चीज को हम पता करना चाहेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक विकास करेंगे और उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने जो सुशासन, सुराज और सेवा का यहां संकल्प लिया है, उस पर मरते दम तक, मैं यह कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, हम कायम रहेंगे और राजस्थान को सभी क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर, आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे। मैं मेरे सब प्रतिपक्ष के साथियों से इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपने आपको, हमसे अलग मत समझों, प्रतिपक्ष के लोग भी हमारे ही परिवार के लोग हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हम उनको मानते हैं। ये हमारी टीम राजस्थान के भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं तो राजस्थान की इस विकास की यात्रा में आप भी हमारे साथ चलें। मुझे समझ में नहीं आता कि प्राब्लम क्या है, कुछ अच्छे काम आपने किये हैं, हम खुले मुंह से उसको कहते हैं और उसको आगे बढ़ाते भी हैं, अच्छे काम जो हमने किये उसके बारे में आप भी बात करिये और हमको उन चीजों के अन्दर सपोर्ट करिये, ताकि जनता का काम अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो जाएं।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को मैं सादर नमन करना चाहती हूं और आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह मौका दिया है और दो पंक्तियों द्वारा मैं सदन को अपनी बात समर्पित करना चाहती हूं। ये दो बातें हैं:-

'ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक
हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा होने न दिया'

आपको बहुत सारा धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17:57 बजे सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2018 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जमवारामगढ़ के क्रमोन्नत विद्‌यालय

84. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2014 से जनवरी, 2018 तक किन-किन माध्यमिक विद्‌यालयों को उच्च माध्यमिक विद्‌यालय में तथा किन-किन उच्च प्राथमिक विद्‌यालयों को माध्यमिक विद्‌यालय में कब-कब क्रमोन्नत किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त विद्‌यालयों को क्रमोन्नत करने से अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग बढ़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्रमोन्नत विद्‌यालयों हेतु अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु बजट जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2014 से लेकर, 2018 तक 02 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्‌यालयों को माध्यमिक स्तर पर तथा 26 राजकीय माध्यमिक विद्‌यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है, जिनका वर्षवार ग्राम पंचायतवार विद्‌यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के पास अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष निर्माण करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खासा कोठी व आनंद भवन के विनिवेश की योजना

85. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर स्थित आनंद भवन व जयपुर स्थित खासा कोठी होटल के विनिवेश की सरकार की क्या योजना है? क्या सरकार द्‌वारा उक्त संपत्तियों को बेचने एवं लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) उक्त संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने से वहां पर कार्यरत कार्मिकों का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संपत्तियों के जीर्णोद्धार आदि हेतु पूर्व में सरकार ने 10 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त राशि का व्यय किस प्रकार किया गया? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर स्थित आनन्द भवन व जयपुर स्थित खासा कोठी होटल के विनिवेश की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सरकार उक्त सम्पत्तियों को बेचना नहीं चाहती है परन्तु 30 वर्ष के पीपीपी मॉडल पर संचालन एवं संधारण आधार पर लीज पर देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) 30 वर्ष के पीपीपी मॉडल पर लीज पर देने से निगम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को राज्य सरकार के विभागों\निगमों\मण्डलों\बोर्डो में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजने की कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति से प्रकियाधीन है। अन्य शेष कर्मचारियों को 'होटल जयपुर' में पदस्थापित कर दिया जाएगा, किसी भी कार्मिक को सेवा से पृथक नहीं किया जा रहा है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे।

उक्त ब्याज मुक्त ऋण में से दोनो परिसम्पतियों पर रुपये 3 करोड़ की राशि व्यय की गयी।

कार्यवार खर्चो का विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी

86. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आयुक्त कार्यालय उदयपुर में गत दस वर्षों से कितने

(श्री फूलसिंह मीणा)

अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दस वर्षों में उक्त कार्यालय में कितने अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदोन्नति हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पदोन्नति के उपरान्त कितने अधिकारी/कर्मचारियों को आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में पदस्थापित किया गया एवं कितनों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रशासनिक कार्य कुशलता को मद्देनजर रखते हुए पांच वर्ष से अधिक आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आयुक्त कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में विगत दस वर्ष की अवधि से कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-अ अनुसार संलग्न है।

(2) विगत दस वर्षों में उक्त कार्यालय में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है, उनकी सूची परिशिष्ट-ब अनुसार संलग्न है।

(3) पदोन्नति के उपरान्त अधिकारी/कर्मचारियों को आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में पदस्थापित किये गये एवं अन्यत्र कार्यालयों/प्रकोष्ठों में स्थानान्तरित किये गये की सूची परिशिष्ट- स अनुसार संलग्न है।

(4) स्थानान्तरण एक नियमित प्रक्रिया है। विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पांच वर्ष से अधिक एक ही कार्यालय/प्रकोष्ठ में पदस्थापित कर्मचारियों को अन्यत्र कार्यालयों एवं विभाग में योजनावार विभिन्न गठित प्रकोष्ठों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। सूची परिशिष्ट-द अनुसार संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास, अलवर के भूखण्डों की आरक्षित दर कम करने की योजना

87. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास अलवर के पास हसन खां मेवात नगर, विजय नगर, बुधविहार योजना में आवंटन/विक्रय/नीलामी के उपरांत 01 जनवरी, 2018 को कितने-कितने भूखण्ड किस-किस माप के किस-किस श्रेणी के शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगर विकास न्यास द्वारा नीलामी से विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों की आरक्षित दर काफी ज्यादा है जिससे मूल उद्देश्य "उचित दाम पर उचित आवास" का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार बाजार दरों का सर्वे कराकर आरक्षित दर को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास की विजय नगर योजना में 8 भूखण्ड रिक्त हैं जिनका प्रति भूखण्ड साइज/क्षेत्रफल 35'x70'=227.60 वर्गमीटर है एवं बुद्ध विहार योजना में 75 भूखण्ड रिक्त हैं जिनमें से पांच भूखण्ड 25'x50'=116.12 वर्गमीटर, 41 भूखण्ड 35'x70'=227.60 वर्गमीटर के, 16 भूखण्ड 40'x90'=334.44 वर्गमीटर के, 6 भूखण्ड 20'x37'=68.74 वर्गमीटर के, 7 भूखण्ड 30'x60'=167.22 वर्गमीटर के तथा हसन खॉ मेवात नगर में 56 भूखण्ड रिक्त हैं। 17 भूखण्ड 35'x70'=227.60 वर्गमीटर के 6 भूखण्ड 25'x50'=116.12 वर्गमीटर, 15 भूखण्ड 30'x60'=167.22 वर्गमीटर, के, 12 भूखण्ड 40'x90'=334.44 वर्गमीटर के, 6 भूखण्ड 50'x90'=418.05 वर्गमीटर के हैं।

(2) नगर विकास न्यास द्वारा विकसित कालोनियों की आरक्षित दरें बाजार दर/खुली नीलामी बोली दर से काफी कम हैं। आरक्षित दर अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित कर भूखण्ड लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या विज्ञाप्ति भूखण्डों की संख्या से काफी अधिक होती है, जिसके कारण लाटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

न्यास द्वारा अपनी स्कीमों में कुछ भूखण्ड नीलामी के माध्यम से बेचे जाने का प्रावधान है। नीलामी योग्य भूखण्डों की नीलामी बोली आरक्षित दर से अधिक रहती है।

नीलामी से बेचे जाने वाले भूखण्डों की न्यूनतम बोली दर समतुल्य भूखण्डों की पूर्व नीलामी बोली के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऐसे भूखण्ड जिनकी साइज/क्षेत्रफल बड़ा है, बड़े व्यावसायिक/ओ.सी.एफ. भूखण्डों में कहीं-कहीं निर्धारित न्यूनतम नीलामी बोली के अनुसार नीलामी बोली नहीं लग पाती है।

गत दो-तीन वर्षों के दौरान रियल एस्टेट में मंदी के कारण भूखण्डों की बाजार दरों में गिरावट हुई है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यास बैठक दिनांक 16.10.2017 में सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण को विचारार्थ रखा गया, जिसमें कालोनी हेतु निर्धारित न्यूनतम बोली दर या न्यूनतम नीलामी दरों में 20 प्रतिशत की कटौती कर, नये सिरे से न्यूनतम नीलामी बोली निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया, वर्तमान में नीलामी की न्यूनतम बोली दरें न्यास के उक्त निर्णयानुसार रखी जा रही हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड से प्राप्त ऋणों का सरलीकरण

88. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने के लिये क्षेत्रीय तहसीलदार से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकृत अभिलेखों के रूप में काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की जमाबंदी, नक्शा एवं खसरा गिरदावरी नकलें प्राप्त की जाती हैं? यदि हां, तो उक्त प्रमाण-पत्र लेने का क्या औचित्य है?

(3) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों को उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु हलका पटवारी, तहसील कार्यालय एवं बैंक के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री शुभकरण चौधरी)

(4) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये बैंक द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से रिपोर्ट बनाने के लिये बाध्य किया जाता है? हां, तो क्या इसके लिये कोई शुल्क निर्धारित है? यदि हां, तो कितना? क्या सरकार उक्त शुल्क को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी बैंकों से काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त करने के लिये क्षेत्रीय तहसीलदार से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है।

(2) सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकार के स्वामित्व एवं साख सीमा निर्धारण के लिए खातेदार भूमि की जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी की नकल ही प्राप्त की जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिये बैंक द्वारा अधिवक्ता से रिपोर्ट बनाने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है।

प्रदेश में नवीन महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना

89. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कोई नीति बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार प्रदेश में नवीन महिला पॉलीटैक्निक महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उपखण्ड रावतसर एवं पीलीबंगा में उक्त महाविद्यालय कब तक स्वीकृत कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति के तहत ही प्रत्येक जिले में पॉलिटैक्निक महाविद्यालय एवं बजट घोषणा वर्ष 2014-15

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

के तहत बांरा, करौली एवं धौलपुर में अभियान्त्रिकी महाविद्यालय खोले गये हैं साथ ही युवा उद्यमियों के लिए incubators की स्थापना एवं राज्य में 3D printing एवं robotics lab की स्थापना की गयी है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, शोध की सुविधाए विकसित करने तथा समन्वित विकास हेतु प्रदेश में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अतिरिक्त बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के तहत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

(2) जी हां। वर्तमान में प्रदेश में 08 राजकीय महिला पॉलिटैक्निक महाविद्यालय यथा: अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगानेर एवं भरतपुर में संचालित किये जा रहे हैं।

तथापि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उपखण्ड रावतसर एवं पीलीबंगा में नवीन महिला पॉलीटैक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जाने बाबत गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

राजकीय चिकित्सालय, कुचामन सिटी में आवश्यक मशीनों की आपूर्ति

90. श्री विजय सिंह (नावां): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कुचामन सिटी से आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त मशीनरी की आपूर्ति कब तक करा दी जाएगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में वेन्टीलेटर, कलर डोपलर सोनोग्राफी मशीन, सी. आर्म शीन (अस्थि रोग) ऑप्थालमिक ऑपरेट माइक्रोस्कोप (नेत्र), फैको मशीन (नेत्र), सीबीसी (लैब), इलेक्ट्रो सर्जिकल कोटरी मशीन 400 वॉट मल्टी पैरा मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट (ई.एन.टी.) ऑडियोमीटर आदि मशीनों की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय सिंह)

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नावां में डिजिटल एक्स-रे मशीन की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजकीय चिकित्सालय नावां एवं कुचामन में वाटर आर.ओ. प्यूरीफाई मशीन भी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी में उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चाहे गये उपकरणों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त उपकरणों में से राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी को ऑप्थालमिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप (नेत्र) एवं सीबीसी मशीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऑडियोमीटर उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त चिकित्सालय पर फेको मशीन उपलब्ध करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

शेष उपकरणों को आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जाएगा।

(2) राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में ऑप्थालमिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप (नेत्र) एवं सीबीसी मशीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

ऑडियोमीटर उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त चिकित्सालय पर फेको मशीन उपलब्ध करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

शेष उपकरणों को आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जाएगा।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के चिकित्सा संस्थानों में डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) नावां एवं कुचामन सिटी में दानदाताओं के सहयोग से आर.ओ. वाटर प्यूरीफाई मशीन की सुविधा उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं के अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों की लम्बित छात्रवृत्ति

91. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो छात्रवृत्ति देने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति जारी की गयी है? यदि हां, तो वर्ष 2016-17 में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत 3 वर्षों से पात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? यदि हां, तो क्यों व उक्त छात्रवृत्ति अब कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मानदण्डो का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौमू में संचालित शिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है, विद्यार्थियो की वर्गवार संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप/कमियां होने के कारण से छात्रवृत्ति स्वीकृत नही की गयी है, उन विद्यार्थियों द्वारा आक्षेप/कमियो की पूर्ति किये जाने के उपरान्त नियमानुसार पात्र पाये जाने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी

92. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है? यदि हां, तो कब से एवं उक्त योजना के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के किन-किन श्रमिकों को लाभान्वित किया गया व उन्हें कितनी-कितनी बीमा राशि की सहायता दी गयी? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में कितने श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2012-13 में 7 संभागीय मुख्यालयों तथा वर्ष 2013-14 में राज्य के सभी जिलों में लागू की गयी थी। वर्तमान में यह योजना श्रम विभाग से स्थानान्तरित होकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राज्य की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(2) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 485 श्रमिको को लाभान्वित किया गया था। लाभान्वित श्रमिको के नाम, पते एवं दी गयी सहायता राशि की सूची परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(3) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में 14714 तथा इससे पूर्व के दो वर्षों में 3233 इस प्रकार कुल 17947 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन कर श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं, जिनके नाम एवं पते सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

साक्षरता निदेशालय में अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिक

93. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि साक्षरता निदेशालय के अधीन जयपुर एवं बीकानेर डी.एल.सी.ई.ओ. कार्यालय में 2 कार्मिक लगभग 15 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध कार्यरत कार्मिकों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। साक्षरता निदेशालय के अधीन कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी,जयपुर में श्रीमती स्नेहलता शेखावत एवं कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, बीकानेर में श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी को सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर प्रौढ शिक्षा विशेष चयन नियम, 1980 के तहत संविदा पर रखा गया था।

श्रीमती स्नेहलता शेखावत की संविदा अवधि दिनांक 31.12.2000 को समाप्त होने के उपरान्त आगे अनुबंध नहीं बढ़ाया गया। श्रीमती शेखावत की माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 6569/1998 में प्राप्त स्थगन दिनांक 20.12.2000 से पद पर बनी रही। स्थगन आदेश खारिज होने पर 03.10.2013 को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। जिस पर इनके द्वारा पुन: सिविल रिट संख्या 18823/13 दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के अध्यधीन वर्तमान में ये कार्यरत है।

इसी तरह श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी की संविदा अवधि दिनांक 19.02.1992 को समाप्त होने के उपरान्त इनका आगे अनुबंध नहीं बढ़ाया गया। जिसके विरुद्ध श्री जोशी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ में याचिका संख्या 1014/92 प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया इसी क्रम में पुन: डीबी अपील 186/2001 में दिये गये स्थगन आदेश व एस.बी. में दायर रिव्यू

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

पिटिशन 34/2001 के अध्यधीन वर्तमान में कार्यरत है। प्रौढ़ शिक्षा विशेष चयन नियम, 1980 की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) चूंकि दोनों कार्मिक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश से कार्यरत हैं, अत: इन्हें हटाने संबंधी निर्णय उक्त याचिकाओं में अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार की योजना

94. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अनेक स्थानों पर हवाई सेवाओं का विस्तार कर रीजनल एयर कनेक्टीवीटी बढ़ायी गयी है? यदि हां, तो किन-किन शहरों को इससे जोड़ा गया है तथा वर्तमान में कितने यात्रियों के लिये कहां-कहां से कितनी-कितनी हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इससे जयपुर स्थित अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं जोधपुर हवाई अड्डे पर यात्री भार बढ़ा है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना? क्या सरकार उक्त हवाई अड्डों का विस्तार करने हेतु केन्द्र से अनुरोध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में राज्य सरकार की सहभागिता हेतु दिनांक 20.03.2017 को एम.ओ.यू. सम्पादित किया गया था। इस एम.ओ.यू. के अनुसार राज्य में निम्नांकित मार्गों पर हवाई सेवा संचालित हो रही है:-

1. दिल्ली-बीकानेर-दिल्ली
2. जयपुर-जैसलमेर-जयपुर
3. जयपुर-आगरा-जयपुर

रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाये जाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी

(राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन)

दिनांक 04.10.2016 से इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवा प्रारम्भ करवायी गयी है। इस सेवा के तहत निम्नांकित मार्गों पर सेवा संचालित है:-

1. जयपुर-जोधपुर-जयपुर
2. जयपुर-उदयपुर-जयपुर
3. जयपुर-बीकानेर-जयपुर
4. जयपुर-कोटा-जयपुर
5. अहमदाबाद-जोधपुर-जैसलमेर-जोधपुर-अहमदाबाद
6. उदयपुर-जोधपुर-किशनगढ़-जोधपुर-उदयपुर

यह सेवा 9 सीटर विमान से परिचालित हो रही है। गत 14 माह की अवधि में 2894 उड़ानें सम्पादित हुई हैं जिसमें 14955 यात्रियों द्वारा यात्रा की गयी है।

(2) निदेशक, जयपुर अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट व निदेशक जोधपुर एयरपोर्ट से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार जयपुर एवं जोधपुर एयरपोर्ट से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है-

<u>**जयपुर एयरपोर्ट**</u>

यह सही है कि जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विगत तीन वर्षों में यात्रियों की वृद्धि हुई है, जो निम्न प्रकार है:-

Year	Domestic Passenger	International Passenger	Total	Growth Rate%		
				Dom. Passenger	International Passenger	Total
2014-15	1871345	333960	2208305	8.17%	29.09%	11.04%
2015-16	2540451	363899	2904350	35.76%	8.96%	31.52%
2016-17	3351528	454183	3805711	31.93%	24.81%	31.04%

1. टर्मिनल 2 में यात्रियों के भार को कम करने के लिये टर्मिनल-1 को रिनोवेट किया जा रहा है जिससे यहां से पुन: प्रचालन प्रारंभ किया जा सके। उपरोक्त् कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है।
2. टर्मिनल-2 के आगमन एवं प्रस्थान क्षेत्र का होरिजेन्टली विस्तार किया जा रहा है इसके लिए कार्य अवार्ड किया जा चुका है उक्त कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन)

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा टर्मिनल-2 के विस्तार हेतु योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के लिये दिनांक 12.01.2018 को पीएमसी (Project Monitoring Consultant) की नियुक्ति कर दी गयी है।

जोधपुर एयरपोर्ट

यह सही है कि जोधपुर हवाई अड्डे पर विगत तीन वर्षों में यात्रियों की वृद्धि हुई है, जो निम्न प्रकार है:-

Year	Domestic Passenger	Growth Rate % Domestic Passenger
2014-15	295863	-2.5%
2015-16	301859	2%
2016-17	350583	16%

इसके अतिरिक्त जोधपुर एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के विस्तार के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं-

1. वर्तमान में जोधपुर हवाई अड्डे पर 03 हवाई जहाजों (02 for Code-C& 01 for ATR Type Aircraft) के पार्किंग की व्यवस्था है। अत: एक समय में 03 से अधिक हवाई जहाजों की पार्किंग के लिये एप्रन विस्तार का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य 16.03.2018 तक पूर्ण होने की संभावना है।
2. एप्रन विस्तार के साथ-साथ नये टैक्सी लिंक का निर्माण कार्य जोधपुर हवाई अड्डे पर किया जा रहा है एवं समान समय अवधि में कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दोनो ही हवाई अड्डो पर विस्तार कार्य पहले से ही चल रहा है। अत: फिलहाल अलग से केन्द्र को राज्य सरकार द्वारा आग्रह की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में अमृत योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

95. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अमृत योजना के तहत किन-किन जिलों का चयन किया

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

गया है व उनमें से किन-किन जिलों में उक्त योजना के तहत कार्य प्रारम्भ करवा दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रीगंगानगर शहर में उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी है तथा स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ करवाये गये हैं? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शहर में उक्त योजना के तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान बजट आवंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के तहत कोटा शहर में कौन-कौन से कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अमृत योजनान्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशिका के आधार पर 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को सम्मिलित किया गया है। अमृत योजना में जिलेवार चयन नहीं किया जाता है। प्रदेश में निम्न 29 शहरों का चयन किया गया है:- अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, चूरू, जयपुर, झुन्झुनू, सीकर, बारां, बून्दी, झालावाड़, कोटा, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भिवाड़ी, गंगापुरसिटी, हिण्डौनसिटी, ब्यावर, किशनगढ़ एवं सुजानगढ़ अमृत योजनान्तर्गत उपरोक्त सभी शहरों में कार्य प्रारंभ हो गये हैं।

(2) श्रीगंगानगर शहर में सीवरेज कार्य हेतु रुपये 10.00 करोड़ तथा ग्रीन स्पेस कार्य हेतु रुपये 2.50 करोड़ की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। श्रीगंगानगर शहर में सीवरेज का कार्य आरंभ कर दिया गया है। अमृत योजनान्तर्गत वार्डवाईज प्रावधान न होकर शहर के लिए प्रावधान है।

(3) अमृत योजनान्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशिका के आधार पर 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को सम्मिलित किया गया है। इसमें विधान सभा क्षेत्र का प्रावधान न होकर शहर के लिए प्रावधान है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) अमृत योजनान्तर्गत कोटा शहर के लिए निम्नलिखित कार्य का प्रावधान है:-

क्र.सं.	**कार्य**	**लागत (करोड़ में)**
1	जलापूर्ति परियोजना	70.25
2	सीवरेज	95.19
3	ग्रीन स्पेस	2.17

सुजानगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. की मुख्य व्यवस्थापिका के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

96. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सुजानगढ़ द्वारा 1 जनवरी, 2016 से जनवरी, 2018 तक समर्थन मूल्य पर मूंग व मूंगफली की खरीद के संबंध में उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. की मुख्य व्यवस्थापिका के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें हुईं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा 1 जनवरी, 2016 से जनवरी, 2018 तक समर्थन मूल्य मूंग व मूंगफली की खरीद में हुई अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस संबंध में दोषी अधिकारियों से उक्त हानि की वसूली कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों की प्रति परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

शिकायतें प्राप्त होने पर सुजानगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. सुजानगढ़ द्वारा वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में अनियमितताओं की राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत जांच के आदेश दिनांक 02.02.18 को जारी कर दिये गये हैं।

(सहकारिता मंत्री)

प्रति परिशिष्ट 'दो' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रकरण की अधिनियमान्तर्गत जांच कराई जा रही है।

(3) यदि जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिकों का स्थायीकरण

97. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2013 में शैक्षणिक पदों पर नियुक्त किये गये अधिकारियों/कार्मिकों के स्थायीकरण के आदेश तत्कालीन कुलपति ने मार्च, 2015 में वापस ले लिये थे? यदि हां, तो संबंधित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के उक्त अधिकारियों/कार्मिकों को स्थाई वेतन के स्थान पर नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से, किस आधार पर व किसके आदेश से? संबंधित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2013 में शैक्षणिक पदों पर नियुक्त हुए शिक्षकों के स्थायीकरण आदेशों को तत्कालीन कुलपति द्वारा 2015 में वापस नहीं लिया गया था। केवल अशैक्षणिक संवर्ग के 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थायीकरण आदेशों को ही वापस लिये जाने संबंधी आदेश प्रदान किये गये थे जिनकी कि 02 वर्षीय परिवीक्षाकाल अवधि फरवरी 2013 में पूर्ण हुई थी। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। शैक्षणिक संवर्ग के दो शिक्षकों को 23.09.2014 से, अशैक्षणिक संवर्ग के 11 में से 10 कार्मिकों को 14.02.2015 से एवं 1 कार्मिक को 21.02.2015 से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतनमान परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर कुलपति की अनुमति से दिया जा रहा है। जांच लम्बित होने तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त

(उच्च शिक्षा मंत्री)

अधिकारियों/कार्मिकों को नोन-ज्यूडिशनल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेंकिग लेकर जांच समिति/ न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन दिया गया है।

विस्तृत विवरण मय संबंधित आदेशों की प्रतियों के परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला चिकित्सालय, दौसा में आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति

98. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चिकित्सालय दौसा में रोगी शय्या क्षमता 150 से बढ़ाकर 250 करने पर किन-किन चिकित्सीय उपकरणों की आवश्यकता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे उपकरण कब उपलब्ध कराए गये व नहीं, तो कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराया जाना शेष है? उक्त उपकरण कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय दौसा में रोगी शय्या क्षमता 150 से बढ़ाकर 250 में क्रमोन्नत पर आवश्यक उपकरणों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला चिकित्सालय दौसा में रोगी शय्या क्षमता 150 से 250 में क्रमोन्नत होने पर उपलब्ध करवाये गये एवं शेष उपकरणों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

शेष उपकरणों को आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में पालनहार योजना के लम्बित आवेदन

99. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पालनहार योजना के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र में पालनहार योजनान्तर्गत गत वर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कौन-कौनसे प्रकरण किन-किन दस्तावेजों की कमी से कितने-कितने समय से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेकों प्रकरणों में आवेदकों के द्वारा कार्यालय में संबंधित लिपिक के पास दस्तावेज जमा कराने के बाद भी लिपिक द्वारा उक्त दस्तावेजों को आवेदनों के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे प्रकरणों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के मापदण्ड निम्नानुसार है:

योजनान्तर्गत निम्नानुसार श्रेणियो के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है:

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता कें तीन बच्चे।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे।
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे।
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।
8. विशेष योग्यजन माता पिता के सभी बच्चे।
9. तलाकशुदा/परित्यकता महिला के सभी बच्चे।

(ब) पालनहार को स्वीकृत अनुदान राशि की शर्तें निम्नांकित हैं:

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चें हेतु 500 रुपये प्रतिमाह (आगंनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 6-18 वर्ष तक की आयु के बच्चें हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र स्वेटर जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
4. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिये।
6. आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों।

(स) आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:

नजदीक ई-मित्र कियोस्क पर आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने का प्रावधान है। स्वीकृति का कार्य जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर सलंग्न है।

(2) ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र में पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 मे प्राप्त आवेदनों एवं लम्बित आवेदनो का संख्या विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लम्बित आवेदन
2016-17	222	120	64

लम्बित आवेदनों पत्रों के लम्बित रहने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2016-17 से पालनहार योजना को एस.एस.ओ. पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस आनलाइन आवेदन पत्र करने कि प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। कार्यालय में पृथक से दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकरण में प्राप्त दस्तावेज आवेदन के साथ सलंग्न किया जाना शेष नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में श्रमिक कल्याण की योजनाओं के लम्बित आवेदन

100. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रमिकों के कल्याण हेतु बनाये गये श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक किस-किस मद में कितनी राशि का व्यय किया गया? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर जिले में निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना तथा शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त कितने आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निर्माण श्रमिकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 8 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा दिसम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक किये गये व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले में निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के 13142 आवेदन तथा शुभशक्ति योजना के 16441 आवेदन लम्बित है जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र कर दिया जाएगा। आवेदनों के शीघ्रनिस्तारण हेतु जिला कलेक्टर स्तर पर

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

साप्ताहिक समीक्षा करने तथा विकास अधिकारियों को निस्तारण में आ रही समस्याओं के निदान हेतु विभाग स्तर से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर के पटरी पार क्षेत्र में बालिका माध्यमिक विद्यालय की स्थापना

101. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के पटरी पार क्षेत्र में बालिका उच्च माध्यमिक व माध्यमिक स्तर का विद्यालय खोले जाने की मांग पूर्व में की गयी है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पटरी पार क्षेत्र में निवास करने वाली बालिकाओं की शिक्षा हेतु माध्यमिक स्तर का विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर शहर ने पटरी पार क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेल्वे स्टेशन एनईबी अलवर तथा राजकीय माध्यमिक शिवाजी पार्क अलवर को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का निवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अलवर से किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दोनो विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवाए दिए गए, किन्तु उक्त विद्यालय क्रमोन्नति हेतु कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में उक्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतें जिनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया। जिसकी अनुपालना में वर्ष 2014-15 में 5000 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2015-16 में 115 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2016-17 में 129 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक स्तर पर तथा वर्ष 2017-18 में 35 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तथा 300 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा चुका है।

शहरी क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर की अध्ययन सुविधा उपलब्ध होने के कारण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

सांभर क्षेत्र में पर्यटन विकास के कार्य

102. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सांभर क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने हेतु जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2017 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया और उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के तहत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के कब से प्रारम्भ किये गये व कौन-कौनसे कार्य किन-किन कारणों से अब तक प्रारम्भ नहीं करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण हो गये और कौन-कौनसे कार्य वर्तमान में किन कारणों से अधूरे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आगामी वर्ष में क्या-क्या कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत सांभर लेक टाउन के विकास हेतु स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

सांभर के समग्र विकास हेतु राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) परियोजना में स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत प्रारम्भ किये गये एवं चल रहें कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ तथा राज्य योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) पूर्ण हुए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है। परिशिष्ट- अ व स पर वर्णित शेष कार्य प्रगति पर है।

(4) आगामी वर्ष में वर्तमान में प्रगति पर चल रहे कार्यों को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना

64. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना की गयी? यदि हां, तो कहां व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर उक्त यूनिट का सुचारु रूप से उपयोग करने के लिए कितने विशेषज्ञ, डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गयी है? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर माता-पिता एवं नवजात बच्चों के लिए कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त केन्द्रों पर इसके प्रारम्भ से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितनी राशि व्यय की गयी? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना की गयी है, उनकी सूची परिशिष्टि-अ पर संलग्न हैं।

160 न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट वर्ष 2012-2013 में एवं 145 न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट वर्ष 2013-2014 स्थापित किये गये हैं।

(2) उक्त केन्द्रों पर पदस्थापित नियमित चिकित्सकों द्वारा ही इन यूनिटस का सुचारु संचालन किया जाता है। इस हेतु पृथक से विशेषज्ञ चिकित्सको की नियुक्ति नही की गयी है।

प्रत्येक न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट पर संविदा पर चार नर्सिंग स्टॉफ को नियुक्त कर इन्हे संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। संविदाकर्मियों की अनुपलब्धता की स्थिति में नियमित नर्सिंग स्टॉफ को प्रशिक्षण दिलवाकर न्यूबोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट का संचालन किया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) उक्त केन्द्रों पर माता-पिता को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। परन्तु नवजात शिशुओं को नि:शुल्क उपचार, नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच एवं आवश्यकता होने पर रैफर हेतु नि:शुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(4) उक्त केन्द्रों पर प्रारम्भ से 31 दिसम्बर 2017 तक 2,29,91,147 रुपये राशि व्यय की गयी है। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर सलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में राष्ट्रीय किशोर फ्रेंडली क्लिनिक की स्थापना

65. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही नेशनल हैल्थ मिशन स्कीम के राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय किशोर फ्रेंडली क्लिनिक खोलने हेतु दस जिलों का चयन किया गया है? हां, तो क्या जोधपुर को उक्त योजना से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एन.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की देखरेख का कार्य जी.एम.सी. चण्डीगढ़ को दिया गया है एवं उनके द्वारा जोधपुर को प्राथमिकता में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे की रिपोर्ट बनाकर जोधपुर को प्राथमिकता से शामिल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जोधपुर में भी उक्त क्लिनिक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की योजना अनुसार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में संचालित किया गया है। जोधपुर को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में नही आने के कारण राष्ट्रीय किशोर फ्रेंडली क्लिनिक योजना में शामिल नही किया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी.एम.सी. चण्डीगढ़ को उक्त कार्य नही दिया गया है जोधपुर को इस कार्यक्रम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(3) भारत सरकार की योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में जोधपुर में इस प्रकार की क्लिनिक खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक नाम से दवा लिखने की बाध्यता

66. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों के जेनरिक नाम लिखने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस स्तर पर व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना हेतु कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या? क्या उक्त आदेशों की पालना हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार के पत्रांक 213 दिनांक 26.08.2011 (परिशिष्ट अ), प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक 376 दिनांक 12.10.2011 (परिशिष्ट ब) एवं निदेशक (एड्स/चिप्र) के आदेश क्रमांक 867 दिनांक 07.10.2011 (परिशिष्ट स) द्वारा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानो मे कार्यरत चिकित्सको को यथासम्भव जैनेरिक नाम से प्रेस्क्रिप्शन लिखने हेतु निर्देशित किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एम.सी.आई.-211(2)(जनरल)/ 2017-एथिकस/ 104728 दिनांक 21.04.2017 की पालना में राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल के पत्र क्रमांक आरएमसी/एस/ 2017/444 दिनांक 18.07.2017 के द्वारा सभी क्षेत्रों में परामर्श पर्ची में चिकित्सकों को दवाईयों के जेनरिक नाम लिखने हेतु निर्देशित किया गया है। (परिशिष्ट-द)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। उक्त आदेशो की पालना हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक 2120 दिनांक 29.04.2013 द्वारा राज्य में राजकीय चिकित्सा संस्थान यथा- मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पताल/जिला चिकित्सालय/ सैटेलाइट अस्पताल/उप जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ड्रग थेरापैटिक कमेटी (डी.टी.सी.) का गठन किया गया है जिसके द्वारा माह में एक बार चिकित्सकों के द्वारा रोगी उपचार पर्ची पर जेनेरिक नाम से दवा लिखने, दवा की उपलब्धता आदि का निरीक्षण किया जाता है। तत्सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है। निदेशक (जन स्वा.) के पत्रांक 664 दिनांक 30.05.2017 (परिशिष्ट-ख) द्वारा राज्य के समस्त जिला परियोजना समन्वयको से उक्त पत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु पुन: निर्देशित किया गया हैं। आरएमसी के पत्र क्रमांक 2017/444 दिनांक 18.07.2017 के संबंध में इस बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कुपोषित बच्चों के पालन-पोषण की योजना

67. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 4 वर्षों में बच्चों में कुपोषण के कितने प्रकरण सामने आये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुपोषण के कारण उक्त बच्चों की मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने-कितने? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के पालन-पोषण हेतु कोई योजना क्रियान्वित की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत सरकार द्वारा उक्त अवधि में किस-किस जिले में क्या-क्या कार्य किया गया एवं उक्त कार्यों हेतु कितना बजट आवंटन किया गया तथा कितना व्यय किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत चार वर्षों में कम वजन एवं अत्यन्त कम वजन के बच्चों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कुपोषण मात्र के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है।

(3) प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इच्छुक लाभान्वितों को पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। अति कुपोषित लाभान्वितों को सामान्य लाभान्वितों की तुलना में अतिरिक्त मात्रा में पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत जटिल बीमरियों से ग्रसित अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर इनका कुपोषण उपचार केन्द्रों पर भर्ती कर उपचार किया जाता है। उपचार के दौरान बच्चों को थेरेपेटिक फूड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को स्थिति के अनुसार माइक्रो न्युट्रिएन्ट दिये जाते है जिससे कि बच्चा जल्दी ठीक हो सके।

(4) समेकित बाल विकास परियोजनान्तर्गत राज्य के समस्त जिलों में लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूरक पोषाहार पर चार वर्षों में हुये व्यय का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा मेडिकल कालेज, कोटा के विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

68. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों के विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए बजट फाइनेंस कमेटी बनी हुई है? यदि हां, तो उक्त कमेटी का गठन कब हुआ और उसका स्वरूप क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में उक्त कमेटी द्वारा प्रदेश के किस-किस मेडिकल कालेज में कितनी-कितनी राशि के कार्यों को स्वीकृत किया गया? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि हाल ही में सम्पन्न हुई उक्त कमेटी की

(श्री हीरालाल नागर)

बैठक में कोटा मेडिकल कालेज एवं इससे सम्बद्ध तीन बड़े अस्पतालों के विकास कार्यों के अधिकांश प्रस्ताव खारिज कर दिये जाने के कारण मेडिकल कालेज के सुपर स्पेशिलिटी विंग और नवीन ओपीडी चालू नहीं हो पायेंगे? यदि हां, तो मेडिकल कालेज के प्रतिनिधियों की ओर से बैठक में कितनी राशि के कौन-कौनसे प्रस्ताव पेश किये गये एवं उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये और कितने अस्वीकृत किये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा मेडिकल कालेज एवं इससे सम्बद्ध चिकित्सालयों के उपरोक्त विकास कार्यों को करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए बजट फाइनेंस कमेटी नही बनी हुई है। प्रत्येक विभाग को बजट प्रावधान उपलब्ध करवाये जाने हेतु वित्त विभाग में बजट निर्णायक कमेटी (Budget Finalization Committee) बजट नियमावली के बिन्दु संख्या 17.7 के अधीन बनी हुई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बजट नियमावली के खण्ड-1 के सातवें संस्करण तथा खण्ड-2 के आठवें संस्करण को दिनांक 27-9-2012 से प्रभावी किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में विगत 3 वर्षों में उपरोक्त समिति द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में राशि के कार्यों को स्वीकृत किया की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) दिनांक 02.01.2018 को सम्पन्न हुई कमेटी की बैठक में मेडिकल कॉलेज एवं इससे सम्बद्ध तीन बड़े अस्पतालों के विकास कार्यों हेतु इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार नवीन प्रस्ताव रखे गये थे, जिनमें सुपर स्पेशिलिटी विंग हेतु नवीन पद एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय में नवीन ओ.पी.डी. के सहित नवीन उपकरणों हेतु प्रस्ताव रखे गये थे। नवीन प्रस्तावों के स्वीकृत अथवा खारिज होने की अधिकृत जानकारी बजट पारित होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2018-19 में बी.एफ.सी. मिनिटस प्राप्त होने पर हो सकेगी।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

मेडिकल कालेज के प्रतिनिधियों की ओर से बैठक में निम्न अनुसार राशि के प्रस्ताव पेश किये गये है:-

नवीन निर्माण कार्यों हेतु 7020.00 लाख की लागत के प्रस्ताव रखे गये थे, जिनमें एम.बी.एस. चिकित्सालय में नवीन ओ.पी.डी. ब्लॉक हेतु रु. 7000.00 लाख एवं बोन बैंक हेतु रु. 20.00 लाख के कार्य सम्मिलित हैं, वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु रु. 74.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। नवीन रिनोवेशन कार्य हेतु रु. 10.00 लाख एवं नवीन उपकरणों हेतु रु. 791.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। 100 एम.बी.बी.एस. सीटों में अभिवृद्धि हेतु नवीन निर्माण मद में रु. 550.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(4) कोटा मेडिकल कालेज द्वारा दिनांक 02.01.2018 को आयोजित बी.एफ.सी. बैठक में उपरोक्तानुसार विकास कार्यों को करवाने के प्रस्ताव रख दिये गये है, जिनके बारे में वित्त विभाग द्वारा बजट निर्णायक समिति (बी.एफ.सी.) का कार्यवाही विवरण जारी करने के उपरांत अधिकृत जानकारी हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. से शोध अनुदान

69. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. से शोध अनुदान नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यू.जी.सी. से शोध अनुदान नहीं मिलने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 12 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में से 05 विश्वविद्यालयों को यूजीसी से अनुदान मिल रहा है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

वर्ष 2012 में सीकर, अलवर, भरतपुर एवं बांसवाड़ा में नवस्थापित विश्वविद्यालयों में शोध कार्य प्रारम्भ नहीं होने व इन्हें यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत मान्यता नहीं मिलने के कारण शोध अनुदान नहीं मिल रहा है।

प्रदेश में संचालित कृषि विश्वविद्यालयों को भी यूजीसी से शोध अनुदान नहीं मिल रहा है। इन्हें आईसीएआर से अनुदान मिलता है।

विश्वविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यू.जी.सी. से शोध अनुदान नहीं मिलने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 5 में वर्णित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में अनियमितताओं की जांच

70. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में पूर्व कुलपतियों के कार्यकालों में विभिन्न शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती में अनियमितताओं की जांच हेतु जो उच्चस्तरीय समिति का अक्टूबर, 2015 में पुनर्गठन किया गया था, क्या उक्त समिति ने जांच कार्य पूरा कर रिपोर्ट सरकार को दे दी है? यदि हां, तो क्या व कब? यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक दे दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने कुछ नियुक्तियों की अन्तरिम जांच रिपोर्ट का कार्य पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट कौन-कौनसी नियुक्तियों से सम्बन्धित है तथा किस-किस नियुक्ति में अनियमितताएं पायी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति की रिपोर्ट में अनेक पदों पर नियुक्ति में अनियमितताएं पायी गयी हैं? यदि हां, तो ऐसे नियुक्त व्यक्तियों व उक्त अनियमितताओं के दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा विश्वविद्यालय में वर्ष 2012-2014 के मध्य शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने जांच कर रिपोर्ट दिनांक 17.03.2016 को प्रस्तुत कर दी है।

(2) जी हां। उक्त समिति द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012 से 2014 तक विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर की गयी भर्तियों की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.03.2016 को प्रेषित की गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती में सामान्य, प्रक्रियात्मक एवं पर्यवेक्षणीय त्रुटियां पाई गई जो निम्नानुसार है:-

1. कम्प्यूटर साइन्स विषय में सहायक आचार्य के पद के लिए श्री कृष्ण कुमार शर्मा नेट/स्लेट उत्तीर्ण नहीं है।
2. लोक प्रशासन विषय में श्री विक्रान्त शर्मा के स्नातकोत्तर परीक्षा से पूर्व की परीक्षाओं के अंकों का औसत 55 प्रतिशत से कम होने के कारण यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं।
3. अशैक्षणिक संवर्ग के उपकुलसचिव (शोध) के पद पर चयनित श्री विपुल शर्मा नेट उत्तीर्ण नहीं है। उप कुलसचिव (शोध) के पद हेतु सहायक प्रोफेसर के समान नेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4. परीक्षा नियंत्रक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य या परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के रूप में परीक्षा संबंधी अनुभव नहीं है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट के अनुसार कोटा विश्वविद्यालय में की गई भर्तियों में प्रक्रियात्मक कमियां/अनियमिताएं पायी गयी हैं। उक्त अनियमितताओं के संबंध में कोटा विश्वविद्यालय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गयी। जांच रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालय की टिप्पणी का पुन: विभागीय समिति गठित कर परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय को पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय प्रक्रियात्मक एवं पर्यवेक्षणीय त्रुटियों हेतु जिम्मेदारी तय करके दोषी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे तथा जिन अधिकारियों/ कार्मिकों/शिक्षकों की नियम विरुद्ध भर्ती की गयी है, उनके

(उच्च शिक्षा मंत्री)

विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाए। विभाग के पत्र दिनांक 27.03.2017 द्वारा जांच रिपोर्ट विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट व विभागीय पत्र राजभवन को प्रेषित कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय को राजभवन के स्तर से निर्देशित करने हेतु भी लिखा गया है।

प्रकरण में एसीबी द्वारा भी अभियोग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट की प्रति व एसीबी द्वारा चाही गई सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करवा दी गयी हैं।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 21.03.2017 की प्रति परिशिष्ट अ पर राजभवन को प्रेषित पत्र दिनांक 27.03.2017 की प्रति परिशिष्ट ब पर व एसीबी को प्रेषित पत्र दिनांक 31.03.2017 व 19.09.2017 की प्रतियां परिशिष्ट स व द पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय का सरकारीकरण

71. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विजयनगर व रायसिंहनगर में उपखण्ड मुख्यालय होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय का सरकारीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त महाविद्यालय की जमीन का गलत बेचान किये जाने पर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गयी है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा दोषी आधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर के प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय की जमीन का गलत बेचान किये जाने पर एफ.आई.आर. संख्या 183/2017 दिनांक 21.02.2017 को दर्ज कराई गयी जिसमें पुलिस विभाग द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(4) प्रकरण में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा श्री हेतराम सहारण तत्कालीन भू.अ.नि. रायसिंहनगर हाल भादवाला व श्री श्यामलाल मीणा तत्कालीन पटवारी हल्का 66 आरबी हाल भू.अ.नि. संगराना के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए आरोप-पत्र दिनांक 14.06.2017 को जारी किया जा चुका है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कालेज शिक्षकों के रिक्त पद

72. श्री रमेश (सपोटरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कालेज शिक्षा के शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कालेज शिक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात जनवरी, 2014 में कितना था एवं वर्तमान में कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने एवं छात्र-शिक्षक अनुपात सुधारने हेतु क्या-क्या उपाय किये गये एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कालेज शिक्षा में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के 6219 पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से वर्तमान में 2284 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) प्रदेश में कालेज शिक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात जनवरी, 2014 में 70 (छात्र) : 01 (शिक्षक) था तथा वर्तमान में 2017-18 में 97 (छात्र) : 01 (शिक्षक) है।

(3) वर्ष 2013-14 से मार्च 2015 तक व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों पर भर्ती के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गयी थी। उक्त में से 1248 रिक्त पदों पर आयोग द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। उक्त में से आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु भिजवाई गयी अभिस्तावना एवं दी गयी नियुक्तियां निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विषय	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	प्रदान की गयी नियुक्तियों की संख्या
1	मनोविज्ञान	03	03
2	गणित	44	35
3	दर्शन शास्त्र	10	10
4	अर्थशास्त्र	47	44
5	उर्दू	19	16
6	फारसी	01	00
7	भूगर्भ शास्त्र	04	00
	योग	128	108

फारसी व भूगर्भ शास्त्र विषय के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आयोग से अभिस्तावना दिनांक 01.02.2018 को प्राप्त हुई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2010 में गृह विज्ञान विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को 12 पदों की अर्थना भेजी गई थी जिसमें से आयोग द्वारा 04 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रदान की गयी। इस तरह कुल 112 (108+04) अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक रिक्त हुए 194 रिक्त पदों की अर्थना नवम्बर 2017 में राजस्थान लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु भेजी गयी है। दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2017 तक के विभिन्न विषयों में 650 रिक्त पदों

(उच्च शिक्षा मंत्री)

की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा की सहकारी समितियों के भवनों का निर्माण

73. डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु भवन व भंडार निर्माण हेतु राशि दी जाती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन व भंडार निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी? समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भवन व भंडार निर्माण कार्य मनरेगा के माध्यम से भी कराया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्ष 2014-15 में सरगाव व वर्ष 2015-16 में बोरियापुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को गोदाम निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गयी है।

(2) जी हां। मनरेगा के माध्यम से गोदाम निर्माण करवाया जा सकता है।

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति, झोटवाड़ा पर प्रशासक की नियुक्ति

74. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति झोटवाड़ा, जयपुर में प्रशासक नियुक्त कर रिकार्ड जब्त किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिकार्ड के क्रम संख्या 129 में बैंक विवरण में पंजाब नेशनल बैंक झोटवाड़ा शाखा की पत्रावली संधारित की गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री एन.के. बोहरा को दिनांक 20.06.1995 को संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर में प्रशासक नियुक्त किया गया था। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर (शहर) के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री एन.के. बोहरा तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिनांक 19.02.1997 को समिति के भूतपूर्व मंत्री श्री रविदत्त शर्मा से रिकार्ड प्राप्त किया गया था। जिसकी सूची परिशिष्ट '01' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर (शहर) के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री एन.के. बोहरा तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिनांक 19.02.1997 को समिति के भूतपूर्व मंत्री श्री रविदत्त शर्मा से जो रिकार्ड प्राप्त किया गया था उसमें क्रम संख्या 129 बैंक स्टेटमेन्ट पत्रावली तादाद- एक दिनांक 01.04.1994 से 04.03.1995 तक पी.एन.बी. झोटवाड़ा अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के भवन रहित मदरसों के भवनों का निर्माण

75. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मदरसे संचालित हैं? उक्त मदरसों में से कितने मदरसे भवन रहित है? क्या सरकार भवन रहित मदरसों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रदेश में राजस्थान मदरसा बोर्ड से कुल 3211 पंजीकृत मदरसे संचालित है। प्रदेश में भवन रहित मदरसें की संख्या बीस है। मदरसा बोर्ड द्वारा भवन रहित मदरसों को भवन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है।

मदरसे राजकीय संस्थान न होने के कारण राजस्थान मदरसा बोर्ड/राज्य सरकार मदरसा भवनों का निर्माण कराने का कोई विचार नही रखती है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में परिवारों के मुखियाओं का बीमा

76. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कितने परिवारों के मुखियाओं का बीमा किया गया है? विधान सभा क्षेत्र व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कितने परिवारों के मुखियाओं की मृत्यु होने पर बच्चों को 30,000/- रुपये की तथा अन्य परिस्थिति में अन्य आर्थिक मदद उपलब्ध करवायी गयी? विधान सभा क्षेत्र व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत 2014-15 से 2016-17 तक एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना (18 वर्ष से 50 वर्ष आयुवर्ग) एवं पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना 51 वर्ष से 59 वर्ष आयुवर्ग) में वर्ष 2017-18 (ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवार) में बीमित किये गये परिवारो का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बीमित परिवारों की संख्या
2014-15	27,34,351
2015-16	27,48,454
2016-17	27,70,820
2017-18	27,81,452

योजना के रिकार्ड का संधारण विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है।

(2) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत 2012-13 से अब तक बीमित परिवारों के मुखिया की मृत्यु/दुर्घटना में मृत्यु/अपंगता (स्थायी अपंगता/अस्थायी अपगंता) होने पर एवं बीमित परिवार के 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। योजना के रिकार्ड का संधारण विधान सभा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्षेत्रवार नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर नगर परिषद् क्षेत्र में सार्वजनिक विद्युत पोलों पर एलईडी लाइट लगाने की योजना

77. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में कितने सार्वजनिक विद्युत पोलों पर एलईडी लाइट 31 दिसम्बर, 2017 तक लगाई जा चुकी है तथा कितनी लगाई जानी शेष है? वार्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नगर परिषद् के प्रत्येक वार्ड के शेष विद्युत पोलों पर एलईडी लाइट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) नयी एलईडी लाइट लगाने के पश्चात् पुरानी उतरी हुई लाइटों का उपयोग नगर परिषद् द्वारा कहां किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा 7704 सार्वजनिक विद्युत पोलों पर एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं तथा इसके अतिरिक्त 1088 ट्यूबलर पोल (मेन रोड) पर भी एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी है। वर्तमान में 1196 विद्युत पोलों पर लाइटें लगाई जानी शेष है। वार्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। अतिरिक्त एलईडी लाइट लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा नई एलईडी लगाने के पश्चात् पुरानी उतरी हुई लाइटें (एम.ओ.यू. के अनुसार) EESL कम्पनी को उपलब्ध करवा दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बौली व बामनवास को नगरपालिका बनाने की योजना

78. श्री कुंजीलाल (बामनावास): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कुंजीलाल)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौली एवं बामनवास में आबादी के अनुसार नगरपालिका नहीं होने के कारण आमजन को काफी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत बामनवास व बौली को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जन-आपत्तियां प्राप्त की जाकर, निस्तारण की गयी रिपोर्ट मय तथ्यात्मक टिप्पणी स्पष्ट राय मय अभिशंसा सहित चाही गयी है, जो अभी तक अपेक्षित है। जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से अभिशंसा युक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण के सेक्टर 34 से अतिक्रमण हटाने की योजना

79. श्री घनश्याम महर (टोडाभीम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान योजना में सैक्टर प्लान 33 व 34 में सैक्टर सड़कें निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो कब से? प्रत्येक सैक्टर सड़क की लम्बाई, चौड़ाई व खसरेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खानियां बंधा से बहकर इन्दिरा गांधी नगर गोनेर तक जाने वाले नाले के दोनों किनारों व आस-पास भी सैक्टर रोड निर्धारित है? यदि हां, तो कहां से कहां तक व कितनी चौड़ाई तथा लम्बाई की व कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि सैक्टर प्लान 34 की लगभग सभी सैक्टर सड़कों पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो सैक्टरवार व सड़कवार अतिक्रमियों के नाम व पते मय निर्माण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सैक्टर 34 के अवरुद्ध विकास को गति देने हेतु

(श्री घनश्याम महर)

सैक्टर सड़कों से अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जविप्रा द्वारा सैक्टर 33 का प्लान दिनांक बीपीसी (एल.पी.) की बैठक दिनांक 05.07.2003 में अनुमोदित किया गया था तथा सैक्टर 34 का प्लान दिनांक 6-7 दिसम्बर, 2005 की बैठक अनुमोदित किया गया था, (सैक्टर 33 व 34 के प्लान की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है)। इन सैक्टरों के प्लान में 200 फीट, 160 फीट, 100 फीट, 80 फीट, 60 फीट एवं 40 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गयी है। इन दोनों सैक्टरों के प्लान सर्वे के आधार पर बनाये हुए हैं, खसरा प्लान पर आधारित नहीं है एवं न ही खसरा सुपरइम्पोज किया हुआ है। अत: खसरावार सड़क की लम्बाई चौड़ाई की सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। खानिया बन्धे से इन्दिरा गांधी नगर गोनेर की तरफ जाने वाले नाले का सैक्टर 34 के प्लान में आने वाले नाले के भाग के दोनों ओर किनारों पर सड़क प्रस्तावित नहीं है। खो-नागोरियन रोड पर एवं नाले के क्रासिंग के पूर्वी ओर नाले के समीप आंशिक भाग में (लगभग 850 मीटर लम्बाई में) 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। यह प्लान जविप्रा की बीपीसी (एल.पी.) की बैठक दिनांक 6-7 दिसम्बर, 2005 में अनुमोदित किया गया था।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में सैक्टर प्लान 34 की सैक्टर सड़कों का डिमार्केशन नहीं किया गया है। अत: मौके पर डिमार्केशन के अभाव में मौके पर अतिक्रमण की स्थिति बताया जाना संभव नहीं है। सेक्टर प्लान 34 की सैक्टर सड़कों से संबंधित भूमि पर अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सैक्टर प्लान संख्या 34 खो-नागोरियान क्षेत्र अन्तर्गत आता है। मास्टर विकास योजना 2011 में इसका भू-उपयोग ईकोलोजिकल दर्शित था। जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25 के अन्तर्गत सैक्टर 34, 35 का भू-उपयोग ईकोलोजिकल क्षेत्र से आवासीय व अन्य क्षेत्र उपान्तरण किया गया था। वर्तमान में प्रभावी मास्टर विकास योजना 2025

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आवासीय (यू-1) दर्शित है। डी.बी. सिविल रिट पीटिशन नम्बर 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.01.2017 को पारित निर्देश संख्या (XXX) में आगामी आदेशों तक इस क्षेत्र में निर्माण स्वीकृति पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(4) सैक्टर प्लान सड़कों का निर्माण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जो कि जविप्रा के वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर करता है। अत: जब भी सैक्टर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सैक्टर 34 के अवरूद्ध विकास को गति देने हेतु सैक्टर सड़कों से प्रभावित अतिक्रमणों को नियमानुसार हटाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका 'गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य' में पारित अंतरिम आदेश 12.01.2017 से ईकोलोजिकल जोन में आने वाली भूमि के अन्य उपयोग पर स्थगन आदेशों में निर्णय के पश्चात ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत स्वीकृत चम्बल शुद्धिकरण प्रोजेक्ट

80. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत चम्बल शुद्धिकरण प्रोजेक्ट स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त प्रोजेक्ट कब स्वीकृत हुआ व इस पर कितनी लागत आएगी तथा अब तक इसके लिए किस-किस कार्य के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? कार्यकारी संस्था के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति के बाद भी उक्त प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों व उक्त प्रोजेक्ट पर अब तक कौन-कौनसे कार्य करवाये जा चुके हैं और कौनसे कार्य करवाये जाने शेष हैं तथा शेष कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(3) उक्त प्रोजेक्ट में कौन-कौनसे संवेदक योजना का काम बीच में छोड़कर चले गये व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कार्य योजना वर्ष 2009-10 में स्वीकृत हुई थी। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2009 के द्वारा राशि 149.59 करोड़ की जारी की गयी है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय अंश 70 प्रतिशत (राशि 104.71 करोड़) एवं राज्य अंश 30 प्रतिशत (राशि 44.88 करोड़) है।

उक्त योजना को निम्नानुसार 3 पैकेज में विभाजित कर अलग-अलग कार्यादेश कुल राशि रुपये 122.32 करोड़ के जारी किये गये थे।

पैकेज संख्या	पैकेज संख्या
NRCP/RBS/01	5981.78 लाख
NRCP/LB/01	2286.64 लाख
NRCP/RBN/02	3964.03 लाख

उक्त योजना की कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास न्यास, कोटा है।

(2) जी हां। इसके पीछे मुख्य कारण तीनों पैकेजों के संवेदकों द्वारा कार्य को अत्यन्त धीमी गति से करना रहा। उक्त योजना में 30 MLD STP का कार्य पूर्ण कर आंशिक रूप से कमीशन कर दिया गया है तथा पम्पिंग स्टेशन LS-02, LS-05 व LS-07 को भी आंशिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। 6MLD STP वालिता व पम्पिंग स्टेशन LS-01, LS-03 व LS-04 का बचा हुआ कार्य कराया जाना है, इनसे सिटी ग्रेवटी जोन, कुन्हाडी, पंचवटी कालोनी, कृष्णा नगर, अम्बेडकर नगर तलवंडी सैक्टर बी व सी जवाहर नगर आदि में सीवरेज लाइन का कार्य करवाया जाना बाकी है। संवेदकों के Risk and Cost पर शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से Revised A&F प्राप्त होने के पश्चात अगले तीन वर्षों में योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा।

(3) उक्त योजना को तीन पैकेजों में विभाजित किया गया था:-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1. NRCP/RBS/01
2. NRCP/LB/01
3. NRCP/RBN/02

उक्त तीनों पैकेजों में से दो पैकेज NRCP/RBS/01 व NRCP/LB/01 का कार्यादेश संवेदक M/s SMS पर्यावरण लिमिटेड (JV) को दिया गया था। उक्त दोनों पैकेजों के कार्यों की अत्याधिक धीमी प्रगति के क्रम में अनुबंध करते हुए ठेका निरस्त कर दिया गया है तथा दोनों पैकेजों की कुल रुपये 9,65,95,374/- की बैंक गारन्टी जब्त कर ली गयी।

तीसरा पैकेज NRCP/RBN/02 कार्यादेश M/s श्रीराम EPC चैन्नई को जारी किया गया था। जिसकी भी कार्य प्रगति धीमी होने के क्रम में अनुबंध की धारा 23 एवं 32 के तहत कार्यवाही करते हुए ठेका निरस्त कर दिया गया है तथा पैकेज की कुल रुपये 3,36,40,304/- की बैंक गारन्टी जब्त कर ली गयी।

प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की योजना

81. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में उच्च पाठ्यक्रम मेडिकल, तकनीकी और कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना संचालित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या नियम, पात्रता और मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में भी गत चार वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु युवाओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो कितनों को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उच्च शिक्षा हेतु बैकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य में शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना संचालित नहीं होने के कारण इस हेतु कोई नियम, पात्रता और मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य में शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना संचालित नहीं होने के कारण किसी को ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया।

प्रदेश में आई.टी.आई. संस्थानों का अपग्रेडेशन

82. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की वित्तीय मदद से राज्य में राजस्थान स्किल एण्ड लेयर डवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से आई.टी.आई. संस्थानों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व क्या अपग्रेडेशन की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी थी? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर एवं अजमेर जोन में गत तीन वर्षों में उक्त कार्पोरेशन के माध्यम से किन-किन आई.टी.आई. संस्थानों का अपग्रेडेशन कब-कब किया गया एवं किन-किन संस्थानों का अपग्रेडेशन किया जाना शेष है? संस्थानों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन संस्थानों का अपग्रेडेशन किया जाना शेष है उनका अब कब तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग कर अपग्रेडेशन कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त संस्थानों के अपग्रेडेशन में विलम्ब के लिये उक्त कार्पोरेशन के निदेशक स्तर के अधिकारी जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो कौन-कौन? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? दोषी अधिकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आई.टी.आई. संस्थानों का अपग्रेडेशन केन्द्र सरकार की वित्तीय मदद से किया जा रहा है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की मदद से Upgradation of 1396 Govt. ITIs through PPP योजनान्तर्गत राज्य में पूर्व से संचालित कुल 105 राजकीय औ. प्र. संस्थानों को भारत सरकार की Upgradation of 1396 Govt. ITIs through PPP योजना के अन्तर्गत क्रमोन्नत किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना गाइड लाइन अनुसार संस्थान के विकास हेतु आई. एम. सी. द्वारा संस्थान विकास योजना (आई.डी.पी.) में प्रस्तावित विकास कार्यों के साथ साथ एवं व्यवसायों के प्रशिक्षण संचालित किये जा रहें है। इस योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा औ. प्र. संस्थानों को आई. एम. सी. के माध्यम से राशि रु. 2.50 करोड़ प्रति संस्थान ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

राज्य में उक्त योजना वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक पांच वर्षों में क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक वर्षवार औ. प्र. संस्थानों का विवरण सलंग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

यह योजना 30 वर्षों की हैं जिसमें राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत औ.प्र.संस्थानों को प्राप्त ऋण राशि प्राप्ति वर्ष से सामान्यत: आगामी 10 वर्षों में क्रमोन्नत करने की कार्यवाही की जानी है। तथा आगामी 20 वर्षों में विकास कार्यों के साथ-साथ ऋण राशि लौटाये जाने का प्रावधान हैं।

(2) जयपुर एवं अजमेर में वर्षवार क्रमोन्नत का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) चूंकि यह योजना 30 वर्षों की हैं जिसमें राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत औ.प्र.संस्थानों को प्राप्त ऋण राशि प्राप्ति वर्ष से सामान्यत: आगामी 10 वर्षों में क्रमोन्नत करने की कार्यवाही जानी है। तथा आगामी 20 वर्षों में विकास कार्यो के साथ-साथ ऋण राशि लौटाये जाने का प्रावधान हैं। किन्ही कारणों से जिन आई.एम.सी द्वारा संस्थानों में अपग्रेडेशन कार्य नहीं करवा पाये हैं उन संस्थानों में आई0एम0सी0 द्वारा डी.जी.टी. भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी योजना गाइड लाइन के अनुसार राशि का उपयोग करते हुए अपग्रेडेशन कार्य करवाये जा रहे हैं।

(4) जी नहीं। योजनान्तर्गत संस्थानों के अपग्रेडेशन में विलम्ब नहीं हुआ हैं।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है।

उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा क्रमोन्नत करने हेतु आवश्यक मदद राशि सीघे ही संबंधित संस्थान में योजनान्तर्गत 11 सदस्यीय गठित रजिस्टर्ड आई.एम.सी. सोसायटी के बैंक बचत खाते में हस्तान्तरण की गयी है तथा आई.एम.सी. को ही केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग करने हेतु पूर्ण शक्तियां प्राप्त है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में पर्यटन विकास के कार्य

83. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में गत 4 वर्षों में पर्यटन विकास के कितने कार्य किस मद में स्वीकृत किये गये हैं तथा उक्त प्रत्येक कार्य की प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यादेश कब-कब जारी किये गये?

(2) उक्त प्रत्येक कार्य की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय कार्य प्रगति क्या है और इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास के क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं व उन्हें कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा गत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में किसी प्रकार के पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वदेश दर्शन योजना में प्रस्तावित मेगा डेजर्ट पर्यटन सर्किट अन्तर्गत विधान सभा क्ष्ेात्र सूरसागर में स्थित पंचकुण्डा छतरी समूह के विकास कार्य हेतु राशि रुपये 254.99 लाख एवं सूरसागर के विकास कार्य हेतु राशि रुपये 242.84 लाख की संशोधित डी.पी.आर. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रस्तावित विकास कार्य कराये जाएगे।

प्रदेश में पैराटीचरों को नियमित कर प्रबोधक बनाने की योजना

84. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पैराटीचरों को नियमित कर प्रबोधक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य शिक्षक की भांति पैराटीचरों का कार्य क्षेत्र वहीं है? यदि हां, तो पैराटीचरों को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जालोर में वर्तमान में कितने पैराटीचर कार्यरत हैं तथा कब- कब नियुक्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत पैराटीचर्स को नियमित करने व प्रबोधक बनाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। वर्तमान में कार्यरत पैराटीचर्स को 7150/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 23 पैराटीचर्स कार्यरत हैं, जिनका नामवार तथा नियुक्ति दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के निजी विद्यालयों का मान्यता शुल्क

85. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में औसत व्यय कितना होता है?

(2) प्रदेश के निजी विद्यालयों का मान्यता शुल्क कितना निर्धारित है तथा निजी व सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 में प्रति विद्यार्थी औसत खर्चा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सत्र	प्रति विद्यार्थी औसत खर्चा
1	2015-16	17582
2	2016-17	14919
3	2017-18 (अनुमानित)	13754

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 में प्रति विद्यार्थी औसत खर्चा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सत्र	प्रति विद्यार्थी औसत खर्चा
1	2015-16	19117
2	2016-17	24756
3	2017-18 (अनुमानित)	28560

गैर सरकारी विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी औसत खर्चे के संबंध में विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(2) प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की मान्यता के संबंध में किसी भी प्रकार की शुल्क राशि का प्रावधान नहीं है। गैर सरकारी विद्यालयों की मान्यता के संबंध में प्रावधिक शुल्क राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 में सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

86. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शिमला बावरी)

(2) क्या सरकार अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वंचित माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा की नवीन ग्राम पंचायतों में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालयों में कक्षा 10 में प्रवेश लिये जा सकते हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र कि नाहरावाली ग्राम पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत है? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के विद्यालय में कृषि संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्तमान में 127 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के अनुसार प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायातो में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया जिसके फलस्वरूप चरणबद्ध रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयो को क्रमोन्नत किया गया है। जिसके अनुसार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के 12 ग्राम पंचायातो में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

(3) जी हां। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नव निर्मित ग्राम पंचायत सलेमपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सलेमपुरा को वर्ष 2013-14 में क्रमोन्नत किया गया है। जिसमें वर्तमान में कक्षा 10 संचालित हो रही है। विद्यालय में नियमानुसार कक्षा 10 में प्रवेश लिया जा सकता है।

(4) वर्तमान में ग्राम पंचायत नाहरावाली में कृषि विद्यालय खोलने को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)